गम माला, खंड 43, अंक 10

गुरुवार, 17 अगस्त, 1995
26 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 43 मे अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के दिनांक 17 अगस्त, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
30	17	श्री गिरधर गोमांगो	श्री गिरधर गमांग
34	नीचे से 2	योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के कार्यान्वयन मंत्री	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
37	10 और 17	एतिहायती	एहतियाती
72	5	याटिका	याचिका
97	नीचे से 10	हरकेवल	हरि केवल
103	नीचे से 6	अजलोज	अजलोज
105	नीचे से 2	ढोपीवाला	टोपीवाला
105	अंतिम	कस्बा	कस्बा
106	8	रोगार	रोजगार
118	नीचे से 6	ड़ा.(श्रीमती के.एस.सौन्दरम)	डा.(श्रीमती)के.एस.सौन्दरम
180	25	श्री नवल किशोर राय	श्री नवल किशोर राय
195	16	आयाल	आयल
200	नीचे से 10	निशेा	निषेध
211	नीचे से 8	श्री संजय लाल	श्री मंजय लाल
218	19	श्री जनार्दन मित्र	श्री जनार्दन मिश्र
228	6	अल्पसंख्य	अल्पसंख्यक
238	1	मंत्रालय के राज्यमंत्री	मंत्रालय में राज्य मंत्री
241	23	पाइल लाइन	पाइप लाइन
243	14	श्री भागेन्द्र झा	श्री भोगेन्द्र झा
245	1	मंत्रालय के राज्य मंत्री	मंत्रालय में राज्य मंत्री
247	11 और अंतिम	गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
249	9	ड़ा पी.पेरुमान	डा. पी.वल्लल पेरुमान

288	13	श्री गाभाजी मंगीजी ठाकुर	श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर
288	25	योजना और कार्यक्रम मंत्रालय	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
305	पृष्ठ	मंत्रालय के राज्यमंत्री	मंत्रालय में राज्यमंत्री
305	नीचे से 16	गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
314	नीचे से 7	गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
329	नीचे से 3	कोयला मंत्रायल	कोयला मंत्रालय
349	नीचे से 3	मंत्रालय में राज्यमंत्री	मंत्रालय के राज्यमंत्री
382	5 और 30	बारसार	बारसाट
383	10	बारसार	बारसाट
410	11	जी जानी	की जानी

विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 10, गुरुवार, 17 अगस्त, 1995/26 श्रावण, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		**1-23**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	222–224 और 227	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		**24-336**
तारांकित प्रश्न संख्या :	221, 225, 226 और 228-240	24-60
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2167–2397	61-335
बैलाडिला लौह-अयस्क खानों का निजीकरण		**336-364**
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**364-366**
राज्य सभा से संदेश		**366-367**
वित्तीय समितियां (1994-95)–एक समीक्षा		**367**
लोक लेखा समिति		**367**
एक सौ पांचवां प्रतिवेदन		367
सभा का कार्य		**367-371**
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक		**371-379**
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
– श्री जगतवीर सिंह द्रोण		371
– श्री निर्मल कान्ति चटर्जी		373
– श्री राम कृपाल यादव		378
– श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही		379
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		**379-380**
चवालीसवां प्रतिवेदन		379

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
विधेयक पुरःस्थापित	**380**
शासकीय गुप्त बात (संशोधन) विधेयक	**380-381**
(नई धारा 16 का अंतःस्थापन)	
– श्री मोहन सिंह (देवरिया)	380
संविधान (संशोधन) विधेयक	**381**
(अनुच्छेद 44 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
– श्री सैय्यद शहाबुद्दीन	381
रेल (संशोधन) विधेयक	**381-382**
(धारा 2 और 137 में संशोधन)	
– श्री मोहन सिंह (देवरिया)	381
अनिवार्य शिक्षा विधेयक	**382**
श्री चित्त बसु	382
राष्ट्रीय महिला आयोग (संशोधन) विधेयक	**382**
श्री चित्त बसु	382
भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक	**382-383**
श्री चित्त बसु	382
संविधान (संशोधन) विधेयक	**383**
(अनुच्छेद 164 में संशोधन)	
श्री चित्त बसु	383
सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक	**383**
श्री मंगल राम प्रेमी	383
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक	**384**
(धारा 1 में संशोधन आदि)	
– श्री मंगल राम प्रेमी	384

विषय	कालम
संविधान (संशोधन) विधेयक	**384-422**
(नए अनुच्छेद 330 क और 330 ख आदि का अंतःस्थापन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
– श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	384
– श्री कृष्णा दत्त सुलतानपुरी	386
– श्री मंजय लाल	390
– श्री अनादि चरण दास	391
– श्री राम कृपाल यादव	400
– श्री रामदेव राम	405
– श्री नवल किशोर राय	406
– श्री नीतीश कुमार	411
– श्री सूर्य नारायण यादव	417
मंत्री द्वारा वक्तव्य	**417-419**
वैल्लूर विशेष शिविर, तमिलनाडु से लिट्टे उग्रवादियों का भाग जाना	417

लोक सभा

गुरुवार, 17 अगस्त, 1995/26 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

*222. **श्री राजबीर सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, और

(घ) कुल उत्पादित कोयले में से कितनी मात्रा में अच्छे कोयले के उत्पादन की संभावना है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) आधुनिक कोयला खनन प्रौद्योगिकियों की शुरुआत किया जाना एक निरंतर स्वरूप की प्रक्रिया है। भूमिगत कोयला उत्पादन में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. द्वारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की चार भूमिगत खानों को चीन की सहायता से पावर स्पोट्र्स लांगवाल प्रौद्योगिकी की शुरुआत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। कोल इंडिया लि. ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सात भूमिगत खानों में आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों की शुरुआत किए जाने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। नई प्रौद्योगिकियों की, जैसे लांगवाल खनन तथा गैलरी विस्फोटन पद्धति की भी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की कुछ भूमिगत खानों में प्रारंभ की जा रही है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) और (घ) इन योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने से कोल इंडिया लि. के उत्पादन में वार्षिक रूप में प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन टन की और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के उत्पादन में लगभग 2 मिलियन टन की उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। कोयले के उत्पादन में प्रत्याशित अधिकांश वृद्धि में से लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि अच्छे गुणवत्ता वाले अ-कोककर कोयले के संबंध में होने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें यह लिखा है कि हम चीन से प्रौद्योगिकी लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले भी ली है और किन शर्तों पर ले रहे हैं, उसका इस उत्तर में कहीं भी हवाला नहीं है और इस चीज का हवाला भी नहीं है कि जो प्रौद्योगिकी चीन से ले रहे हैं वह इस देश के लिए हितकर होगी या नहीं? इसका भी जवाब इनके उत्तर में कहीं नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये चीन से प्रौद्योगिकी ले रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कनाडा से भी एक प्रौद्योगिकी ली थी। राजमहल परियोजना के लिए इन्होंने कनाडा से मदद ली थी। आपकी जानकारी में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उस मदद का क्या हुआ? 550 करोड़ रुपया मशीनों के लिए ट्रांसफर किया गया, 1.5 करोड़ रुपया कंसलटेंसी के लिए दिया गया व 175 करोड़ रुपया खदान के लिए दिया गया। ये सब करने के बावजूद हमारा जो उत्पादन हुआ, उसमें स्थिति यह हो गयी कि हम 76 रुपये प्रति टन के हिसाब से घाटे में गये।

माननीय मंत्री जी क्या यह सही है कि इतनी सब आधुनिकतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने के बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड 76 रुपये प्रति टन घाटे में गयी? अगर यह सही है तो इस घाटे को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और चीन से किन शर्तों पर आपने यह प्रौद्योगिकी ली है? क्या यह सच है कि आपने विदेशों में जो लोग ट्रेनिंग के लिए भेजे थे। वे सारा देश घूमकर आये। आने के बाद उन्होंने यह कह दिया कि हिन्दुस्तान में हार्ड कोल है और विदेशों में सॉफ्ट कोल है, इसलिए वह प्रौद्योगिकी यहां लागू नहीं हो सकती।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें अरबों रुपये की जो हानि हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां तक राजमहल ओपन कास्ट माइन परियोजना का संबंध है वह सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। माननीय सदस्य द्वारा दी गयी जानकारी उचित नहीं है। इस योजना में लिखित प्रावधान के अनुसार पूरी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है। जहां तक चीन की सहायता का संबंध है, भारत के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में भूमिगत खनन स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात बैंक आफ चाइना ने पहली बार ऋण सहायता देने की पेशकश की है और उन्होंने हमारे कोयला विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके चार स्थानों का चयन किया है, जो इस प्रकार हैं–चुर्चा वैस्ट, बलरामपुर, राजेन्द्रा और नयू कुमुदा। ऋण सहायता चुर्चा वैस्ट के लिये 30 करोड़ रुपये, बलरामपुर के लिये 22 करोड़

रुपये, राजेन्द्रा के लिये 25 करोड़ रुपये और न्यू कुमुदा के लिये 22 करोड़ रुपये है। जो कुल मिलाकर लगभग 99 करोड़ रुपये बनती है। यदि हम सभी आंकड़े जोड़े तो उनका जोड़ लगभग 100 करोड़ रुपये हो जाता है। यह समूची सहायता एक शर्त के अधीन दी जाती है।

फिर चीन की लांगवाल परियोजना बहुमूल्य है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने भी माना है। इसलिये हमने उसको स्वीकार कर लिया है। वास्तव में मैं अपने विशेषज्ञों के साथ स्वयं चीन गया था और हमने उनके विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की कि क्या किया जाये। हमने पाया कि वे प्रस्तुत शर्तों पर भारत के लिये लाभप्रद होंगी। इसीलिये उस पर सहमति हुई और उस पर ठीक काम हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यह पूछ रहा था कि चीन से किन शर्तों पर यह समझौता हुआ है। उसका कुछ खुलासा इस सदन के सामने आना चाहिए कि चीन क्या प्राफिट ले कर हमको देगा? चीन से किन शर्तों पर यह समझौता हुआ है, उसका इस सदन में खुलासा करिये।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, इस समय मेरे पास उसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस परियोजना पर काम आरम्भ हो गया है क्योंकि भारत में कुछ कोयला खानों में चीनी प्रौद्योगिकी लाभप्रद पायी गयी है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आया। मैं तो संतुष्ट हुआ नहीं और शायद पूरा सदन भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर यह लिखकर भेज देंगे तो हम पढ़ लेंगे। ...(व्यवधान) मेरा दूसरा सवाल यह है कि अभी तक हमारे यहां यह कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ काले लेकिन अब स्थिति यह हो गयी है कि कोयले की दलाली में हाथ नहीं मुंह काला होता है। यह कोयला ब्लैक डायमंड है।

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आम उपभोक्ताओं को कोयले की बड़ी कठिनाई हो रही है। कोल इंडिया लिमिटेड कुछ लोगों पर विशेष कृपा करता है और उसके कारण, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों, राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हों या समाज के अन्य महत्वपूर्ण लोग हों, उनको कोयले के वितरण में कभी 10 हजार या बीस हजार टन तक कोयला दिया जा रहा है। इस तरह वे उसको आउट आफ टर्न ले कर नाजायज पैसा कमा रहे हैं, जिसके कारण कोल इंडिया 76 रुपये प्रति टन के घाटे पर जा रहा है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोल इंडिया में जो भ्रष्टचार हो रहा है, जिसके कारण कोल इंडिया को 76 प्रति रुपये टन का घाटा हो रहा है। कोल इंडिया में यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में हो रहा है और अगर जानकारी में नहीं हो रहा है तो क्या वह इसके रोकने का प्रयाय करेंगे? भले ही इसका उत्तर अभी नहीं दे पायें, पर क्या आप उन लोगों की सूची प्रकाशित करेंगे कि किन-किन लोगों को आउट आफ टर्न कितना-कितना कोयले का परमिट दिया गया और उसका कितना दुरुपयोग हुआ, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के अन्तिम भाग की अनुमति नहीं दी जा सकती। शेष प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, लास्ट में ही सब कुछ है, वहीं तो मुंह काला हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, यदि माननीय सदस्य का मुंह काला होता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको अपना मुंह साफ करने का उपाय करना होगा।

परन्तु जहां तक इस कम्पनी पर भारत सरकार के निरीक्षण का संबंध है। चूंकि यह कम्पनी एक होल्डिंग कम्पनी है, जहां तक कोल इंडिया लिमिटेड का संबंध है–सर्वप्रथम जब भ्रष्टाचार के किसी विशेष मामले की जानकारी कम्पनी को मिलती है तो कम्पनी स्वयं उपचारात्मक कार्यवाही करती है। यदि यैह पाया जाये कि कम्पनी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है तब सरकार अपनी पर्यवेक्षणात्मक हैसियत में कम्पनी को निर्देश देती है और कम्पनी को उनका पालन करना पड़ता है।

महोदय, हम जो कार्यवाही करते हैं वह इस प्रकार है :

सर्वप्रथम, हमारा एक आंतरिक सतर्कता विभाग है, दूसरे नियंत्रण रखने के लिये कुछ बाह्य एजेंसियां भी हैं, और तीसरे भारत के महालेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक हैं, जो कम्पनी के लेखों की विस्तृत जांच करता है। इस समय हमारे पास सही साधन उपलब्ध हैं जिनसे हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोल इंडिया, यथासंभव सही ढंग से काम करे।

महोदय, इतनी बड़ी व्यवस्था में, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं एक तर्कसंगत व्यक्ति हूं और मैं यह कह सकता हूं कि जब कोई विशेष मामले हमारी जानकारी में लाये जाते हैं, हम उनके संबंध में पर्याप्त सुधारात्मक उपाय करते हैं। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई ऐसा मामला है तो वह कृपया उस मामले को मुझे सौंप दें। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि यदि उस मामले के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो हम उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, कोल माफिया इतना मशहूर है वहां कत्ल हो जाते हैं। मैं धनबाद गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि कोल माफिया के लोग सरकार पर हावी हैं, मंत्रिमंडल पर हावी हैं और नाजायज ढंग से लोगों को कष्ट दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। *(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिये हैं, वह बहुत सैटिसफैक्टरी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनसे पूछना चाहती हूं कि जितनी पुरानी विदेशी कम्पनियां थीं, उनकी वजह से हमारा जितना नुकसान हुआ है, उसकी रैसपोंसिबिलिटी किस पर सौंपी गई है? उसके लिए आपने कोई कमेटी बिठाई है जो कि उसकी जांच करे? जो डैमेज हुए हैं, उसके लिए भी क्या कोई कमेटी बिठाई है, जो कि डैमेज का नुकसान है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने प्रश्न को ठीक से तैयार कीजिए।

[हिन्दी]

ऐसे क्वश्चन नहीं पूछा जाता कि कमेटियां बिठाई हैं, कौन सी कमेटियां हैं,

[अनुवाद]

मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : तो ठीक है, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न स्पष्ट कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : मैं इसी में से ले लेती हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि चाइना से जो कोयला आ रहा है, वह सोफ्ट है, क्या हिन्दुस्तान में आप जो चाइनीज कम्पनी का सोफ्ट कोयला यहां पर ला रहे हैं, वह हमारे यहां उतना उपयोगी बैठ सकेगा?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न समझ लिया होगा, उसका जवाब दीजिए। सोफ्ट कोयला हमारे यहां लाना उपयुक्त है क्या?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, किसी विदेशी कम्पनी के कार्यकरण के फलस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड को हुई किसी हानि की हमें कोई जानकारी अथवा सूचना नहीं मिली है। इस संबंध में यदि माननीय सदस्य को किसी कम्पनी विशेष की जानकारी है तो वह मुझे बतायें। मैं निश्चय ही मामले की जांच पड़ताल करवाऊंगा।

महोदय, चीन की प्रौद्योगिकी कोल साफ्ट कोक पर ही लागू नहीं होती। भूमिगत खनन के लिये भी चीन की प्रौद्योगिकी लाभप्रद है। उन्होंने अच्छी प्रगति की है। ओपन कास्ट खनन के लिये चीन हमारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। अभी परसों ही चीन के विशेषज्ञ ओपन कास्ट माइनिंग के बारे विचार विमर्श के लिये हमारे विशेषज्ञों के पास आये थे। वे चीन में ओपन कास्ट माइनिंग के लिये भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहते हैं। जहां तक चीन का संबंध है, वे अधिकांशतः बहुमूल्य कोयले यथा (क), (ख) व (ग) किस्म के कोयले का भूमिगत खनन करते हैं, जिसका उपयोग कांच का सामान तैयार करने के लिये और ऐसे अन्य उद्योगों में किया जाता है। उसका संबंध कच्चे या पक्के कोयले से नहीं है। जहां कहीं भूमिगत खनन की आवश्यकता होती है, हम अन्य देशों की तरह भारतीय विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके चीनी की लांगवाल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : भूमिगत खानों में अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध होता है और इसीलिये चीन में अधिकांश कोयला खाने, लगभग 70-80 प्रतिशत, भूमिगत खाने हैं और जबकि हमारे देश में 40 प्रतिशत खाने, भूमिगत हैं और 60 प्रतिशत ओपन कास्ट हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या चीन की लांगवाल प्रौद्योगिकी की सहायता से हमारे देश में भी और भूमिगत खानों का दोहन किया जायेगा या नहीं।

श्री मुरली देवरा : यह पंजाब का लोंगोवाल नहीं है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न के लिये 15 मिनट दिये हैं, इस लिहाज से चार प्रश्न ही हो पायेंगे।

[अनुवाद]

कृपया संक्षेप में बोलें।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह तो धीमी गति के समाचार चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : "लांगवाल" प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध हैं हमारे देश में भी लांगवाल प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, परन्तु चीन की प्रौद्योगिकी हमारे से बेहतर है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने और अच्छी किस्म का कोयला प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक भूमिगत खनन आरम्भ किया जायेगा और यदि हां तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

श्री अजित पांजा : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि चीन की प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी से बेहतर है। हमासी प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी है। कुछ प्रकार की खानों के लिये चीन की प्रौद्योगिकी अच्छी पायी गयी थी जिनकी भूगर्भीय स्थिति वैसी ही है जैसी कि चीन की खानों की है और जिनके संबंध में चीन ने पहले अध्ययन कर रखा है। इसी प्रकार, चीन में जिन खानों की भूगर्भीय स्थिति हमारी खानों के समान है चीन ने किसी अन्य प्रौद्योगिकी की अपेक्षा हमारी 'ओपन कास्ट' खनन प्रौद्योगिकी बेहतर पायी है। अतः वे भारतीय प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने के लिये यहां पर आये हैं।

जहां तक ऐसी परियोजनाओं की बात है, जिनके संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस नयी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा, उनकी एक लम्बी सूची मेरे पास है। मैं, निश्चय ही, यह सूची माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा और सीधा सा सवाल है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके में उत्तम श्रेणी का कोयला प्रचुर मात्रा में मिलने की कोई सूचना मंत्रालय को मिली है, यदि हां, तो मंत्रालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां कोयले की काफी कमी है। वहां इस भंडारण को निकालने के लिए कोई तत्काल प्रयास करेगा?

अध्यक्ष महोदय : यह टेक्नोलॉजी का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : मैं जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्षजी, अभी मंत्रीजी ने कहा है कि हमारे देश में कोयले के क्षेत्र में विदेशी मदद से जितनी परियोजनायें अभी तक लगाई गई हैं, उनमें से किसी में भी नुकसान नहीं हुआ है और सभी योजनायें सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं यहीं पर अपना पहला विरोध प्रकट करना चाहती हूं। राजमहल प्रोजेक्ट कनाडा के सहयोग से चालू किया गया था, उसमें नुकसान ही नुकसान हुआ है। इतने करोड़ रुपये कर्ज लेने के बाद और इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रति टन 76 रुपये आपको नुकसान हो रहा है। इसके पहले भी आपने विदेशी मदद से फुटकी बलिहारी में परियोजना लागू की थी। सर, विदेशी मदद का ही सवाल है। वॉटरजैट की मदद से कोयले की माइनिंग करने की वह टैक्नोलॉजी थी। वह भी फ्लॉप साबित हुई। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कुछ सोच समझकर आप यह विदेशी तकनीक लागू करते हैं या कोई विदेशी कहता है कि हमारे पास एक नई तकनीक है, आप इसे लागू करिये और हम उसके पीछे-पीछे दौड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि विदेशी मदद से जो भी परियोजनायें ली गई थीं और जो फ्लॉप साबित हुईं, क्या उसके लिए कोई जिम्मेवारी फिक्स की गई है? क्या उन विदेशी कम्पनियों के साथ कोई एग्रीमेंट किया गया था कि सफल न होने की स्थिति में वे कुछ डैमेजेज देंगी? क्या इस तरह की कोई जानकारी मंत्री महोदय सदन को देना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : राजमहल के संबंध में हमारी जानकारी यह है कि ओपन कास्ट राजमहल में कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है और लक्ष्य के लिये निर्धारित अवधि के भीतर चल रहा है, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मुद्दे का उल्लेख करें तो मैं निश्चय ही उसकी दोबारा जांच पड़ताल करवाऊंगा। हमारी जानकारी के अनुसार वहां ठीक प्रकार से काम चल रहा है और वह निर्धारित क्षमता के अनुसार है। जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का संबंध है, हमारे अपने विशेषज्ञ प्रत्येक खान के संबंध में अलग से विचार करते हैं। रांची में हमारा अनुसंधान एवं विकास अनुभाग है और हमारे अपने विशेषज्ञ भी हैं। प्रत्येक परियोजना और ठेकों का गहराई से अध्ययन किया जाता है और जहां तक उपकरणों व प्रौद्योगिकी का संबंध है उनके कार्य निष्पादन की गारंटी होती है। यदि कोई बात हमारे हितों के विरुद्ध पायी जाती है और ठेके का उल्लंघन किया जाता है तो निश्चय ही क्षति का मुआवजा मांगा जा सकता है। परन्तु नयी परियोजनाओं के संबंध में अब तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी विदेशी परियोजना के कारण कोई हानि हुई हो।

दूरदर्शन से व्यावसायिक व्यक्तियों का प्रतिभा पलायन

*223. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति दूरदर्शन छोड़ कर चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यावसायिक व्यक्ति दूरदर्शन छोड़कर चले गए हैं;

(घ) दूरदर्शन से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी नीति अपनाई जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न श्रेणियों के समूह "क" के 25 अधिकारियों ने या तो स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले ली है अथवा व्यक्तिगत कारणों से सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

(घ) चूंकि दूदर्शन के समूह "क" अधिकारियों की संख्या जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान कार्य छोड़ा है, चूंकि तुलनात्मक दृष्टि से अधिकारियों की कुल संख्या के संबंध में बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ऐसे व्यवसायियों को निरुत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कोई विनिर्दिष्ट कार्य नीति आवश्यक नहीं समझी गयी है, जो नियुक्ति की अपनी पूरी अवधि से पहले कार्य छोड़कर इलैक्ट्रोनिक मीडिया में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय एन. पाटील : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेटाईजेशन की वजह से या दूसरे क्षेत्र में कम्पनियों में अच्छा काम मिलने की वजह से लोग छोड़ देते हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि पर्सनल रीजन्स से लोगों ने इस्तीफा दिया है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि वे पर्सनल रीजन्स उसमें क्या लिखे जाते हैं और दूसरे जो तीन साल पहले कुछ शुरुआत हुई, आज उसमें छोड़ने वालों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण क्या दूरदर्शन को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस ब्रेनड्रेन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, जैसा कि मैंने बताया है गत दो वर्षों के दौरान 1039 में से केवल 25 लोगों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ली है जो कि 2.4 प्रतिशत बनता है। क्या इस 2.4 प्रतिशत को प्रतिभा पलायन मानना चाहिए? उन 25 मामलों में से, 11 लोग ऐसे थे, जिन्होंने अपनी पेंशन पाने योग्य सेवा पूरी कर ली थी, शेष 14 व्यक्तियों ने निजी कारणों से त्याग-पत्र दिया था। महोदय, यदि आप चाहें तो मैं इन चौदह मामलों का, प्रत्येक के संबंध में, संबंधित जानकारी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय एन. पाटील : मंत्री महोदय ने एक हजार की संख्या पहले बताई मगर उसमें तो क्लर्क से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ भी इंक्लूड हैं। मुझे प्रतिभावान और अनुभवी कौरसपौन्डेंट्स रिपोर्टर्स के बारे में कुछ कहना है और दूसरी तरफ आप चैनल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। उसमें अच्छे अनुभवी लोगों की जरूरत ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि जी.टी.वी. वगैरह जो दूसरे बाहर के चैनल्स हैं, उनसे हमें स्पर्धा करनी है। क्या आप उचित नहीं समझते कि जो 25 लोग छोड़कर गये, वे अनुभवी और प्रतिभावान थे, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिये। आज जो पर्सनल रीजन्स बता रहे हैं, जैसा इंडियन एयरलालन्स में हुआ। उसमें अड़चन महसूस होती है। मैं जानना चाहता हूं, आगे के लिए कोई इन्सैन्टिव या उसके रोकने के लिए कोई उपाय या योजना है?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाये जाने पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महोदय दूरदर्शन के विस्तार का काम वर्ष 1982 के बाद से शुरू हुआ था। अभी विस्तार का कार्य चल रहा है। पांचवां वेतन आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है कि सेवा शर्तों और परिलब्धियों में किस प्रकार सुधार किया जाये जो क्षमता और प्रतियोगिता के आम माहौल से मेल खा सके। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य के विचारों पर पांचवां वेतन आयोग ध्यान देगा और दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिये बेहतर परिलब्धियों की सिफारिश करेगा, ताकि इन 2.4 प्रतिशत लोगों को भी बेहतर सेवा शर्तों के लिये सेवा छोड़नी न पड़े।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष जी, पहले एक समय था, जब सरकारी नौकरी के लिए लोग तड़पते थे कि सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके लिए सब कुछ प्रयत्न करते थे। आज यह दिन है कि लोग छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं, जिस प्रकार AI में जा रहे हैं और IA में जा रहे हैं, उसी प्रकार से दूरदर्शन से जा रहे हैं। मंत्री जी ने बताया कि 25 लोग छोड़ कर गए हैं मैं जानना चाहता हूं, ये 25 लोग क्यों गए हैं और उसकी क्या वजह रही है? मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दूरदर्शन का एक्सपांशन हो रहा है और जो 220 LPT टावर लगे हैं, उमें स्टाफ नहीं है। एक तरफ स्टाफ नहीं है और दूसरी तरफ स्टाफ जा रहा है। सामलाजी, ईडर और भीलोडा में LPT लगे एक साल हो गया है, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है। इस बारे में मंत्री जी से कई बार कहा है, तो बताया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्टाफ बढ़ाने के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है। एक तरफ स्टाफ जा रहा है और दूसरी तरफ स्टाफ नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से काम कैसे चलेगा। हमें विदेशों से लड़ना है, और इसके लिए हमारी सहायता चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसलिए स्टाफ बढ़ाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : लड़ने का मतलब कम्पीटीशन से है। ...(व्यवधान)

श्री अरविंद त्रिवेदी : मैं कम्पीटीशन के लिए बात कह रहा हूं, हम कैसे कम्पीटीशन कर पायेंगे। हमारे इतने टावर लगे हैं, क्या वे ऐसे ही पड़े रहेंगे। लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। गांव के दूरदराज इलाकों में आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, सरकार की बात नहीं पहुंच पाती है। सरकार जो कार्य करती है, वह बात नहीं पहुंच पाती है। अगर स्टाफ नहीं रहेगा, तो क्या ये टावर ऐसे खड़े रहेंगे–यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। वह विभाग के अन्दर और बाहर की स्थिति से अवगत हैं। यह सच है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हमें अपेक्षित संख्या में सक्षम कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो रहे और काम का विस्तार भी हो रहा है।

यह भी सच है कि अनेक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये हैं और सम्पदा बनायी गयी है और कर्मचारियों के अभाव के कारण हम उस सम्पदा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय धन नहीं जुटा रहा। महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरह प्रत्येक मंत्रालय यह महसूस करता है कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। इसके साथ ही पांचवें वेतन आयोग को देखते हुए-हम वर्तमान व्यवस्था को कुछ नया रूप देने और ढांचे में बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हम अन्तर्निहित प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम नयी भर्ती की मंजूरी के बिना वर्तमान कर्मचारियों की पदोन्नति करके और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करके कर्मचारियों की कमी पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। जब तक नयी भर्ती की मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक मुझे खेद से कहना पड़ेगा कि जो हमने उपकरण आदि जुटाए हैं, हम उनको चला नहीं पायेंगे। इसलिये कर्मचारियों के अभाव में हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम अपने संसाधनों में ज्यादा खींच-तान करेंगे, तो सारी व्यवस्था ठप्प होने का अंदेशा रहेगा।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : महोदय, 200 एल.पी.टी. टावर ऐसे पड़े हुए हैं, उनका स्टाफ की वजह से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसका कोई उपाय होना चाहिए। मैं आपकी सहायता चाहता हूं, आप हमारी सहायता कीजिए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य के विचारों से पांचवें वेतन आयोग को अवगत कराया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित होने वाली बेहतर परिलब्धियों के कारण हम कुशल व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, मंत्री महोदय को यह बात महसूस करनी चाहिए कि इलैक्ट्रानिक संचार साधनों में प्रतियोगिता के आम माहौल के कारण प्रतिभा पलायन की, चाहे पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आये या न आये, समस्या बनी रहेगी। महोदय मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका विचार प्रसारण निगम, प्रसार भारती बना कर वेतन ढांचे के मामले में पूर्ण स्वायत्तता देने का है, जिससे भविष्य में भारत सरकार या वेतन आयोग से अनुरोध करने के बजाय पूर्णतया स्वतंत्र रूप से वेतन ढांचे के बारे में निर्णय किया जा सके, क्योंकि यह समस्या आगे चल कर अधिक गम्भीर हो जायेगी। क्या वह प्रसार भारती अधिनियम की शीघ्र कार्यरूप देने पर विचार करेंगे।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, प्रसार भारती के लिये हम वचनबद्ध हैं। परन्तु उस व्यवस्था पर विचार विमर्श जारी है, क्योंकि वर्ष 1990 में, जब हमने इसी संसद में प्रसार भारती विधेयक को पास करवाया था जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल चुकी है और मेरे पूर्ववर्ती मंत्री, जिन्होंने गत सप्ताह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था जब हमने दूसरे सदन में उस पर चर्चा की थी, उनके मन में भी कुछ संदेह थे। इसलिये अभी वह एक ढांचा है, जिस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 1990 में हमारे पास केवल एक चैनल था। अब हमारे पास लगभग 17 चैनल हैं। इस ढांचे, प्रसारण समय और अन्य सभी बातों की मात्रा एवं गुणवत्ता में हर प्रकार से वृद्धि हुई है। अतः यह विचाराधीन है और मंत्रिमंडल को भी इस पर चर्चा करनी है। तथापि मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम प्रसार भारती के प्रति वचनबद्ध हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, दूरदर्शन में नियमित सेवा करने वाले लोगों से भिन्न अन्य कई तरीकों से भी व्यावसायिक लोग दूरदर्शन की सेवा करते हैं। हाल ही में सी.एन.एन. और दूरदर्शन के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार सी.एन.एन. को इन्सेट II-बी ट्रांसपोंडर के माध्यम से समय देने की अनुमति दी गयी है। सी.एन.एन का अपने देश में सम्मान घटता जा रहा है और इसीलिए वे भारत के माध्यम से ऐशियन मार्कीट में दाखिल होने के लिये उत्सुक हैं। इसीलिए वे अमरीकी समाचार से लगातार अतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महादय, मेरा प्रश्न है कि प्रादेशिक समाचारों को अपने ढंग से तैयार करने के लिये उनको प्रादेशिक विशेषज्ञों और नवयुवकों की आवश्यकता होगी जो सी.एन.एन. की परिकल्पना के अनुसार उनके लिये समाचार तैयार करेंगे। ऐसी स्थिति में दूरदर्शन के अनेक युवक कर्मचारियों की सी.एन.एन. व्यवस्था में जाने की संभावना है। क्या मंत्रालय ने इस पहलू पर विचार किया है और क्या वे कोई ऐसी योजनाएं तैयार कर रहे हैं जिनसे ऐसे प्रतिभाशाली युवकों को दूरदर्शन छोड़ कर जाने से रोका जा सके?

श्री के.पी. सिंह देव : सर्वप्रथम, महोदय, दूरदर्शन ने सी.एन.एन. से नहीं, बल्कि टर्नर इंटरनेशनल से समझौता किया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : एक ही बात है।

श्री के.पी. सिंह देव : दूसरे, सी.एन.एन. चैनल वर्ष 1990 से, जब खाड़ी युद्ध आरंभ हुआ था, इस देश में आ रहा है। अतः यह कोई नयी बात नहीं है कि यह एकदम अचानक ही आ गया हो। ये सेटेलाइट से आ रहा था। यह सेटेलाइट चैनल था। यह

सेटेलाइट डिश द्वारा प्राप्त होता था और अब भी वही कुछ हो रहा है। दूरदर्शन उसको नीचे चीन सरकार के सेटेलाइट अपसता, अरब स्टेट और लापला, जो इंडोनेशिया का सेटेलाइट है, से जोड़ता है। दूरदर्शन ही उसे ऊपर से भी जोड़ता है। यह चैनल 24 घण्टे उपलब्ध रहता है। अतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में किस नियम में परिवर्तन नहीं हुआ। यह दूरदर्शन-सी.एन.एन. चैनल है। अतः यदि बड़ी संख्या में नवयुवक इसमें आते हैं, तो उनका स्वागत है। सी.एन.एन. दूरदर्शन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है और अभाव को पूरा करता है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिये व्यवस्था नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिये हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। यदि नवयुवक दूरदर्शन और सी.एन.एन. चैनल में आते हैं तो अच्छी बात है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : बाद में वे अलग ही हो जायेंगे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो कर्मचारी सीरियल व टेलीफिल्म तैयार करने से संबंधित हैं, वे दूरदर्शन से जा रहे हैं। कुछ लोग स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेकर और कुछ त्यागपत्र देकर जा रहे हैं। वे बेहतर परिलब्धियां प्राप्त करने हेतु अन्य टेलीविजन सेवाओं में भी जा रहे हैं।

क्या दूरदर्शन ने इस पर विचार किया है कि यह एक खतरा है, जिसके कारण वे त्यागपत्र दे रहे हैं या स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले रहे हैं?

श्री के.पी. सिंह देव : हमें इस बात की जानकारी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वे सभी प्रश्नों को टाल रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि कुछ लोग दूरदर्शन छोड़ कर अन्य स्थानों को जा रहे हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा सब जगह होता है। बहुत अच्छे लोग, समाचार-पत्रों में काम करने वाले प्रतिभाशाली लोग इलैक्ट्रानिक मीडिया में नियुक्त किये जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिक मीडिया से भी कुछ लोग अन्य स्थानों को जा रहे हैं। ऐसा सभी जगह हो रहा है। बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के साथ सहयोग नहीं करता है। अतः क्या सरकार, चूंकि चैनल की संख्या बढ़ रही है और मांगें बढ़ती जा रही हैं, कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेगी जिससे हम अर्हता प्राप्त युवा व्यक्तियों की जो उपलब्ध हैं, नियुक्त कर सकें? हमें उनको समय रहते भर्ती कर लेना चाहिए।

श्री के.पी. सिंह देव : इस व्यवसाय में केवल अर्हताप्राप्त व्यक्ति ही लिये जाते हैं और उनका चयन संघ लोकसेवा आयोग द्वारा किया जाता है और माननीय सदस्य का सुझाव भी अच्छा है। हम अधिक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही लेना चाहते हैं। परन्तु पांचवें वेतन आयोग को भी हमारा साथ देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय ने विस्तार और भर्ती के संबंध में कोई योजना बनाई है। वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन 4 वर्ष बाद देगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह ठीक बात है।

श्री के.पी. सिंह देव : वर्तमान वेतन और भत्तों के ढांचे और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए 1039 लोगों में से केवल 25 व्यक्ति दूरदर्शन छोड़ कर गये हैं। उनमें से...

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या विस्तार और भर्ती के बीच कोई संबंध है।

श्री के.पी. सिंह देव : इस समय हम कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। सच तो यह है कि हम वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार 10 प्रतिशत कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के सभी विभाग कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हम विस्तार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके कार्यों के विस्तार, अधिक शक्तियां प्राप्त करने, चैनल संख्या मे वृद्धि, कार्यक्रमों के समय में वृद्धि का आपके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के साथ परस्पर कोई संबंध तो होना चाहिए। वह यही पूछ रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : वर्तमान कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 है–20,000 हजार से कुछ कम होगी या 19,000 होगी और उसमें 10 प्रतिशत की कटौती कर के भी दूरदर्शन प्रसार कार्य में उल्लेखनीय विस्तार किया गया है क्योंकि अधिकांशतः दूरदर्शन प्रसारण सेटेलाइट के माध्यम से होता है और हम अधिकांशतः बाहर के निर्माताओं पर निर्भर हैं अर्थात दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्लेटफार्म का लाभ भारत की आम जनता उठाती है। इसलिये इस समय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय वित्त मंत्रालय के 10 प्रतिशत कटौती संबंधी प्रस्ताव से सहमत नहीं है और उन्होंने अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्ति की है कि कटौती करने का उनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा?

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव, हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे।

श्री के.पी. सिंह देव : हमने अप्रैल मास में 10 प्रतिशत की कटौती लागू की है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी ने इस प्रश्न को पूरे ध्यान और मनोयोग से नहीं पढ़ा। "की-पर्सनल्स" का मतलब कुछ नौकरीशुदा लोग ही नहीं होते। दूरदर्शन से जुड़े हुए कला क्षेत्र, व्यवस्था क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के जितने भी सिरमौर व्यक्ति हैं, उन लोगों में से कितने गए

हैं। कितने कलाकार मुंह मोड़ गए हैं, कितने व्यवस्थापकों ने मुंह मोड़ा है, इन सब का ब्यौरा न देकर सिर्फ ग्रुप 'ए' में आई.ए.एस, जो यू.पी.एस.सी. की परीक्षा से आते हैं, उनके वालेंटरी रिटायरमेंट या त्याग-पत्र के बारे में बताया गया है इसलिए ऐसा लगता है कि मंत्री जी का उत्तर और उसमें दिया गया ब्यौरा लुंजपुंज है।

महोदय, क्या ये प्रोफेशनल शब्द की व्याख्या कर पुनः इसकी जो गरिमा है, उसको बहाल करने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया, वे कृपा करने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गिरिजा देवी : वे कर्मचारी नहीं है, बल्कि व्यावसायिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इस बारे में कुछ करेंगे।

सिंचाई और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का निजीकरण

*224. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री चित्त बसु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निजीकरण की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। सिंचाई एवं बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवहार्यता व गुंजाइश की जांच करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 5.7.1995 को एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब लिखकर दिए है वे अस्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी सरकार ने एक समिति बनाई है, तो क्या जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है। इसलिए यह सरकार इनको निजी क्षेत्र की भागीदारी और उदारता में गुंजाइश के लिए यह कोशिश कर रही है।

दूसरा, अगर सरकार ने समिति बनाई है तो क्या उस समिति की अभी कोई बैठक हुई है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इस समिति की पहली बैठक सोमवार, 21 अगस्त 1995 को होने वाली है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं का प्रबन्ध न कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राज्य सरकारों ने परियोजनाओं का निर्माण किया है, न कि जल संसाधन मंत्रालय ने। हम तो केवल इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को देखते हुए राज्य सरकार के लिये कोई मार्गदर्शी नीति बना सकते हैं अथवा योजनागत व्यय और गैर-योजनागत व्यय के लिये साधनों की बाध्यता के कारण क्या ऐसी नदी घाटी परियोजनाओं का निजीकरण किया जा सकता है। अतः अभी सारी स्थिति अस्पष्ट है और किसी बात को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। अभी विचार की प्रक्रिया चल रही है और जब तक कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकलता, हम यह नहीं बता सकते कि इस बारे में सरकार की नीति क्या होगी?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह राज्य सरकार का मामला था तो इस बहुउद्देशीय योजना के लिए सरकार को कौन सी जरुरत पड़ गई निजी क्षेत्र की ओर झुकने की और साथ ही साथ क्या यह सत्य नहीं है कि जो इनकी नयी आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति के दबाव के कारण राज्य सरकार जो काम कर सकती है उसको भी निजी क्षेत्र में डालने की यह कोशिश कर रही है। क्या यह सत्य नहीं है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : नहीं, महोदय, यह सच नहीं है, यद्यपि राज्य सरकारें परियोजनाएं क्रियान्वित करती हैं फिर भी हम नीति बनाने में उनकी सहायता करते हैं। संविधान के उपबंधों के अधीन भी केन्द्रीय सरकार विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार अध्ययन करके उसके निष्कर्ष राज्य सरकार को उनके विचार व क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय बताया है कि समिति की नियुक्ति का सिंचाई और बहु उद्देशीय परियोजनाओं के निजीकरण के पहलू पर विचार करने का एक कारण संसाधनों की बाध्यता है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह समिति विशिष्ट परियोजनाओं के लिये सिंचाई बोर्डों के रूप में कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त करके लाभ पाने वाले किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के पहलू पर विचार करेगी। जब किसान भागीदारी की पेशकश करने के लिये आगे आयें, तब केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार को अपनी तरफ से भी कुछ वित्तीय सहायता देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाएं शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जायें, ताकि अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कार्यवाही, किसानों को परियोजनाओं की कुछ लागत वहन करने की पेशकश करने हेतु प्रेरित करें।

श्री. पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, पहले ही किसानों की भागीदारी के साथ कमांड क्षेत्र विकास हेतु योजनाएं बनायी गयी है। नीति तैयार करते समय माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, वर्ष 1992 में इसी सभा में माननीय जल संसाधन मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था : "डा. के.एल.राव ने अपनी पदावधि के दौरान भारतीय नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता पर विचार किया था" उस समय इस कार्य पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। परन्तु संसाधनों के दबाव के कारण उस परियोजना को आरम्भ नहीं किया जा सका। अब, नयी आर्थिक नीति को देखते हुए और बंजर भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र को खेती योग्य बनाने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इन चल परियोजनाओं के जोड़े जाने का काम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने पर विचार करेंगे, क्योंकि गत चार वर्षों में हमने दूर-संचार, विद्युत व अन्य क्षेत्रों में एक लाख करोड़ से अधिक विदेशी निवेश करवाया है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भारतीय नदियों का जोड़े जाना अधिक लाभप्रद है और दूरसंचार तथा अन्य बातों से अधिक आवश्यक है। मैं सरकार से इस बात का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी राय न दें, जो सही स्थिति है, वह बता दें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, गंगा कावेरी नदियों को मिलाने संबंधी परियोजना, जिसका उल्लेख डा.के.एल. राव ने किया था, विभिन्न कारणों से त्याग दी गयी है–तकनीकी और वित्तीय कारणों से अब वह योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही।

विभिन्न नदियों के मिलाने का मामला, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अपने उत्तर में बताया था, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के विचाराधीन है। जैसे ही प्रतिवेदन तैयार हो जायेंगे, हम इन परियोजनाओं पर विचार करेंगे। बाकी की बातें भी फिर तय हो जायेंगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जल संसाधन राज्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिये और उसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिये किया गया था, क्या सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वर्षा का जो पानी अक्सर बह कर चला जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, वहां लघु सिंचाई योजनायें या ऐनीकट या छोटे-छोटे बांध अथवा कुओं को गहरा कराना अथवा पाताल फोड़ कुएं इत्यादि के माध्यम से असिंचित जमीन को लाभ पहुंचाने के लिये उनको आमंत्रित किया जाये? क्या विचाराधीन विषयों में इसको सम्मिलित किया गया है? बड़ी-बडी योजनायें जिनसे केवल लाभ पहुंचता है लेकिन करोड़ों रुपये का खर्चा होता है, क्या उन्हीं के लिये मल्टीनैशनल को आमंत्रित किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें मल्टी नैशनल कहां है?

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या समिति को विचार के लिये दिया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस नीति के माध्यम से छोटी परियोजनाओं की भी सहायता करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जी हां। महोदय हम लघु परियोजनाओं का भी ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष जी, अभी छोटे-छोटे इरिगेशन में निजीकरण की भागीदारी है जैसे टैंक इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अभी इस क्षेत्र में जो समझौता होने जा रहा है, उसके लिये क्या टर्म्स और कंडिशन्स रखी गई हैं और उसमें कौन-कौन से मल्टीपरपज प्रावधान रखे गये हैं? क्या आप इसका ब्यौरा देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समिति को दिये गये विचारार्थ विषय क्या हैं?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की सिंचाई में निजीकरण की व्यवहार्यता पर विचार;

(2) निजीकरण की सीमा तय करना अर्थात परियोजना के एक या एक से अधिक घटक जैसे बांध, बिजली घर, मुख्य नहर आदि;

(3) निजीकरण के लिये परियोजनाओं का पता लगाना;

(4) निजीकरण संबंधी प्रशासनिक, वैधिक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करना और उनके संबंध में किये जाने वाले विशिष्ट उपायों के बारे में सुझाव देना;

(5) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की सिंचाई में निजीकरण के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना, और

(6) उक्त विषय-वस्तु के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य मामले पर विचार करना।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि डा. के.एल. राव समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही बंद कर दी गयी है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उसको संसाधन संबंधी बाध्यताओं के कारण ही त्याग दिया गया है अथवा ऐसा करने के कोई अन्य कारण भी हैं, क्योंकि उनकी सिफारिश बहुत अच्छी थी।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, उसको तकनीकी कारणों से त्याग दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसको तकनीकी कारण से भी त्याग दिया गया था अथवा तकनीकी कारण से ही त्याग दिया गया था?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : तकनीकी कारणों से भी उसको त्याग दिया गया था।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*227. **श्री शांताराम पोतदुखे :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार कोयला खान-मजदूरों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त कदम उठा रही है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने तथा खनन कार्य में सभी अत्यधिक खतरनाक घटनाओं और असुरक्षित प्रथाओं को समाप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995 में (जनवरी से जून की अवधि) के दौरान कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या 433 रही, जिसमें से 67 मृतक दुर्घटनाएं हुईं और 366 दुर्घटनाएं गंभीर चोटों से हुईं।

इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 73 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 398 व्यक्तियों को शारीरिक रूप से गंभीर चोटें आईं।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं में कमी किए जाने के लिए और सभी संभावित जोखिम भरी दुर्घटनाओं का तथा खनन क्रियाकलापों में असुरक्षित प्रक्रियाओं का उन्मूलन किए जाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जा रहा है :

(एक) आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की स्थिति की जांच करने हेतु, जिसमें भूमिगत खानों में रूफ सपोर्ट के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है, उक्त का अचानक निरीक्षण किया जाना;

(दो) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुखों की ओर से पूर्ण सतर्कता बरता जाना, जिन्हें निरीक्षणों द्वारा तथा दुर्घटना की जांच रिपोर्टों द्वारा खतरों के स्रोत के रूप में दर्शाया गया हो;

(तीन) समन्वय बैठकों में कोल इंडिया लि. के स्तर पर प्रत्येक सहायक कंपनी के सुरक्षा कार्य निष्पादन की आवधिक रूप में समीक्षा, और सुधारात्मक उपायों में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा;

(चार) खानों में विद्यमान सुरक्षा संबंधी त्रुटियों का पता लगाए जाने हेतु सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों की और सहायक कंपनियों के आन्तरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुखों को शुद्धि किए जाने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया जाना;

(पांच) सुरक्षा,सम्मेलनों की सिफारिशों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाना, और सुरक्षा पर स्थायी समिति तथा कोल इंडिया लि. के सुरक्षा बोर्ड द्वारा किए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण।

(छ) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा कोल इंडिया लि. की प्रत्येक खान की सुरक्षा की स्थिति का मासिक रूप से अनुश्रवण किया जाता है। कोल इंडिया लि. द्वारा सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा एक अनुवर्ती कार्रवाई तथा सुधारात्मक उपायों के रूप में की जाती है, जो कि सुरक्षा पर एक निरन्तर लेखा-परीक्षा के उद्देश्य की भी प्रतिपूर्ति करती है।

[हिन्दी]

श्री शांताराम पोतदुखे : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी-मैजर्स लिए है। कोल मिनिस्ट्री की जो वार्षिक रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी है, उसमें यह कहा गया है कि

[अनुवाद]

"इसके अतिरिक्त कोयला खानों में सुरक्षा के मामले पर कोयला मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने लगातार अपने तीन बैठकों में सूक्ष्मता से विचार किया।"

मैं जानना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समिति की उन तीन बैठकों में कोयला खानों में सुरक्षा के संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

श्री अजित पांजा : महोदय, परामर्शदात्री समिति की उन लगातार तीन बैठकों में ऐसे प्रत्येक मुद्दे पर, जिस पर ओपन कास्ट खानों व भूमिगत खानों में सुरक्षा के लिये विचार करना अपेक्षित था, विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने इन दुर्घटनाओं के कारणों तथा उन दुर्घटनाओं को यथा संभव रोकने के लिये किये जाने वाले कदमों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया। इसके बाद विभिन्न देशों, जहां खानों से कोयला निकालने का काम होता है, के तुलनात्मक चार्ट पर चर्चा की गयी कि वे किस प्रकार ऐसी दुर्घटनाओं की दर को कम कर पाते हैं जिनमें लोगों की मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं। अतः उन तीनों बैठकों में विस्तृत चर्चा की गयी और परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे, जिन पर मंत्रालय ब्यौरेवार विचार कर रहा है।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न पांच किलोमीटर के दायरे में पेजिंग के लिये नागपुर रेस्क्यू स्टेशन में आरम्भ की गयी ब्रिगेड के स्थायी सदस्यों के लिये व्यक्तिगत रेडियों पेजिंग प्रणाली के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समूचे देश में स्थित सभी खानों में रेडियो पेजिंग प्रणाली लागू की जायेगी?

श्री अजित पांजा : महोदय, दुर्घटनाओं को रोकने के काम में, विशेषकर भूमिगत खानों में विशेषज्ञों और सहायता कर्मियों को जो मुख्य अड़चन आती है वह है खानों के अंदर फंसे मजदूरों के साथ संपर्क का न रहना। यदि उनके साथ संपर्क हो सके तब उन मजदूरों को दूर संचार अथवा किसी अन्य साधन से बताया जा सकता है कि वे किस प्रकार सुरक्षित बाहर आ सकते हैं या वे भी बता सकते हैं कि वे कहां पर फंसे हैं। परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण दूर संचार साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये आग लगने पर या छत गिर जाने पर सामान्य दूरसंचार सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचार व्यवस्था टूट जाती है। इसलिये आधुनिक दूरसंचार प्रणालियों की व्यवस्था की जा रही है। यदि हम पेजिंग प्रणाली, जिसे कुछ भागों में लागू किया गया है, लागू करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चय ही केवल पेजिंग प्रणाली ही नहीं, बल्कि दूरसंचार के अन्य आधुनिक तकनीक भी यथा संभव, सभी भूमिगत खानों के संबंध में अपनाये जायेंगे।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, ई.सी.एल. की केंदा कोयला खदान में बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गये थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन सभी लोगों को जिन्हें गम्भीर चोटें आयी थीं और उन व्यक्तियों के निकट संबंधियों को जो उस अग्निकांड में मारे गये थे, उचित ढंग से मुआवजा दिया जा चुका है या नहीं।

श्री अजित पांजा : जी हां, महोदय सभी व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया जा चुका है। मरने वालों की सख्या 100 नहीं बल्कि बहुत कम थी। दुर्भाग्य से 55 बहुमूल्य जानें गयी थीं।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार व मंत्री महोदय का ध्यान रानीगंज के पूरे कोयला क्षेत्र में वर्तमान समस्या की ओर गया है, जो काफी बड़े क्षेत्र के नीचे बैठ जाने के कारण पैदा हुई है जो वर्षा के मौसम के कारण और भी विकट हो गयी है। यदि हां, तो रानीगंज के उस क्षेत्र को किसी दुर्घटना और भूमिगत अग्निकांड से बचाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

श्री अजित पांजा : महोदय, इस बात के दो पहलू हैं। सर्वप्रथम रानीगंज क्षेत्र के नीचे बैठ जाने का अग्निकांड से कोई संबंध नहीं है बल्कि खानों की खुदाई राष्ट्रीयकरण से पहले हुई थी। ज्यादातर मामलों में ब्ल्यू प्रिन्ट, जो उस समय प्राइवेट मालिकों ने बनाए थे, अब उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिये वहां की भूमि अचानक बैठ गयी, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अब जमीन के नीचे बैठने को यथा संभव रोकने के लिये विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह काम असानसोल-रानीगंज विकास प्राधिकरण को करना है। हमने उनको पहले ही बता दिया है कि कोल इंडिया तथा कोयला मंत्रालय उनको सब प्रकार की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करायेगा परन्तु ये कार्य करने का मुख्य दायित्व उनका है। इसका एक कारण यह है कि इसमें कानून और व्यवस्था बनाये रखने की भी बात है और वहां से लोगों को हटाने का कार्य पहले से चल रहा है। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखें हैं, जिससे वह इस समिति के अध्यक्ष बनें ताकि इस कार्य को किया जा सके। परन्तु अब तक उनका कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन खदानों में वहां के पदाधिकारियों की नैग्लिजैंस के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है? इसके साथ-साथ जिन खदानों में आग लगी होती है, जैसे धोगुज कोलियरी में मैंने स्वयं देखा है कि खदान में आग लगी होने के बावजूद उसके पदाधिकारी मजदूरों से जबर्दस्ती काम ले रहे थे और कोयला निकालने का काम जारी था। इसी के कारण दुर्घटनाएं होती है। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करती है, यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां कहीं दुर्घटनाएं होती हैं, पहले उनकी जांच करवाई जाती है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तब

निश्चय ही श्रम मंत्रालय द्वारा अधिनियम के अधीन जांच न्यायालय नियुक्त किया जाता है। यह एक स्वतंत्र कार्यवाही है।

जहां तक ई.सी.एल. की महावीर कोयला खदान में हुई दुर्घटना का संबंध है, न्यायालय ने पाया कि तीन अधिकारी दंडनीय लापरवाही के दोषी हैं और तदनुसार सी.आई.एल. ने उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी है।

जहां तक नयू केन्दा अग्निकांड का संबंध है, जांच चल रही है और जांच न्यायालय ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, कोयला खदानों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे बचने के लिये कोल इंडिया की तरफ से मजदूरों को कई तरह की सेफ्टी की चीजें दी जाती हैं, लेकिन देखने में आया है कि वे सुरक्षा की चीजें या तो घटिया किस्म की सप्लाई की जाती हैं या टाइमली सप्लाई नहीं की जातीं, जैसे मजदूरों का हैलमेट है, जूते हैं या दूसरी चीजें हैं, इसी कारण मेरे ख्याल में खदानों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। इस स्थिति को चुस्त और दुरुस्त करने के लिये मंत्री जी क्या करना चाहते हैं?

श्री अजित पांजा : यह सामान्य प्रश्न है। उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिये निरंतर प्रयास किये जाते हैं।

श्री अनिल बसु : मैं रानीगंज कोयला क्षेत्र में आग के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को उस क्षेत्र में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों तथा विस्तृत कार्यक्रमों के बारे में लिखा है और यह भी लिखा है कि इन सुधारात्मक उपायों को करने के लिए किस प्राधिकार का चयन किया जायेगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को इस आशय का कोई पत्र लिखा है और भारत सरकार की उस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अजित पांजा : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष बनें, क्योंकि स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण अनेक कठिनाइयों पैदा हो रही हैं, परन्तु उन्होंने इंकार कर दिया है।

श्री अनिल बसु : आप यह कैसे जानते हैं?

श्री अजित पांजा : खतरनाक क्षेत्र से लोगों को हटाने का काम आसनसोल विकास प्राधिकरण को करना है। श्री बिनय चौधरी उस प्राधिकरण के चेयरमैन थे। अब एक अन्य कनिष्ठ मंत्री चेयरमैन बन गये हैं। उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के बीच समन्वय की समस्या है, इसमें एस.डी.ओ. भी शामिल हैं। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री चाहते हैं कि यह काम कोयला मंत्रालय करे, इसी रवैये से समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिये हम उनसे पत्राचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राइवेट टेलीफोन बूथ आपरेटरों की मांग

*221. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी के लिए टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने वाले प्राइवेट टेलीफोन बूथ आपरेटरों ने टेलीफोन प्रयोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त रूट देने के लिए टेलीफोन प्राधिकारियों से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार सप्ताह में एक दिन रियायती दरों पर "आई एस डी" सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां । "अखिल भारतीय पी.सी.ओ. धारक संघ" तथा कुछेक व्यक्तिगत एस.टी.डी./आई एस डी पी सी ओ फ्रैचाइजियों ने चैनलों में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है, तकि रिआयती टैरिफ अवधि के दौरान एस.टी.डी/आठ एस.डी. परियात में संकुलन न हो।

(ग) परियात पर आधारित सर्किटों की समुचित रूप से वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु, विभाग द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाती हैं। ट्रंक स्वचालित केन्द्रों में, 1994-95 के दौरान, एस टी डी एवं स्थानीय जंक्शन-युक्त 1,42,000 लाइनें जोड़ी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) रात 11 बजे से प्रातः 6 बजे के दौरान की जाने वाली आई.एस.डी. कालों के लिए हाल ही में रिआयती टैरिफ लागू किया गया है। यह टैरिफ जनता की सुविधा के लिए घटी दरों पर आई एस डी कॉल करने हेतु पर्याप्त समझा जाता है।

गैस की खोज

*225. **श्री राम कापसे :**
श्री अनंतराव देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने जाफराना, मिश्र के लाल सागर क्षेत्र में अपतटीय गैस की खोज हेतु

ब्रिटिश गैस कम्पनी के साथ साझेदारी के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. ने भारत के बाहर अन्य कम्पनियों के साथ भी इस प्रकार के समझौते किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ.एन. जी. सी.-वी एल) ने मिश्र में स्वेज की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में उत्तर जाफराना कंसेसन (जाफराना डेवेलपमेंट लीज के रूप में ज्ञात क्षेत्र को छोड़कर) में 50 प्रतिशत अविभक्त धारिता के लिए ब्रिटिश गैस (बीजी) के साथ फार्म-इन समझौता किया है। ओ.एन.जी.सी-वी एल लागत की एक सीमा तक एक कूप के वेधन, परीक्षण और उसे पूरा करने की 100 प्रतिशत लागतों का भुगतान करेगी। इसके अतिरिक्त प्रासपेक्ट एरिया में किए गए त्रिआयामी सर्वेक्षण की 50 प्रतिशत लागत का भुगतान भी बी जी को किया जाएगा।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी.-वी एल ने मई, 1988 में पेट्रोवियतनाम के साथ 25 वर्षों के लिए 6, 12 ई तथा 19 ब्लाकों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं दोहन के लिए एक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की है। अक्टूबर, 1992 से नवम्बर, 1994 के दूसरे चरण के दौरान ओ.एन.जी.सी - वी एल ने कंपनी (बी.पी.) तथा नार्वे की डेन नारसेक स्टेट्स ओलजेसेलस्सकैप/ ए.एस. (स्टेटआयल) के साथ /साझेदारी में अन्वेषण कार्य किया है। बी पी तथा स्टेटआयल का इस उद्यम में 45 प्रतिशत भागीदारी निहित है। हाल ही में ओ एन जी सी-वी एल ने परमिट में 40 प्रतिशत की सीमा तक ओ एन जी सी-वी एल द्वारा भागीदारी सहित मैसर्स कमांड पेट्रोलियम के साथ फेजाज परमिट के रूप में अभिज्ञात उनके तटवर्ती ब्लाक में फार्म आउट समझौता किया है।

प्रादेशिक भाषा की फिल्में

*226. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों का नियमित रूप से प्रसारण करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया तथा प्रत्येक भाषा की फिल्मों के प्रसारण हेतु कितना-कितना समय आवंटित किया गया था;

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए सरकार को प्रादेशिक भाषाओं के फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में कितने नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रम के प्रसारण को पर्याप्त समय देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा रविवार को इसके राष्ट्रीय नेटवर्क पर दोपहर के प्रसारण में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित स्लॉट में इस अवधि के दौरान चालीस प्रादेशिक फिल्में प्रसारित की गई हैं।

(ग) तरेपन।

(घ) और (ङ) 2 जून, 1995 से प्रभावी डी.डी.-1 और डी.डी. -2 की संशोधित कार्यक्रम अनुसूची में प्रादेशिक कार्यक्रमों हेतु प्रति सप्ताह चार घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है।

एल पी जी बाटलिंग संयंत्र

*228. **श्री हरिन पाठक** :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) राज्यों में राज्यवार ऐसे कितने संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से कुछ बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल.पी.जी. भरण संयंत्र निकटवर्ती खपत क्षेत्र में पैक्ड एल.पी.जी. की मांग संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को इनकी क्षमता समेत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विद्यमान एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार विपणन क्षेत्र में सुविधाओं के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अथवा सरकारी तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से प्रवासी भारतीय निवेश सहित, निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण

राज्य-वार भराई संयंत्र 1.4.95 को

क्र. सं.	राज्य	भराई संयंत्र	विद्यमान भराई क्षमता (टी.एम. टी.पी.ए. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	22
		चेरलापल्ली	78
		विजयवाड़ा	44
		विशाक	44
2.	असम	बोंगाईगांव	22
		गुवाहाटी	5
		आयल दुलियाजान	25
		सिलचर	10
		नार्थ गुवाहाटी	32
3.	बिहार	जमशेदपुर	44
		बिरौनी	15
4.	गोआ	गोआ	22
5.	गुजरात	राजकोट	44
		हजीरा	44
		सूरत	12
		गांधी नगर	26
		कोयाली	102
		अहमदाबाद	34
6.	हरियाणा	करनाल	44
		हिसार	10
		पियाला	132
		जीन्द	22
		बहादुरगढ़	44
7.	हिमाचल प्रदेश	बादी	22
8.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	20
		श्रीनगर	7
9.	कर्नाटक	बंगलौर	34
		मैसूर	22
		हुबली	22
		मंगलौर	44
10.	केरल	कोचीन	25
		त्रिवेन्द्रम	44
		कालीकट	18
		पालघाट	10
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	44
		भिटोनी	44
		मंगतिया	34
		रायपुर	44
12.	महाराष्ट्र	बम्बई	122
		उस्मान	132
		उलगांव	44
		शोलापुर	44
		बम्बई	65
		औरगांबाद	22
		चन्दरपुर	22
		खापड़ी	34
		मिराज	22
		माहुल	25
		चकन/पुणे	44
		पुणे	22
13.	उड़ीसा	बालाशोर	25
		खुर्दा	10
		खुर्दा रोड	44
14.	पंजाब	जालंधर	68
		लारलू	88
		होशियारपुर	13
15.	राजस्थान	संवाईमाधोपुर	44
		अजमेर	10

1	2	3	4
		जयपुर	10
		जोधपुर	26
16.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	68
		टूटीकोरीन	20
		एमआरएल	75
		सलेम	34
17.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	64
		मथुरा	88
		इलाहाबाद	34
		हलद्वानी	22
		हरिद्वार	22
		बरेली	10
		लखनऊ	10
		कसना	13
		उन्नाव	13
		गोरखपुर	13
		वाराणसी	25
18.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	44
		दुर्गापुर	64
		हल्दिया	22
		पहाड़पुर	26
संघ राज्य क्षेत्र			
19.	दिल्ली	टीकरीकलां	132
20.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	10

वार्षिक योजना आवंटन

*229. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की नई नीति के एक भाग के रूप में योजना आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के वार्षिक योजना आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों को कितने प्रतिशत अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराये गये; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कुल कितना आवंटन किया गया और ये आवंटन 1994-95 की तुलना में कितना अधिक है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) से (घ) विशेष श्रेणी राज्यों के सम्बन्ध में बढ़ोत्तरी के प्रतिशत तथा सीमा सहित 1994-95 तथा 1995-96 के लिए वार्षिक योजना परिव्ययों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। विशेष श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता 90:10 के अनुपात में ब्लॉक अनुदानों तथा ऋणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95 तथा 1995-96 मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय विशेष श्रेणी राज्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वार्षिक योजना		कालम 3 में कालम 2 से प्रतिशत वृद्धि	1994-95 से 1995-96 में बढ़ोतरी/घटोतरी की सीमा
		1994-95	1995-96		
1		2	3	4	5
विशेष श्रेणी राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	335.00	471.00	40.60	136.00
2.	असम	1051.00	1418.32	34.95	367.32
3.	हिमाचल प्रदेश	650.00	750.00	15.38	100.00
4.	जम्मू व कश्मीर	950.00	1050.00	10.53	100.00
5.	मणिपुर	240.00	300.00	25.00	60.00

	1	2	3	4	5
6.	मेघालय	281.00	306.52	9.08	25.52
7.	मिजोरम	207.66	227.00	9.31	19.34
8.	नागालैंड	220.00	240.00	9.09	20.00
9.	सिक्किम	135.00	192.00	42.22	57.00
10.	त्रिपुरा	310.00	350.00	12.90	40.00
	जोड़	4379.66	5304.84	21.12	925.18

पेट्रोल पम्पों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

*230. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री जी. देवराय नायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी के पेट्रोल पम्प मूलभूत सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुरक्षा उप मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्पों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पेट्रोल पम्पों को सुरक्षा मानदंडों का पालन करने हेतु अनिवार्य निदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऐसी कोई घटनायें जानकारी में नहीं आई हैं। डी-आउट प्लान को विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाते हैं और वह विस्फोटक विभाग द्वारा जारी किए गए एक लाइसेंस के अधीन ही प्रचालित किए जाते हैं जिसे आवधिक तौर पर नवीकृत कराया गया हो।

(ख) से (ङ) वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र के संबंध में तेल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा निरीक्षणों के अलावा सुरक्षा नियमों तथा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटक विभाग तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण भी किए जाते हैं। यदि कोई उल्लंघन नजर में आता है तो डीलर तथा संबंधित तेल कंपनी द्वारा तत्काल उपचारी कार्रवाई की जाती है।

बाम्बे हाई का प्रबंध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपना

*231. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाम्बे हाई से कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इसका प्रबंध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा व्यवस्था का आधुनिकीकरण

*232. **श्री जी.एम.सी. बालयोगी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी डेल्टा व्यवस्था तथा कृष्णा डेल्टा व्यवस्था के आधुनिकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) गोदावरी डेल्टा व्यवस्था तथा कृष्णा डेल्टा व्यवस्था के आधुनिकीकरण सम्बन्धी परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं, लेकिन ये राज्य सरकार को लौटा दी गई थी, क्योंकि इन परियोजना प्रस्तावों में काफी सुधारों की आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद संशोधित रिपोर्टें पुनः प्रस्तुत की जानी हैं।

(ग) स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

भू-कटाव रोधी योजनाएं

***233. श्री जयनल अबेदिन :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा-पदमा नदी व्यवस्था की भू-कटाव रोधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को भगीरथी नदी पर नवाद्वीप-मायापुर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वर्ष 1993-94 में दौरान अनुदान के रूप में 01 करोड़ रुपए नियुक्त किए हैं। राज्य को बाढ़ सुरक्षा व कटाव रोधी योजनाओं के लिए 1992-93 में 80 लाख रुपए, 1993-94 में 40 लाख रुपए और 1994-95 में 85 लाख रुपए की केंद्रीय ऋण सहायता भी दी गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों का प्रसारण

***234. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी और प्रादेशिक भाषा की श्रेणीवार कितनी-कितनी रंगीन और श्वेत-श्याम फिल्में प्रसारित की गई;

(ख) उक्त फिल्मों के प्रसारण के लिए 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) रायल्टी की दरों में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था;

(घ) क्या रॉयल्टी की दरों में संशोधन करने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म व्यवसायियों द्वारा फिल्मों का उचित चयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा निम्न प्रकार है :

हिन्दी : 127 (रंगीन); 12 (श्वेत और श्याम)

क्षेत्रीय भाषाओं : 38 (रंगीन); 11 (श्वेत और श्याम)

(ख)	1994-95	7.43 करोड़ रुपए
	1993-94	10.67 करोड़ रुपए

(ग) 1993

(घ) और (ङ) अभी हाल तक ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(च) उस मौजूदा प्रक्रिया को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अन्तर्गत दूरदर्शन केवल उन्हीं फिल्मों का प्रसारण करता है जिन्हें गैर-सरकारी सदस्यों वाली चलचित्र प्रदर्शन समिति द्वारा अनुमति दी जाती है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

***235. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि वह इंडियन आयल एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण के संबंध में निर्णय लेने से पहले श्रम मंत्रालय के विचारों को ध्यान में रखे;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी स्थिति में जब इंडियन आयल एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण की मुख्य जिम्मेदारी इस्पात मंत्रालय और मंत्रिमंडल की है तो इसमें योजना आयोग की क्या भूमिका है?

योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के कार्यान्वयन मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनरुत्थान अथवा आधुनिकीकरण के सभी प्रस्तावों की गोजना आयोग में जांच किए जाने की आवश्यकता है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन

*236. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग के कर्मचारियों ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों में पिछले लगभग नौ वर्षों से अपनी "डीम्ड डेपूटेशन" के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में स्थायी रूप से समायोजन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार विभाग के कुछ कर्मचारी, जो महानगर टेलीफोन निगम लि. में "सम्प्रतिनियुक्ति" पर माने जाते हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में अलग-अलग और साथ ही अपनी एसोसिएशनों में से एक के माध्यम से अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ख) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :

(1) 1.4.86 से महानगर टेलीफोन निगम लि. में कार्यरत दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों पर पिछले नौ वर्ष से लागू सम्प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

(2) महानगर टेलीफोन निगल लि. में 1.4.88 से कार्यरत जिन दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने निगम में आमेलन हेतु विकल्प दिया है, उन सभी कर्मचारियों को निगम में आमेलित किया जाए।

(ग) जी हां।

(घ) दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और महानगर टेलीफोन निगम लि. में इस समय दूरसंचार विभाग का जो स्टाफ 'सम्प्रतिनियुक्ति' पर माना जा रहा है, उसको आमेलित करने का प्रश्न पुनर्संरचना सम्बन्धी सरकार के निर्णय की परिणति से जुड़ा है। तथापि, यह भी उल्लेख किया जाना है कि अखिल भारतीय स्तर पर दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन कर्मचारी महासंघ, दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगल लि. के कर्मचारियों के बीच परिलब्धियों तथा अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों में द्विविधता का विरोध करते हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी, इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार

*237 **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी कितनी घटनाएं हुई;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुई अपराध की घटनाएं

	1994		1995 (मई तक)	
	कुल अपराध	औसत प्रतिमास	कुल अपराध	औसत प्रतिमास
अनुसूचित जाति	33893	2826	8955	2270
अनुसूचित जनजाति	5019	418	1050	403

1994 और 1995 (मई तक) के दौरान अनुसूचति जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुई अपराध की घटनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई सम्बन्धी ब्यौरे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ङ) (क) **अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन**

इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था है। इस अधिनियम की धारा (2) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी, जो आवश्यक हों।

(ख) निवारणात्मक और एतिहायती उपाय

(1) गृह मंत्री द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए, भारत सरकार ने गृह मंत्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 और 6 सितम्बर, 1980 के अर्द्ध-सरकारी पत्र में विभिन्न एतिहायती, निवारणात्मक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक तथा कार्मिक नीति का सुझाव देते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। 1980 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर गृह मंत्री के अ.शा. पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1985 में दोहराया गया।

(2) प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों को निर्देश

प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने का अनुरोध करते हुए 19 जून, 1990 को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। प्रधान मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु प्रभावी कदमों पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 1991 के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया।

(3) कल्याण मंत्री की राज्य के कल्याण मंत्रियों को अपील

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों का भी एक सम्मेलन 21 मार्च, 1992 को अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन तथा समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया। उसके बाद तिरुवनन्तपुरम, बम्बई, दिल्ली और बंगलौर में सम्मेलन आयोजित किए गए।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995

अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 को 31.3.1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों में अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की बढ़ी हुई राशि की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए हत्या के मामले में जीविका अर्जन के मामले में राहत की न्यूनतम राशि 10,000 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. बढ़ा दी गई है और गैर-आजीविका वाले सदस्य के मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 भाग के आधार पर कर दी गई है। राहत के भुगतान की प्रक्रिया को भी सुचारु बना दिया गया है और राज्य सरकारों के लिए विशिष्ट समय में ही आंशिक भुगतान करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(घ) अनन्य विशेष न्यायालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर) द्वारा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करने के अलावा मामलों के शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने क्रमशः 3, 10 और 16 अनन्य न्यायालयों की स्थापना की है।

(ङ) विशेष सैल

राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा पुलिस महा-निरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष सैलों की स्थापना की गई हैं।

(च) मंत्री द्वारा घटनास्थल का दौरा

बिहार के भोजपुर जिले के सरथुआ गांव में जमींदारों द्वारा अनुसूचति जाति के 6 व्यक्तियों की हत्या का समाचार 27.7.1995 को सुनने पर, कल्याण मंत्री 28 जुलाई, 1995 को व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर पहुंचे। बिहार राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में तदर्थ आधार पर 25.00 लाख रु. की राशि प्रदान की गई, ताकि इस घटना से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत का प्रबन्ध हो सके।

हाल ही के एक अन्य मामले में जहां तमिलनाडु के सेलम जिले के कटीयानेकेनपेटी गांव में एक दलित लड़की को दृष्टिहीन बना दिया गया था, पीड़ित लड़की को निर्धारित राहत देने के लिए यह मामला तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार को एक डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी को भेजने का भी अनुरोध किया गया था। कल्याण राज्य मंत्री उस लड़की को देखने के लिए मद्रास अस्पताल गए। उन्होंने उस लड़की को 5,000 रु. का व्यक्तिगत अंशदान दिया। लड़की की देखभाल करने वाले डाक्टरों से यह

जानकर कि नेत्र ज्योति बहाल हो सकती है, उन्होंने यह ज्योति अति शीघ्र बहाल करने के लिए डाक्टरों को कहा।

(छ) नियंत्रण कक्ष

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किसी अत्याचार की घटना के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने और सम्बद्ध राज्य सरकार को शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देने के लिए कल्याण मंत्रालय में 15.10.1991 को एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

विवरण-I

1994 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुई अपराधों की घटनाएं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण	डकैती	लूट	आगजनी	पी.सी.आर. अधिनियम	अ.जा. अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम 1989	अन्य अपराध	कुल	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	307	36	10	0	1	5	238	307	282	1202	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	21	224	48	8	3	5	40	7	104	329	789	66
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	एन.
6.	गुजरात	15	235	29	14	5	22	19	58	694	825	1916	160
7.	हरियाणा	7	22	10	9	0	0	1	1	0	16	66	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	12	2	2	0	0	0	21	12	32	82	7
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	0	0	11	14	1
10.	कर्नाटक	7	6	8	0	0	0	2	483	78	373	957	80
11.	केरल	7	186	30	2	0	5	3	15	284	125	657	55
12.	मध्य प्रदेश	84	696	254	28	4	19	48	62	341	2209	3745	312
13.	महाराष्ट्र	20	161	67	11	7	11	24	398	275	501	1475	123
14.	मणिपुर	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	एन.
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	एन.
18.	उड़ीसा	14	106	27	9	0	4	10	12	161	160	503	42
19.	पंजाब	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	9	1
20.	राजस्थान	25	333	100	13	1	7	32	49	2486	1751	4187	400
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	2
22.	तमिलनाडु	8	990	5	6	0	0	2	232	117	89	1449	121
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	319	1229	370	136	58	185	346	137	10076	3310	16166	1347
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	कुल (राज्य)	546	4513	990	251	78	259	532	1714	14936	10034	33853	2823
संघ राज्य क्षेत्र													
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	14	1
28.	दादर एवं नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	एन.
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	7	1

31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	16	1	
	कुल (राज्य)	0	15	1	0	0	0	1	17	2	4	40	3	
	कुल (समस्त भारत)	546	4528	991	251	78	259	533	1731	14938	10038	33893	2826	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

नोट : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

3. एन. का अर्थ है लापरवाही।

1995 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुई अपराधों की घटनाएं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण	डकैती	लूट	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा. अ.ज.जा. (अ.नि.) (अधिनियम 1989)	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी (आंकड़े मास तक)	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	2	17	2	1	0	0	0	2	11	13	48	मई	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	अप्रैल	एन.
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–	उ.न.
4.	बिहार	1	8	4	9	7	9	1	1	2	17	59	मार्च	20
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मार्च	एन
6.	गुजरात	6	11	2	1	0	0	1	0	12	38	71	फरवरी	36
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जनवरी	एन.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	मई	1
9.	जम्मू तथा कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–	उ.न.
10.	कर्नाटक	1	0	1	0	0	0	0	2	0	12	16	अप्रैल	4
11.	केरल	0	27	8	0	0	1	1	0	31	24	92	मई	18
12.	मध्य प्रदेश	1	13	15	2	0	1	0	0	25	78	135	जनवरी	135
13.	महाराष्ट्र	5	32	9	5	1	0	2	13	47	77	191	मई	38
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	मार्च	एन
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	--	उ.न.
19.	पंजाब	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	मई	1
20.	राजस्थान	2	17	6	0	0	0	2	0	174	179	380	मार्च	127
21.	सिक्किम	0	2	0	0	0	1	0	0	0	15	18	अप्रैल	5
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	12	मार्च	4
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
24.	उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	0	0	4	0	12	1	18	मई	4
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–	उ.न.
	कुल (राज्य)	18	129	48	20	8	12	12	24	318	459	1048		403
संघ राज्य क्षेत्र														
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.

27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
28	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	मई	एन.
29	दमन और दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	मई	एन.
30	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अप्रैल	एन.
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	एन.
	कुल (राज्य क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	मई	एन.
	कुल (संपूर्ण भारत)	18	129	49	20	8	12	12	24	318	460	1050		403

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

नोट : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ है "उपलब्ध नहीं"।

3. अप्रैल मास के आंकडों का छोड़कर।

4. एन. का अर्थ है "नगण्य"।

विवरण-II

1994 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुई अपराधों की घटनाएं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण	डकैती	लूट	आगजनी	पी.सी.आर. अधिनियम	अ.जा. अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम 1989	अन्य अपराध	कुल	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	3	34	21	4	0	0	0	10	42	79	193	16
2.	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	एन.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	41	11	1	3	2	1	1	0	35	103	9
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	35	88	29	6	0	1	3	4	67	197	430	36
7.	हरियाणा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	एन.
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	एन.
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	5	9	2	0	1	0	0	14	16	28	67	16
11.	केरल	1	40	12	0	0	0	1	2	55	37	148	12
12.	मध्य प्रदेश	25	212	221	38	0	1	17	1	237	1022	1774	148
13.	महाराष्ट्र	12	67	39	12	2	0	1	14	105	194	446	37
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	एन.
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	15	9	1	1	2	2	4	93	54	183	15
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	एन.
20.	राजस्थान	16	51	36	2	0	2	10	0	625	654	1396	116
21.	सिक्किम	2	1	0	0	0	0	0	0	0	19	22	2
22.	तमिलनाडु	0	120	0	0	0	0	0	13	6	5	144	12
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	उत्तर प्रदेश	2	18	1	0	1	0	11	0	58	16	97	8
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न
	कुल (राज्य)	105	700	382	64	8	8	36	63	1310	2335	5019	417
संघ राज्य क्षेत्र													
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	9	1
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	एन.
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	0	0	2	0	0	0	0	0	6	2	10	1
	कुल (संपूर्ण भारत)	105	700	384	64	8	8	36	63	1316	2335	5019	418

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

नोट : 1. आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं तथा अनंतिम समझे जाएं।

2. उ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

3. एन. का अर्थ "नगण्य" है।

1995 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुई अपराधों की घटनाएं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण	डकैती	लूट	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा. अ.ज.जा. (अ.नि.) (अधिनियम 1989)	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी (आंकड़े मास तक)	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	4	144	26	4	0	3	9	54	133	90	467	मई*	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अप्रैल	0
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.
4.	बिहार	2	32	4	11	7	11	2	0	43	31	143	मार्च	48
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	मई	एन.
6.	गुजरात	1	28	3	3	0	2	2	3	81	103	226	फरवरी	113
7.	हरियाणा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	जरवरी	2
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2	3	1	0	0	0	4	7	15	32	मई	6
9.	जम्मू तथा कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.
10.	कर्नाटक	2	2	4	0	0	0	0	97	112	159	376	अप्रैल	94
11.	केरल	3	116	8	1	0	0	2	3	128	36	297	मई	59
12.	मध्य प्रदेश	7	55	16	2	0	0	3	2	35	151	271	जनवरी	271
13.	महाराष्ट्र	6	146	25	11	2	4	8	137	113	176	628	मई	120
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
15.	मेघालय	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	मार्च	एन.
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	मई	एन.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	राजस्थान	5	84	18	2	0	5	6	0	430	353	903	मार्च	301
21.	सिक्किम	0	2	0	1	0	0	0	0	1	6	10	अप्रैल	2
22.	तमिलनाडु	9	162	3	1	0	0	1	53	21	11	261	मार्च	87
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
24.	उत्तर प्रदेश	111	435	145	52	20	56	161	25	2992	1333	5330	मई	1066
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.
	कुल (सज्य)	151	1209	257	89	29	81	194	378	4097	2464	8949		2268
संघ राज्य क्षेत्र														
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
28.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	मई	एन.
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	अप्रैल	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मई	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	मई	1
	कुल (संघ राज्य)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	6		2
	कुल (संपूर्ण भारत)	151	1209	257	89	29	81	194	383	4097	2465	8955		2270

नोट :

1. आंकड़े अनंतिम हैं
2. उ.न. का अर्थ है "उपलब्ध नहीं"।
3. अप्रैल मास के आंकड़ों को छोड़कर।
4. एन का अर्थ है "नगण्य"।

इलैक्ट्रोनिक मेल सेवा

*238. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश को कम्प्यूटर से जोड़ने के लिए इलैक्ट्रानिक मेल सेवा प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा जोड़े जाने वाले स्थानों के नाम क्या है;

(ग) इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय कितना होगा; और

(घ) इस संबंध में 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अपने निकनैट नेटवर्क के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला मुख्यालयों को ई-मेल सेवा प्रदान कर रहा है। ये कार्यालय दिन-प्रति-दिन आधार पर सन्देशों/सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए ई-मेल का प्रयोग कर रहे है। यह सुविधा सांसदों, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों, निर्यातकों, शिक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठनों को भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 10,000 प्रयोक्ता इस सेवा का लाभ उठा रहे है। ई-मेल विश्व में इंटरनेट मेल तथा अन्य अनेक एक्स. 400 मेल सेवाओं से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रानिकी विभाग का अर्नेट तथा निजी क्षेत्रक में इकनैट, जैम्स 400 यूनैट (इंडिया), डाटाप्रो इत्यादि जैसे कई अन्य ई-मेल सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) सभी केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य/संघ राज्य राजधानियां तथा जिला मुख्यालय।

(ग) लगभग 10 करोड़ रुपये की पूंजी लागत लगी है। लगभग 6 करोड़ रुपये का अनवर्ती व्यय वार्षिक रूप से हो रहा है।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य ये हैं :

(1) ई-मेल केन्द्रों की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना।

(2) 1000 अनुसन्धान तथा विकास संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों को सेवा प्रदान करना।

(3) 1000 निर्यात/व्यापार गृहों, कस्टम एजेंटों इत्यादि को सेवा प्रदान करना।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम को विभिन्न कम्पनियों में बांटना

*239. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को धारक कम्पनी के रूप में रख कर इसे छः स्वतंत्र कम्पनियों में विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठनात्मक पुनर्गठन के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को पिछले एक वर्ष से भारी हानि उठानी पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी अधिक हानि के क्या कारण है; और

(ङ) इस हानि को किस प्रकार से समायोजित/पूरा किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का आवंटन

*240. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें कितना कोयला आवंटित किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने कोयले का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) क्या हाल ही में कुछ राज्यों ने यह आपत्ति की है कि उन्हें कोयला आवंटित मात्रा में नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कोयले का उत्पादन लगभग 253.80 मिलियन टन हुआ था।

(ख) योजना आयोग द्वारा देश में कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्र-वार किया जाता है और न कि इसका मूल्यांकन राज्यवार 1 वर्ष 1994-95 के दौरान मुख्य क्षेत्रों की मांग को नीचे दर्शाया गया है :

मिलियन टन में

क्षेत्र	मांग	उठान
विद्युत (उपयोगिता)	167.00 (3.00)	166.45 (2.67)
इस्पात	34.50	34.56
रेलवे	2.20	0.66
सीमेंट	13.10	11.12
उर्वरक	4.00	4.28
अन्य (कोलियरी उपभोग सहित)	47.70 (2.00)	43.57
जोड़	268.50 (5.00)	260.64 (2.67)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आकंडे वाशरी मिडलिंग के हैं।

(ग) 11.49 मिलियन टन कोयला, जिसकी कीमत लगभग 2208.43 करोड़ रु. थी, का आयात किया गया।

(घ) जी, हां। किन्तु, इस वर्ष (अप्रैल से जून) की प्रथम तिमाही के दौरान कोयले की आपूर्ति पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 5.83 मिलियन टन अधिक रही।

(ङ) इसके मुख्य कारण निम्नलिखित रहे : उत्पादन तथा मांग में मौसमी अन्तराल; और उपलब्ध कोयले की अवस्थिति में तथा उस स्थान में जिस पर कि इसकी आवश्यकता थी, उक्त में ताल-मेल की कमी का होना।

(च) इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए :

(1) कोयले की निकासी किए जाने के लिए रेलवे के साथ निकटतम समन्वय रखने में सक्रियता रखी जा रही है।

(2) इस वर्ष (अप्रैल से जून) की प्रथम तिमाही के दौरान कोयले का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाना;

(3) विद्युत और लौह एवं इस्पात क्षेत्र द्वारा ग्रहीत रूप में खनन किए जाने के लिए कोयले के ब्लॉकों का विनिर्दिष्टकरण।

कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रम

*2167. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रम समूचे पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) यद्यपि उपयुक्त डिश एन्टिना पद्धति की सहायता से उपग्रह के जरिए पश्चिम बंगाल सहित सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन (डी.डी-2) का द्वितीय चैनल उपलब्ध है तथापि, संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक-प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य की राजधानियों तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में स्थलीय सेवा चरण बद्ध तरीके से उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में डीडी-2 स्थलीय तौर पर उपलब्ध है। डी.डी.-2 चैनल को रिले करने के लिए मुर्शिदाबाद में एक और अन्य शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है।

कोयले का आयात

2168. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से अनेक राज्य सरकारें कोयले का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) कोयले की मांग को देश से ही पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अंतर्गत कोयले का स्वतंत्र रूप में आयात किया जा सकता है। अतः भारत सरकार से कोयले का आयात किए जाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस/अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य द्वारा कोयले का आयात नहीं किया गया है। यदि इस तरह का कोई आयात किया जाता है तो यह स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए और अपने स्वयं के वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए किया जाए।

(घ) इस संबंध में उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में नयी खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का विस्तार और बेहतर क्षमता उपयोगिता शामिल है। विद्युत उत्पादन किए जाने हेतु और लौह तथा इस्पात उत्पादन करने हेतु ग्रहीत खनन किए जाने के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया जा रहा है।

स्वैच्छिक संगठनों को दी गई अनुदान की राशि

2168. **श्री पी.सी. थामस :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में शारीरिक और मानसिक विकलांग एवं मूक और बधिर व्यक्तियों के कल्याण में जुटे विभिन्न स्वैच्छिक सगंठनों को अनुदान की राशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष से स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) लम्बित आवेदन पत्रों को कब तक मंजूरी मिल जाने की आशा है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सूची सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन दोनों संबंधित लम्बित आवेदनों की संख्या तीन हैं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता की योजना के अतंर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान बचन बद्ध देयताओं तक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अतिरिक्त निधियों के प्राप्त होने पर लम्बित आवेदनों पर सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	92-93	93-94	94-95
1.	आशा निलायम सोशल सर्विस सेंटर, कोट्टायम एस ए ओ डागनों पुल्लयायनूर कोट्टायम जिला	1.32	1.59	2.22
2.	सानोर वेलफेयर सेंटर कोट्टायम	0.33	-	2.42
3.	कोट्टायम सोशल सर्विस सोसायटी कोट्टायम	0.33	-	1.15
4.	समिथा नर्ससी तकनीकी इंस्टीट्यूट इरनाकुल्लम	0.49	0.27	-
5.	आशा निलायम पोनकुन्नम कोट्टायम जिला केरल	-	1.07	2.08
6.	इरनाकुल्लम वूमेन्स एसोसिएशन देवली रोड, इरनाकुल्लम	-	-	0.11
7.	शांति निकेतन फार हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन अनथानन्द पो.आ. कोट्टायम	-	-	0.21
8.	फेथ इंडिया, भाभला, इरनाकुल्लम	-	0.75	9.73
9.	विमला महिला समाजम, इरनाकुल्लम जिला	4.24	0.85	5.95
10.	सोशल सर्विस गिल्ड आफ असिसी सिस्टर, गुवाट्टुपुशा करनाकुलम	-	-	1.06
11.	चेरिटेबल सोसायटी फार वेलफेयर आफ दि डिसवल्ड, सनिहाशपन पिल्लवम इरनाकुलम	-	-	0.22
12.	अलफोन्सा सोशल सेंटर किडनगूर इरनाकुलम	-	-	0.54

भारत में रह रहे नेपाली

2170. **श्रीमती दिलकुमारी भंडारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में रह रहा नेपाली समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) इस आशय की कोई सूचना नहीं है। तथापि, देश में रह रहे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार वचनबद्ध है और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग से इस दिशा में उपयुक्त कदम उठा रही है।

जल का बंटवारा

2171. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच दामोदर नदी के विशेष संदर्भ में जल के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष के अलग-अलग महीनों में जल की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार के हिस्से में बढ़ोतरी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) दामोदर, बाराकार, अजाय, गयूराक्षी, सिद्धेश्वरी, नून बिल और महानंदा नदी थालों, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल सह-थाला राज्य हैं, के जल संसाधनों के उपयोग के बारे में एक करार पर पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच 19 जुलाई, 1978 को पटना में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दामोदर, बाराकार नदी थालों के जल संसाधनों के उपयोग के संबंध में पश्चिम बंगाल व बिहार की सरकारों के बीच 19 जुलाई, 1978 के करार के क्रियान्वयन के संबंध में 29 जुलाई, 1978 के पार्श्व पत्र पर पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य सचिवों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) जी हां। दामोदर नदी के बारे में दुर्गापुर दराज पर वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के मासिक अंतर्वाह आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) जुलाई, 1978 के करार की धारा ई (11) के उपबंधों के अनुसार बिहार के हिस्से की मात्रा में वृद्धि वास्तविक अधिशेष जल की उपलब्धता के बारे में इन राज्यों द्वारा जांच और गणनाओं के अध्याधीन है।

विवरण

दुर्गापुर बराज में मासिक अंतर्वाह आंकड़े

क्र.सं.	माह	बराज में अंतर्वाह : एकड़ फुट		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	जुलाई	5,00,398	4,89,812	3,80,724
2.	अगस्त	12,25,702	10,17,134	2,87,567
3.	सितम्बर	23,59,203	5,21,441	21,21,829
4.	अक्तूबर	5,76,877	4,02,358	8,56,769
5.	नवम्बर	1,55,761	85,205	1,33,040
6.	दिसम्बर	1,33,066	86,799	1,07,383
7.	जनवरी	1,35,537	1,00,417	1,03,141
8.	फरवरी	1,92,681	79,719	1,72,225
9.	मार्च	1,80,317	1,83,216	2,04,400
10.	अप्रैल	2,05,048	84,920	2,04,966
11.	मई	85,951	85,314	–
12.	जून	1,30,945	1,50,106	–

विदेशी अभिदाय

2172. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत 1992 से 1994 तक किन-किन राजनैतिक संगठनों को पूर्व अनुमति प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का प्रयोजनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने वाले राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं तथा विदेशी अभिदायदाताओं के नाम और पते क्या-क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसे संगठनों के नामों का ब्यौरा जो राजनैतिक स्वरूप के हैं लेकिन जो राजनैतिक दल नहीं है, और जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) के अधीन 1.1.1992 से 31.12.1994 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) के अधीन 1.1.1992 से 31.12.1994 तक की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का देशवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम की धारा 5 (1) के अधीन, 1.1.1992 से 31.12.1992 तक की अवधि के दौरान प्राप्त

विदेशी अभिदाय का उद्देश्य-वार ब्यौरा दशाने वाला एक विवरण-III संलग्न है।

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनैतिक दल को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	पलमीरा वर्कस डेवलपमेंट सोसाइटी, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु।
2.	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली।
3.	आनन्द मार्ग यूनीवर्सल रिलीफ टीम, दिल्ली।
4.	हिन्द मजदूर सभा, दिल्ली।
5.	नदवात-उल-ई-उलेमा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6.	विश्व हिन्दू परिषद, नई दिल्ली।
7.	फ्रेन्डस आफ मारल रि-आर्मामेंट, पंचगनी, महाराष्ट्र

विवरण-II

क्र.सं.	दानदाता देश का नाम	विदेशी अभिदाय	की राशि
1	2	3	4
1.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	22,83,000
		रु.	11,15,050
2.	जापान	अमेरिकी डालर	10,000
3.	स्विट्जरलैण्ड	डालर	5,00,000
		रु.	3,000
4.	सिंगापुर	रु.	1,000
5.	सउदी अरब	रु.	5,000
6.	ओमान	पाउण्ड	3,200
7.	यू.के.	रु.	1,29,130.64
8.	कनाड़ा	कनाडाई डालर	1400
9.	भूटान	रु.	2,000
10.	अमेरिका	रु.	3,47,151
		डालर	2125
11.	हागंकांग	पाउण्ड	21
		रु.	10,000
12.	मलेशिया	रु.	2,500
13.	नार्वे	रु.	20,000
14.	बैंकाक	रु.	27,500
15.	संयुक्त अरब अमीरात	रु.	3,484

विवरण-III

क्र.सं.	उद्देश्य	विदेशी अभिदाय	की राशि
1.	ग्रामीण विकास	ड्यूश मार्क	22,83,000
2.	प्रशासन	अमेरिकी डालर	10,000
3.	समाज कल्याण	अमेरिकी डालर	5,00,000
4.	पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम	रु.	11,15,050
5.	चैरिटी	रु.	6,000
6.	अनुसंधान	पाउण्ड	3,000
7.	शिक्षा	पाउण्ड	221
		कनाडाई डालर	1400
		डालर	2125
		रु.	5,44,765.64

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए गैस की आपूर्ति

2173. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कवास (सूरत-गुजरात) स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) की गैस आधारित विद्युत परियोजना को हजीरा से कितनी गैस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) परियोजना संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना की गैस की मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी थी; और

(घ) वर्ष 1995 तथा 1997 में गैस की आपूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एन.टी.पी.सी., कवास को 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस का आबंटन किया गया है।

(ख) विद्यमान कीमतों पर कवास परियोजना की लागत 1599.57 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना को विभिन्न चरणों में मार्च, 1993 तक शुरू किया गया। उपर्युक्त आबंटन के प्रति गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्तियां निम्नानुसार थीं :

1992-93	1.18 एम.एम.एस.सी.एम.डी.
1993-94	1.36 एम.एम.एस.सी.एम.डी.
1994-95	1.16 एम.एम.एस.सी.एम.डी.

(घ) 1995-96 की कार्य योजना में एन टी.पी.सी. के कवास, अंटा, औरैया तथा दादरी के चार संयंत्रों को 7.75 एम.एम.एस.सी. एम.डी. की आपूर्ति की व्यवस्था है। इनकी परस्पर प्राथमिकता एन. टी.पी.सी. द्वारा तय की जाएगी। 1997 के लिए अभी कोई लक्ष्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी सहायता

2174. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे स्वयंसेवी संगठनों की राज्य-वार संख्या क्या है, जिनको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी सहायता स्वीकार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड बनाए जाते हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसा कितना विदेशी धन हमारे देश में आया?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार, अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के अधीन 1993-94 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना देने वाले संगठनों की संख्या 10,963 थी। सूचित करने वाले संगठनों के राज्यवार ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम,1976 के अधीन विदेश अभिदाय प्राप्त करने से पहले पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है।

(ग) 1991-92 से 1993-94 तक, सूचना देने वाले संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय निम्न प्रकार से है :

वर्ष	विदेशी अभिदाय (रु. करोड़ों में)
1991-92	
(1.1.91 से 31.3.92 तक)	1412.13
1992-93	1584.30
1993-94	1865.70
	(30.6.1995 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार)

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संगठनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	982
2.	असम	143
3.	बिहार	429
4.	गुजरात	555
5.	केरल	1486
6.	मध्य प्रदेश	363
7.	तमिलनाडु	1692
8.	महाराष्ट्र	1058
9.	कर्नाटक	934
10.	उड़ीसा	401
11.	पंजाब	75
12.	राजस्थान	146
13.	उत्तर प्रदेश	558
14.	पश्चिम बंगाल	968
15.	जम्मू और कश्मीर	23
16.	नागालैण्ड	39
17.	हरियाणा	52
18.	हिमाचल प्रदेश	55
19.	मणिपुर	162
20.	त्रिपुरा	8
21.	मेघालय	90
22.	सिक्किम	6
23.	दिल्ली	518
24.	अण्डमान ओर निकोबार	5
25.	दादरा और नगर हवेली	12
26.	गोवा, दमन एवं दीव	126
27.	पांडिचेरी	56
28.	चंडीगढ़	12
29.	मिजोरम	8
	योग	10,963

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

2175. **श्री राम देव राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से 1994 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी सेवानिवृत्त हुए;

(ख) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने किसी अधिकारी के कार्यकरण और आचरण की जांच की है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार और केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित अधिकारियों अराजकीय व्यक्तियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि केन्द्रीय सतर्कता द्वारा नामित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो निष्कर्षों की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, की सरकार में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारी कलेंडर वर्ष 1994 के दौरान सेवानिवृत्त हुए।

(ख) से (च) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इन दो अधिकारियों की भूमिका पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं। तदनुसार, उनको सरकार की नाराजगी से अवगत करा दिया गया था।

गैर-सरकारी अधिकारियों के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है क्योंकि एक सिविल रिट याटिका के संबंध में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

दूरदर्शन केन्द्र

2176. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षमताओं वाले दूरदर्शन केन्द्रों की राज्य-वार तथा क्षमतावार संख्या क्या है;

(ख) दूरदर्शन के कार्यक्रम राज्यों के जितने क्षेत्रों में देखे जाते हैं उनके द्वारा कितने प्रतिशत राज्यों का क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रम राज्यों की जितनी जनसंख्या द्वारा देखे जाते हैं। उनके प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान और अधिक केन्द्र स्थापित करने का क्या कार्यक्रम है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जिन स्थानों पर वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्र/भिन्न-भिन्न शक्तियों के टी.वी. ट्रांसमीटर पूरा किए जाने के लिए लक्षित हैं उन स्थानों के राज्य वार नाम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

दूरदर्शन नेटवर्क (13.8.95 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	टी.वी. ट्रांसमीटर (प्राइमरी चैनल)						टी.वी. ट्रांसमीटर (प्राइमरी चैनल के अतिरिक्त)			
		का.नि.के.	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अश.ट्रा.	ट्रांसपो.	कुल	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	3	3	12	0	1	16	0	1	0	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	5	40	3	1	55	0	1	0	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	2	16	0	19	0	1	0	1
4.	बिहार	4	5	33	0	1	39	9	0	0	0
5.	गोवा	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
6.	गुजरात	2	4	36	1	0	41	1	1	0	2
7.	हरियाणा	0	0	7	0	0	7	0	1	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	12	2	21	0	1	0	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2	4	3	25	1	33	0	4*	0	4
10.	केरल	1	3	13	0	0	16	0	2	0	2
11.	कर्नाटक	2	4	30	1	0	35	0	1	0	1
12.	मध्य प्रदेश	1	6	55	1	1	63	0	1	0	1
13.	मेघालय	2	2	2	1	0	5	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	2	5	50	3	1	59	1	0	0	1
15.	मणिपुर	1	1	1	3	0	5	0	0	0	0
16.	मिजोरम	1	1	0	2	9	3	0	1	0	1
17.	नागालैण्ड	1	1	2	3	1	7	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उड़ीसा	1	3	48	1	1	53	1	2	2	5
19.	पंजाब	1	3	5	0	1	9	0	1	0	1
20.	राजस्थान	1	2	46	6	2	56	0	2	0	2
21.	सिक्किम	0	1	0	3	0	4	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	1	3	26	0	2	31	1	0	0	1
23.	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	3	9	48	10	4	71	0	1	0	1
25.	पश्चिम बंगाल	1	4	14	2	0	20	1	0	0	1
26.	दिल्ली	1	1	0	0	0	1	1	2**	0	3
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	2	6	0	8	0	0	0	0
28.	दमन एवं दीव	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	1	0	2	2	0	4	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप समूह	0	0	1	8	0	9	0	0	1	1
31.	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	योग	36	75	491	111	20	697	6	25	3	34 = 731

क्षमता : उ.श.ट्रां. – 10 कि.वा./5 कि.वा./1 कि.वा.

अ.श.ट्रां – 100 वाट/300 वाट

अ.अ.श.ट्रां – 10 वाट

ट्रांसपोजर – 10 वाट

* संसद कवरेज के लिए अ.श.ट्रां.

** कश्मीर चैनल के लिए एक अ.श.ट्रां.

विवरण-II

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्तमान कवरेज (10.8.95 की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत)	
		क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	72.4	81.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.0	44.4
3.	असम	74.0	82.0
4.	बिहार	82.8	92.3
5.	दिल्ली	100.0	100.0
6.	गोवा	100.0	100.0
7.	गुजरात	69.7	80.5
8.	हरियाणा	96.6	98.5
9.	हिमाचल प्रदेश	39.0	64.5
10.	जम्मू और कश्मीर	32.3	91.7
11.	कर्नाटक	60.4	69.1
12.	केरल	84.0	86.3
13.	मध्य प्रदेश	65.3	70.8
14.	महाराष्ट्र	72.4	84.1
15.	मणिपुर	31.3	66.4
16.	मेघालय	94.6	97.2
17.	मिजोरम	42.1	53.1
18.	नागालैण्ड	43.4	47.2
19.	उड़ीसा	78.2	81.8
20.	पंजाब	100.0	100.0
21.	राजस्थान	41.6	63.7
22.	सिक्किम	77.4	95.0
23.	तमिलनाडु	91.2	91.3
24.	त्रिपुरा	93.3	93.3
25.	उत्तर प्रदेश	79.1	92.4
26.	पश्चिम बंगाल	95.4	96.0
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.0	99.0
28.	चण्डीगढ़	100.0	100.0
29.	दादरा और नगर हवेली	40.0	43.6
30.	दमन और दीव	100.0	100.0
31.	लक्षद्वीप समूह	99.0	99.0
32.	पाण्डिचेरी	100.0	100.0
	राष्ट्रीय औसत	68.4	85.4

विवरण-III

1995-96 के लिए लक्षित दूरदर्शन परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्टूडियो	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश		कुरनूल नांदयाल	कादिरी बेलमपल्ली मरकापुर कामारेड्डी तम्बलापल्ली एल.आर.पल्ली	चिंतापल्ली पारवतीपुरम	

1	2	3	4	5	6
			पसरा		
			नारायणपेट		
			पेदनानदीपटु		
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर		मिमयागो	योमचा	
				पीपू दीपू/न्यापीन	
				मियांग/यींग कांग	
				कलकटंग	
				ताली/तुइलिंग	
असम			सोनारी	डिगबोई	
			लुमडिंग		
			होजई		
			तिनसुखिया		
बिहार	पटना (स्थायी)		सुपौल	सिमडेगा	
			नौआमुण्डी		
			कोडरमा		
			फूलपारस		
			सरायकेला		
			पटना (डीडी-2)		
			शेखपुरा		
			लखीसराय		
			रिकन्दरा		
गुजरात			ईदर	नेतरंग	
			मोरवी		
			देसा		
			राजूला		
			खम्बालिया		
			अमोद		
			मगरोल (सूरत)		
			झगडिया		
			श्यामलाजी		
हिमाचल प्रदेश			सुजानपुर	शिवबदर	
			सुन्दर नगर	भारथी	
			रामपुर	जहलमा	

1	2	3	4	5	6
				भरमौर	
				दियार	
				दसनी	
				होली	
				परवानू	
				बंदला	
				कन्दाघाट	
				डलहौजी	
जम्मू और कश्मीर			राजौरी	तिथवाल	नगरोटा
				बारामूला	
कर्नाटक			गोकक	अधुगिरि	
			जमखंडी		
			कुमता		
			भटकल		
			हरपनहल्ली		
			बसवा कल्याण		
			सागर		
			हनगोंड		
			अरसीकेरे		
			हटीहल		
केरल			काननगढ़	मुन्नार	
			थोडुपुंझा	कीजरापल्ली	
			चेंगानुर		
मध्य प्रदेश	रायपुर		गाडरवारा	सिंगरौली	
			कुकड़ेश्वर	कोडागांव	
			सिरोंज	बुधनी	
			खुरई	जशपुरनगर	
			भाडेर	पाखनजोर	
			केलारस		
			सकती		
			नारायणपुर		

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र		बंबई (डीडी-3)	शिरपुर	खेड़	
			देवरुख	राजापुर	
			म्हासले		
			नवापुर		
			ब्रहमपुरी		
			रिस्सोद		
			करंजा		
			उमरखेड़		
			अहेरी		
मणिपुर				मोरेह	
				केंगपोकपी	
मेघालय				बाघमारा	
मिजोरम		लुंगलेई		चम्पई	
नागालैण्ड		मोकोकचुंग		फेक	
				सतखा	
उड़ीसा			नयागढ़	औल	
			सोनेपुर	थुयामल रामपुर	
			मोहाना	चित्राकोंडा	
			कुचिण्डा	बड़ा बरबील	
			तुशरा/सेंताला	बरपल्ली	
			कबिसूर्यनगर		
			दुर्गापुर		
			तंगी/सोहेला		
			उमरकोट		
			कोटपड		
पंजाब		फाजिल्का (इंट)			
राजस्थान		बाड़मेर (इंट)	बड़ी सादरी	भीम	
		जैसलमेर	हिंडौन	फतेहपुर	
			मकराना	गंगापुर (भीलवाड़ा)	
			करौली	लालसोट	
			फलोदी	लक्ष्मणगढ़	
			राजगढ़ (चुरू)	जवार माइंस	

1	2	3	4	5	6
			माउंट आबू	मंडलगढ़	
			प्रतापगढ़		
			नोहर		
			शहपुरा		
			निमज		
			बंसी		
			केसरियाजी		
सिक्किम				सिंगतम	
				रंगपू	
				जोरेटहंग	
तमिलनाडु		रामेश्वरम	अरनी	मेट्टुएलयम	
		मद्रास (डीडी-3)	गुड्डीयाटम	बलपरई	
			पटुक्कोटई	वल्लियूर	
			अत्तूर	वजापदी	
			शंकरन कोविल	उदुमलपेट	
			कृष्णागिरि		
			मरथडिम		
त्रिपुरा			केलाशहर	धरमनगर	
			तेलीयामुरा		
उत्तर प्रदेश			अल्मोड़ा	बागेश्वर	
			औरेया	चमौली	
			गंज डुडवारा	चौखटिया	
			हल्द्वानी	दीदीहाट	
			महोबा	जोशीमठ	
			मऊ रानीपुर	देवप्रयाग	
			नौगढ़	लैंसडाउन	
			न्यू टिहरी	प्रतापनगर	
			रुदौली	बिंसर	
			कासगंज	बसोट/भिखियासेन	
			कर्ण प्रयाग	कल्जीखाल	
			नान पारा	गज्जा	
				फतेह परबत	

1	2	3	4	5	6
				खेत परबत	
				राजगढ़ी	
				सिरोकोटा/बैकुण्ठधाम	
				साहिया	
				थाराली	
				रूद्रप्रयाग	
				घंडेयाल	
				नौगांवखल	
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	कलकत्ता	फरक्का		
	चैनल-2	(डीडी-3)	रायना		
	जलपाईगुडी		कलना		
			मुर्शिदाबाद		
			(डीडी-2)		
अंडमान और पोर्टब्लेयर				ग्रेट निकोबार	
निकोबर				हेवलुक	
द्वीपसमूह				कटछा	
				बरतंग	
दादरा और नगर हवेली			सिलवासा		
नगर हवेली					
दिल्ली		दिल्ली			
		(डीडी-3)			

प्रसारण अधिकारियों की रिक्तियां

2177. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षित वर्गों हेतु प्रसारण अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार एवं राज्य-वार कितनी है; और

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) चूंकि भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकन और नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। तथापि, आरक्षित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

	अंचल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पि. वर्ग	शा.विक	भूत.सै.	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7	4	3	-	-	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	14	-	-	1	16
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1	1	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7
असम	1	19	4	-	-	24
बिहार	-	1	1	-	-	2
दिल्ली	3	2	-	-	1	6
गुजरात	2	3	5	-	-	10
हरियाणा	1	-	1	-	-	2
हिमाचल प्रदेश	4	1	3	1	-	9
0. जम्मू और कश्मीर	5	2	4	-	1	12
1. कर्नाटक	4	2	4	-	1	11
2. केरल	2	-	3	-	1	6
3. मध्य प्रदेश	4	11	-	1	7	23
4. महाराष्ट्र	5	6	11	3	-	25
5. मेघालय	-	4	2	-	2	8
6. मिजोरम	-	1	-	-	-	1
7. नागालैंड	-	30	-	-	-	30
8. उड़ीसा	4	9	4	1	-	18
19. पंजाब	5	-	4	-	-	9
20. राजस्थान	3	3	7	-	2	15
21. तमिलनाडु	6	1	13	-	1	21
22. त्रिपुरा	-	5	-	-	-	5
23. उत्तर प्रदेश	6	1	7	-	3	17
24. पश्चिम बंगाल	6	2	4	1	2	15
25. गोवा	-	2	-	-	-	2
26. मणिपुर	-	10	3	-	-	13
	69	134	84	7	22	316

कलकत्ता की सर्कुलर रेलवे परियोजना

2178. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को कलकत्ता की सर्कुलर रेलवे परियोजना हेतु धनावंटन के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) योजना आयोग को रेलवे मंत्रालय से कलकत्ता सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए निधियाँ आवंटित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। योजना आयोग सिर्फ रेलवे मंत्रालय की वार्षिक योजना का अनुमोदन करता है। निधियों का परियोजना-वार आवंटन रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

तथापि, रेलवे मंत्रालय से, प्रिंसघाट से मेजर हाट तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के विस्तार का एक प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। योजना आयोग के सुझाव पर रेल

मंत्रालय ने लागत लाभ विश्लेषण सहित एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

मद्य निषेध

2179. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में मद्यनिषेध लागू करने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसारण अधिकारियों की भर्ती

2180. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 27 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3596 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसारण कार्यकारी के पद में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती में, राज्य-वार और श्रेणीवार, अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त श्रेणी के शेष रिक्त पदों के बारे में कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 27.4.1995 हेतु लोकसभा के प्रश्न संख्या 3596 के उत्तर में यथा उल्लिखित आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों हेतु उद्दिष्ट ट्रांसमिशन निष्पादकों की 316 रिक्तियों में से आरक्षित वर्गों से संबंधित 12 उम्मीदवारों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग से नामांकन प्राप्त हुए हैं। वर्ग तथा राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। 316 रिक्तियों में से, आरक्षित वर्गों से संबंधित 122 उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ट्रांसमिशन निष्पादक के रूप में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग से अंतिम नामांकनों की प्रतीक्षा है। कर्मचारी चयन आयोग को 153 रिक्तियों की सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। इन उम्मीदवारों का वर्गवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) बाकी 29 रिक्तियों के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आदि से कुछ स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कर्मचारी चयन आयोग से सिफारिशों के प्राप्त होते ही आरक्षित रिक्तियों पर ट्रांसमीशन निष्पादकों की नियुक्ति की जाएगी।

विवरण-I

अंचल	अ.जा.	अ.ज.जा.	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग
1. आन्ध्र प्रदेश	2	-	-	-
2. केरल	1	-	-	-
3. कर्नाटक	-	-	-	-
4. मणिपुर	-	7	-	-
5. दिल्ली	1.	-	-	-
6. राजस्थान	-	1	-	-
7. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
	4	8	-	-

विवरण-II

अंचल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग
1	2	3	4	5	6
1. हिमाचल प्रदेश	1	-	1	-	-
2. जम्मू और कश्मीर	1	1	-	-	-
3. दिल्ली	-	-	1	-	-
4. हरियाणा	1	-	1	-	-
5. पंजाब	1	-	3	-	-
6. राजस्थान	3	2	7	2	-
7. बिहार	-	1	1	-	-
8. उत्तर प्रदेश	3	1	2	-	-
9. मध्य प्रदेश	-	-	4	6	-
10. पश्चिम बंगाल	-	-	3	-	-
11. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	-	1	1	-	-
12. उड़ीसा	2	6	2	-	-

1	2	3	4	5	6
13. अरुणाचल प्रदेश	1	6	2	-	-
14. असम	1	-	2	-	-
15. मेघालय	-	3	1	-	-
16. मिजोरम	-	2	-	-	-
17. नागालैंड	-	2	-	-	-
18. त्रिपुरा	-	3	-	-	-
19. महाराष्ट्र	1	1	1	-	-
20. गोवा	-	-	-	-	-
21. गुजरात	2	3	7	1	-
22. आन्ध्र प्रदेश	4	1	1	-	-
23. केरल	-	-	-	-	-
24. तमिलनाडु	3	1	8	1	-
25. कर्नाटक	1	1	4	-	-
जोड़	25	35	52	10 कुल	122

[हिन्दी]

भूजल के स्रोतों का विकास

2181. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल के स्रोतों का पता लगाने और उनका विकास करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय भूजल बोर्ड को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) भूजल स्रोतों का पता लगाने और उनका विकास करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश नलकूप निगम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उथले नलकूप परियोजना सम्बन्धी एक प्रस्ताव पूर्वी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित योजना में शामिल करने के लिए भेजा था। इस प्रस्ताव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 27.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,000 उथले नलकूपों के निर्माण की परिकल्पना है और इस पर केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड को केन्द्र प्रायोजित योजना के अनुमोदित हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2182. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनके आबंटन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान विज्ञापन जारी किया गया था;

(ख) क्या खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 12 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। उपर्युक्त में से 3 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं। शेष मामलो में अभी साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए हैं।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार, तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आबंटित 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन स्थानों के विज्ञापन द्वारा और राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आय, निवास स्थान और बहुडीलर शिप मानदण्डों संबंधी पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्तियों में से तेल चयन बोर्ड द्वारा डीलरों का चयन किया जाता है।

[अनुवाद]

"डाइनेमिक लॉकिंग" सुविधा

2183. **श्री तारा सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार दिल्ली और मुम्बई में एस.टी.डी. कॉल की भांति लोकल कॉल के लिए भी "डाइनेमिक लॉकिंग" सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली और मुम्बई में गत कुछ माह से "लोकल कॉल" के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली और मुम्बई में "लोकल कॉल" के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) स्थानीय कॉलों को बंद करने की सुविधा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के उन सभी उपभोक्ताओं को सुलभ है, जिनके टेलीफोन नम्बरों पर डायनामिक एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों तथा अन्य सभी प्रणालियों में यह सुविधा सुलभ नहीं है। अन्य उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने का कोई कार्यक्रम नहीं हैं।

(ग) उपलब्ध आकंड़ों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि स्थानीय कालों का दुरुपयोग बढ़ रहा है।

(घ) स्थानीय/एस.टी.डी. कॉलों के दुरुपयोग को रोकने के पूर्वोपाय के रूप में खम्भों और वितरण बिन्दुओं (डी.पी.) में ताला लगाया गया है। सांय 7 बजे के बाद एम.डी.एफ. तथा परीक्षण कमरों को भी ताले में बंद रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

2184. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान 'एस.एस.एस. स्कीम' के अन्तर्गत रेल और सड़क से कोयले की आपूर्ति हेतु ग्राहकों द्वारा कितने क्रयादेश दिये गए;

(ख) 30 जून, 1995 तक कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ग) बुक किए गए पूरे कोयले की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) इस संबंध में माननीय सदस्य शायद उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले के प्रेषण को संदर्भगत कर रहे हैं। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान और अप्रैल, 1995 से जून, 1995 की अवधि के दौरान प्रेषित किए गए तथा बुक किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

('000 टन में) (आकंड़े अनंतिम)

1994-95

	रेल	सड़क
बुक किए गए आर्डर	1097	4761
प्रेषण	683	4192

अप्रैल, 95 से जून, 1995

	रेल	सड़क
बुक किए गए आर्डर	437	1428
प्रेषण	223	1688

(ग) कोल इंडिया लि. के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आर्डरों की अधिक बुकिंग होने के कारण बुक किए गए कोयले को पूर्ण मात्रा में प्रेषित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में गांवों में टेलीफोन

2185. **श्री हाराधन राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक जिलावार कितने गांवों में टेलीफोन कनेक्शन दिए गए है;

(ख) इस वर्ष जिलावार कितने गांवों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) शेष गांवों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल के 5419 गावों में सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1995-96 के दौरान 7200 ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके जिला-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार की है जिसमें 1997 तक पश्चिम बंगाल के ग्रामों सहित सभी ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सर्वेक्षण, कार्यस्थल का पता लगाना, प्रौद्योगिकी का पता लगाना तथा सामग्री प्रापण आदि जैसे आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मूलभूत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को भी लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त ग्रामों तथा 1995-96 के लक्ष्य के जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	30.6.1995 तक सार्वजनिक सुविधा प्राप्त ग्रामों की संख्या	1995-96 के दौरान ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है उनकी संख्या
1.	बर्दवान	434	810
2.	वीरभूम	242	540
3.	बांकूरा	397	320
4.	कूचबिहार	213	252
5.	दिनाजपुर	304	580
6.	दार्जिलिंग	141	240
7.	हावड़ा	169	170
8.	हुगली	420	155
9.	जलपाईगुड़ी	252	257
10.	मालदा	289	480
11.	मिदनापुर	975	1166
12.	नाडिया	228	430
13.	पुरूलिया	180	470
14.	24 परगना	797	890
15.	मुर्शीदाबाद	378	440
	जोड़	5419	7200

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

2186. **श्री हरकेवल प्रसाद : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन कार्यक्रमों की समीक्षा कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) गरीबी उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं, अर्थात् (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम(आई.आर.डी.पी.), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आरवाई), तथा (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में इन कार्यक्रमों की समीक्षा नियमित रूप से केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के शासी निकाय द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रगति का राज्यवार मॉनिटरिंग कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता हैं।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने 1993 में क्षेत्र अधिकारियों की एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत अधिकारियों का एक दल राज्यों का दौरा करता है तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के संदर्भ में क्षेत्र स्तर पर मौजूदा समस्याओं तथा प्रगति का सीधा विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र तथ रोजगार मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करता है।

हाल ही में, विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कारगर बनाने तथा उनके स्कोप को बढ़ाने के लिए देश भर में अनेक कदम उठाए गए हैं।

मूल्याकंन अध्ययनों के परिणामों तथा फील्ड से मिलने वाले लगातार फीडबैक के आधार पर आई.आर.डी.पी. में कतिपय आशोधन किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करनें में आई.आर.डी.पी. को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण काम है : (1) प्रति परिवार निवेश के स्तर को बढ़ाना, (2) 213 जिलों, जहां पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जिला विकास प्रबन्धक तैनात हैं, में परिवार ऋण योजना (एफ.सी.पी.) का विस्तार, (3) कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए गरीबी की रेखा अर्थात 11,000 रु. से कम आय वाले किसी परिवार को पात्र बनाकर आई.आर.डी.पी. सहायता के लिए 8,500 रु. की न्यूनतम सीमा (कट-आफ लाईन) को समाप्त कर दिया गया बशर्ते कि लाभग्राही में सतत् आय सर्जक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए आवश्यक प्रेरणा, कौशल तथा रूचि विद्यमान हो, और (4) आधारभूत संरचना में अपेक्षाकृत अधिक निवेश को सरल बनाने लिए निर्णय निर्धारकों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। इन उपायों को उत्तर प्रदेश राज्य सहित सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जाना है।

जे.आर.वाई. के तहत निधियां देश में प्रत्येक जिले/गांव तक पहुंचती हैं तथापि यह पाया गया कि संसाधन देश भर में कम लगे हुए थे, इसलिए जे.आर.वाई. को चुनिंदा पिछड़े जिलों मे सतत् बनाने का निर्णय लिया गया, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगारी थी, तदनुसार 1993-94 में 129 चुने हुए पिछड़े जिलों में सघन

जे.आर.वाई. आरंभ की गई जिनमें इन जिलों को दी जाने वाली निधियों में काफी वृद्धि की गई थी इसके अतिरिक्त, सभी समर्थ व्यक्तियों को, जो काम की तलाश में थे और कम कृषि के मौसम में कार्य करना चाहते थे, उन्हें 100 दिन का कैजुअल मैनुअल कार्य का सुनिश्चित दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1752 आर. ई.डी.एस. ब्लॉकों में 2.10.93 से ई.ए.एस. आरंभ की गई। यह इस मूल्यांकन के अनुरूप था कि जे.आर.वाई. के तहत औसतन केवल 15-25 दिन का रोजगार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सृजित किया जा रहा था। ई.ए.एस. इस समय गोवा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2446 पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही है।

जे.आर.वाई. के तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं। ई. ए.एस. उत्तर प्रदेश में 248 ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में डाकघर भवन

2187. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में 1995-96 के दौरान डाकघरों हेतु विभागीय भवनों का निर्माण करने का है?

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कहां-कहां पर किया जाएगा; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) चल रहे निर्माण-कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था कराने की वचनबद्धता के कारण, वर्ष 1995-96 के दौरान डाकघर के लिए किसी विभागीय भवन का निर्माण-कार्य शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोयला क्षेत्रों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना

2188. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन कोयला क्षेत्रों में आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) इन आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार 63,59,341.50 रु. की कुल लागत से सेंट्रल अस्पताल, भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) जगजीवन नगर, धनबाद में आक्सीजन कनसेंट्रेटर (एकीकृत) संयंत्र का केवल एक सैट, जिसमें दो आक्सीजन एकीकृत, एक उच्च पावर बूस्टर पम्प तथा दो कम्प्रैसरों की स्थापना की गई है। इस मद की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन दिए गए थे तथा निविदा नोटिस की प्रतिलिपियां भारत में विभिन्न दूतावासों के व्यापारिक प्रतिनिधियों को भी भेजी गई थीं। चार निविदाएं प्राप्त हुई थीं तथा संविदा को तकनीकी रूप में सबसे न्यूनतम स्वीकार्य पेशकशों के आधार पर दिया गया था।

[हिन्दी]

गुजरात में तेल परियोजनाएं

2189. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में तेल परियोजनाओं को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। गुजरात की तेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) 133.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बलोल (मुख्य) में तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन की इन-सीटू प्रक्रिया का वाणिज्यीकरण।

(2) 278.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के संथाल चरण-2 में इन सीटू कम्बस्चन का अनुप्रयोग।

(3) 273.000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आई. ओ.सी. की गुजरात रिफाइनरी में 3.0 एम.एम.टी.पी. ए. का विस्तार और सलाया-मथुरा पाइपलाइन के सलाया-वीरमगांम और वीरमगांम-कोयाली सैक्शन का सुदृढ़ीकरण,

(4) 161 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कांडला में आई.ओ.सी. द्वारा एल.पी.जी. के आयात की सुविधाएं स्थापित करना।

(5) 329.50 करोड़ रुपये और 273.80 करोड़ रुपये की क्रमेशः अनुमानित लागत से बी.पी.सी.एल. द्वारा क्रमशः सिक्का में विपणन केन्द्र स्थापित किया जाना और सिक्का से कांडला तक एम.एस., एस.के.ओ., और एच.एस.डी. के परिवहन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाना।

(6) बी.पी.सी.एल. द्वारा 411 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वादीनगर में कच्चे तेल के टर्मिनल का निर्माण।

इसके अतिरिक्त ओ.एन.जी.सी., गुजरात के साबर कांठा, बनासकांठा, पंचमहल, भरुच, डांग जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आयोजित करती रही है। इसके अलावा थाराड-1, थाराड-2 और झागोडिया-1 नामक तीन अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन बनासकांठा और भरुच जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में अलग से किया गया है।

[अनुवाद]

अलाभप्रद डाकघर

2190. **डा. वसंत पवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे डाकघरों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है जो अलाभप्रद स्थिति में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) मौजूदा पद्धति के अनुसार, ऐसे डाकघरों की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए प्रत्येक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर की त्रैवार्षिक पुनरीक्षा की जाती है।

औद्योगिक विकास

2191. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश की औद्योगिक विकास दर राज्य-वार क्या रहीं; और

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए देश में औद्योगिक विकास की दर राज्य-वार क्या निर्धारित की गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) औद्योगिक विकास दर अखिल भारतीय आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूची में परिवर्तनों से सुनिश्चित की जाती है। 1994-95 के दौरान अखित भारतीय औद्योगिक विकास दर 8.4 प्रतिशत थी।

(ख) आठवीं योजना (1992-97) में लगभग 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक विकास के लिए लक्ष्य राज्यवार निर्धारित नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय

2192. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय मंत्रियों के साथ कुल कितने सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रियों की सुरक्षा पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय केन्द्रीय मंत्री परिषद की सुरक्षा के लिए 1157 सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय मंत्री परिषद की सुरक्षा पर, दिल्ली पुलिस द्वारा व्यय की गयी राशि निम्न प्रकार है :

1992-93	-	2,56,44,071 रुपए
1993-94	-	3,33,31,417 रुपए
1994-95	-	3,37,69,931 रुपए

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस अधिनियम

2193. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस को दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को चोरी का सामान ले जाने के केवल सन्देह के आधार पर ही गिरफ्तार करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक दिल्ली में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस लोगों को लिखित में उन्हें कोई कारण बताए बगैर समय बे समय थाने/चौकियों में बुलाती है या ले जाती है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सही नियम क्या है तथा पुलिस द्वारा उसका सही तरीके से पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस अधिनियम की कार्यरत धारा की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 103 में यह प्रावधान है कि जो कोई अपने कब्जे में ऐसी कोई वस्तु, जिसके बारे में यह विश्वास करने के लिए

कारण है कि वह चोरी की सम्पत्ति है या कपटपूर्वक अभिप्राप्त की गई है, रखेगा या किसी रीति से उसे हस्तांतरित करेगा या विक्रय अथवा पणयम के लिए प्रस्थापित करेगा और ऐसे कब्जे का लेखा-जोखा देने में या महानगर मैजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में कार्य करने में असफल रहेगा वह, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकती है या जुर्माने से जो एक सौ रुपये का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(ख) वर्ष 1995 (31.7.1995 तक) के दौरान दिल्ली में दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा, 103 के तहत 322 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 103 की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैथिली भाषा में प्रसारण

2194. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन का सप्ताह में दो बार प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का 2 अक्टूबर, 1995 से इस समाचार बुलेटिन का प्रसारण इस स्टेशन द्वारा प्रतिदिन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) आकाशवाणी, दरभंगा से सप्ताह में तीन बार पांच मिनट की अवधि हेतु मैथिली में समाचार सारांश प्रसारित किया जाता है। इस समाचार सारांश की अवधि अथवा प्राथमिकता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि केन्द्र को प्रमुख भाषा जो कि हिन्दी है, में केन्द्र द्वारा पर्याप्त संख्या में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं।

केरल के लिए विकास योजनाएं

2195. **श्री थाइल जॉन अजलोज** : क्या **योजना और कार्यक्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा केरल के लिए गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) राज्य द्वारा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक योजनाओं और सेक्टर-वार परिव्ययों को अन्तिम रूप देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल के लिए वार्षिक योजना के ब्यौरे राज्य के वार्षिक योजना दस्तावेजों में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। चूंकि ये स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं, अतः योजना आयोग की इनके कार्यान्वयन अथवा मानिटरिंग में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। योजना आयोग की भूमिका राज्य सरकारों के साथ वार्षिक योजना विचार विमर्शों के समय इन स्कीमों की सामान्य समीक्षा तक ही सीमित है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

2196. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए विपणन योजना में मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों को शामिल किया गया है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी एजेंसियों के आबंटन के लिए विज्ञापन दिए गए हैं; और

(ग) ऐसी एजेंसियां स्थापित करने की प्रक्रिया में साक्षात्कार लेने, चयन करने और कार्य शुरू करनें के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1994-95 तक की विभिन्न अनुमोदित विपणन योजनाओं में सम्मिलित 162 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, मध्य प्रदेश में चालू किए जाने के लिए लंबित हैं।

(ख) 56 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनके लिए अभी नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) सामान्यतया किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में विज्ञापन के जारी होने की तारीख से लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

2197. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** :
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने टिहरी बांध के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन के दौरान घटनास्थल पर पुलिस द्वारा

की गई ज्यादतियों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई जांच दल टिहरी भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस जांच के निष्कर्ष क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हा, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक जांच दल ने 27 जून से। जुलाई, 1995 तक टिहरी का दौरा किया था।

(ख) जांच रिपोर्ट, आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

चीन के साथ चर्चा

2198. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनकी चीन यात्रा के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की आपूर्ति के संबंध में कोई चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की तेल रिगें

2199. **श्री शरत पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नागालैण्ड में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की कुछ तेल रिंगों को नष्ट किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को कितनी हानि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। ओ.एन.जी.सी. और पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान होजुकेनागा-1 और तोसेजी-1 नामक दो वेधन स्थलों पर लगाई गई ओ.एन.जी.सी. की दो रिगें भारी रूप से क्षतिग्रस्त पाई गई।

(ख) रिगों को हुई क्षति और रिग-सामान अन्य भण्डारों और सामग्री की चोरी के कारण ओ.एन.जी.सी. को हुआ नुकसान लगभग 28 करोड़ रुपये होने हा अनुमान है।

रोजगार के अवसर

2200. **श्री जगमीत सिंह बराड़** :
श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :
श्रीमती दीपिका एच. डोपीवाला :
श्री राम सिंह कस्वा :
श्री फूल चन्द वर्मा :
डा. कृपा सिन्धु भोई :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित "जॉब क्रिएशन फाल्स शॉर्ट प्लान पैनल" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या रोगार के अवसर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सृजित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो शीर्षक वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष अवधि के दौरान लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) वर्ष 2002 तक सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए वार्षिक वृद्धि दर क्या होनी चाहिए तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) "टाइम्स आफ इंडिया" में 6 जून, 1995 को "जॉब क्रिऐशन फाल्स शॉर्ट प्लान पैनल" शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ।

(ख) से (घ) नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 6.58 मिलियन, 5.02 मिलियनस और 7.18 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। यह 1992-95 के दौरान 2.03 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्शाता है। यह वार्षिक औसत वृद्धि दर आठवीं योजना में परिकल्पित 2.7 प्रतिशत की दर से कम रही है। यह कमी मुख्यतः 1992-95 के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक दर (4.6 प्रतिशत) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की 5.6 प्रतिशत औसत लक्षित वृद्धि दर से कम रहने के कारण हुई।

(ङ) और (च) 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए 3.1 प्रतिशत वार्षिक की रोजगार वृद्धि दर आवश्यक होगी। पिछड़े क्षेत्रों में सिचाई तथा अन्य ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, ग्रामीण गैर कृषि सैक्टर यतिविधियों और लघु सैक्टर का विस्तार तथा विविधीकरण और निर्माण, परिवहन, होटल तथा रेस्टोरैन्ट जैसे अन्य रोजगार संघन सैक्टरों में तीव्र वृद्धि और आधारभूत संरचना तथा पूंजीगत सामान उद्योग जैसे कोर उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और घरेलू निवेशी खादी ग्रामोद्योगों में विभिन्न चालू विशेष रोजगार स्कीमों और रोजगार सृजन की नई स्कीमों में विस्तार तथा गुणात्मक सुधार रोजगार सृजन के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2201. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बोंगाईगांव में दूरदर्शन का कम शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर कार्य करने के लिए तैयार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) बोंगईगांव स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां) 20 अक्टूबर, 1994 से परिचालन में हैं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) और (घ) असम में बोंगईगांव/कोकराझार, तेजपुर और जोरहाट स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और मिजोरम में लुंगलेई स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों में उन्नयन करने के लिए कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित हैं।

समाचार वाचक

2202. **श्री राजेश कुमार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार वाचक 60 वर्ष के सेवा-काल के बाद सेवावधि बढ़ाने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों की सेवावधि बढ़ाई गई;

(ग) सेवावधि बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात भी सेवा-वृद्धि प्रदान की गयी है।

(ग) सेवा-वृद्धि कार्य की अधिकता एवं लोक-हित को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में संचार व्यवस्था

2203. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से मिदनापुर जिले में, संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों में पश्चिम बंगाल सहित देश के टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के जरिए दूर संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है। आठवीं योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित परिकल्पित हैं :

- पूर्णतः स्वचालित नेटवर्क की प्राप्ति (पहले से ही प्राप्त),
- मियाद समाप्त तथा जीर्णशीर्ण स्विचां की उनकी मियाद समाप्त होते ही बदलना,
- सभी "स्ट्रोजर मैक्स-3,एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना,
- सभी लाइन-फाइंडर टाइप मैक्स-2 को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना,
- स्थानीय नेटवर्क को डक्टिंग प्रदान कराना,

टेलीफोन एक्सचेंज-नेटवर्क के विस्तार हेतु किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप, पश्चिम बंगाल में आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1.4.92-31.3.95 तक) के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में 150,569 की वृद्धि हो गई है। चालू वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्य में लगभग 127,400 नए टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना है।

31.3.95 की स्थिति के अनुसार, मिदनापुर जिले में 18,536 लाइनों तथा 11,816 चालू कनेक्शनों की सज्जित क्षमता के 85 एक्सचेंज कार्यरत थे, उक्त 85 सक्सचेंजों में 84 केंद्र इलेक्ट्रॉनिक किस्म के हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान मिदनापुर जिले के एक्सचेंजों हेतु स्विचन क्षमता की लगभग 6,300 लाइनों की निवल वृद्धि की योजना बनाई जा चुकी है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान जिले में (1) श्याम सुन्दर पटना (चालू) (2) पुरुषोत्तमपुर तथा (3) नरजाल में भी तीन नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना है।

[हिन्दी]

रोजगार के संबंध में असंगठित क्षेत्र का योगदान

2204. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर्स कन्ट्रीब्यूट मोर टू

एम्पलायमैन्ट ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) जी, हां। यह समाचार योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए योजना आयोग के "आठवीं योजना में रोजगार सृजन" संबंधी प्रलेख पर आधारित प्रतीत होता है इस प्रलेख से यह पता चलता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सृजित अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का लगभग आधा भाग कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों में सृजित होन का अनुमान है, रोजगार वृद्धि में अन्य प्रमुख योगदान करने वाले क्षेत्रक ये हैं : व्यापार तथा परिवहन क्षेत्रक, विर्निर्माण क्षेत्रक तथा सामुदायिक, सामाजिक एवं कार्मिक सेवाएं।

देश में कुल रोजगार का लगभग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रक में हैं तथा यह रोजगार सघन भी है अतः आशा है कि यह रोजगार सृजन में पर्याप्त योगदान देता रहेगा। कौशल विकास तथा ऋण विपणन एवं अन्य आदनों और सामाजिक सुरक्षा की बेहतर सुलभता जैसे कदमों से इन क्षेत्रकों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

2205. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपनाये गये मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग के द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गठित कार्यदल की तकनीकी समिति ने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता के समान मध्य प्रदेश को उपरोक्त क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (च) विशेष केन्द्रीय सहायता पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्दिष्ट तालुकाओं को दी जाती है। पेहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी सातवीं योजना के कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने मई, 1986 में देश में नए पहाड़ी क्षेत्रों को अंकित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कई विशेषज्ञ दल का गठन किया था। बहरहाल, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का, निधियों की कमी के कारण, आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में नए पहाड़ी क्षेत्रों तक विस्तार न करने का निर्णय लिया गया है।

नेशनल मीडिया सेन्टर

2206. **डा. मुमताज अंसारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल मीडिया सेन्टर, शास्त्री भवन में शीघ्र ही अपना एकक बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोजगार योजना

2207. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 से प्रति वर्ष 80 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा करने की एक रूपरेखा तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली पासपोर्ट

2208. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को जाली पासपोर्ट संबंधी कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रथा को रोकने के कोई उपाय कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा जाली पासपोर्टों से संबंधित विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, भारतीय पास पोर्ट अधिनियम (जाली पासपोर्ट सहित) के अधीन दर्ज किए गए मामलों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में प्राप्त होते हैं और 1991 से 1994 तक के वर्षों के संबंध में ये आंकड़े (राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार) संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) भारतीय पासपोर्टों की जालसाजी को रोकने के लिए अनेक सुरक्षापाय शुरू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं अल्ट्रावायलेट फीचर, अल्ट्रावायलेट चमक सहित बीच में सिलाई, डाटा पृष्ठ का अल्ट्रावायलेट फीचरों से लेमीनेशन, माइक्रोप्रिंटिंग, वाटर मार्क, रासायनिक प्रतिक्रिया शीलता वाले सिक्यूरिटी पेपर का प्रयोग आदि।

विवरण

1991 से 1994 के बीच भारतीय पास-पोर्ट अधिनियम के अधीन दर्ज मामले (राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0
3.	असम	8	26	20	4
4.	बिहार	5	1	0	0
5.	गोवा	0	0	0	0
6.	गुजरात	50	52	42	93
7.	हरियाणा	0	0	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	48	7	5	29
10.	कर्नाटक	6	4	11	3
11.	केरल	10	8	63	45
12.	मध्य प्रदेश	0	0	4	0
13.	महाराष्ट्र	50	769	541	1033
14.	मणिपुर	0	0	0	9
15.	मेघालय	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	8
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	9
19.	पंजाब	80	43	42	85
20.	राजस्थान	106	127	97	121
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	118	58	564	5
23.	त्रिपुरा	0	0	7	0
24.	उत्तर प्रदेश	13	4	19	0
25.	पश्चिम बंगाल	232	68	130	उ.न.
	योग (राज्य)	726	1169	1548	1452
	संघ शासित क्षेत्र				
26.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0
28.	द. एवं न. हवेली	0	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	7
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	7
	योग (अखिल भारतीय)	726	1169	1548	1450

स्रोत : 1. 1991 से 1993 - क्राइम इन इंडिया डाटा।

2. 1994 - मासिक अपराध सांख्यिकी ।

नोट : 1. 1994 से आंकड़े अनंतिम है।

2. उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र

2209. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा

निकटवर्ती गांवों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी करने का जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली घुसपैठ रोकी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के अधिकारियों की इस संबंध कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

राज्यों को शक्तियां प्रदान करना

2210 **श्री दत्ता मेघे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें मांग कर रही हैं कि राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान प्रबंधों के कार्यकरण पर विचार करने की दृष्टि से केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार करने का कार्य अन्तर्राज्यीय परिषद की उप-समिति को सौंपा गया था, जिसने 247 सिफारिशों में से अब तक 191 सिफारिशों पर विचार कर लिया है। अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार अपना मत निश्चित करेगी।

तिहाड़ जेल में चिकित्सीय उपचार

2211. **श्री अरविंद त्रिवेदी** :
डा. मुमताज अंसारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या इसकी क्षमता से तीन गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके उपचार के लिए डाक्टरों की संख्या स्वीकृत पदों की एक तिहाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार कैदियों को उपचार संबंधी सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 8.8.95 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जेल तिहाड़ में 2487 कैदियों की स्वीकृत क्षमता की तुलना में 8820 कैदी रखे गए हैं।

(ख) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में डाक्टरों के 16 स्वीकृत पदों में से 8 पदों पर डाक्टर कार्यरत है; तीन डाक्टर आगे अध्ययन हेतु छुट्टी पर हैं तथा एक डाक्टर निलम्बनाधीन हैं। चार पद रिक्त हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कैदियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपाय किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं :

(1) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में रिक्त पड़े पदों पर डाक्टरों की तैनाती करवाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

(2) जेल अधिकारियों द्वारा, दन्त चिकित्सक के समाप्त हो चुके पद को पुनः बनाने हेतु एक प्रस्ताव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, की सरकार को भेजा गया है।

(3) ट्रांसपोर्टेशन-कास्ट बेसिस पर 19 प्राईवेट स्वयंसेवी डाक्टरों की व्यवस्था की गई है।

(4) विशेषज्ञ डाक्टरों और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ को ठेके पर रखने का एक प्रस्ताव भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के विचाराधीन है।

(5) होमियोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के स्वयंसेवी डाक्टरों को भी ट्रांसपोर्टेशन-कास्ट-बेसिस पर रखा गया है।

(6) एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये बाल चिकित्सक को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में महिला वार्ड में रखे गए बच्चों को एक दिन छोड़कर देखने की भी अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

गैस वितरण प्रणाली

2212. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :
श्री विलास मुत्तेमवार :
डा. लाल बहादुर सावल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, खुर्जा, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्रों के सैकड़ों लघु उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु गैस वितरण प्रणाली की स्थापना संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गैस वितरण प्रणाली कब तक कार्य करने लगेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गाजियाबाद के आस-पास औद्योगिक इकाइयों को 0.23 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आबंटित की गई है। आगरा और फिरोजाबाद के आस-पास की औद्योगिक इकाइयों के लिए 0.6 एम.एम.एस.सी.एम.डी. का आबंटन किया गया है।

(ख) गाजियाबाद की इकाइयों को गैस की आपूर्ति की जा रही है। आगरा और फिरोजाबाद में उद्योगों को गैस की आपूर्ति 1997 में आरम्भ किए जाने की आशा है।

(ग) कानपुर, खुर्जा और नोएडा क्षेत्रों में कोई आबंटन नहीं किया गया है,क्योंकि उपलब्ध गैस का पूर्णतः आबंटन किया जा चुका है।

श्रीलंका से तमिल शरणर्थियों का आगमन

2213. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका की सेनाओं द्वारा सैनिक कार्रवाई तेज किए जाने के कारण तमिल शरणार्थियों के श्रीलंका से भारत आने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) श्री लंकाई सेना के आपरेशनों में वृद्धि के कारण अभी तक किसी शरणार्थी के श्रीलंका से भारत पहुंचने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा, इस बारे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए तटवर्ती जिलों के जिला कलक्टरों को सतर्क कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला खनन क्षेत्र में चीन से सहायता

2214 **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के क्षेत्र में चीन से वित्तीय और तकनीकी सहायता लेने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई चर्चा हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयले पर इन्डो-चीन कार्यकारी दल की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि. ने चीन राष्ट्रीय कोयला खनन इंजीनियरी उपकरण दल निगम के साथ लांगवाल उपकरणों के 2 सेटों और एक ट्रंक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम की खरीद किए जाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। कोल इंडिया लि. के मामले में चीन की कोयला खनन इंजीनियरी (ए.एम.ई.) के साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 4 भूमिगत परियोजनाओं में लागंवाल की स्थापना, आपूर्ति तथा चालू किए जाने के मसौदा संविधा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

चीनी सहायता के लिए विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों में, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल है। कठिन स्ट्रार्टा परिस्थितियों के अंतर्गत यंत्रीकृत रूप में लांगवाल खनन का किया जाना, खान संबंधी निर्माण कार्यों, जैसे शाफ्ट सिकिंग किया जाना, वाशरी का निर्माण तथा ब्रिकेट, आदि के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाना।

[अनुवाद]

संपीड़ित प्राकृतिक गैस

2215. **श्री मोहन रावले :**
श्री बल्लभ पाणिग्रही :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के सभी विभागों को यह सुझाव दिया है कि वे अपने वाहनों की संचालन प्रणाली को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करके परिवहन प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुझाव के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कितने वाहनों की संचालन प्रणाली को संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित प्रणाली में परिवर्तित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों से कहा गया है कि वे अपनी स्टाफ कारों का प्रचालन सी.एन.जी. से करने के लिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से रूपान्तरित करें।

(ग) और (घ) कई एक सरकारी विभागों ने सकारात्मक उत्तर दिया है और सरकार ने आरम्भ में विभिन्न विभागों की 200 पेट्रोल चालित गाड़ियों को सी.एन.जी. पर चलाने के लिए रूपान्तरित करने की एक योजना बनाई है। रूपान्तरण कार्यक्रम 21 अगस्त, 1995 से आरम्भ होगा।

विदेशों से धन राशि प्राप्त करना

2216. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक स्वयंसेवी संगठन अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के नाम पर विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं और इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिये नहीं कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

न्यायमूर्ति वर्मा आयोग

2217. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राजीव गांधी की हत्या के विभिन्न पहलुओं की जांच करने वाले न्यायमूर्ति वर्मा आयोग और न्यायमूर्ति जैन आयोग द्वारा जांच कार्य को पूरा किए जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा कितनी है और इस पर आने वाला खर्च कितना है; और

(ख) विभिन्न पहलुओं के लिए अलग-अलग आयोगों के गठन के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्मा आयोग और जैन आयोग पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

(1) वर्मा आयोग

(मई 1991-जून 1992) 29,06,638 रुपये

(2) जैन आयोग

(अगस्त 1991-जुलाई 1995) 1,12,03,010 रुपये

(ख) षड्यंत्र रचने से संबद्ध पहलुओं को जांच में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा वर्मा आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के निर्णय के परिणामस्वरूप इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की राय में जांच और षडयंत्र रचने से संबंधित मामलों, जो कि आपराधिक आरोप की विषयवस्तु हो सकती है, को वर्मा जांच आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर ही रहने दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश के अधीन एक पृथक आयोग गठित करने की सिफारिश की। उपर्युक्त सलाह के अनुसार ही जैन आयोग का गठन किया गया था।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

2218. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान की इण्टर सर्विसेज इन्टेलिजेन्स के हाथ होने के बारे में सरकार को पक्की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के विभिन्न भागों में विद्रोही गतिविधियों में आई.एस.आई. पूरी तरह शामिल थी;

(ग) क्या सरकार के पास उग्रवादियों के आन्दोलन के पीछे तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता लाने संबंधी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने के पक्के सबूत प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (घ) पूर्वोत्तर में कुछ विद्रोही ग्रुपों को कुछ पड़ोसी देशों की धरती से, पाकिस्तानी आई.एस.आई. की सहायता, सुरक्षित शरणगाह, प्रशिक्षण, हथियारों आदि के प्रबंध के लिए, मिलने की सूचना है। इससे पूर्वोत्तर में देश के अन्य भागों की तरह विद्रोह, उग्रवाद एवं आतंकवाद की समस्या को एक नया आयाम मिला है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को जाली पासपोर्टों पर प्रशिक्षण आदि के लिए पाकिस्तान भेजने में पाकिस्तानी आई.एस आई. एजेंट सक्रिय हैं। सरकार के पास ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि पाकिस्तानी आई.एस.आई. पूर्वोत्तर के सभी विद्रोही ग्रुपों को एक साथ मिलाकर संगठित करने के लिए प्रयास कर रही हैं और वह उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए समन्वित कार्रवाई करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। साथ ही साथ सरकार ने पाकिस्तान से-अनेक अवसरों पर कड़े शब्दों में तथा सभी स्तरों पर तोड़-फोड़ और आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर देने के लिए कहा है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन में अन्तर्निहित खतरों के बारे में भी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत करा दिया है। बंगलादेश सरकार का ध्यान भी, बंगलादेश की भूमि/राज्य क्षेत्र से आतंकवादियों/विद्रोही ग्रुपों को मिल रहे समर्थन की ओर खींचा गया है। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि वह आतंकवाद को किसी भी स्रोत से मिल रहे समर्थन का मुकाबला करने और राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

तमिलनाडु में टैलेक्स/फैक्स

2219. **डा. (श्रीमती के.एस. सौन्दरम)** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में कितनी संख्या में टैलेक्स तथा फैक्स कनेक्शन दिए गए;

(ख) क्या 1995-96 के दौरान इन कनेक्शनों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तमिलनाडु में 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रदान किए गए टेलेक्स तथा फैक्स कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	टेलेक्स कनेक्शन	फैक्स कनेक्शन
1993-94	267	522
1994-95	71	564

(ख) जी हां।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1995-96 के दौरान टेलेक्स तथा फैक्स कनेक्शनों के विस्तार का कार्यक्रम

तिरुप्पुर : मौजूदा 650 लाइनों के टेलेक्स कन्सेन्ट्रेटर का 850 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

मदुरै : 280 लाइनों के आई.टी.ई. एक्स के स्थान पर 300 लाइनों का टेलेक्स कन्सेन्ट्रेटर संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

करूर : 100 लाइनों के आई.टी.ई. एक्स के स्थान पर 150 लाइनों का टेलेक्स कन्सेन्ट्रेटर संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

कोयम्बटुर : 419 लाइनों के एस.एक्स.एस. टेलेक्स के स्थान पर 600 लाइनों का इ.डी.एक्स. संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

कोडइकनाल : 30 लाइनों के नोशनल टेलेक्स के स्थान पर 40 लाइनों को आई.टी.ई.एक्स. संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

कोविलपट्टी : 7 लाइनों के नोशनल टेलेक्स के स्थान पर 40 लाइनों का आई.टी.ई.एक्स. संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

फैक्स कनेक्शन : विभागीय तार घरों में 1995-96 के दौरान 41 फैक्स पी.सी.ओ. प्रदान करने का प्रस्ताव है। निजी फैक्स कनेक्शनों के लिए मांग होने पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिए जाने पर, लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार मंडल कार्यालय

2220. **श्री कांशी राम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार के मंडल कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का गत दो वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में मंडल कार्यालयों की स्थापना किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, दूरसंचार जिला, जिसमें एक से अधिक एस. एस.ए. आते हैं का विभाजन करके मण्डल इंजीनियर के तहत एक नया जिला बनाने के मामले पर तभी विचार किया जा सकता है जब प्रत्येक यूनिट का न्यूनतम कार्य-भार 4550 चालू टेलीफोनों से कम न हो।

(ख) जी हां।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, 24 मामलों में मण्डल कार्यालय खोलने के बारे में संसद सदस्यों से 51 पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) 10 मामलों में मण्डल कार्यालय खोलने के आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 10 मामलों में प्रस्तावों का औचित्य नहीं पाया गया तथा शेष 4 मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

कश्मीर के संबंध में "बी.बी.सी." की रिपोर्ट

2221. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या चरारे-शरीफ दरगाह के संबंध में "बी.बी.सी." की 12 मई, 1995 को प्रसारित कश्मीर संबंधी रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक थी;

(ख) क्या बी.बी.सी. ने इसके लिए क्षमा-याचना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां। बी.बी.सी. वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन न्यूज ने 9 जून 1995 को अपने क्षमायाचना प्रसारण में आगामिक पिक्चर निवेश के कारण उत्पन्न भ्रम के लिए चरार-ए-शरीफ संबंधी रिपोर्ट में चेचन्या में फौजी कार्रवाई के फुटमानों के प्रयोग को उत्तरदायी ठहराया।

[हिन्दी]

प्रसारण संबंधी नियम

2222. **श्री कुन्जी लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण नियमों के अंतर्गत दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की उनके प्रसारण से पूर्व जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान इन नियमों के उल्लंघन संबंधी कुछ मामलों का पता चला है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां। प्रसारण संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रसारण से पूर्व समीक्षा की जाती है।

(ख) प्रसारण संहिता में निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं है :

1. मित्र देशों की आलोचना;
2. धार्मिक एवं सामुदायिक आलोचना;
3. अश्लील अथवा अवमानना संबंधी कोई विषय;
4. हिंसा को भड़काए जाने अथवा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के विरूद्ध कोई कार्यवाही;
5. न्यायालय की मानहानि संबंधी कोई कार्यवाही;
6. राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा न्यायपालिका की निष्ठा के विरुद्ध किसी प्रकार की निंदा;
7. किसी राजनैतिक दल पर नाम से आक्षेप;
8. किसी राज्य अथवा केन्द्र की कटु आलोचना;
9. संविधान का निरादर दर्शाने वाली कोई कार्यवाही अथवा हिंसा से संविधान में परिवर्तन का समर्थन करने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रतिबन्धित न किया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का निष्पादन

2223. **श्री विजय कुमार यादव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसा की गई योजनाओं के निष्पादन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के अनेक जिलों में योजना के निष्पादन में काफी विलंब हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) योजना की शर्त यह है कि योजना के अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य इस प्रकार के होने चाहिए जो कि एक अथवा दो कार्यशील मौसमों में पूरे किये जा सकते हों तथा जिनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।

(ग) कुछ सांसदों से बिहार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) से (च) योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार ने जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं।

विदेशी प्रसारण

2224. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत से संबंधित समाचारों पर, जो विदेशों द्वारा प्रसारित किये जाते हैं, निगरानी रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से एशियाई और अन्य दूरस्थ देश भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विरुद्ध ऐसा दुष्प्रचार फैलाने में लगे ऐसे देशों के नाम क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशावाणी की केन्द्रीय मॉनीटरिंग सेवा द्वारा 26 देशों द्वारा 13 भाषाओं में प्रसारित समाचार बुलेटिनों की मॉनीटरिंग की जाती है।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान पाकिस्तानी इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रसारण में भारत विरोधी प्रचार एक नियमित लक्षण रहा है।

(ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचार बुलेटिनों एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से तथ्यों को उनके समुचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का सतत् आधार पर प्रयास करता है।

पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2224. **श्री रामपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कहां-कहां 1992-93 और 1993-94 के दौरान डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए थे;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना

करने हेतु वर्ष 1995-96 के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) डीजल के इन खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना कब तक कर दिए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 85 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप में आरम्भ की गई थी।

(ख) से (ङ) व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें इसके ग्रामीण क्षेत्र की सम्मिलित हैं, खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में 172 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित की गई हैं। डीलरों का चयन स्थानों के संबंध में विज्ञापन तथा उत्तर प्रदेश के लिए गठित तेल चयन बोर्ड द्वारा डीलरों के चयन से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। डीलरशिप आरंभ करने के संबंध में विज्ञापन की तारीख से सामान्यतया 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

कृषि दर्शन कार्यक्रम

2226. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार "कृषि दर्शन" कार्यक्रम को किसानों के लिए और अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन के सभी प्रमुख केन्द्र सप्ताह में पांच दिन 60 मिनट के कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली के घरेलू कार्य को अब उन बाहरी निर्माताओं द्वारा पूरा किया जा रहा है जिन्हें प्रायोजकता आधार पर प्रति सप्ताह दो कार्यक्रम तैयार करने की अनुमति दी गई है।

प्रसारण क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय

2227. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू योजना के दौरान सूचना, प्रचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए कुल कितना योजना परिव्यय मंजूर किया है; और

(ख) उक्त क्षेत्रों में अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान सूचना, प्रचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए 3634.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के योजना परिव्यय को मीडिया-वार आबंटित किया जाता है। इसलिए, उपयोग के ब्यौरे भी मीडियावार और वर्षवार रखे जाते हैं। 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि परिव्यय का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है, इसलिए राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्र. सं.	मीडिया एकक का नाम	8वीं योजना 92-97 अनुमोदित परिव्यय	1992-93		1993-94		1994-95*	
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	अंतिम अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. प्रसारण मीडिया							
	आकाशवाणी	1134.95	225.00	114.60	203.00	145.43	132.32	131.23
	दूरदर्शन	2300.00	265.16	176.25	170.00	168.22	256.00	256.93
	योग	3434.95	490.16	290.85	373.00	313.65	388.32	388.16
	II. सूचना मीडिया							
1.	पत्र सूचना कार्यालय	14.00	2.00	0.36	1.44	0.38	1.50	1.95
2.	प्रकाशन विभाग	2.50	0.64	-	0.30	0.08	0.30	0.26
3.	वि. एवं दृ. प्रचार निदेशालय	5.00	0.68	0.50	0.30	0.29	0.30	1.19
4.	गीत और नाटक प्रभाग	10.00	1.85	0.77	1.10	1.35	1.40	1.90
5.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	11.00	2.35	1.00	0.97	0.84	1.00	1.63
6.	फोटो प्रभाग	4.00	1.20	0.17	0.57	0.12	1.00	0.56
7.	भारतीय जनसंचार संस्थान	7.00	0.50	0.44	0.70	0.55	1.10	1.25
8.	भा.के.स. पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	0.50	0.28	0.34	0.05	0.07	0.05	0.07
9.	सूचना भवन	11.20	3.45	0.72	0.39	0.25	0.80	0.17
10.	मुख्य सचिवालय	10.20	0.05	0.02	4.54	0.01	4.00	2.57
	योग	75.40	13.00	4.32	10.36	3.94	11.45	11.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III. फिल्म मीडिया							
1.	फिल्म प्रभाग	34.00	6.37	2.52	4.32	1.65	3.00	3.76
2.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	6.00	1.20	0.78	0.52	0.62	0.90	1.09
3.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता	29.50	11.00	0.35	5.68	-	5.68	2.09
4.	भा. फि. और टे.संस्थान, पुणे	8.00	1.00	1.00	0.65	0.75	5.50	5.50
5.	रा.बा. एवं यु. चलचित्र केन्द्र	10.00	1.20	1.17	1.40	1.11	1.50	1.10
6.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	20.00	6.84	5.33	6.50	4.50	5.80	8.00
7.	फिल्म समारोह निदेशालय	15.00	2.00	3.60	2.44	2.54	3.00	2.92
8.	फिल्म सोसाइटी निदेशालय	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	1.00	0.20	0.17	0.10	0.15	0.12	0.12
	योग	123.65	29.84	14.95	21.64	11.35	25.53	24.61
	कुल योग (सूचना और फिल्म मीडिया)	199.05	42.84	19.27	32.00	15.29	36.98	36.16
	कुल योग	3634.00	533.00	310.12	405.00	328.94	425.30	424.32

* सभी संस्थापनाओं एवं केन्द्रों से अंतिम आंकड़ों की प्राप्ति के लम्बित होने के कारण 1994-95 के लिए वास्तविक व्यय के ब्यौरे अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

2228. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में अलग-अलग कोयले का कितनी मात्रा में और कौन-कौन सी किस्म का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या अच्छी किस्म का कोयला घटिया किस्म के कोयले की दर पर बेचा गया था;

(ग) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(च) वर्ष 1994-95 के दौरान कोयले के उत्पादन से सरकार को प्राप्त राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में कोयले का उत्पादन 1994-95 के दौरान क्रमशः 75.34 मि. टन (अनंतिम) और 75.26 मि. टन (अनंतिम) हुआ। बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में कोककर तथा अकोककर किस्म के दोनों तरह के कोयले का उत्पादन किया जाता है।

(ख) से (ङ) कोयले की बिक्री कोयलियरी के अधिसूचित ग्रेड की घोषित कीमत पर बिक्री की जाती है। किन्तु, भारत कोकिंग कोल लि. के एक मामले में जो कि ध्यान में लाया गया है, जहां कि कोयले की भारतीय कीमत अधिसूचित कीमत से कम पाई गई है। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई इस प्रयोजन के लिए शुरू की गई जांच के परिणामों पर निर्भर करती है।

(च) कोयले की बिक्री से केन्द्रीय सरकार को, कोयले के उत्पाद शुल्क के माध्यम से प्राप्त राजस्व को छोड़कर, सीधे रूप से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। वर्ष 1994-95 के दौरान (दिसम्बर, 1994 तक) कोयले के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क के रूप में 68.54 करोड़ की राशि संग्रहण की गई है।

[अनुवाद]

विपणन नीति का विकास

2229. **श्री बलराज पासी :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विपणन नीति विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विपणन नीति संबंधी कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मूल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के लिए दूरसंचार विभाग को तैयार करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है। समिति को दिए गए विचारार्थ विषय में एक विषय यह है कि मौजूदा और नई सेवाओं के लिए विपणन-नीतियों में अपेक्षित परिवर्तनों को सुझाव दिया जाए। इस उच्च-शक्ति समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

(घ) समिति के विचारार्थ-विषयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति को इस काम के लिए तीन माह का समय दिया गया है और इसने अभी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

1. दूरसंचार विभाग की स्थिति की जांच करना और यह सुझाव देना कि इसका उन्नयन कैसे किया जा सकता है, ताकि यह प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके।
2. यह जांच करना कि दूरसंचार विभाग को किस तरह से और ज्यादा कार्यकुशल बनाया जा सकता है और निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित परिवर्तन संबंधी सुझाव देना :
   (i) दूरसंचार विभाग की कार्यविधियां।
   (ii) अपेक्षित प्रौद्योगिकीय परिवर्तन।
   (iii) मौजूदा तथा नई सेवाओं के लिए विपणन नीतियां
   (iv) शक्तियों का प्रत्यायोजन।
3. निम्नलिखित के संदर्भ में यह जांच करना कि दूरसंचार विभाग उपभोक्ताओं के साथ और ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकात कैसे कायम कर सकता है।
   (i) कार्यविधियां और नियम।

(ii) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा और कर्मचारियों में जागृति।

(iii) प्रशिक्षण।

4. यह जांच करना कि दूरसंचार विभाग के कार्य-निष्पादन में किस प्रकार सुधार लाया जाए और तत्संबधी सुझाव देना, ताकि विभाग के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और स्तर निजी प्रचालकों के लिए निर्धारित गुणवत्ता और स्तर के समकक्ष हों।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

2230. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस खोजने का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है;

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु वर्ष 1995-96 में क्या लक्ष्य, अलग-अलग निर्धारित किया गया है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य में से अब तक कितने प्रतिशत की उपलब्धि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. कुछ वर्णित तेल वसूली योजनाओं को प्रायोगिक चरण से बढ़ाकर पूर्ण स्तरीय क्षेत्रीय उपयोग तक करना।
2. एक्सटेंडेड रीच, क्षैतिज तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करना।
3. जहां आवश्यक हो वहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।
4. नयी परियोजनाओं/योजनाओं को क्रिगान्वित करना।
5. विकास एवं इनफिल कूपों का वेधन तथा उनसे यथासंभव शीघ्रतम अवधि में उत्पादन आरम्भ करना।

(ख) मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों में अवस्थित 2 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए निजी कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन तथा गैस की आपूर्तियों का लक्ष्य तथा कुल लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

	लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल - जून) वास्तविक	प्रतिशत
कच्चा तेल (मि.मी.ट.)	37.24	8.86	23.8
गैस की आपूर्ति (एम.एम.एस.सी.एम.)	17870	4432.01	24.8

[अनुवाद]

नितांत गरीबी

2231. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की नीतियां आरम्भ करने के बाद सरकार ने देश में "नितांत गरीबी" में वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो 1991 के बाद से "नितांत गरीबी" की वार्षिक वृद्धि/ह्रास दर क्या है;

(ग) क्या नई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप सूक्ष्म (माइको) आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा जारी किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित पंचवार्षिक सर्वेक्षण (विस्तृत आकार के प्रतिदर्श के आधार पर) आकंड़ों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी के मामलों का अनुमान लगाता है। पिछला पंचवार्षिक सर्वेक्षण 1987-88 में किया गया था। जुलाई, 1993 से जून, 1994 तक की अवधि से सम्बन्धित अगले पंचवार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) नई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप असमानताएं बढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं है। बहरहाल, सरकार ने गरीबों के लाभ के लिए हाल के वर्षों में कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास और ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय योजना व्यय जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में 1991-92 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (संशोधित अनुमान)

में 1.2 प्रतिशत हो गया है। गरीबी विरोधी कार्यक्रमों सहित ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में 1994-95 (बजट अनुमान) में पिछले दो वर्षों में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 7000 करोड़ से अधिक थी।

गुजरात के लिए नई औद्योगिक योजनाएं

2232. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई नई योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई योजना अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक मंजूर हो जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) गुजरात राज्य सरकार के आठवीं योजना दस्तावेज के अनुसार राज्य की आठवीं योजना में कोई नई औद्योगिक स्कीम शामिल नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोपेश्वर में आकाशवाणी केन्द्र

2233. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में गोपेश्वर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। गोपेश्वर में एक रेडियो केन्द्र स्थापनाधीन है और इसे मार्च, 96 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है, बशर्ते आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

पूंजी निवेश प्रस्ताव

2234. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक नीति के उदारीकरण के पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूंजी निवेश के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे पूंजी निवेश प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) प्रस्ताव अनुमोदन/संपूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं में हैं मार्च, 1996 तक अनुमोदनों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम व पता	आवेदन की तारीख	गतिविधि	कुल निवेश (रुपये लाखों में)	क्षमता	वर्तमान स्थिति
	I. 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयां					
1.	मै. पी.ई. मैरीन वैंवर्स (इंडिया) लि. मद्रास	3.9.92	जीवित झिंगा मछली	113.40	47 टन	अस्वीकृत
2.	मैं. प्रसांथ कुमार, केरल	17.6.92	समुद्री मछली की प्रोसेसिंग	725.00	750 मी. टन	अस्वीकृत
3.	मै. अंडमान फिशरीज लि. पोर्ट-ब्लेयर	17.6.92	फ्रोजन मछली की प्रोसेसिंग	210.00	1000 मी. टन	पूर्ण होने के करीब
4.	मैं अंडमान ओशियन प्राडक्ट्स प्रा. लि., मलेशिया	21.7.93	सुखाया गया शार्क का भोजन, सेमी प्रोसेस्ड शार्क फिंस	80.00	1400 टन	अनुमोदित परन्तु कार्य अभी आरम्भ होना है।
5.	मै. अंडमान ओशियन फार्मिंग एक्सपोर्ट लि., केरल	16.10.93	समुद्रीय मछली	725.00	750 मी. टन	परियोजना विचाराधीन
6.	मै. ब्योयान्सी, नई दिल्ली	22.4.96	समुद्री ब्रीम (सौरास ओराटा)	1027.68	600 मी. टन	परियोजना विचाराधीन
7.	मै. समुद्र मैरीन फार्म्स लि., मद्रास	09.5.94	भारतीय फिन-फिश का कल्चर	625.00	500 टन	परियोजना विचाराधीन
8.	मै. मिलपी कंस्ट्रक्शन कांट्रेक्टर्स, कोचीन	11.8.93	गिल्ट हैड सी-ब्रीम का कल्चर	600.00	450 टन	मुकदमा आधीन
	II. औद्योगिक उद्यमी मेमोरैण्डा					
9.	मै. वेदपाल गुप्ता, नई दिल्ली	3.9.91	रिफाईन्ड तेल का साल्वेट निकालना	390.00	140 टन	पार्टी ने इकाई स्थापित करने के लिए कोई प्रभावकारी उपाय नहीं किए हैं
10.	मै. वेदपाल गुप्ता, नई दिल्ली	4.9.91	पशु वसा और वनस्पति घी का उत्पादन	450.00	30,000 टन	-वही-
11.	मै. एशियन कैन लि., ओखला, नई दिल्ली	21.2.92	होटल और पर्यटन संबंधित गतिविधियां	1850.00	–	-वही-
	III. अन्य					
12.	श्री टी. रथीनराज, इटली (एन.आइ.आई.)	12.1.95	बीच रिसार्ट का बनाना	325.00	–	अनुमोदित

अर्द्ध-सैनिक बल

2235. **श्री जगबीर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में अर्द्ध-सैनिक बलों में कुछ भर्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान ये भर्ती शिविर किन-किन स्थानों पर लगाए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1995-96 के दौरान हरियाणा में होने वाली भर्तियों के कार्यक्रम/प्रस्ताव का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा, अम्बाला भानु, भोंडसी, चरखीदादरी, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूह, पानीपत, रामगढ़, रोहतक तथा सोनीपत से भर्तियां की गई थीं।

(घ) बलों द्वारा भर्ती की योजनाएं, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में तैयार की जाती हैं। अभी तक, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा गुड़गांव से क्रमशः जुलाई तथा अगस्त, 1995 में तथा असम राईफल द्वारा अगस्त, 1995 में चरखीदादरी से भर्तियां की गई हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देना

2236. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कितने नए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : पिछले तीन वर्षों के दौरान 33214 टेलीफोन कनेक्शन अग्रता आधार पर स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं

2237. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी केन्द्रीय परियोजनाओं को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक लम्बित परियोजना की अनुमानित लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इन परियोजनाओं पर कितना अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है; और

(ङ) ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रबोधित रु. 20 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के ब्यौरे पर आधारित, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 का विवरण निम्न प्रकार है :

	सम्पूर्ण होने वाली परियोजनायें	स्थिति
1992-93	1. ककरी ओपेन कास्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लि.	पूर्ण
	2. लखनऊ-कानपुर, दोहरी की जाने वाली रेलवे लाइन	पूर्ण
	3. इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम, आई. टी.आई., मनकापुर	पूर्ण
1993-94	4. दादरी गैस पावर प्राजेक्ट, एन.टी. पी.सी.	पूर्ण
	5. रामपुर-बरेली दोहरी की जाने वाली रेलवे लाइन	विलम्बित
	6. रामपुर-न्यू हलद्वानी नई लाईन	पूर्ण
1994-95	7. प्रापीलीन रिकवरी मथुरा, भारतीय तेल निगम	विलम्बित
	8. एन.सी.आर.टी.पी.पी., एन.टी.पी.सी.	पूर्ण
	9. आप्टिकल-फाइबर प्राजेक्ट, हिन्दुस्तान केबल्स लि.	पूर्ण
	10. बगासे बेस्ड न्यूजप्रिन्ट, एन.एल.	निजी क्षेत्र में हस्तांतरित
	11. अंतरंग और बहिरंग गियर सिस्टम का बदलना .	विलम्बित
	12 डिजिटल एक्सचेंज, मैक्स-1, दूर संचार विभाग	विलम्बित

(ख) से (ङ) 1993-94 और 1994-95 की पिछड़ी हुई परियोजनायें, विलम्ब के कारणों, 1 अप्रैल, 1995 तक हुए व्ययों तथा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उठाये गये ठोस कदमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

. उत्तर प्रदेश में 1993-94 तथा 1994-95 से पिछड़ी 20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजना

1.4.1995 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	लागत (करोड़ रु. में)			शुरू करने की तिथि				
			मूल	नवीनतम अनु.	अब प्रत्याशित	मूल	नवीनतम अनुमोदित	अब प्रत्याशित	1.4.95 तक व्यय (करोड़ रु. में)	विलम्ब के कारण तथा संचयी पूरी करने के लिए उठाए गए कदम
क्षेत्र : कोयला										
1.	ओबीआर जयन्त ओपन कास्ट	एन.सी.एल.	41.26	41.26	41.26	94/03	94/03	96/03	29.77	यह एक पूरी की गई परियोजना है। विद्यमान परियोजना का वर्तमान अत्यधिक कार्य हटाया जाना निर्धारित है।
क्षेत्र : पेट्रो एवं प्राकृतिक गैस										
2.	परोपलेन रिकवरी मथुरा रिफाइनरी	आई.ओ.सी.	47.53	47.53	47.53	94/04	94/04	95/07	22.40	देर से शुरू। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से आपूर्तियों को शीघ्र प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
क्षेत्र : रेलवे										
3.	रामपुर-बरेली, उ.रे.	डबलिंग	50.57	50.57	59.21	94/03	94/03	96/03	47.63	संसाधनों की कमी से विलम्ब वर्तमान कार्य की प्रगति की रेंज 73 प्रतिशत है। रेलवे मंत्रालय को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है।
4.	आई/ओ गियर्स	एस. एंड टी.	28.27	28.27	28.72	93/03	93/03	95/05	25.89	धीमी प्रगति। रेलवे मंत्रालय को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है।
क्षेत्र : दूर-संचार										
5.	मैक्स-1 डिजिटल एक्स., मेरठ की स्थापना	डी.ओ.टी.	20.57	20.57	20.57	94/09	94/09	95/06	0.00	अभी नहीं लिया गया है। दूर-संचार विभाग को जल्दी शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण

2238. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण संबंधी मार्ग-निर्देशों में हाल में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिए गुजरात को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 से होस्टल भवन की लागत जिसके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई हो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों की गणना की जानी चाहिए। तथापि, जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लोक निर्माण विभाग के साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दोनों की ही दरों का अनुसरण कर रहे हों लागत की गणना दो दरों में से कम लागत वाली दर के अनुसार जानी चाहिए। जहां केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दरों का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां केन्द्रीय और निर्माण विभाग की दरें लागू होगीं। लागत पर कोई सीमा नहीं है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार को वर्ष 1994-95 में प्रदान की गई धनराशि इस प्रकार है :

(1)	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास	99.32 लाख
(2)	अनुसूचित जाति की लड़कियों के छात्रावास	10 छात्रावास
(3)	अनुसूचित जनजाति के लड़कों का छात्रावास	6.44 लाख 3 छात्रावास
(4)	अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिए छात्रावास	4.73 लाख रु. 3 छात्रावास

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना एक सतत योजना है जिसके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति के लिए अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ये प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदंडों के अनुसार इनकी जांच की जाती है।

रसोई गैस की कमी

2239. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :
श्री पंकज चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में रसोई गैस की उपलब्धता में भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था अथवा कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर, नए संयंत्र लगा कर तथा अधिक आयात के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि करके एल.पी.जी. की अधिक उपलब्धता हेतु योजनायें तैयार की गई हैं। एल.पी.जी. के लिए नई आयात सुविधायें कांडला तथा मंगलौर में निर्माणाधीन हैं, जिनके अक्टूबर, 1996 तक आरंभ हो जाने की आशा है। इससे बढ़ाये गये आयात के माध्यम से एल.पी.जी. की उपलब्धता में वृद्धि होगी। और अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकारी तेल कंपनियों द्वारा नए भरण संयंत्र तथा अधिक संख्या में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जा रही हैं। सन् 2001 तक सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची को निपटा लिए जाने की आशा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से जो कुछ उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त देश में एल.पी.जी. की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने, फरवरी, 1993 में निजी एजेंसियों द्वारा एल.पी.जी. के आयात तथा बिक्री को अनुमति देने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

किशोर अपराधी

2240. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किशोर अपराधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उन बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अपराध

अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई अद्यतन सूचना के अनुसार, देश में 1993 के दौरान रिकार्ड किए गए 20,067 किशोर अपराधी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किशोर अपराधियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए किशोर खतरनाक अपराधी न हो जाएं, भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में अपचारी बालकों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई है। यद्यपि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है, फिर भी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती उपाय के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेक्षप गृहों/उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्रों के लिए तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1986-87 से इस मंत्रालय द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। घटकों पर व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य बराबर रूप से बांटा जाता है। भारत सरकार अधिनियम में परिकल्पित अवसंरचन के सृजन/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

1993 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार किशोर अपराधों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किशोर अपराधों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1244
2.	अरुणाचल प्रदेश	24
3.	असम	268
4.	बिहार	2907
5.	गोवा	53
6.	गुजरात	2670
7.	हरियाणा	222
8.	हिमाचल प्रदेश	67
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	480
11.	केरल	86
12.	मध्य प्रदेश	2767
13.	महाराष्ट्र	3178
14.	मणिपुर	18
15.	मेघालय	105
16.	मिजोरम	39
17.	नागालैंड	32
18.	उड़ीसा	139
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	726
21.	सिक्किम	14
22.	तमिलनाडु	4566
23.	त्रिपुरा	11
24.	उत्तर प्रदेश	154
25.	पश्चिम बंगाल	34
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4
27.	चण्डीगढ़	10
28.	दादर एवं नागर हवेली	2
29.	दमन और दीव	6
30.	दिल्ली	265
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	15
	कुल	20067

[अनुवाद]

ईसाई संगठनों को विदेशी सहायता

2241. **श्री के. प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई ईसाई संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को विदेशों से कितनी सहायता मिली है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों के नियमों व कानूनों की अवेहलना के कितने मामले प्रकाश में आये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) समुदाय-वार आकंड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 1.4.1992 से 31.3.1995 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के 10 संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

अपर कृष्णा परियोजना

2242. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक के लिए विश्व बैंक की कुल कितनी सहायता धनराशि का उपयोग कर लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-1 के संशोधित अनुमान को 1214.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1990 में निवेश स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वर्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस पर 1347.40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और 1.81 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(घ) विश्व बैंक ने अपर कृष्णा परियोजना के चरण-1 के लिए 236.60 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल राशि की प्रतिपूर्ति की है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

2243. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान बम्बई हाई और असम के तेल क्षेत्रों में कितनी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ; और

(ख) इस संबंध में वर्ष 1995-96 हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में बम्बई हाई और असम के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार हुआ था :

वर्ष	तेल उत्पादन (एम.एम.टी.)	गैस उत्पादन (एम.एम.एस.सी. एम.डी.)
1993-94		
बम्बई हाई क्षेत्र	15.38	36.59
असम	5.09	5.42
1994-95		
बम्बई हाई क्षेत्र	20.23	38.88
असम	5.05	5.23

(ख) 1995-96 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बनाई गई योजनाएं निम्नानुसार है :

(1) वर्धित रीच डिलिंग हारीजेंटल और ड्रेन होल, ड्रिलिंग जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

(3) नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(4) विकास और इनफिल कूपों का वेधन और उनसे उत्पादन आरंभ करना।

(5) कृत्रिम लिफ्ट, अतिरिक्त वर्क ओवर, कूप उद्दीपन आदि।

गुजरात में एस.टी.डी.पी.सी.ओ.

2244. **श्री महेश कनोडिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में विभिन्न स्थानों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ आबंटित किए जाने के लिए कोई विज्ञापन दिए गए थे;

(ख) क्या ये बूथ अभी तक आंबटित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये बूथ कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूंचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आवंटित धन राशि

2245. **श्री राम नगीना मिश्र : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इसमें से कश्मीर के अल्पसंख्यकों की सहायता हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए व्यय के गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्रमशः 61.17 लाख रुपये, 91.00 लाख रुपए और 110.00 लाख रुपये (संशोधित अनुमान) आबंटित किए गए हैं।

यह आयोग, अल्पसंख्यकों को कोई सहायता प्रदान करने की कोई प्लान योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस आयोग का क्षेत्राधिकार का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य तक नहीं है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों के लिये आवास

2246. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के लिये आवास बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने श्रमिकों को लाभ मिलने का अनुमान है;

(ग) क्या इस संबंध में आवास और शहरी विकास निगम से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आवास और शहरी विकास निगम ने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से उपलब्ध संसाधनों और हुडकों से ऋण सहायता वाराणसी से हथकरघा बुनकरों के लिए मकान एवं कार्य शैड निर्माण हेतु एक परियोजना तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार परियोजना की समन्वय किया है। इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित की जाएगी।

(ख) इससे लगभग 2000 हथकरघा बुनकरों और उनके परिवारों को लाभ होगा।

(ग) हुडको इस परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है।

(घ) हुडको द्वारा उस परियोजना के लिए लगभग 5.00 करोड़ रु. का ऋण दिया जाना है, जो उनके द्वारा डिजाइन की जानी है तथा उचित सामग्री/प्रौद्योगिकी के सुझाव इनमें शामिल किए गए हैं।

(ङ) सरकार इस परियोजना में आयोग द्वारा की गई पहल को प्रोत्साहित करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ होगा।

विभागेत्तर कर्मचारी

2247. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री के. मुरलीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में इस समय कुल कितने विभागेत्तर कर्मचारी कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार को अधिक वेतनों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक विभाग में, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की कुल संख्या 307466 है।

(ख) से (घ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को मिलने वाले भत्तों में परिवर्तन करने के लिए फेडरेशनों/यूनियनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवे वेतन आयोग के गठन के परिणामस्वरूप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अतिरिक्त विभागीय डाक प्रणाली पर न्यायमूर्ति तलवार समिति का गठन कर दिया है। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन ढांचे की जांच करना और उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश भी शामिल है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों पर डाक-टिकट

2248. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में डाक टिकट-जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में एक डाक-टिकट जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 143।

(ख) और (ग) वीर चन्द सिंह गढ़वाली पर दिनांक 23.04.1994 को एक डाक-टिकट जारी किया गया है।

[अनुवाद]

भगीरथ पत्रिका का प्रकाशन

2249. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रैमासिक पत्रिका (भगीरथ) के प्रकाशन का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या उक्त पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) भगीरथ त्रैमासिक पत्रिका (हिंदी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करने के उद्देश्य ये हैं :

(1) जल संसाधनों के विकास जैसे सिंचाई, बाढ़, नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत, जल प्रबंध क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और

(2) जल संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं, उपलब्धियों व वर्तमान गतिविधियों को संसद सदस्यों, राज्य विधायकों तथा सामान्यतः आम जनता के ध्यान में लाना।

(ख) से (घ) भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में विभिन्न कारणों से मुख्य रूप से मुद्रण में देरी होने की वजह से इसके अंक समय पर निकालने में कुछ विलंब हुआ है। भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को इसके अंक शीघ्र प्रकाशित करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

2250. **श्री अनिल बसु :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का नाम क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) देश में राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण कुछ सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 8वीं योजना के दौरान राज्यों को एक विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार था। योजना आयोग ने संसाधन बाधाओं के कारण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और सुझाव दिया कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले पर पहले राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर लिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा सिंचाई क्षेत्र के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन उपलब्धता में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। तदनुसार संबंधित राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें आयोजित की गयी। राज्य सरकारें अपनी योजना निधि के किसी भी भाग को निर्धारित करने अथवा उसको अलग रखने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

विवरण

राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय योजना से वित्त पोषण का प्रस्ताव

(करोड़/लाख रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सम्मिलित देश/राज्य	जिस योजना में प्रारंभ की गई	अनुमोदन की स्थिति	वित्तीय स्थिति					क्षमता	
					अद्यतन लागत (1990-91)	आगे लाई गई लागत	7वीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय			चरम	हासिल किए जाने वाला शेष
							केंद्रीय योजना	राज्य योजना	कुल		
(क) अंतर्राष्ट्रीय परियोजना											
1.	पश्चिमी कोसी नहर	भारत (बिहार)	III		340.60	158.07	50.00	150.00	200.00	2.09	1.43
		नेपाल			60.52					0.27	
(ख) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं											
1.	तुगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (चरण II)	आंध्र प्रदेश	III		110.70	24.76	10.00	20.00	30.00	0.90	0.44
		कर्नाटक	वा.यो. (66–69)		27.58	10.01	5.00	10.00	15.00	0.81	0.13
2.	गुड़गांव नहर	हरियाणा	III		40.41	19.64	8.00	18.00	26.00	0.81	0.20
		राजस्थान	III		30.55	15.49	7.00	12.00	19.00	0.28	0.12
3.	बाणसागर	बिहार	V		64.23	8.92					
		मध्य प्रदेश	V		851.26	675.58				2.49	2.49
		उत्तर प्रदेश	V		298.85	249.93				1.34	1.34
4.	राजघाट	मध्य प्रदेश	V		413.30	321.72	98.00	224.00	322.00	1.17	1.17
		उत्तर प्रदेश	V		209.66	102.49	20.00	82.00	103.00	1.42	1.42
5.	सरदार सरोवर	गुजरात	VI		4655.52	4076.81				17.92	17.92
		राजस्थान	VI	अ.न.	54.80	52.37				0.73	0.73
6.	सुवर्णरेखा	बिहार	V	अ.न.	1270.00	809.86	100.00	400.00	500.00	2.09	2.00
		उड़ीसा	VI	अ.न.	488.88	373.57	50.00	200.00	250.00	1.57	1.57
		पश्चिम बंगाल	VII								

7.	सतलुज यमुना	पंजाब	VI		76.00	48.00	*			1.30	1.28
	संपर्क वाहक नहर	हरियाणा	V		456.00	121.16				2.75	2.75
8.	फूलोरतल	मणिपुर	–	अ.न.	270.41	270.41				1.68	1.68
	(तिपाईमुख)	असम	–	अ.न.							
(ग) अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली परियोजनाएं											
1.	इंदिरा गांधी नहर** (चरण-II)	राजस्थान	V		1430.00	985.00				8.10	6.60
2.	तिस्ता बराज (फेज-I) (चरण-I)	पश्चिम बंगाल	V		640.00	310.72	70.00	150.00	220.00	5.27	5.12
3.	बागमती	बिहार	IV		185.70	151.26				1.02	1.02
4.	गेटी	त्रिपुरा	V		31.99	13.55	10.00	15.00	25.00	0.10	0.10
5.	खवाई	त्रिपुरा	VI		40.32	23.68	12.00	20.00	32.00	0.00	0.08
6.	मानू	त्रिपुरा	VI		32.11	20.61	10.00	18.00	28.00	0.08	0.08
(घ) अंतर्राज्यीय पहलुओं वाली परियोजनाएं											
1.	पोलावरम बराज	आंध्र प्रदेश	VI	अ.न.	884.17	883.97	100.00	500.00	600.00	1.89	1.89
2.	नर्मदा सागर	मध्य प्रदेश	VI		2167.67	2151.09	150.00	1100.00	1250.00	1.69	1.69
3.	तेलगु गंगा	आंध्र प्रदेश	VI	अ.न.	899.93	593.57				2.33	2.33
(ङ) राष्ट्रीय महत्व वाली अन्य परियोजनाएं											
1.	अपर कृष्णा	कर्नाटक	IV		1500.00	914.21	50.00	800.00	850.00	4.25	3.13
		कुल					750.00	3730.00	4470.00		

* सतलुज यमुना संपर्क का वित्त पोषण गैर–योजनागत आबंटनों से किया जाता है।

** इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वित्त पोषण सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से किया जा रहा है।

अ.न. – अनुमोदित नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में एस.टी.डी.

2251. **श्री छेदी पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी उप-मण्डलों और तहसील मुख्यालयों को एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कौन से स्थान है, जिन्हें अभी एस.टी.डी. सुविधा के साथ जोड़ा जाना है, और

(ग) उक्त स्थानों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सभी उप-मंडलीय मुख्यालयों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है। बिहार में कोई तहसील नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2252. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को हस्तचालित/क्रास बार से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड तय किए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी हां। तथापि, लक्ष्य संयुक्त रूप से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए है।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) 8वीं योजना के उद्देश्य के अनुसार देश के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में मार्च, 1997 तक एस.टी.डी. सुविधा कराए जाने की योजना है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिला टेलीफोन एक्सचेंजों को मैनुअल/क्रॉस बार एक्सचेंज से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है, उनका जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजो में परिवर्तित किए गए मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में किए गए क्रॉस बार एक्सचेंजों संख्या
		1992-93	
1.	बिलासपुर	1	शून्य
2.	कांगड़ा	2	"
3.	कुल्लू	1	"
4.	मण्डी	3	"
5.	शिमला	5	"
6.	सोलन	1	"
7.	उना	1	"
8.	चंबा	-	"
9.	हमीरपुर	-	"
10.	सिरमोर	-	-
11.	लाहुल स्पीति	-	-
12.	किन्नौर	-	-
		1993-94	
		शून्य	शून्य
		1993-94	
	कुल	14	शून्य

नोट : हिमाचल प्रदेश में कोई क्रॉस बार एक्सचेंज कार्य नहीं क रहा था।

विवरण-II

8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष की अवधि अर्थात 1995-96,1996-97 के दौरान हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्यों का ब्यौरा।

1995-96
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 26,000 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। जिसमें से लगभग 2800 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) भी शामिल हैं।
1996-97
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20,000 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। जिसमें लगभग 3,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) भी शमिल हैं।

[हिन्दी]

धारावाहिकों का निर्माण

2253. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दर्शकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देने हेतु धारावाहिकों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान नेटवर्क के लिए ऐसे कितने धारावाहिकों का निर्माण तथा प्रसारण किया गया और 1995-96 के दौरान ऐसे कितने धारावाहिकों का प्रसारण किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन, कई वर्षों से ऐसे धारावाहिकों के निर्माण को प्रोत्साहन देता रहा है जो हमारी समृद्ध और असीम सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, उदाहरणार्थ : भारत एक खोज, आगरा बाजार, चरित्रहीन घुन्नी, फूलवन्ती, नाटयमूर्ति, भरत नाट्यम, विविधा आदि।

(क) इस अवधि के दौरान ऐसे 14 धारावाहिक प्रसारित किए गए है/वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे हैं। 5 धारावाहिक प्रसारण के लिए तैयार हैं।

परियोजनाओं में लागत वृद्धि

2254. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत, जल-भूतल परिवहन, कोयला, इस्पात, नागर विमानन, रेलवे, पेट्रोलियम और संचार जैसे क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की निर्माण लागत में, इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1995 तक उक्त क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कितनी परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सूची से पीछे चल रही है और इन परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के परिणामस्वरूप इनकी निर्माण लागत में अधिकतम तथा न्यूनतम कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात, विद्युत, भूतल परिवहन, कोयला, इस्पात, नागर विमानन, रेलवे, पेट्रोलियम तथा संचार क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब का मुख्य कारण निर्माण लागत में वृद्धि है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 1995 के अनुसार 334 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी। इनमें से 197 परियोजनाएं अपनी नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के संदर्भ में पीछे चल रही है। इन क्षेत्रों की प्रत्येक परियोजनाओं में लागत वृद्धि की रैंज का विवरण संलग्न है।

विवरण

समय लागत वाली परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि का विस्तार

1.4.1995 के अनुसार

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं में समयवृद्धि सं.	नवीनतम	प्रत्याशित	न्यूनतम तथा अधिकतम लागत वृद्धि की रेंज (%)
1.	नागर विमानन	10	8	301.0	323.6	4–25
2.	कोयला	76	25	3508.5	4129.8	1 – 121
3.	इस्पात तथा लौह अयस्क	13	11	7730.0	10027.8	4 – 182
4.	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	40	16	9639.7	11817.5	1 – 170
5.	विद्युत	42	30	22115.3	33321.8	12 – 355
6.	रेलवे	71	54	9260.5	12434.6	1 – 398
7.	भूतल परिवहन	38	17	1859.3	2292.6	1 – 106
8.	दूर संचार	44	36	1026.9	1026.6	0 – 20
	कुल	334	197	55341.2	75374.3	

[अनुवाद]

बंगलौर दूरदर्शन के पास वीडियो कैमरे

2255. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन के पास वीडियो कवरेज से संबंधित वीडियो कैमरों और अन्य उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वीडियो कैमरों और अन्य उपकरणों की कमी के कारण बंगलौर दूरदर्शन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम की वीडियो कवरेज नहीं कर पाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बंगलौर दूरदर्शन को पर्याप्त संख्या में वीडियो कैमरे तथा अन्य उपकरण कराने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्तमान में, बाध्य कवरेज के लिए दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में 4 कैमरा एवं सहायक उपस्कर सहित एक रंगीन ओ.बी. वैन, विभिन्न प्रकार के 11 ई.एन.जी. कैमरा और 20 सम्पादन वी.सी.आर. उपलब्ध हैं, जो देश में स्थित अन्य प्रमुख केन्द्रों के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक उपस्कर सहित कुछ और कैमरे इस केन्द्र को आपूरित किए जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन

2256. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में, खासकर भुवनेश्वर में टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल व्यक्तियों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं और इसे किस तारीख तक निपटाने का लक्ष्य है;

(ग) चालू वर्ष में किन-किन स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा किन-किन केन्द्रों में अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की जायेगी; और

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर मांग किये जाने पर तत्काल टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.7.1995 की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण उड़ीसा राज्य में प्रतीक्षा सूची में कुल 11495 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के 3783 व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की योजना इस ढंग से तैयार की गई है, ताकि 1995-96 के दौरान भुवनेश्वर को छोड़कर अधिकांश प्रतीक्षा सूची का निपटान किया जा सके।

(ग) ब्यौर संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसार, 1997 तक उड़ीसा सहित संपूर्ण देश में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान दिए जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों को सफल बनाने में निजी क्षेत्र संपूरक के रूप में सहयोग देगा। तदनुसार विकास-योजनाएं बनाई जा रही है।

विवरण-I

क्र.सं.	राजस्व जिले	प्रतीक्षा सूची			
		ओवाईटी	गैरओवाईटी (विशेष)	गैरओवाईटी (सामान्य)	जोड़
1	2	3	4	5	6
	बालासोर	1	17	254	272
	भद्रक	-	-	227	227
	मयूरभंज	-	-	119	119
	फूलबनी	-	-	19	19
	बौध	-	-	-	-
	गजपति	-	-	35	35
	गंजम	-	14	1325	1325

1	2	3	4	5	6
8.	पुरी	-	-	368	368
9.	नयागढ़	-	-	70	70
10.	खुर्दा (बीबीएसई सहित)	-	-	3951	3951
11.	बोलंगीर	-	-	134	134
12.	सोनपुर	-	-	12	12
13.	कालाहांड़ी	-	-	47	47
14.	नुआपाड़ा	-	-	13	13
15.	कटक	-	7	1107	1107
16.	जगतसिंहपुर	-	-	-	-
17.	केन्द्रपाड़ा	-	-	-	-
18.	जाजपुर	-	-	-	-
19.	धेनकनाल	-	-	70	70
20.	अन्नुगुल	-	1	190	191
21.	क्योंझर	-	-	240	240
22.	कोरापुट	-	4	510	514
23.	मल्कानगिरि	-	-	38	38
24.	नवरंगपुर	-	-	110	110
25.	रायगढ़	-	-	188	188
26.	सुंदरगढ़	5	49	1307	1361
27.	संबलपुर	-	26	551	577
28.	देवगढ़	-	-	5	5
29.	बालगढ़	-	-	291	291
30.	झारसुगुड़ा	-	-	190	190
					11495

31.7.1995 की स्थिति के अनुसार, भुवनेश्वर शहर (राज्य की राजधानी) की प्रतीक्षा सूची में 3783 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं (सभी नाम गैर-ओवाईटी (सामान्य) श्रेणी के अंतर्गत हैं)।

विवरण-II

I. 1995-96 के दौरान जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार की योजना बनाई गई है उनके नाम।

क्र.सं.	स्थान का नाम
1	2
1.	राउरकेला (पी)
2.	राउरकेला (टी/एस)
3.	बेरहामपुर
4.	संबलपुर
5.	बुर्ला
6.	बीजेबी नगर (बी.बी.एस.आर.)

1	2
7.	भुवनेश्वर
8.	कटक
9.	बालासोर
10	बारीपाड़ा
11.	पुरी
12.	अस्का
13.	जगतसिंहपुर
14.	भंजनगर
15.	नयागढ़
16.	क्योंझर
17.	धेनकनाल
18.	मालको
19.	जयपुर
20.	केन्द्रपाड़ा
21.	तालचेर
22.	बारगढ़
23.	खुर्दा
24.	राजगंजपुर
25.	करंजिया
26.	सुदरंगढ़
27.	हीराकुंड
28.	छत्रपुर
29.	जयपुर
30.	भद्रक
31.	बोलंगीर
32.	पारीदीपगढ़ (जगतसिंहपुर और जयपुर टाउन से)
33.	तिरतोल
34.	अट्टाबीरा
35.	जोडा- 11 (कोरापुट से)
36.	गुनूपुर (रायगढ़ से)

II. उड़ीसा के उन स्थानों की अनंतिम सूची, जहां न्यूनतम अपेक्षित पंजीकृत मांग होने पर, चालू वर्ष में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है :

1.	वसुन्धरा	चालू हो चुका है
2.	कुछेई	चालू को चुका है
3.	नदियागुरूडी	-वही-
4.	उल्लंदा	
5.	मोटार	
6.	कासीबहल	
7.	बिष्णुपुर	
8.	ठाकुरमुंडा	
9.	नुआपाड़ा	(पी.एच.आई)
10.	सांकरखोले	
11.	सोरम	
12.	नुआपाडा	
13.	खोलन	
14.	खपराखोल	
15.	काउपुर	
16.	महावीर रोड	
17.	इंदीपुर	
18.	चंपई	
19.	काकिरगुमा	
20.	गोबीरा।	

[हिन्दी]

कोयला भण्डार की कमी

2257. **श्री लाल बाबू राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कोयले के भण्डार में कमी पाई गई, कितनी मात्रा को बट्टे खाते के रूप में दिखाया गया है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में कोयले का कोई स्टाक बट्टे खाते नहीं डाला गया है। कोल इंडिया लि. द्वारा वर्तमान में अनुसरण किए जा रहे लेखा सिद्धांत के अनुसार को.इं.लि. के कोयला स्टाक माल-सूची दलों द्वारा वास्तविक रूप में

कोयले के मापन स्टाक में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी को लेखा पुस्तिकों में समायोजित कर दिया जाता है।

वास्तविक मापन के अनुसार कोयल के स्टाक में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी के संबंध में, जिसके लिए प्रत्येक 3 वर्षों के दौरान को.इं.लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों की लेखा पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है, को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1992-93	9.75
1993-94	16.00
1994-95	95.58 (अनंतिम)

[अनुवाद]

कोयले का आयात

2258. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की अबाधित आपूर्ति की मांग पूरी करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को कई बार कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है, जबकि देश में ही काफी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयला कम्पनियों को योजना आयोग द्वारा प्रक्षिप्त की गई मांग के अनुसार कोयले की सभी उपभोक्ताओं की मांग, जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है को पूरा किये जाने के लिये तैयार कर दिया गया है, बशर्ते कि परिवहन से संबंधित और कोयला कम्पनियों को अदायगी किए जाने से संबंधित बाधायें सामने न हों।

(ग) और (घ) कोयले का आयात वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। अतः इसका आयात किए जाने के लिये भारत सरकार से किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त किय जाने/अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आयात यदि स्वयं विद्युत गृह द्वारा किए जाने हैं तो वे यह आयात अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए ही करें।

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में आयतित किए गये कुल कोयले की मात्रा, जिसमें कोककर कोयला भी शामिल है, 228.43 करोड़ रुपये की (अनंतिम) की मात्रा में किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस कार्मिक

2259. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने पुलिस कार्मिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 दुरुपयोग के दोषी पाए गए हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान छह पुलिस कार्मिक ऐसे पाये गए जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के तहत गलत गिरफ्तारियां की थीं।

(ख) जिन्होंने दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 तथा 151 के तहत गलत गिरफ्तरियां की थीं, उनमें से एक सहायक उप निरीक्षक की निन्दा की गई तथा उसे एक असंवेदनशील इकाई में स्थानान्तरित कर दिया गया है। एक पुलिस सहायक आयुक्त, एक निरीक्षक तथा एक सहायक उप-निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित बैठक

2260. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा एशियाई एवं प्रशान्त क्षेत्रीय विकलांग दशक में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु जून, 1995 में बैंकाक में आयोजित बैठक में भारत में किसी उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु भारत में क्या कदम उठाये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और कार्यसूची की प्रत्येक मद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सम्मेलन में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एक छोटी समिति गठित की जा रही है।

विवरण

एशिया एवं प्रशान्त विकलांग जन दशक की प्रगति की समीक्षा के लिए बैंकाक में दिनांक 26-30 जून, 1995 को बैठक।

1. मूल रूप से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल होना था :

   1. श्री माता प्रसाद, सचिव, कल्याण मंत्रालय,
   2. श्री ए.के. चौधरी, संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय,
   3. डा. एस.डी. गोखले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेप्रोसी यूनियन, पुणे,
   4. सुश्री अनुराधा मोहित, कार्यकारी अधिकारी, नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, नई दिल्ली,
   5. ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक अधिकारी (श्री ए.के. दूबे, उप सचिव)

बाद में श्री माता प्रसाद बैंकाक नहीं जा सके, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण करना था। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक श्री आर. साहा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री जे.ई. दिवाकार को भी सहायक यंत्र सम्बन्धी एक प्रदर्शनी के आयोजन के लिए भेज दिया गया था।

2. एस्केप सचिवालय द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को सीधे आमंत्रित किया गया था :

   I. श्रीमती एन.एस.हेमा, (वह बंगलौर से एक व्हीलचेयर प्रयोगकर्त्ता हैं)

   II. श्री सवीर घोष (वह बिना बाजुओं के हैं), स्कूल फॉर दि होप, जमशेदपुर

   III. श्री एस.के.रंगता (ब्लाइंड), ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, नई दिल्ली

   IV. डा. एन्थोनी सामी, वर्थ ट्रस्ट, मद्रास।

3. हमने "वीवींग दि एस्कैप रिजन टुगेदर" कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग महिलाओं द्वारा बुने गए तथा विभिन्न राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अंशदान किए गए 50 मीटर वस्त्र भी साथ लिए। विकलांग महिलाओं की बैठक में भाग लेने के लिए एस्कैप द्वारा सुश्री अनुराधा मोहित को दो दिन पहले ही आमंत्रित किया गया और ठहरने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन एस्कैप द्वारा किया गया।

4. सहायक यंत्रों संबंधी हमारी प्रदर्शनी को इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों द्वारा खूब सराहा गया। इसी प्रकार, वस्त्रों के फीते बड़े रंग बिरंगे और काफी लम्बे थे। अन्य देशों ने भी वस्त्रों के फीते लाए थे। वस्त्र को संयुक्त राष्ट्र भवन के बड़े हॉल के चारों तरफ सभी भाग लेने वालों द्वारा ले जाया गया।

5. सभी पांच दिनों में (25 से 30 जून) कार्रवाई संबंधी कार्यसूची की विभिन्न मदों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई, लक्ष्य निर्धारित किए गए और सिफारिशें की गईं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में मैं केवल विभिन्न कार्यकलापों के लक्ष्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

1.0 राष्ट्रीय समन्वय

1.1 विकलांगता के संबंध में 1996 में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.) की स्थापना के संबंध एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करने से है, ताकि विकलांगों के लिए एशिया और प्रशान्त दशक, 1992, 2002 संबंधी कार्रवाई के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु विधान मण्डल/सरकार के अध्यक्ष के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सभी राज्य/प्रांतीय सरकारों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों के स्तर पर संसाधनों के प्रर्याप्त आवंटन सहित विकलांग महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

1.2 एन.सी.सी. के निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में समयानुसार अनुवर्ती कार्रवाई तथा मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और इसके कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए 1996 तक एक कार्यकारिणी समिति की स्थापना करना, जिसमें राज्य/प्रांतीय सरकारों, मंत्रालयों/विभागों एवं सरकारी एजेंसियों, विकलांग लोगों एवं विकलांग महिलाओं के स्वयंसेवी संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

1.3 1995 तक एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना तथा एक समय सीमा के साथ राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका ब्रिगमीकरण तथा मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए अन्तः निर्मित तंत्र तथा विकलांग व्यक्तियों के एशियाई एवं प्रशांत महासागरीय दशक हेतु कार्रवाई के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन

के वास्ते पर्याप्त बहु-क्षेत्रीय आवंटन तथा विशेष रूप से इस दस्तावेज में राष्ट्रीय कार्रवाई हेतु लक्ष्य।

1.4 देश के भीतर कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में विकलांगता वाले गरीब व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायों की पहचान को राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के भीतर प्राथमिकता देना।

1.5 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए धनराशि के अनुमोदन संबंधी एक मानदंड के रूप में विकलांगता वाले व्यक्तियों की भागीदारी को विशेषता प्रदान करना।

1.6 एन.सी.सी. को इसके प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त संसाधनों एवं मूलभूत सुविधाओं सहित सन 2000 तक एक सांविधिक निकाय के रूप में मजबूत बनाना।

2.0 विधान

2.1 1997 तक सभी वास्तविक और प्रक्रिया संबंधी कानूनों जैसे उत्तराधिकार, विवाह और संपत्ति तथा आपराधिक एवं सिविल प्रक्रिया संहिताओं और विभिन्न विषयों से संबंधित नीतिगत प्रावधानों के परीक्षण एवं पहचान के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना।

2.2 उपर्युक्त कानूनों एवं नीतिगत प्रावधानों के परीक्षण और पहचान की प्रक्रिया 1998 तक पूरी करना।

2.3 2000 तक बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, विकलांग महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को समान कानूनी संरक्षण प्रदान करने वाले प्रावधानों को शामिल करते हुए कानूनों में संशोधन करना और उन प्रावधानों को हटाना, जो उनकी पूर्ण भागीदारी, अवतरों की समानता को प्रतिबंधित करते हों और जो भेदभावपूर्ण हो।

2.4 बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों, विकलांग महिलाओं सहित विकलांग लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी अन्तःनिर्मित कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन तंत्र सहित सन् 2000 तक एक मूलभूत कानून बनाना, ताकि उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके और भेदभावपूर्ण बर्तावों एवं संरचना तथा संप्रेषण संबंधी अवरोधों को समाप्त किया जा सके।

2.5 1998 तक सामाजिक सुरक्षा उपायों की राष्ट्रीय योजना आरंभ करना, जिसमें व्यापक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा गरीबी में रह रहे उनके परिवा के अलावा रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्तियों, जो विकलांग हो गए हैं और उनके पास अपने आश्रि की मदद करने के लिए कोई अन्य आय का साध नहीं है, के लिए वित्तीय सहायता और उपक शामिल है।

2.6 दैनिक जीवन के लिए अपेक्षित मदों के आया महिला विकलांगताओं सहित विकलांग व्यक्ति की आर्थिक भागीदारी तथा मानव साधन विकास लिए 1998 तक कुल सीमा शुल्क में छूट की दृ से सीमा शुल्क से संबंधित कानूनों और उस संशोधनों की समीक्षा।

2.7 विकलांगता वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए व लाभों के रूप में विकलांग व्यक्ति रोजगार त स्वदेशी उपकरणों का निर्माण तथा विकलां व्यक्तियों के नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन व व्यवस्था करने हेतु अन्य कराधान कानूनों की 19 तक समीक्षा तथा उपयुक्त संशोधन।

2.8 कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थल, परिवहन तथा घ के साथ-साथ उपस्कर सुरक्षा के मानकों स्थापना तथा औद्योगिक मदों के लिए घरेलू त निजी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोत्साहन देने के लिए सन् 2000 त कानूनों/विनियनों को बनाया जाना तथा/ संशोधन।

3. सूचना

3.1 1998 तक एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थाप विकलांगता स्थिति के बारे में पुलिस सूचना औ आंकड़ा आधार तथा विकलांगता वाले व्यक्तियों बारे में जनसांख्यिकीय आंकड़े और इसके अलाव विकलांगता वाले व्यक्तियों की रोजगार स्थिति शिक्षा स्तर, आवास और पंजीकृत संगठनों सदस्यता सहित सामाजिक तथा आर्थिक आयाम

3.2 1998 तक एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण शु करना।

3.3 जन संचार माध्यम, पारम्परिक माध्यम, सरका एजेंसियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम राष्ट्रीय तथा स्थानीय भाषाओं में आदान-प्रदान लिए कार्रवाई संबंधी कार्यसूची का तात्कालि अनुवाद कार्य करना।

.0 लोक जागरूकता

4.1 निजी क्षेत्र तथा पारम्परिक माध्यम सहित, विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति रुख तथा लोक चेतना में सुधार को सही और नियमित ढंग से शामिल करते हुए राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई को सुनिश्चित करना।

4.2 सभी शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली सरकारी एजेन्सियों तथा गैर-सरकारी संगठनों और बच्चों तथा युवाओं के लिए परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए चरणबद्ध कार्रवाई (1995-2002) ताकि यह पहचान और सुनिश्चित करने के लिए साधन प्रदान किए जा सकें कि विकलांगताग्रस्त युवा व्यक्ति तथा बच्चे संवेदनशील तरीके से इसमें शामिल किए जा सकें और बनाए गए उन क्रियाकलापों में सभी बच्चों एवं युवा व्यक्तियों को लाभ मिले।

4.3 देश में प्रयुक्त सभी शैक्षिक तथा क्रियात्मक साहित्य सामग्री की समीक्षा शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई। यह कार्य सन् 2000 तक होना है। दिन-प्रतिदिन के जीवन में विकलांगता वाले व्यक्तियों के जीवन के समेकित संदर्भ में विश्लेषण सहित और विकलांग व्यक्तियों के प्रति अनादर जो कुछ रहे हों, उसे दूर किया जाना है।

4.4 यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी है कि एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय दशक (1997) के मध्य तक प्रथम दिवस तथा स्मारक डाक-टिकट, एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की समानता तथा पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहन दें।

4.5 1996 तक सूचना तथा प्रचार माध्यमों से सम्बन्धित विकलांगता के मुद्दों और नीतियों से सम्बन्धित सूचना तथा प्रचार विशेषकर समुचित समय और विकलांगताओं से सम्बन्धित क्षेत्र, फिल्मों, प्रहसनों तथा व्यंग्य चित्रों के माध्यम से विशेषकर विकलांगताग्रस्त व्यक्यिों के अपर्याप्त छवि के साथ-साथ उनके नकारात्मक चित्र का अनावरण करने से रोकना।

4.6 विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति अभियानों तथा लोक चेतना सृजन की नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सन् 1999 तक एक प्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना करना।

5.0 पहुंच तथा संचार

5.1 सभी नए निर्माणों के लिए योजनाओं तथा निरूपण लोक सेवकों द्वारा प्रयुक्त सुविधाओं तथा परिवहन सहित बाधामुक्त मानीकृत अपेक्षाओं को तुरन्त शामिल करना।

5.2 सभी सार्वजनिक परिवहनों में सुविधाओं तथा पद्धतियों विशेषकर रेलवे पद्धति में, जिन्हें अभी निर्माण किया जाना है, शामिल करने के लिए बाधामुक्त साधनों के लिए तत्काल कार्रवाई।

5.3 कर्ब रैम्पों के साथ पेवमेंटों की स्थापना तथा पहिएदार कुर्सिसों के उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान बाह्य निर्मित पर्यावरण को पहुंच योग्य बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई।

5.4 वास्तुकारों, शहरी योजनाकारों तथा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों में अवरोधमुक्त डिजाइनों के निर्माण हेतु शामिल करना।

5.5 सन् 2000 तक मानकीकृत देशी संकेत भाषाओं की स्थापना, जिनमें संकेत भाषा के भाव्यांतकारों के प्रमाणन के लिए तंत्र की स्थापना।

5.6 सन् 2002 तक विशेषकर पुलिस विभागों, अस्पतालों, कानूनी न्यायालयों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुख लोक सेवाओं तथा सुविधाओं तक संकेत भाषा निर्वचन सेवाओं की उपलब्धता।

5.7 1998 तक उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें नियमित मुद्रण पढ़ने में कठिनाई होती है, ब्रेल में पठन सामग्री, बड़े आकार में मुद्रण, कम्प्यूटर डिस्क ऑडियो कैसेट तथा अन्य उपयुक्त फार्मेटों की उपलब्धता, मानवीय पाठकों तक पहुंच, उन लोगों के लिए भाष्यांतरकर्त्ताओं को हस्ताक्षरित करना जिन्हें इनकी जरूरत है। साथ ही शीर्षककरण और संवेदनात्मक विकलांगताओं वाले लोगों की सूचना एवं मनोरंजन के लिए रेडियो, टेलीफोन तथा फैक्स मशीनों तक पहुंच प्रदान करना।

6.0 शिक्षा

6.1 अपने गैर विकलांग साथियों तथा प्रगतिशील नामांकन और उपयुक्त समर्थन सीमाओं सहित औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सभी विकलांगता ग्रस्त बच्चें एवं वयस्कों के कम से कम 75 प्रतिशत को 2000 तक समर्थ बनाना।

6.2 1997 तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों सहित सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने संबंधी सभी नीतियां,

योजनाओं एवं कार्यक्रमों में विकलांगताग्रस्त लड़कियों एवं लड़कों, महिलाओं एवं पुरुषों को शामिल करना।

6.3 ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विकलांग बच्चों के लिए आरम्भिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों को 1997 तक शुरू करना।

6.4 विकलांग बच्चों में से बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या सन 2000 तक प्रगतिशील रूप से कम करना जो कम से कम 50 प्रतिशत हो।

6.5 नियमित शिक्षक प्रत्यक्षण कार्यक्रमों में विशेष जरूरतमंद बच्चों एवं विशेष चिकित्सा संबंधी घटक को 1997 तक शामिल करना, जिसमें ऐसे बच्चों से सीधे जुड़े औषध शामिल किए जायें।

6.6 दृष्टिहीन छात्रों को माध्यमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने संबंधी कार्य को 1997 तक बढ़ावा देना।

6.7 विकलांग बच्चों एवं वयस्कों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का रास्ता सुगम बनाने हेतु राष्ट्रीय/राज्य शिक्षा पाठ्यक्रमों की 1999 तक समीक्षा और संशोधन करना। साथ ही भाषा शिक्षण खासकर बधिर व्यक्तियों और इस संबंध में त्रुटि का शीघ्र समाधान करने संबंध में उपयुक्त प्रावधान को शामिल करना।

7.0 प्रशिक्षण और रोजगार

7.1 1997 तक एशिया प्रशान्त कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा अभिज्ञात रूप रेखाओं को सुदृढ़ करना तकि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं की मुख्य धारा में लिंग संबंधी समानता पर उचित ध्यान देते हुए विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण को बढ़ावा देना।

7.2 1998 तक पाठ्क्रम और समर्थन सेवाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना (शारीरिक रूप से पहुंच के योग्य प्रशिक्षण स्थल और उपकरण दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल पुस्तक पाठ्यक्रम और बधिर व्यक्तियों के लिए भाषा व्याख्यान्तकर्त्ता हस्ताक्षरी करना) ताकि विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार वाले व्यावसायी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से भागीदार बनाया जा सके।

7.3 सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार एवं पदोन्नति के लिए निरधारित किए गए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1997 तक एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना जैसे कि कोटा प्रणाली के तहत किया जाता है।

7.4 औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसरों की क्रमिक तथा लगातार पहचान के लिए 1996 तक एक तंत्र की स्थापना करना। साथ ही अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों को भुगतान किये जाने वाले तथा स्वरोजगार के अवसरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देना।

7.5 1997 तक वार्षिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के लक्ष्यों की स्थापना को विकलांग व्यक्तियों के लिए लैगिंक दृष्टिकोण से समान हों, यह कार्य रोजगार, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण रोजगार और विकास, शहरी विकास तथा अन्य संबंधी क्षेत्रों और नियोजकों एवं संगठनों की मिली जुली कार्यवाही होगी।

7.6 1998 तक वैसे उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना जो गहन विकलांगता वाले व्यक्तियों और उन लोगों को काम पर लगाते हैं जिन्हें समर्थक माहौल की जरूरत हो।

7.7 2000 तक सहायता संबंधी सभी योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी ताकि उन्हें अनौपचारिक आय सृजक एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के कार्यक्रमों में लगाया जाये।

7.8 2000 तक अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा रोजगार अवसरों का प्रावधान करना।

7.9 निम्न आय वाले विकलांग व्यक्तियों को उद्यमिय कौशल विकास सहित विपणनकार्य हेतु आसान ऋण एवं सहायक सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से 1997 तक एक राष्ट्रीय योजना शुरू करना जिससे कि उन्हें खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता पहुंचाई जा सके।

8.0 विकलांगता के कारणों की रोकथाम

8.1 1996 तक लिंग संवेदनशील जनसंख्कीय आंकड़ोंसहित तथा विकलागंता के 5 सर्वाधिक प्रचलित निवारण योग्य कारणों से जुड़े प्रमुख घटकों की पहचान करना।

8.2 1997 तक 5 सर्वाधिक प्रचलित विकलांगता के कारणों की रोकथाम पर केन्द्रित सार्वजनिक शिक्षा अभियान शुरू करना जो विकलांग व्यक्तियों की निर्णायात्मक भावनाओं को कम करते हैं तथा उनके जीने के अधिकार को कम करना।

8.3 2000 तक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के

रूप में आयोडीन कमी, विटामिन ए की कमी तथा कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना।

8.4 विकलांगता की रोकथाम के अच्छे प्रयासों जो पहले से ही चलाये जा रहे हैं, की उपेक्षा किए बिना 2002 तक विकलांगता के 3 निवारण योग्य कारणों के प्रभाव में कम से कम 50 प्रतिशत कमी लाना।

8.5 1997 तक कार्मिक विरोधी तथा खान विरोधी विक्रय और प्रयोग तथा उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभियान को औपचारिक रूप से संयुक्त हो।

8.6 लेसर हथियारों जिनका कि मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण दृष्टिहीनता उत्पन्न करना है, के विर्निर्माण और विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु शीघ्र अभियान चलाना।

8.7 इस तथ्य को शीघ्र मान्यता प्रदान करना कि अच्छा और निर्मित पर्यावरण चोट जनित विकलांगताओं की कमी में एक महत्वपूर्ण घटक है।

9.0 पुनर्वास सेवाएं (समुदाय आधारित पुनर्वास)

9.1 समुदाय आधारित पुनर्वास संबंधी कार्य नीतियों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों और सामुदायिक पुनर्वास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों तथा खास करके महिलाओं को 1996 तक सक्रिय भागीदारी प्रदान करना।

9.2 एक राष्ट्रीय समुदाय आधारित पुनर्वास संबंधी कार्य नीति पर विचार विमर्श करने के लिए 1996 तक सी.बी.आर संबंधी एक सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें संबंधित सरकार के मंत्रालय और विभाग, गैर सरकारी संगठनों और विकलांग व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाए।

9.3 1997 तक एक राष्ट्रीय समुदाय आधारित पुनर्वास कार्य नीति का विकास करना जिसमें सी.बी.आर. प्रबन्ध में प्रशिक्षण शामिल हो ताकि ग्रामीण एवं गन्दी बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्रमों के लिए कार्यवाही और समर्थन संबंधी एक रूपरेखा प्रदान की जा सके।

9.4 समुदाय आधारित पुनर्वास प्रशिक्षण में विकलांग पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को 1997 तक शामिल करना। इसके अंतर्गत लिंग संवेदनशील सामग्रति प्रबन्धकों प्रशिक्षकों पर्यवेक्षकों क्षेत्रीय कार्यकत्ताओं के रूप में शामिल हों।

9.5 2000 तक मुख्य धारा कार्यक्रमों खास कर जो शिक्षा संचार, मानव संसाधन विकास, श्रम, परिवहन, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार से संबंधित हैं, में विकलांगता के उन मुद्दों का एकीकरण करना जिनका संबंध विशेष रूप से महिलाओं से है।

स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण

9.6 1997 तक सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पुनर्वास सेवाओं की पहचान और समन्वय समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समर्थन स्वरूप इन सेवाओं का विकास और आधारित कार्यवाही स्वरूप करना।

9.7 मेडिकल डाक्टरों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, नर्सों, शिक्षकों, तथा स्वास्थ्य एवं सामजिक विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण में विकलांग व्यक्तियों को 2000 तक शामिल करना, अवसरों से संबंधित मुद्दों की समानता करना तथा विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक रूख अपनाना।

9.8 जैसा कि समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के समर्थन संबंधी अल्माआटा घोषणा में रेखांकित किया गया है। 2000 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में पुनर्वास सेवाएं शामिल करना।

10.0 सहायक उपकरण

10.1 विकलांगताग्रस्त महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी विकलांग व्यक्तियों जो मान दंडों को पूरा करते हैं, को सहायक उपकरण और मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता योजना के लिए 1998 तक एक राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना।

10.2 1998 तक सहायक उपकरणों, अन्य घटकों, सामग्रियों एवं साज सामानों के आयात पर सीमाकर तथा अन्य करों से छूट प्रदान करना।

10.3 सहायक उपकरणों, घटकों, उनके उत्पादन, मरम्मत तथा रखरखाव में काम आने वाले साज सामानों के आयात एवं निर्यात संबंधी सीमाकर क्लीयरंस पद्धतियों को वरीयता के आधार पर सरल बनाना।

10.4 1998 तक सहायक उपकरणों, मरम्मत और रखरखाव सेवाओं में वृद्धि करना।

10.5 कर संबंधी प्रोत्साहनों तथा स्वदेशी उत्पादन के लिए सहायता तथा सहायक उपकरणों को

सर्विससिंग के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों और निजी उद्यमियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 1998 तक सरकारी योजना एवं शुरू करना।

11.0 **स्वयंसेवी संगठन**

11.1. 1997 तक विकलांग व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठनों के एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना करना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के संगठनों, सीमान्त समूहों के संगठनों जैसे मनोरोग उपचार संबंधी सेवाओं का प्रयोग करने वाली विकलांग महिलाओं लड़कियों के संगठनों, बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, एच.आई.वी. के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के संगठनों को शामिल किया जा सके।

11.2 1997 तक ऐसे विभिन्न विकलांगता समूहों के स्वयंसेवी संगठनों का विकास करना, जो कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए पारस्परिक सहायता, समर्थन विकलांगता वाले लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और जो ग्रामीण तथा शहरी विकास संबंध मुद्दों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के साथ सक्रियतापूर्वक सहयोग करते हैं।

11.3 1997 तक राष्ट्रीय समन्वयकारी समिति के निर्देशक के अधीन उस तंत्र की स्थापना करना जो एशिया और प्रशान्त विकलांग जनदशक 1993-2002 संबंधी कार्रवाई के लिए कार्य सूची के कार्यान्वयन सहित विकलांग व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच परामर्श में वृद्धि करना।

11.4 1997 तक विकलांग व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना और विकास में सहायता के लिए अपेक्षित संसाधन आवंटन सहित एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

11.5 नेतृत्व तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धन में प्रशिक्षकों के रूप में विकलांग महिलाओं सहित विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 1998 तक कार्यक्रमों का विकास करना।

12.0 **क्षेत्रीय सहयोग**

एस्कैप के संबंधित विभाग विकलांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में गठित एशिया प्रशान्त अन्तर संगठनात्मक कार्यबल के संबंधित सदस्यों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

12.1 निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण कराने में सरकारों की सहायता करना :

विकलांगता से जुड़े आकड़ों से संग्रह का कार्य सरल बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी संबंधी पुस्तक का प्रचार-प्रसार करना जिसमें 1995 के अंत तक प्रकाशित होने वाला विकलांगता से संबंधित अध्याय शामिल होगा।

12.2 दशक के बीच अर्थात 1997 में एन.सी.सी. के प्रथम सम्मेलन आयोजित करने पर विचार करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों और संठगनों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जिन्होंने इस दशक को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

12.3 यू.एन.डी.पी. मानव विकास सूचकांक में विकलांग व्यक्तियों के विकास और पुनर्वास संबंधी घटक को शामिल करने हेतु यू.एन.डी.पी. के साथ संबंध स्थापित करना।

12.4 ठोस सम्पर्कों सहित एक क्षेत्रीय सहायक उपकरण नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है और इसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है ताकि सहायक उपकरणों के विकास और उत्पादन की तकनीकों में सहयोगपूर्ण अनुसंधान किया जा सके जिसका अंततः परिणाम प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करना होगा।

[हिन्दी]

सिंचाई से प्राप्त राजस्व

2261. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नहरी जल के उपयोग से प्राप्त होने वाली राजस्व आय नहरी जल के उपयुक्त प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव संबंधी खर्चे पूरे करने के लिए पर्याप्त नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ भूमि की सिंचाई से कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है;

(ग) प्रति एकड़ भूमि की सिंचाई पर औसतन कितना अनुमानित व्यय होता है;

(घ) क्या सरकार का विचार आय और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए सिंचाई पर प्रभार्य राजस्व दर में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान दरों में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) सिंचाई और संबंधित प्रभारों से प्राप्त राजस्व तथा सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत के बीच अन्तर है। सितम्बर, 1992 में योजना आयोग की प्रस्तुत सिंचाई जल दरों के निर्धारण सम्बन्धी समिति (जो वैद्यनाथन समिति के नाम से जानी जाती है) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1989-90 में वास्तविक सिंचाई राजस्व औसतन 50 रुपए प्रति हेक्टेयर (20 रु. प्रति एकड़) बैठता है, जबकि प्रचालन और अनुरक्षण लागत 270 रुपए प्रति हेक्टेयर (109 रु. प्रति एकड़) आयी है। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों पर दिसम्बर, 1992 में योजना आयोग द्वारा गठित अधिकारी दल द्वारा अध्ययन किया गया। अधिकारी दल ने दिसंबर, 1994 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि सिंचाई जल दरों में वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत सोपानों में अर्थात अगले पांच वर्षों की अवधि में शामिल की जानी चाहिए। चूंकि सिंचाई राज्यों का विषय है, इसलिए वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के साथ अधिकारी दल की सिफारिशें योजना आयोग द्वारा विचार एवं अगली कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों को भेज दी गई है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्रों का निजीकरण

2262. **श्री रवि राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुछ प्रमाणित तेल क्षेत्रों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ लाभकारी इकाइयों के भी निजीकरण पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 1992 और अक्टूबर, 1993 में भारतीय और विदेशी कंपनियों को विकास के लिए छोटे और मध्यम आकार के क्षेत्र दिए थे। अगस्त, 1992 में छोटे आकार के 31 और मध्यम आकार के 12 क्षेत्र दिए गए थे।

अक्टूबर, 1993 में 33 छोटे आकार के और 8 मध्यम आकार के 12 क्षेत्र दिए गए थे।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में टेलीफोन

2263. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 01.7.95 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में वर्ष 1997 तक महाराष्ट्र सहित पूरे देश में मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

30.6.1995 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या के जिलेवार ब्यौरे।

क्र. स.	जिला	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या
1	2	3
1.	बंबई (एम.टी.एन.एल)	86088
2.	कल्याण (थाणे सिटी रहित जो कि बंबई एम.टी.एन.एन. एल. में हैं)	35611
3.	रायगड़	3720
4.	जलगांव	8726
5.	नासिक	19958
6.	कोल्हापुर	9031
7.	सोलापुर	5356
8.	तंगली	2896
9.	सतारा	6619
10.	रत्नागिरि+सिंधुदूर्ग	3974
11.	पुणे	44543
12.	नागपुर	19015
13.	अहमदनगर	12038
14.	औरगांबाद	6773
15.	जलना	1127
16.	लातूर	4344
17.	उस्मानाबाद	804
18.	बीड	2129

1	2	3
19.	परभानी	1095
20.	नानदेड	1951
21.	अकोला	4984
22.	अमरावती	1464
23.	भंडारा	1006
24.	बुलधाना	1136
25.	चद्रापुर+गडचिरोली	1671
26.	वर्धा	1100
27.	यवतमाल	1501
28.	धूले	3948
	कुल	292608

जलाशय का स्तर

2264. **श्री विजयकृष्ण हान्डिक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जल आयोग ने बारह नदी बेसिनों में जलाशय के स्तर के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और जल का स्तर कितना नीचे गिर गया है; और

(ग) सरकार ने जल की हानि को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, केंद्रीय जल आयोग देश में 12 नदी थालों में फैले 63 महत्वपूर्ण जलाशयों के जलाशय स्तर का प्रवोधन कर रहा है।

(ख) 11.8.1995 को समाप्त सप्ताह में उपलब्ध जलाशय स्तर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केंद्रीय जल आयोग ने 1990 में "जलाशयों में वाष्पीकरण नियंत्रण" शीर्षक से एक विस्तृत प्रकाशन तैयार किया था, जिसे विभिन्न राज्यों और जलाशयों के प्रचालन का कार्य देखने वाले केंद्रीय संगठनों को वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी उपाय करने के लिए पहले ही भेज दिया गया है। प्रकाशन वाष्पीकरण का प्रभाव डालने वाले तथ्य, विभिन्न वाष्पीकरण नियंत्रण उपाय, उनकी प्रभावशीलता, उनके उपयोग के दिशा-निर्देश और वाष्पीकरण को कम करने वाले उपयोग की मितव्ययता से संबधित हैं।

विवरण

भारत में 63 महत्वपूर्ण जलाशयों का जलाशयस्तर 11.8.1995 को समाप्त सप्ताह की स्थिति के अनुसार।

क्रम सं.	जलाशय का नाम	(राज्य)	पूर्ण जलाशय स्तर (मीटर)	जलाशय स्तर (मीटर)		
				इस मौसम	देखने की तारीख	पिछले मौसम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीसैलम	(आ.प्र.)	269.75	259.11	9.8.95	269.60
2.	नागार्जुनसागर	(आ.प्र.)	179.83	155.20	7.8.95	179.19
3.	श्रीरामसागर	(आ.प्र.)	332.54	329.76	8.8.95	319.25
4.	सोमसिला	(आ.प्र.)	100.58	85.84	8.8.95	81.93
5.	तेनुघाट	(बिहार)	269.14	259.51	9.8.95	259.69
6.	मैयोन	(बिहार)	146.30	142.47	9.8.95	143.33
7.	पंचेट हिल	(बिहार)	124.97	125.85	7.8.95	123.03
8.	कोनार	(बिहार)	427.94	419.04	7.8.95	424.08
9.	तिलैय्या	(बिहार)	372.47	365.58	7.8.95	368.92

1	2	3	4	5	6	7
10.	उकई	(गुजरात)	105.16	94.78	9.8.95	100.45
11.	साबरमती	(गुजरात)	189.58	184.99	9.8.95	188.20
12.	कदाना	(गुजरात)	127.70	124.29	9.8.95	127.25
13.	शतरुंजी	(गुजरात)	55.53	48.01	4.8.95	53.70
14.	भादर	(गुजरात)	107.89	101.62	3.8.95	107.74
15.	गोबिन्द सागर	(हि.प्र.)	513.59	496.09	4.8.95	504.97
16.	पौंग बांध	(हि.प्र.)	426.70	409.50	4.8.95	414.76
17.	कृष्णराज सागर	(कर्नाटक)	38.04	33.73	8.8.95	37.63
18.	तुंगभ्रदा	(कर्नाटक)	497.74	493.77	9.8.95	497.66
19.	घाटप्रभा	(कर्नाटक)	662.95	655.32	8.8.95	662.82
20.	भाद्रा	(कर्नाटक)	56.70	52.89	9.8.95	56.28
21.	लिंगनपक्को	(कर्नाटक)	554.43	544.41	9.8.95	553.70
22.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	492.25	488.97	9.8.95	488.38
23.	मालप्रभा	(कर्नाटक)	633.83	627.34	2.8.95	632.50
24.	काबिनी	(कर्नाटक)	696.16	695.29	7.8.95	695.59
25.	हेमवती	(कर्नाटक)	890.63	886.68	8.8.95	889.76
26.	हारंगो	(कर्नाटक)	871.42	870.81	6.8.95	870.98
27.	सुपा	(कर्नाटक)	564.00	530.88	5.6.95	530.93
28.	कल्लाडा	(केरल)	115.82	101.96	4.8.95	113.54
29.	इदमलयार	(केरल)	169.00	149.60	2.8.95	163.70
30.	इदुक्कि	(केरल)	732.43	714.08	2.8.95	720.77
31.	गांधी सागर	(म.प्र.)	399.90	394.60	7.8.95	391.56
32.	तावा	(म.प्र.)	355.40	351.80	4.8.95	353.78
33.	बार्गी	(म.प्र.)	422.76	418.10	4.8.95	418.35
34.	महानदी	(म.प्र.)	348.70	348.62	9.8.95	348.45
35.	जायकवाड़ी	(महाराष्ट्र)	463.91	456.51	9.8.95	462.53
36.	कोयाना	(महाराष्ट्र)	657.91	617.46	5.6.95	624.72
37.	भोमा	(महाराष्ट्र)	496.83	491.36	29.7.95	494.93
38.	इसापुर	(महाराष्ट्र)	441.00	434.59	11.8.95	433.1
39.	मुला	(महाराष्ट्र)	552.30	542.72	7.8.95	550.84
40.	येल्दारी	(महाराष्ट्र)	461.77	450.98	11.8.95	445.93
41.	गिरना	(महाराष्ट्र)	398.07	385.40	7.8.95	397.58

1	2	3	4	5	6	7
42.	खड़कवासला	(महाराष्ट्र)	582.47	581.31	8.8.95	578.78
43.	हीराकुंड	(उड़ीसा)	192.02	186.83	6.8.95	190.56
44.	बालीमेला	(उड़ीसा)	462.08	451.01	31.7.95	447.75
45.	सालानदी	(उड़ीसा)	82.30	61.54	31.7.95	74.67
46.	रेंगाली	(उड़ीसा)	123.50	116.15	5.8.95	123.67
47.	मच्छकुंड	(उड़ीसा)	838.16	834.43	31.7.95	828.92
48.	अपर कोलाब	(उड़ीसा)	858.00	853.03	31.7.95	849.48
49.	माही बजाज सागर	(राज.)	281.50	275.05	9.8.95	280.75
50.	जाखम	(राज.)	359.50	349.90	8.8.95	352.40
51.	राणा प्रातप सागर	(राज.)	352.81	348.85	7.8.95	346.66
52.	लोअर भवानी	(तमिलनाडु)	280.42	274.37	5.8.95	279.27
53.	मेत्तूर	(तमिलनाडु)	240.79	223.10	9.8.95	240.82
54.	वैगई	(तमिलनाडु)	279.20	273.38	9.8.95	274.09
55.	परम्बीकुलम	(तमिलनाडु)	556.26	550.61	4.8.95	556.01
56.	अलियार	(तमिलनाडु)	320.04	308.96	9.8.95	319.46
57.	शोलायर	(तमिलनाडु)	1002.79	991.67	9.8.95	1003.24
58.	गुमती	(त्रिपुरा)	93.55	88.09	27.7.95	88.50
59.	माताटोला	(उ.प्र.)	308.46	299.68	27.7.95	307.91
60.	रामगंगा	(उ.प्र.)	365.30	335.54	3.8.95	339.30
61.	रिहन्द	(उ.प्र.)	268.22	258.66	5.8.95	267.80
62.	मयूराक्षी	(प.बं.)	121.31	116.87	4.8.95	118.11
63.	कंगसाबती	(प.बं.)	134.14	127.89	9.8.95	132.30

सूचना प्रौद्योगिकी

2265. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश संचार के क्षेत्र में विश्व औसत की तुलना में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु कुछ और कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) विश्व का औसत टेलीफोन घनत्व प्रति 100 व्यक्ति लगभग 10 है, जबकि 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, भारत का औसत टेलीफोन घनत्व प्रति 100 व्यक्ति 1 से थोड़ा अधिक है। भारत में टेलीफोन की वास्तविक मांग भी विश्व की औसत मांग दर से कहीं कम है और संसाधनों की कमी के कारण पंजीकृत मांग को पूर्णतः पूरा भी नहीं किया जा सकता।

(ग) से (ङ) 1994 में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में सम्पूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यद्यपि विभाग के पास दूरसंचार सुविधाओं के व्यापक विस्तार की अपनी योजनाएं हैं, तथापि यह भी प्रस्ताव है कि मूलभूत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं।

[हिन्दी]

कोलायत और गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

2266. **श्री मनफूल सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलायत और गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा दीजिए;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना के लिए निवेश स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II के 931.24 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान को योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में निवेश स्वीकृति दी गई थी। इस अनुमोदन में 10.12 लाख हेक्टेयर का कृष्य कमान क्षेत्र था, जिसमें गजनेर (49537 हेक्टेयर) और कोलायट (77756 हेक्टेयर) लिफ्ट सिंचाई योजना सम्मिलित है।

राजस्थान सरकार ने इस परियोजना की मध्यकालिक समीक्षा के आधार पर जुलाई, 93 में चरण-II नहर कार्यों के लिए 2463 करोड़ रुपये का संशोधित परियोजना अनुमान प्रस्तुत किया है। इस परियोजना का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हथियारों का लाइसेंस

2267. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते आतंकवाद, प्रतिबंधित संगठनों तथा आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए हथियारों के उत्पादन और उनकी बिक्री के लाइसेंसों तथा आयात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम 1962, विभिन्न कार्यों को शासित करता है, जैसे अग्नेयास्त्रों का निर्माण, उनकी प्राप्ति, अधिपत्य, आयात, व्यापार इत्यादि। विभिन्न प्रयोजनों के लिए शस्त्र लाइसेंस, अधिनियम/नियमों के उपबन्धों और लाइसेन्स जारी किए जाने के समय विद्यमान नीति मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, शस्त्र और गोलाबारूद की बिक्री, बिक्री के लिए रखने इत्यादि के संबंध में डीलरशिप लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्रदत्त हैं। वे व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति और अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के लाइसेंस देने के लिए नीति निर्देश बनाते हैं।

2. जहां तक शस्त्रों के निर्माण संबंधी लाइसेंसों का संबंध है, वर्तमान नीति के अनुसार निजी क्षेत्र में शस्त्रों और गोलाबारूद के निर्माण के लिए नए लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाते हैं।

3. आयात लाइसेंस प्रदान करने के बारे में केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अग्नेयास्त्रों के आयात पर नवम्बर, 1986 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथापि रिहायश स्थानान्तरण नियमों के अन्तर्गत कुछ-एक शर्तों पर और युवाकार्य और खेल विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर खेल प्रयोजनों के लिए खिलाड़ियों को आयात करने की अनुमति अनुज्ञेय है।

[हिन्दी]

शराब की तस्करी

2268. **श्री पंकज चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का कितना घाटा हो रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् । पड़ौसी राज्यों से दिल्ली में शराब की तस्करी की सूचना मिली है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने पड़ौसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा प्रवर्तन गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उत्पाद शुल्क आसूचना ब्यूरो भी आगे कार्रवाई करने के लिए शराब की तस्करी के बारे में आसूचना एकत्र करता है।

(4) दिल्ली में अनधिकृत शराब की तस्करी में संदिग्ध रूप से संलिप्त बदमाशों पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है।

(5) शराब के व्यापार में संदिग्ध रूप से लगे ट्रांसपोर्टरों/सार्वजनिक भार वाहकों के गोदामों पर गुप्त नजर रखी जा रही है।

(ग) दिल्ली में खपत हो चुकी तस्करी की शराब की मात्रा के बारे में वास्तविक आकंड़ों के अभाव में सरकारी राजस्व के नुकसान की गणना नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

खारलैण्ड परियोजना

2269. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ई.ई.सी. चरण-1 के अंतर्गत खारलैण्ड (मृदा लवणता सुधार) परियोजना पूरी की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के कोष को किसी और कार्य में लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) उक्त परियोजना के चरण-2 के शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 16,600 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 18 करोड़ रुपए की लागत पर 144 योजनाएं पूरी हो गई हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, लवणीय भूमि पुनरुद्धार परियोजना की कोई निधियां व्यपवर्तित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा ऋण सहायता के लिए परियोजना स्वीकृत करने में हुई देरी के कारण परियोजना का फेस-II शुरू नहीं किया जा सका।

सी-डॉट

2270. **श्री सूरज मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सी-डॉट को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सी-डॉट की स्थापना से आज तक के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सी-डॉट का, इसके गठन से लेकर आज तक का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सी-डॉट का, उनके गठन से लेकर आज तक का कार्य-निष्पादन

(1) विविध अनुप्रयोगों के लिए दूरसंचार स्विचन-प्रणलियों की अगली श्रृंखला का डिजाइन बनाने के उद्देश्य को लेकर सी-डॉट की स्थापना 25 अगस्त, 1984 को की गई थी। यह केन्द्र दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी वित्त व्यवस्था भी विभाग ही करता है।

(2) वर्ष 1989 में सी-डॉट को एक स्थायी अनुसंधान और विकास संस्थान में परिणत किया गया और इस प्रकार इसने दूरसंचार पारेषण-प्रणालियों के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को अपने हाथ में लिया।

(3) पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान, सी-डॉट ने दूरसंचार स्विचन और साथ ही दूरसंचार-पारेषण के क्षेत्र में उत्पादों की एक श्रृखला का विकास किया है, जिन्हें बनाने के लिए 50 विनिर्माता-कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। सी-डॉट द्वारा विकसित उत्पादों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(I) पी.ए.बी. एक्स (प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज) - 128 पोर्ट और 256 पोर्ट

(II) ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज (आर.ए.एक्स.) 128 पोर्ट और 256 पोर्ट

(III) मुख्य स्वचल एक्सचेंज (मझला) :-512 पोर्ट (400 से 1400 लाइनें)

(IV) मुख्य स्वचल एक्सचेंज (वृहत) मैक्स एल :- 10,000 लाइनें।

(V) एकल चैनल वी.एच.एफ. (अतिरिक्त आवृवति)

(VI) 10 चैनल डीजिटल यू.एच.एफ. (यरा उच्च आवृति (600 मेगा हर्टज)।

डाक विभाग में सुधार

2271. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक विभाग की कार्यक्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विभाग की कार्यक्षमता में सुधार करने और जनजातीय, पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में इस सुविधा के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एक विश्वसनीय और कार्यकुशल डाक प्रणाली की संरचना करने के लिए डाक विभाग की योजना स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) ऐसे पात्र गांव जो आय, दूरी और जनसंख्या संबंधी विभागीय मानदंड पूरे करते हैं, उनमें डाक नेटवर्क का विस्तार;

(II) 500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों में लैटर-बॉक्स लगाना;

(III) त्वरित और अधिक कार्यकुशल मेल प्रोसेसिंग और वितरण के लिए प्रौद्योगिकी की शुरुआत; और

(IV) कार्य-विधियों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए तथा बेहतर ग्राहक-सेवा के लिए अधिक केन्द्रित प्रबंधन।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 650 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है। इनमें से आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों में 1306 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 262 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए हैं। इनमें जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए मंजूर किए गए डाकघर भी शामिल हैं।

विभाग ने पंचायत संचार सेवा योजना नामक स्कीम भी बनाई है, जिसके द्वारा पंचायतों के माध्यम से गांव को संविदात्मक आधार पर मूलभूत डाक और बैंकिंग सुविधाए प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह स्कीम ऐसे क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विभाग के प्रयासों को बढ़ायेगी और उनमें तेजी लाएगी, जहां मूलभूत डाक सुविधाएं अपेक्षित हैं।

500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गावों में लैटर-बाक्स लगाने के विभाग के उद्देश्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों के माध्यम से अधिक कार्यकुशल और उत्तरदायी ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए काउंटर सेवाओं का स्तर सुधारने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और समूचे देश में डाक काउंटरों के लिए 1780 ऐसी मशीनें प्रदान की गई हैं, इन कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों पर केन्द्रित डाक घरों के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम भी 1994-95 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक स्वच्छ और आधुनिक कार्य का वातावरण प्रदान करना है। वर्ष 1994-95 के दौरान देश भर में 115 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया था और चालू वर्ष के दौरान 350 और डाकघरों को पूरी तरह आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है।

बंबई एयरपोर्ट सार्टिंग आफिस में अप्रैल, 1993 में देश के प्रथम आटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना के साथ अधिक कार्यकुशल और त्वरित मेल प्रोसेसिंग का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। दूसरा आटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग सेंटर मद्रास में स्थापित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वी.एस.ए.टी. नेटवर्क के जरिए मनीआर्डर को अधिक कार्यकुशलता और शीघ्रता से भेजने के लिए स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है तथा देश में 26 वी.एस.ए.टी. सेंटर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। वी.एस.ए.टी. नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और इस वर्ष के अंत तक इसमें 75 केन्द्र शामिल हो जायेंगे।

वी.एस.ए.टी. नेटवर्क के माध्यम से अन्य मूल्यवर्धित स्कीमें भी शुरू की जा रही हैं। हाइब्रिड मेल स्कीम पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिसमें डाटा और टेक्स्ट का इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन तथा पोस्टमैन के माध्यम से वितरण की सुविधा है।

दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों के बीच तथा महानगरों के बीच पिनकोड अंकित डाक वस्तुओं के कार्यकुशल और त्वरित पारेषण एवं वितरण के लिए प्रणालीबद्ध व्यवस्था तथा डाक के शीघ्र पारेषण के लिए नई स्कीमें क्रमशः राजधानी चैनल और मैट्रो चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। चुने हुए शहरों के बीच पार्सलों का अधिक कार्यकुशल और विश्वसनीय प्रोसेसिंग एवं वितरण सुनिशिचित करने के लिए वर्ष 1994 में पार्सलों के लिए एक्सप्रेस पार्सल सेवा भी शुरू की गई।

उत्तर बंगाल में टेलीफोन सेवाएं

2272. **डा. असीम बाला : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में टेलीफोन सेवाएं खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं पुनः शुरू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सामान्यतया उत्तर बंगाल में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। तथापि, हाल ही में कुछेक क्षेत्रों में सेवाएं प्रभावित हुई थी।

(ख) जुलाई और अगस्त, 1995 में भारी वर्षा के कारण दार्जलिंग जिले में दोषों में वृद्धि हुई थी। जलपाईगुड़ी जिले में अत्याधिक बिजली चमकने से संचारण माध्यम में दोष उत्पन्न होने के कारण एस.टी.डी. सेवाएं प्रभावित हो गई थीं।

(ग) दार्जलिंग में सेवाएं पुनः चालू करने का कार्य चल रहा है और दोषों को शीघ्र ही दूर कर दिए जाने की संभावना है। जलपाईगुडी में एस.टी.डी. सेवाएं पहले ही पुनः चालू की जा चुकी हैं। कूचबिहार, यू दिनाजपुर, डी दिनाजपुर जिलों में टेलीफोन सेवाएं सामान्य हैं। माल्दा कस्बे में चालू वित्त वर्ष के दौरान 3000 लाइनों का एक डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान किए जाने की योजना है, जिससे माल्दा कस्बे की जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेगी।

नए खुदरा पेट्रोल केन्द्र

2273. **डा. साबीजी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1993-94 के दौरान 'आयाल सेलेक्शन बोर्ड' द्वारा मंजूर किए गए नए खुदरा पेट्रोल केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए गए नए खुदरा पेट्रोल केन्द्रों का आवंटन कर दिया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान तेल चयन बोर्ड (उ. प्रदेश) ने 93 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों के लिए योग्यता आधार पर नामावलियों की सिफारिश की। तेल विपणन कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सभी 93 बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी कर दिये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2274. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत छः माह के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार संबंधी कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क से (ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। तथा प्रत्येक मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड में छापे

2275 **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अनुषंगी एककों के परिसरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान किन-किन अनियमितताओं का पता चला; और

(घ) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (के.जा.ब्यू.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992,1993,1994 तथा 30.6.95 तक की अवधि के दौरान के.जा.ब्यू. द्वारा को.इ.लि. की विभिन्न सहायक एककों के कर्मचारियों के परिसरों पर उनके विरुद्ध रिश्वत लेने अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियों एकत्रित करने तथा निधियों एवं भण्डार का दुरुपयोग करने के संबंध में आरोपित पंजीकृत 28 मामलों की छान-बीन किए जाने के लिए 88 छापे मारे गये। के. जा.ब्यू. द्वारा की गई वर्ष वार मारे गये छापे तथा बरामद की गई परिसम्पत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	कुल मारे गये छापे	कीमत (नकद) रु.	कीमत (घरेलू वस्तु) रु.	कीमत (सोना) रु.	कीमत (अचल संपत्ति) रु.
1992	49	12,17,63	21,67,535	2,93,640	7,50,000
1993	16	15,40,470	5,63,305	6,31,109	19,200
1994	16	13,47,924	10,68,312	37,000	2,29,40
1995 (30.6.95 तक)	7	22,15,897	3,52,151	-	3,96,625

के.जा.ब्यू. द्वारा छान-बीन किये गये 28 मामलो मे से 17 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गये हैं। 2 मामलों को भारी दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये को. इ.लि. को संदर्भित किए जाने की सिफारिश की गई है तथा शेष 9 मामले के.जा.ब्यू. के जांचाधीन है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

2276. **श्री एन. डेनिस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुल कितने कार्मिक तैनात किए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त बल की कार्मिक संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तमिलनाडु में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुल 4095 कार्मिक तैनात हैं।

(ख) तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की संख्या निर्धारित की गई हैं।

जनगणना आंकड़े

2277. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के संबंध में जनगणना आंकडों का विश्लेषण करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जनगणना आंकड़ों आधारित अध्ययन के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के लिए भारत के महारजिस्ट्रार विभाग में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जनगणना संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्य को अवरुद्ध किए बिना इस महत्वपूर्ण अध्ययन को प्रत्याशित समय के भीतर किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अलग-अलग ग्रेड के चार पद स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) शुरुआत में 100 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का अध्ययन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अंशतः जनगणना निदेशालयों और अंशतः अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। यह अध्ययन, अन्य जनगणना परियोजनाओं को अवरुद्ध किए बिना किया जाएगा।

जल संसाधनों का उपयोग

2278. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्तिशाली नदी स्रोतों के होने के बावजूद देश की 70 प्रतिशत कृषि भूमि को जल की आपूर्ति के लिए अनिश्चित मानसून पर निर्भर रहना पड़ता हैं;

(ख) क्या नदी घाटियों में भारी मात्रा में भूगर्भ जल हैं;

(ग) यदि हां, तो कृषि उत्पादन हेतु इन जल संसाधनों के उपयोग के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) देश में सिंचाई की संभावना विकसित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) कृषि मंत्रालय की "भूमि उपयोग सांख्यिकी" 1991-92 (अनन्तिम) में दी गई नवीनतम सूचना के अनुसार, लगभग 69 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पोषित कृषि पर निर्भर है।

(ख) देश में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन लगभग 452 बिलियन घन मीटर आंके गये हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन के लिए भूजल संसाधनों के उपयोग निम्नलिखित द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं :

(1) खुदे हुए कुओं और नलकूपों जैसी कई नई भूजल सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के निर्माण को बढ़ावा देना।

(2) सार्वजनिक नलकूपों के प्रचालन और अनुरक्षण में लाभग्राही किसानों को शामिल करने के अलावा, सार्वजनिक नलकूपों व उनको पुनर्स्थापना में सुधार करना; तथा

(3) सतही जल एवं भूजल के संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देना।

(घ) 113.5 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में वर्ष 1994-95 के अन्त तक 86.92 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित (अनन्तिम) की गई हैं।

सरदार सरोवर परियोजना

2279. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड का ऋण न मिलने के कारण सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल बिजलीघर के लिए "टरबो जेनरेटिंग सेट्स" खरीदने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किन विकल्पों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड (जापान) से ऋण प्राप्त न होने तथा मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, जापान के साथ साख-पत्र खोले न जाने के कारण सरदार सरोवर परियोजना के पन-बिजली एकक के लिए उपकरणों के आयात के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) टरबो जेनरेटिंग सेटों को "नगद और उठाओ" आधार पर अधिप्राप्त करने के विकल्प का विचार है।

(ग) जी हां।

(घ) इस मुद्दे का समाधान करने के लिए भागीदार राज्य सरकारों और मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन के साथ कई बैठकें की गई। तथापि, कुछ व्यवहार्य समाधान पर पहुंचने के लिए सभी संबद्ध लोगों से विस्तृत परामर्श करना इस कार्यनीति का भाग है।

शराब विरोधी अभियान

2280. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय लोगों को मद्यपान की बुराइयों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जनजातीय कल्याण आयुक्तों के साथ कोई बैठक की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) मद्यनिषेध राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे मद्यनिषेध लागू करें। तथापि, भारत सरकार ने 1975 में मद्यनिषेध के लिए न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया है तथा 1978 में (विवरण के रूप में) (प्रति संलग्न) इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अतिरिक्त शराबखोरी की बुराइयों के विरुद्ध सर्व साधारण को शिक्षित करने के लिए चेतना निर्माण कार्यक्रम भी चलाया गया है। अनुबन्धक के अनुसार राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदिवासी क्षेत्रों में उत्पाद नीति पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस सम्बन्ध मे नवीनतम दिशा निर्देश इस मंत्रालय के पत्र संख्या 12022/2/92- टी.डी.सी. दिनांक 24 मार्च, 1993 को जारी किया गया था। दिशा निर्देशों के अनुसार अपनाएं जाने वाले जो तीन मौलिक मुद्दे थे, वे हैं :

(1) आदिवासी क्षेत्रों में शराब के उत्पादन तथा इसकी बिक्री के लिए वाणिज्यिक कार्यों को बन्द करना।

(2) अनुसूचित जनजातियों को उन्हें अपने परम्परागत तरीके से शराब बनाने और अपने घरों में तथा धार्मिक और सामजिक अवसरों पर उसके उपभोग की अनुमति प्रदान करना।

(3) अनुसूचित जनजातियों को शराब पीने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास करना और इस उद्देश्य के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं।

इसके अतिरिक्त शराब की खपत को बुराइयों के विरुद्ध विमर्श स्थानीय स्तर पर अभिमान कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों पर गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान स्वीकृत किए जाते हैं। इन अभियानों में पथ यात्रा, रैली, सांस्कृतिक प्रदर्शन, संगोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक विचार विमर्श, पेन्टिंग तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता स्थानीय स्कूलों और कालेजों में आयोजित की जाती हैं यह अभियान किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी ग्रामीण, शहरी तथा आदिवासी क्षेत्र इसमें कवर होते हैं।

(ग) और (घ) गुवाहाटी में फरवरी, 1995 में सम्पन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी आदिवासी कल्याण के मंत्रियों तथा सचिवों के सम्मेलन में आदिवासियों के बीच नशाखोरी की बुराइयों पर शिक्षा अभियान से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं।

कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदिवासियों के लिए आबकारी नीति के दिशा-निर्देशों की सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनन्य रूप से अपनाया जाना चाहिए।

विवरण

मद्य निषेध (1978) के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

I. तात्कालिक कदम :

(1) शुष्क दिवस लागू करना।

(i) 1978 में सप्ताह में दो दिन से शुरू करके शुष्क दिवस की संख्या में 1979 में चार दिन तथा 1980 में 6 दिन तथा 1981 में सभी दिनों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

(ii) शुष्क दिवस को पड़ोसी राज्य के परामर्श से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसमें अधिकतर सफलता मिल सके।

(iii) हर हालत में (वेतन दिवस) शुष्क दिवस होना चाहिए।

(iv) शहीद दिवस तथा गांधी जयन्ती और सभी महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहारों पर शुष्क दिवस होना चाहिए।

2. होस्टलों, होटलों, जलपान गृहों, क्लबों तथा सार्वजनिक स्वागत स्थलों जैसे लोक स्थलों में शराब पीने पर तत्काल रोक लगाई जाए।

3. इस सम्बन्ध में विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाएं।

4. कहीं भी डिस्टीलरियों, बेवरीज, खुदरा शराब विक्रेता दुकानदारों को नए लाइसेंस न दिए जाएं।

5. अगले एक वर्ष के अन्दर समाप्त होने वाले लाइसेंसों का नवीनीकरण न किया जाए, इसके लिए उन्हें अभी नोटिस दे दिए जाएं।

6. लाइसेंसशुदा दुकानों को अगले बारह महीनों के भीतर

(i) औद्योगिक सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के नजदीक

(ii) राजमार्गों, आवासीय क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थानों, आर्थिक स्थानों तथा कामगारों की कालोनियों के नजदीक दुकानें हटा ली जाएं।

7 मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विधायकों सहित तथा जनमत नेताओं द्वारा इस बारे में निजी मिसाल पेश किए जाएं।

8. सरकारी सेवकों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने से मना करना काफी नहीं होगा। उन्हें पूणतः शराब छोड़ देने बारे में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ड्यूटी पर नशे की हालत में पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाएं गए नियमों की रोशनी में राज्य सरकार के सेवकों के लिए शामिल करने वाले आचार्य नियमों में उपर्युक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

9. मोटर वाहन अधिनियम, 1987 (संशोधित) का कठोरता से अनुपालन।

10. सामान्य क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय बैठकों/सम्मेलनों का आयोजन।

II. **दीर्घावधि कदम**

राज्य सरकारों को तत्काल निम्नलिखित अभ्यास करना चाहिए ताकि निम्नलिखित दीर्घावधि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाने के लिए अपने आपको तैयार रखें।

(1) उन लोगों के लिए परमिट पद्धति लागू की जाए जो :

(i) व्यसनी

(ii) वे जो चिकित्सा उपचार पर है।

(iii) आपातकालीन मामलों में चिकित्सा उपभोग करते हों।

(iv) अस्थायी विदेशी नागरिक।

(v) सुविधाप्राप्त व्यक्ति अर्थात राज्याध्यक्ष, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति इत्यादि।

(vi) पर्यटन।

(vii) उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां शराब का उपभोग उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है।

(viii) चावल तथा महुआ फूलों और अन्य देशी शराबों का उत्पादन इन क्षेत्रों में परमिटों न्यूनतम प्रतिबन्ध होना चाहिए।

(2) निर्व्यसन केन्द्रों तथा व्यसनियों के परिवारों के कल्याण के लिए कर्मचारी संरचना हेतु रुपयों का प्रावधान।

(3) उपर्युक्त विकल्पों का प्रावधान जैसे सीरा और शराब उत्पादन की क्षमता में कमी।

(4) चलते-फिरते उद्देश्यों के लिए शराब के आबंटन में कमी तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शराब का वृहत्तर विचलना अर्थात 1978-79 में चलते फिरते उद्देश्यों के लिए शराब में 25 प्रतिशत की कमी तथा अगले वर्ष में इसे दुगुना किया जाए और अन्ततः इसे 1980 में पूरा किया जाए। शराब के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

(5) मद्यनिषेध के क्रियान्वयन से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उस संबंध में कमी लाने के लिए अभ्यास किए जाएं तथा रोजगार के लिए वैकल्पिक रास्तों की खोज की जानी चाहिए।

(6) पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण संस्थानों इत्यादि में उपर्युक्त पाठयक्रम को शामिल करके तथा शराब खोरों को अव्यावहारिक बताते हुए इस संबंध में बचपन से ही उचित मूल्यों का संचार किया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को शैक्षिक प्रचार के लिए आर्थिक प्रावधान।

(7) अवैध शराब जिससे वह बनता है, उसकी उपलब्धता की रोकथाम के लिए थिनर, टिंचर इत्यादि या उसके लिए आवश्यक साधनों पर रोक नियंत्रण का अभ्यास।

(8) मद्यनिषेध के कारण वास्तविक हानि की गणना और इसे कैसे पूरा किया जाएगा इसके ब्यौरे निधियों को सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सियों को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा शराब खोरी से बचाएं जाने वाले और

औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शराब का विपणन करने तथा अल्कोहल इत्यादि के निर्यात के फलस्वरूप राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व का लेखा-जोखा तैयार करना।

(9) नशीली दवा अनियंत्रण तथा मद्य निषेध के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएं जाएं।

(10) पुलिस उत्पाद, प्रशासन अवसंरचना इत्यादि तथा उनके प्रशिक्षण सहित क्रियान्वयन तैयार करने के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना।

अनुबन्ध 'क'

मद्यनिषेध पर प्रचार

फिल्म/इलैक्ट्रानिक माध्यम

हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 10 मीटर का मद्य निषेध पर दो नाटक आधारित कार्यक्रम का निर्देशन और प्रदर्शन किया गया तथा आकाशवाणी के 30 वाणिज्यिक चैनलों पर" आओ हाथ बढ़ाएं साप्ताहिक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारित किया गया है।

प्रेस माध्यम

महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस के आधार 2.10.1994 को समस्त भारत के राष्ट्रीय दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मद्यनिषेध पर महात्मा गांधी के संदेशों के साथ आगे पृष्ठ को विज्ञापन दिया गया है।

मुद्रण माध्यम

हिन्दी अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मद्यनिषेध पर एक पुरस्कार और विजेता इश्तहार प्रकाशित किया था और गैर सरकारी संगठनों राज्य कल्याण मंत्री।

वाह्य प्रचार माध्यम

दिल्ली तथा फरीदाबाद में निम्नलिखित वाह्य प्रचार मद्यनिषेध के सदेशों के साथ लगातार प्रदर्शित किए गए।

(1) 250 खोखों पर

(2) दिल्ली में 20 बस पड़ाव पर

(3) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु में 76 होर्डिंग्स

(4) कुटीर जम्भू में प्रदर्शित प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शन मद्यनिषेध पर संदेश।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

2281. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दूरदर्शन "पाएज्ड टूगो इन्टरनेशनल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1995-96 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप वार्षिक अनुमानित आय कितनी होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन ने अपने पैम एम सेट के साथ इसके उपग्रह पर ट्रांसपोडरों को किराये पर लेने के लिए एक समझौता किया है, जिससे दूरदर्शन अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवा को दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के अतिरिक्त यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में दिखाने में सक्षम होगा।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस सेवा के लिए अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) इस संबंध में अनुमान लगाना फिलहाल समय-पूर्व होगा।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर

2282. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सतलुज और यमुना के पानी के बंटवारे पर हुए समझौते की पुनरीक्षा करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) क्या उपर्युक्त (भाग-क) के कारण सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य रुक गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सन् 1967 में आरम्भ हुआ निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सतलुज और यमुना जल के बंटवारे सम्बन्धी समझौतों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) इस सूचना को लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं में सुधार

2283. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे कस्बों और गांवों में डाक सेवाओं के गिरते स्तर की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो डाक सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) हालांकि, छोटे नगरों और गांवों की डाक सेवाओं के स्तर में आमतौर से कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन, प्रचालन संबंधी बाधाओं जैसे परिवहन सेवाओं के स्थगित होने, स्टाफ की कमी, प्रतिकूल मौसम, कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और मनीआर्डरों के भुगतान के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त धनराशि न मिलना आदि की वजह से कुछ क्षेत्रों में वितरण और काउंटर सेवाओं में कठिनाइयां पेश आने की सूचनाएं मिली हैं। विभाग में सेवाओं की गुणवत्ता की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और प्रचालन संबंधी कमियों के बारे में आम व विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है तथा संसाधनों पर मौजूद दबावों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में दूरभाष केन्द्र

2284. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रो मैकेनिकल दोनों प्रकार के दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा इन दूरभाष केन्द्रों के दूरभाष लाइनों की क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है तथा ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रो-मेकैनिकल केन्द्रों को इलेक्ट्रानिक केन्द्रों में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1894 इलैक्ट्रानिक और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल, दोनों प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इन एक्सचेजों का ब्यौरा तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है, जिसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान, 100 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मैक्स-3 एक्सचेंजों को आठवीं योजना के अंत तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान स्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	एक्सचेंज का नाम
1	2
औरगांबाद	1. जालटा
	2. जामगांव
	3. सेकटा
	4. लांगी
	5. बोकूजलगांव
	6. गहैसमल
	7. बाडोद
बीड	8. चिकलंबा
	9. खाण्डवी
	10. देवला
	11. आदास
	12. शिराल
	13. खादकट
	14. उमपुर
	15. भवथाना
अकोला	16. वडाली देशमुख
	17. उमरेर
	18. कलंबाबोली
	19. आसेगांव
जालना	20. दाहजेफाल
	21. शेलगांव
	22. धावड़ा
	23. शेलगांव
	24. नलानी
	25. वकुलना
लातूर	26. शिवरी कोठाल
	27. साकोल
	28. एकुर्गा
	29. मुरूडाकोला

1	2
उस्मानाबाद	30. होरटी
	31. इटकूर
	32. मोहा
	33. खानासवाड़ी
	34. धनोरी
	35. पारा
	36. पडोली
	37. आसु
परभणी	38. मदासगांव
	39. पनकनहेरगांव
	40. पुसेगांव
	41. गोरेगांव
	42. वारांगा
	43. कन्हेरगांव
नान्देड़	44. येताला
	45. वघालवाड़ा
	46. सिंधी
	47. वनोला
	48. पटवाड़ा
अमरावती	49. आदगांव
	50. गडेगांव
बुल्ढाना	51. सुल्तानपुर
	52. किलवाड़
नागपुर	53. कोराड़ी
	54. नगर थान
	55. देवली
	56. रंगनवाड़ी
जलगांव	57. किनिही
	58. नकोड
	59. माल्दावाड़ी
	60. नीमखेड़ी
	61. हतांले
	62. खानभाने
	63. चन्द्रार
	64. खारची

1	2
	65. भादली
	66. सुनास गांव
	67. वकाडी
	68. असोदा
	69. खानदाणे
थाणे (कल्याण)	70. निर्मल
पुणे	71. वाडबांव धायरी
	72. गोरहे बीके
	73. डिग्वी
	74. देवलगांव राजे
	75. मालवाड़ी
	76. निमोने
	77. अम्बाड़े
	78. करान्दी
	79. गायत्री
रायगढ़	80. पुरार
	81. घोसाला
	82. देव नावे
	83. नगोथणे आई.पी.सी.एल
	84. वागाराप
	85. काशीद
सांगली	86. रिली
	87. येलापुर
	88. दरीबाद
	89. बोरागी
	90. उटागी
	91. सालगांव
	92. जाबपुर
रत्नागिरि	93. जराप
	94. चौके
	95. टकाली
	96. मालगांव
	97. कोंडये
	98. खुम्भावे
	99. वागीपुर
	100. खेलशी

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का जलना

2285. **डा. लाल बहादुर रावल : क्या पैट्रोलियम गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पैट्रोलियम की कमी के बावजूद विभिन्न पैट्रोलियम क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को भारी मात्रा में जलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1994-95 में 53.1 एम.एम.एस. सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ, जिसमें 5.55 एम.एम.एस. सी.एम.डी. गैस जला दी गई। गैस का दहन आंशिक रूप से तकनीकी कारणों से तथा आंशिक रूप से परिवहन एवं संपीड़न सुविधाओं की कमी तथा ग्राहकों द्वारा नहीं लेने आदि की वजह से है। सरकार दहन को कम करके तकनीकी दृष्टि से न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए पश्चिमी अपतट में गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना सहित अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं।

[अनुवाद]

होम गार्डों को अधिकार

2286. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किए गए होम गार्ड कार्मिकों को पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंसों की जांच करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस जब्त करने तथा चालान राशि वसूलने के अधिकार दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार होम गार्ड कार्मिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जब्त न करने के सम्बन्ध में समुचित अनुदेश जारी करेंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस के साथ ड्यूटी पर लगाए गए दिल्ली होम गार्डस के कर्मचारियों को नियमित रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि न तो वे ड्राईविंग लाईसेंसों की जांच करें और न ही उन्हें जब्त करें। वे केवल यातायात को नियमित करने में यातायात पुलिस की मदद करते हैं, वे गलती करने वाले वाहनों की पंजीकरण संख्या नोट कर सकते है और गलती करने वाले वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी करने के लिए उस संख्या को यातायात पुलिस की नोटिस शाखा को भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

2287. **श्री फूलचन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 को टेलीफोन कनेक्शन हेतु मंगलवार कितने आवेदन-पत्र लंबित थे;

(ख) जनवरी से अगस्त, 1995 तक इस प्रयोजनार्थ कितने अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए; और

(घ) एक वर्ष से अधिक समय से कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	145936
2.	असम	15425
3.	बिहार	35685
4.	गुजरात	235972
5.	हरियाणा	71058
6.	हिमाचल प्रदेश	19752
7.	जम्मू एवं कश्मीर	21995
8.	कर्नाटक	133605
9.	केरल	342240
10.	मध्य प्रदेश	61480
11.	महाराष्ट्र	252869
12.	उत्तर-पूर्व	6414
13.	उड़ीसा	8383
14.	पंजाब	204892
15.	राजस्थान	184286

1	2	3
16.	तमिलनाडु	242356
17.	उत्तर प्रदेश	134133
18.	पश्चिम बंगाल	26573
19.	अंडमान एवं निकोबार	1184
20.	बम्बई	82031
21.	कलकत्ता	62610
22.	दिल्ली	196109
23.	मद्रास	98202
	जोड	2583194

[अनुवाद]

निर्धन लोगों की संख्या तथा उनके अनुपात के अनुमान सम्बन्धी रिपोर्ट

2288. **श्री जगतबीर सिंह द्रोण : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन लोगों की संख्या तथा उसके अनुपात के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या रहा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) गरीबों की संख्या तथा उसके अनुपात के अनुमान सम्बन्धी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट गरीबी के मुद्दे पर व्यापक चर्चा के लिए परिचालित की गई है। यह रिपोर्ट गरीबी सम्बन्धी कई प्रमुख विशेषज्ञों को भी टिप्पणियों के लिए भेजी गई है। गरीबी अनुमान सम्बन्धी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिये प्रपत्र

2289. **श्री संजय लाल :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरन्तर बढ़ते हुए अपराध ग्राफ को देखते हुए सरकार तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए नया प्रपत्र तैयार किया है;

(ख) क्या अपराधों पर निगरानी रखने और रोकने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं;

(ग) क्या देश में सभी पुलिस स्टेशनों में नई प्रपत्र योजना अन्तिम उद्देश्य के साथ तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) देश में अपराध रिकार्ड के संगणकीकरण के लिए चल रही योजना के अनुकूल एकीकृत जांच-पड़ताल प्रपत्रों का एक नया सेट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए एक नया प्रपत्र है, देश में शुरू किया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। अपराधों को प्रबोधन करने और रोकने के लिए अनेक परियोजनायें शुरू की गयी हैं, अर्थात :

1. अपराध, अपराधी सूचना प्रणाली (सी.सी.आई.एस.)
2. आटोमेरेड फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम (ए.एफ.आई.एस.)
3. वांछित/गिरफ्तार (तलाश) सूचना प्रणाली।
4. मोटर वाहनों के लिए सम्पत्ति समन्वय प्रणाली।
5. आग्नेयास्त्रों के लिए सम्पत्ति समन्वय प्रणाली।
6. सांस्कृतिक सम्पत्ति के लिए सम्पत्ति समन्वय प्रणाली।
7. आतंकवादी सूचना प्रणाली।
8. 40 डिजिट एफ.पी. आईडेन्टीफिकेशन सिस्टम।

ये पैकेज अब चल रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) एकीकृत जांच-पड़ताल प्रपत्रों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं :

1. ये प्रपत्र, अपराध जांच-पड़ताल के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे और केस रिकार्ड का हिस्सा होगा।
2. ये प्रपत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 में बताए गए जांच-पड़ताल के कानूनी उपायों के अलावा अन्यत्र से एकत्र किए गए साक्ष्यों को रिकार्ड करने के लिए बनाए गए हैं।
3. सभी प्रकार के अपराधों, चाहे वे सम्पत्ति या गैर-सम्पत्ति के अपराध हों, के बारे में सभी सूचनाएं संगणक में भरी जाएंगी।
4. आंकडों की पुनः प्राप्ति के जरिए जांच अधिकारी की सहायता के लिए स्टोर किए गए सभी आंकडे प्रचालानात्मक महत्व के हैं।
5. जांच अधिकारियों द्वारा फील्ड में एकत्र किए गए सही आंकड़ों को समय पर संगणक में भरा जाएगा। आंकड़ों को अद्यतन करने/उनमें सुधार करने के

लिए, बाद में प्राप्त सूचना को भी भरा जाएगा। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

6. चूंकि, हस्तलिखित रिकार्ड के लिए आवश्यक सूचना संगणक प्रणाली पूरी तरह चालू होने पर उपलब्ध हो जाएगी, अतः हस्तलिखित रिकार्ड को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है।

7. अपराध, अपराधियों और सम्पत्ति से संबंधित सभी सूचना मैन्युल बेकअम और त्वरित संदर्भ के लिए सावधिक रूप से, माहवार, तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर निकाली जा सकती है।

8. जांच अधिकारियों का कागज-पत्र का अतिरिक्त कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

9. जांच अधिकारियों को सावधिक आंकड़ा रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस कार्य को संगणक स्वतः कर लेगा। पुलिस स्टेशनों को भी प्रतिलिपियां उपलब्ध होंगी।

10. प्रपत्रों के निम्नलिखित लाभ होंगे :

(i) मानकीकरण

(ii) कानून के अनुरूप

(iii) सरलीकृत प्रक्रिया

(iv) घटनास्थल पर प्रयोग के लिए आसानी

(v) मामलों का त्वरित निपटान

(vi) समग्र लेखन कार्य में कुछ कमी।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एकीकृत जांच-पड़ताल प्रपत्रों का कार्यान्वयन

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम, जिनमें एकीकृत प्रपत्र शुरू किए गए हैं	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जहां सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन एकीकृत प्रपत्र अभी शुरू किए जाने हैं	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम, जहां सरकार के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है
1. अरुणाचल प्रदेश	1. सिक्किम	1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह
2. असम	2. उत्तर प्रदेश	2. बिहार
3. दमन व दीव	3. पांडिचेरी	3. चण्डीगढ़
4. कर्नाटक	4. हिमाचल प्रदेश	4. दादरा व नगर हवेली
5. मेघालय		5. दिल्ली
6. मिजोरम		6. गोवा
7. मणिपुर		7. गुजरात
8. नागालैण्ड		8. जम्मू व कश्मीर
9. उड़ीसा		9. केरल
10. राजस्थान		10. लक्षद्वीप
11. त्रिपुरा		11. महाराष्ट्र
12. आन्ध्र प्रदेश		12. पंजाब
13. मध्य प्रदेश		13. पश्चिम बंगाल
14. हरियाणा		14. तमिलनाडु

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश का वार्षिक योजना आवंटन

2290. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में आन्ध्र प्रदेश के वार्षिक योजना आवंटन में वृद्धि करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में आन्ध्र प्रदेश के लिए कुल कितने आवंटन का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश का वार्षिक आवंटन दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित आवंटन से बहुत कम निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह आवंटन कितना कम है;

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को और धनराशि देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

2291. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफ.आई.पी.बी. ने भी सदर्न एल.पी.जी. लिमिटेड की इक्विटी संरचना को शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व में बदलने संबंधी प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मामला विशेष के गुण दोष पर निर्भर करते हुए मामला दर मामला के आधार पर शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी के संबंध में विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) एफ.आई.पी.बी. की सिफारिश पर शक्ति प्रदत्त समिति ने मैसर्स सदर्न एल.पी.जी. के मामले में शत् प्रतिशत विदशी इक्विटी का अनुमोदन किया है।

मध्य प्रदेश में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

2292. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में एस. टी.डी., पी.सी.ओ.के आवंटन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में एस.टी.डी., पी. सी.ओ. के आवंटन के लिए निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में हुई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1994-95	2150	2417
1995-96	3200	294 (8.8.95 तक)

पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को विनियंत्रित किया जाना

2293. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम के आयात को विनियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कम्पनियां तेल व्यापार में शामिल होने की योजना बना रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) निर्यात आयात की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब और जैसे आवश्यक समझा जाए, इसे बदला जाता है।

उदारीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार ने 'नाफ्था के आयात को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया है तथा ए.टी.एफ., ईंधन तेल और बिटुमेन के लिए विशेष आयात लाइसेंस योजना आरंभ की है जिसके अन्तर्गत कोई भी उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इन उत्पादों का आयात कर सकता है।

पाक प्रशिक्षित उग्रवादी

2294. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री सनत कुमार मंडल :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि गुजरात और राजस्थान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहुत से पाक प्रशिक्षित सिक्ख उग्रवादी एकत्र हो गये हैं और वे पंजाब तथा देश के अन्य भागों में पुनः आतंकवादी गतिविधियां शुरू करने के लिए घुसपैठ करने हेतु उपयुक्त अवसर की तलाश में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है।

(ग) सरकार स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है और कड़ी नजर रख रही है। आसूचना तंत्र को सुचारु बनाने और उग्रवादी गिरोहों के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान सहित सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उग्रवादियों के संभावित इरादों का मुकाबला करने और अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को यथोचित रूप से सुग्राही बना दिया गया है। गंगा नगर तथा बीकानेर जिलों में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और जैसलमेर तथा बाडमेर जिलों में कार्य प्रगति पर है। गुजरात में सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग को सुदृढ़ बनाया गया है।

[हिन्दी]

तेल का उत्पादन

2295. **डा. चिन्ता मोहन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बाम्बे हाई में विभिन्न चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त तेल के अतिरिक्त उत्पादन के लिये 1993 में निविदायें आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव भेजने वाले स्वदेशी और विदेशी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अब इस कार्य के लिए पुनः निविदायें आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. ने बम्बई हाई के अतिरिक्त विकास के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय क्षमता वाली कंपनियों की रुचि को संपुष्ट किया था। जिन पांच विदेशी कंपनियों ने बोलियां प्रस्तुत की थीं, वे निम्नानुसार हैं :

1. मैसर्स अमोको इंडिया पेट्रोलियम कंपनी, अमेरिका।
2. मैसर्स आरको इंटरनेशनल आयल एंड गैस कंपनी, अमेरिका।
3. मैसर्स शेवरन ओवरसीज पेट्रोलियम इंक लिमिटेड, अमेरिका।
4. मैसर्स आवसीडेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, अमेरिका।
5. मैसर्स टोटल एक्स्प्लेरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, फ्रांस।

(ग) इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश की योजनाएं

2296. **श्री जनार्दन मिश्र :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कितनी योजनाएं भेजीं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं को स्वीकृत दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विद्युत, सिंचाई, परिवहन, आवास, शहरी विकास, वन, चिकित्सा आदि से संबंधित अनेक स्कीमें भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाई गई हैं।

(ख) से (घ) अनेक केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ये स्कीमें संचालित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

डाक नेटवर्क की समीक्षा

2297. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित डाक नेटवर्क के विस्तार के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछली समीक्षा किस तारीख को की गई थी;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में डाक नेटवर्क का विस्तार सरकार द्वारा की गयी समीक्षा के अनुरूप किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा वर्ष 1994-95 के दौरान की गई थी।

(ग) से (ङ) जी हां। डाकघर सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें, मानदंड पूरे होते हों और प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता आदि की दृष्टि से यह संभव हो। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों (1992-93, 1993-94 और 1994-95) के दौरान मंजूर किए गए डाकघर।

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य		वास्तविक रूप से मंजूर किए गए	
		शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38	15	18	20
2.	असम	57	10	53	10
3.	बिहार	163	27	160	9
4.	दिल्ली	-	21	-	18
5.	गुजरात	50	25	45	12
6.	हरियाणा	22	20	26	9
7.	हिमाचल प्रदेश	42	9	105	4
8.	जम्मू और कश्मीर	10	4	28	1
9.	कर्नाटक	31	22	31	18
10.	केरल	33	18	45	15
11.	महाराष्ट्र	145	27	142	43
12.	मध्य प्रदेश	95	19	85	16
13.	उत्तर पूर्व	76	10	75	5
14.	उड़ीसा	79	13	82	12
15.	पंजाब	23	11	18	11
16.	राजस्थान	95	23	92	14
17.	तमिलनाडु	26	16	18	11
18.	उत्तर प्रदेश	182	41	193	28
19.	पश्चिम बंगाल	113	19	90	6
	कुल	1280	350	1306	262

विदेशी भागीदारों को रायल्टी

2298. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैल्युलर और बुनियादी टेलीफोन सेवाओं में भारतीय फर्मों के विदेशी भागीदारों को रायल्टी देना अस्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) रायल्टी भुगतान अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव हैं और उनमें किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी अंतरण वाली बात शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान

2299. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदानों के लिये केन्द्रीय सरकार को कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया गया है; और

(घ) मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की वयोवृद्ध, किशोर सामाजिक कुसमंजन का नियंत्रण, भिक्षावृत्ति निवारण, निराश्रित बच्चे तथा व्यसनियों कहीं समस्याओं से संबंधित योजनाओं सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग

व्यक्तियों के लिए योजनाएं हैं जहां तक विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध हैं, इसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सुपरिचित और सुस्थापित सूत्र के अनुसार आवंटित किया जाता है। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है, इनका विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों, पहले के अनुदानों के उपयोग, समान शेयर के लिए राज्यों के बजटों में प्रावधान आदि के अनुसार आवंटन किया जाता है। जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय विकास निगमों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अन्य प्राधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और दूसरी पिछड़ी जातियों को राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से विभिन्न राज्य/निगमों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए ऋण अग्रिम पर दिए जाते हैं। यही स्थिति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और राष्ट्रीय अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए दिए गए फण्डों की है। अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की एक योजना है, जिसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहां तक विकलांग व्यक्तियों के कारण का सम्बन्ध है, ये योजनाएं कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और अनुदान प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान किया जाता हैं और बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा मुहैया कराने के लिए किया जाता है। जहां तक समाज रक्षा योजनाओं का सम्बन्ध है, ये सभी योजनाएं केन्द्र प्रायोजित किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण तथा नियंत्रण की योजना और भिक्षावृत्ति की योजना को छोड़कर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त मांग के अनुसार और उनके द्वारा अपने हिस्से के संबंध में बजट प्रावधानों तथा पहले ही निर्मुक्त किए गए अनुदानों के उपयोग को भी ध्यान में रखे हुए अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-1995 के दौरान मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992–93	1993–94	1994–95
	2	4	5	6
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	53 81	474.76	725.23
2.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	207.92	168.63	121.76
3.	पुस्तक बैंक	24.37	36.90	42.14
4.	लड़कों के होस्टल	101.84		130.65
5.	लड़कियों के होस्टल	134.52	0.64	
6.	कोचिंग तथा संबद्ध	3.00	3.00	
7.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	24.00	57.65	51.88
8.	विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	1839.09	2803.81	2097.50
9.	सफाई कर्मचारियों को मुक्ति	1336.00	1226.00	1589.00
10.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	101.10	16.75	204.52
11.	योग्यता का उन्नयन			20.95

1	2	4	5	6
	आदिवासी विकास			
12.	लड़कियों के लिए होस्टल	83.06	27.03	115.93
13.	लड़कों के लिए होस्टल	68.74	39.28	16.90
14.	आश्रम स्कूल	–	–	–
15.	अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए कम साक्षर इलाकों में शैक्षिक परिसर	–	35.20	52.30
	समाज रक्षा			
16.	किशोर समाज कुसमंजन का निवारण तथा नियंत्रण की योजना	86.98	–	100.71
17.	भिक्षावृत्ति निवारण की योजना	–	3.52	–

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना की हिस्सा लागत

2300. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा गुजरात को अपने हिस्से की लागत की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, । 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में गुजरात सरकार को पक्षकार राज्यों से देय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश	317.00 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	45.29 करोड़ रुपये
राजस्थान	125.76 करोड़ रुपये
जोड़	488.13 करोड़ रुपये

(ग) गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में हिस्से लागत के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया गया और राज्यों को गुजरात सरकार के किए जाने वाले बकाया देयों के तत्काल निपटान की आवश्यकता के बारे में अवगत करा दिया गया है। इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति द्वारा भी विचार किया गया जिसमें बकाया देयों वाले राज्यों ने इस मुद्दे को गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के जरिए हल करना स्वीकार किया।

जनजातीय महिलाओं में स.अरता

2301. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के प्रसार के लिए कोई योजना आरम्भ की गई।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या देश में निरक्षर जनजातीय महिलाओं की संख्या तथा उनके बाहुल्य प्रधान क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत कितनी जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा योजना के प्रारम्भ से अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों की योजना 1993-94 से शुरू की गई है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए बजट प्रावधान 2.00 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार, 2.18 करोड़ अनुसूचित जनजाति महिलाएं निरक्षर हैं जिसमें से 2 करोड़ ग्रामीण और शेष 0.11 करोड़ शहरी क्षेत्रों में हैं।

(ङ) 2450 अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लाभार्थ 49

शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान 3.22 करोड़ रुपये की कुल राशि प्रदान की गई है।

फिल्मों का चयन

2302. **प्रो. एम. कामसन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैनोरमा, 1996 के लिए चलचित्र, कथानक और कला की दृष्टि से कुछ उत्कृष्ट फीचर और नान-फीचर फिल्मों के चयन के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित औपचारिकताओं और पात्रता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पैनोरमा 1996 के लिए प्रविष्ट फिल्मों के ब्यौरों से संबंधित जानकारी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 11 सितम्बर, 1995 तक प्राप्त होगी। भारतीय पैनोरमा विनियम 7 एवं 8 में यथा निर्धारित भारतीय पैनोरमा में प्रविष्टि के लिए पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

I. प्रविष्टि के लिए पात्रता की शर्तें :

(1) पूर्ववर्ती वर्ष की 1 सितम्बर और जिस वर्ष में भारतीय पैनारमा फिल्मों को चयन किया जा रहा है उसकी 31 अगस्त के बीच किसी भी भारतीय भाषा में निर्मित तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म प्रविष्टि के लिए पात्र है (यदि 1 सितम्बर और 31 अगस्त अवकाश के दिन हों तो अगले सरकारी कार्य दिवस की तारीख को अंतिम तारीख समझा जायेगा)।

(2) 16 मि.मी., 35 मि.मी. या बड़े गेज की किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कथाचित्र के रूप में प्रमाणीकृत फिल्म। कथाचित्रों के लिए प्रविष्टियां 70 मिनट के प्रदर्शन समय से कम की नहीं होंगी।

(3) (i) गैर फीचर फिल्मों के खंड में केवल वे फिल्में पात्र हैं, जो डाक्युमेंटरी/न्यूजरील/गैर कथा/लघु फीचर फिल्मों के रूप में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित की जाती हैं।

(ii) लघु फीचर फिल्म वर्ग के लिए प्रविष्टियां 70 मिनट की अवधि तक की होनी चाहिए।

(4) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा निर्मित फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना प्रविष्टि के लिए पात्र है। यदि फिल्म के पास सेंसर प्रमाण पत्र नहीं हैं तो संगठन के प्रमुख से इस आशय का यह विशिष्ट प्रमाण पत्र कि फिल्म विनियम 7 (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान संस्थान द्वारा बनाई गई हैं, प्रविष्टि फार्म के साथ भेजना जाना चाहिए।

(5) जो फिल्म पिछले वर्षों में पैनोरमा वर्ग में पहले ही शामिल की जा चुकी हो, उसका पुनर्निर्माण, डब किए रूपांतर और संशोधित रूपांतर प्रविष्टि के लिए पात्र नहीं हैं।

(6) क. किसी विदेशी कम्पनी के साथ सह निर्माण के मामलें में, प्रविष्टि के लिए पात्रता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त नीचे दी गई शर्तें लागू होंगी।

(i) भारतीय निर्माता कम्पनी भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।

(ii) फिल्म का शीर्षक, किसी भारतीय फिल्म के शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(iii) निर्देशक भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा अभिनय करने वाले कलाकारों और तकनीशियनों में भारतीय नागरिकों की प्रधानता होनी चाहिए।

(iv) भारत में अधिकार धारक के पास प्रिंट निकालने के लिए नेगेटिव अधिकार उपलब्ध होने चाहिए।

(v) आवेदक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह फिल्म को भारतीय प्रविष्टि के रूप में भारत और विदेशों में आयोजित फिल्मोत्सवों में तथा अन्य सभी भारतीय पैनोरमा फिल्मों की भांति फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा के विशेष प्रदर्शन के लिए भाग लेने की स्वीकृति दे सकें।

(6) ख. किसी वर्ष विशेष में किस विशेष वर्ग में प्रदत्त निर्धारित संख्या 21 कम फिल्मों के चयन की दशा में निदेशक फिल्म समारोह निदेशालय अखिल भारतीय पैनल, जो वास्तव में फिल्मों का चयन करता है, को ऐसी उत्कृष्ट फिल्मों के चयन की अनुशंसा कर सकता/सकती है, चाहे वे प्रमाणन की निर्धारित तिथि के चार माह बाद भी प्रमाणित क्यों न की गई हों।

II. फिल्मों को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया :

(1) भारतीय पैनोरमा में अपने कथाचित्र/ गैर कथाचित्र को प्रविष्ट करने का इच्छुक निर्माता या अधिकार धारक निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान योजनाबद्ध एस.टी.डी. स्टेशनों का ब्यौरा

क्र.स.	गौण स्विचन क्षेत्र	स्टेशन
1	2	3
1.	अहमदनगर	तीसगांव
2.	"	अमरापुर
3.	"	बारादरी
4.	"	बेलापुर (टी)
5.	"	हिंगनगांव
6.	"	जवाले (के)
7.	"	जेलीर
8.	"	कोल्हार खुर्द
9.	"	मंगलापुर
10.	"	पावारासंगम
11.	"	बेनगांव (एस)
12.	"	बोनाई
13.	"	तममेरे
14.	अकोला	बी. टेकली
15.	"	पाटूर
16.	"	तेलहारा
17.	अमरावती	चिकालदारा
18	"	धरानी
19.	औरंगाबाद	फतेहपुर
20.	बीड	आशती
21.	"	धारूर
22.	भंडारा	जवाहर नगर
23.	बुल्दाना	मेहेवार
24.	चंद्रापुर	गडचानौर
25.	धूले	ढाडगांव
26.	गडचिरौली	अहेरी
27.	जलगांव	चीनावाल
28.	"	फैजपुर
29.	"	मखाड़
30.	"	नशीराबाद
31.	"	पाहूर
32.	जलगांव	पाल
33.	"	शेनदूरनी
34.	"	वाहाली
35.	जलना	नेर
36.	कल्याण	पदगाह
37.	कोल्हापुर	साडोली खालसा
38.	अमरावती	चंदूरबाजार
39.	मानहेड	डेगलोर
40.	"	हदगांव
41.	"	कंधार
42.	"	अमोहा
43.	"	भुखको
44.	"	नएगांव
45.	"	उमरी
46.	उस्मानाबाद	कल्लाम
47.	"	वाशी
48.	परमानी	सोनपेश
49.	पुणे	केडगांव
50.	"	सोमेश्वर नगर
51.	रायगढ़	सिखाडी
52.	"	बोरलीभांडला
53.	"	बोरलीपंचयाता
54.	"	कमारली
55.	"	काबु
56.	"	नागांव
57.	"	नैराल
58.	"	वेरोआइ
59.	रत्नागिरि	देवरूंख
60.	"	मनगांव

1	2	3
61.	"	पावस
62.	"	रनपार
63.	"	संगमेश्वर
64.	सतारा	ढेडकवाडी
65.	"	खताव
66.	"	कुदाल
67.	"	मल्हारपेठ
68.	"	पूसेगांव
69.	"	पुससवाली
70.	"	सुरूर
71.	"	वियाजवाडी
72.	सोलापुर	जेवोर
73.	"	जेवोर (के.एम.सी.)
74.	"	भोदनीम
75.	"	नयपुरे
76.	"	श्रीपुर
77.	"	टेमभूरने
78.	"	बेलापुर
79.	यवतमाल	मारेगांव
80.	"	वाणी

[हिन्दी]

कोयले के भण्डार

2308. **श्री रामदेव राम :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू जिले में कोयला खानवार कुल कितनी मात्रा में कोयले का भण्डार होने की सम्भावना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में उन कोयला खानों के नाम क्या हैं, जहां पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं बिहार खनिज विकास निगम द्वारा कोयले का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम पर आगामी वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. तथा बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बिहार के पलामू जिले में उत्खनित की जा रही कोलियरियों के नाम पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कोलियरी के लिए निर्धारित किए गए कोयले के उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्ध भंडारों की मात्रा सहित, स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

(लाख टन में)

कोलियरी का नाम	भंडार (लाख टन में)	उत्पादन लक्ष्य 1992-93	93-94	94-95
सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. (से.को.लि.)				
राजहरा	12.5	3.90	4.02	3.50
हुटर क्षेत्र "ए"	समापन के समीप	-	-	-
क्षेत्र "सी"	16.0	0.20	0	0.22
तितरईखास (नार्थ करनपुरा क्षेत्र)	97.00	-	-	4.75
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि. (बी.एस.एम.डी.सी.एल.)				
सिकनी	45.00	1.20	1.20	0.90

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए निधियों के एवज् में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	क्षेत्र	आवंटित निधि	(लाख रु. में) किया गया व्यय
1992-93	राजहरा	4.48	4.00
	नार्थ करनपुरा	6.00	6.19
1993-94	राजहरा	8.50	8.50
	नार्थ करनपुरा	8.50	1.38
1994-95	राजहरा	6.00	4.00
	नार्थ करनपुरा	5.00	5.00

राजरप्पा तथा नार्थ करनपुरा क्षेत्र के लिए वर्ष 1995-96 में क्रमशः दो लाख रु. तथा छः लाख रु. की राशि इसी कार्यक्रम के लिए मुहैया की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल की आपूर्ति

2309. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज के स्थानों पर पेट्रोल की समुचित आपूर्ति नहीं होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम की कोई समग्र कमी नहीं है, फिर भी कई बार कानून और व्यवस्था स्थिति (उदाहरणार्थ कतिपय उत्तर पूर्वी राज्यों तथा कश्मीर घाटी में), सड़क टूट फूटों/बाढ़ों इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित अनिवार्य बाध्यताओं के कारण आपूर्तियां भंग हो जाती हैं।

(ग) संवेदनशील पर्वतीय जिलों में उपर्युक्त भण्डार क्षमता तथा वितरण नेटवर्क सृजित किए गए हैं तथा भण्डार स्थिति की सघन देख रेख की जा रही है।

[अनुवाद]

पत्रों के उत्तर

2310. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कलकत्ता टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक को ससंद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन ने इन पत्रों पर न तो कोई कार्रवाई की है और न ही संसद सदस्यों को शीघ्रता से उत्तर भेजे जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने और आवश्यक निर्देश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मुख्य महाप्रबंधक कलकत्ता टेलीफोन्स ने पिछले एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों से 431 पत्र प्राप्त किए हैं।

(ख) संसद सदस्यों के पत्रों पर अग्रता आधार पर कार्रवाई की जाती है और तदनुसार उपयुक्त उत्तर भेजे जाते हैं।

(ग) और (घ) उक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन योजना

2311. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्दीय सरकार को गरीबी उन्मूलन संबंधी कोई योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रोजनार्थ कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई गरीबी उन्मूलन स्कीम प्रस्तुत नहीं की गई है। बहरहाल, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यान्वित की जा रही तीन प्रमुख चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं (I) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.); (II) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और (III) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) । चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान इन स्कीमों के लिए आवंटन नीचे लिखे अनुसार है :

स्कीम	(लाख रुपये)
आई.आर.डी.पी.	10,565.39
जे.आर.वाई.-प्रथम चरण	39,808.58
द्वितीय चरण	7,588.23
ई.ए.एस.	10,412.50

(जुलाई, 1995 तक जारी किया गया)

(ई.ए.एस. स्कीम के तहत कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह स्कीम मांग अनुसार निर्धारित की जाती है)

जे.आर.वाई. के तीसरे चरण के तहत राज्य के लिए अब तक 11.72 करोड़ रुपये की कुल लागत सहित छः नवीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं 1994-95 से कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

कोयले की आवश्यकता

2312. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या राज्य में इन ताप विद्युत केन्द्रों के लिए आवश्यक कोयले की भारी कमी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की

आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने की विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा आंध्र प्रदेश के सभी तापीय विद्युत गृहों जिसमें राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम भी शामिल हैं, के लिए वर्ष 1995-96 के लिए कुल कोयले की मांग 21.75 मि. टन को मूल्यांकन किया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश के सभी विद्युत गृहों को अप्रैल, 95 से जुलाई, 95 की अवधि के दौरान कोयले के संयोजन तथा प्रेषणों से संबंधित आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :

(मिलियन टन में)
(आंकड़े अंनतिम)

संयोजन	प्रेषण
अप्रैल, 95 से जुलाई, 95	अप्रैल, 95 से जुलाई, 95
7.060	6.606

अप्रैल, 1995 माह के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में हड़ताल होने के कारण आंध्र प्रदेश के विद्युत गृहों को कोयले का कम प्रेषण हुआ।

हडताल की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के विद्युत गृहों की कोयले की मांग को पूरा करने हेतु कोयले को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि. और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से अंतरित करना पड़ा। कोयला कंपनियों को योजना आयोग द्वारा प्रक्षिप्त की गई मांग के अनुसार कोयले की सम्पूर्ण मांग को पूरा किए जाने के लिए तैयार कर दिया गया है बशर्ते कि परिवहन संबंधी तथा कोयले की अदायगी किए जाने संबंधी बाधाएं सामने न हों। विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले का प्रेषण किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, स्थिति की एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना

2313. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव, केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

साफ्ट कोक

2314. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में साफ्ट कोक की मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने साफ्ट कोक का उत्पादन हुआ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वार साफ्ट कोक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए साफ्ट कोक के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में साफ्ट कोक के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए दानकुनी कोयला परिसर में साफ्ट कोक, कम ताप कार्बनीकरण का उत्पादन किए जाने के लिए 2.90 मि.ट. कच्चे कोयले की आवश्यकता होगी।

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को को.इं.लि. द्वारा साफ्ट कोक का कुल प्रेषण 2.4 लाख टन किया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में साफ्ट कोक का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1992-93	4.85
1993-94	4.31
1994-95	2.46

(ग) विभिन्न बाधाओं के कारण साफ्ट कोक के उत्पादन में गिरावट आ रही है। देश में घरेलू ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) दानकुनी कोयला परिसर में उत्पादित "सिलकोक" के उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(2) एस.एस.एफ. संयंत्रों/ब्रिकेटिंग एककों के गठन के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना;

(3) कच्चे स्टीम कोयले की पेशकश करना ताकि साफ्ट कोक दूरस्थ स्थानों पर निर्मित किया जा सके तथा न कि इसका निर्माण एकीकृत के रूप में किया जा सके।

(घ) साफ्ट कोक के उत्पादन लक्ष्यों को केवल वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों पर विचार करते समय वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। तद्नुसार, वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित साफ्ट कोक उत्पादन का लक्ष्य 3.38 लाख टन रखा गया है।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उपयोग

2315. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उपलब्ध प्राकृतिक गैस का औद्योगिक तथा घरेलू कार्यों के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(ख) 1 अप्रैल 1995 की स्थिति के अनुसार कितनी गैस पाइप लाइनें चालू हैं और चालू वर्ष में कितनी पाइप लाइनें निर्माणाधीन हैं;

(ग) औद्योगिक प्रयोजनार्थ इस्तेमाल की गई गैस का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी है।

(ख) प्रचालन अन्तर्गत मुख्य पाइप लाइनों में एच.बी.जे. पाइप लाइन, बसीन-हजीरा, बंबई हाई से उरान, काकीनाडा से तातीपाका, नरसापुर से कोव्वूर नामरूप से उरान, डबका से धुवरना आदि पाइप लाइनें सम्मिलित हैं। इनके अलावा, लगभग 60 अन्य छोटी पाइप लाइनें प्रचालन में थी। चालू वर्ष के दौरान निर्माणाधीन मुख्य पाइप लाइनों में द्वितीय बसीन-हजीरा, आई.सी.पी.-हीरा तथा बीजापुर-दादरी पाइप लाइनों सम्मिलित हैं।

(घ) चालू वर्ष में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994-95 में उत्पादित 53 एम.एम.सी.एम.डी. के प्रति लगभग 62 एम.एम.सी.एम.डी. होने की संभावना है।

विवरण

1994-95 में प्राकृतिक गैस का राज्यवार तथा क्षेत्रवार उपयोग

(एम.एम.एस.सी.एम.डी.)

राज्य	उर्वरक	विद्युत	स्पंज लौह	घरेलू	औद्योगिक	योग
आन्ध्र प्रदेश	1.26	0.31			0.04	1.61
असम	0.95	0.76			0.65	2.36
दिल्ली		0.56				0.56
गुजरात	4.79	3.51	1.19	0.523	1.97	11.98
हरियाणा					0.33	0.33
महाराष्ट्र	5.41	4.21	0.80		0.74	11.16
मध्य प्रदेश	1.41					1.41
राजस्थान	1.42	1.34				2.76
त्रिपुरा		0.26		0.001		0.27
तमिलनाडु		0.02			0.017	0.038
उत्तर प्रदेश	3.11	3.31			0.17	6.59
पांडिचेरी					0.002	0.002
योग	18.35	14.28	1.99	0.524	3.912	39.056

सिंचाई क्षमता

2316. **श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान केरल में कुल कितनी सिंचाई क्षमता विकसित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य में कुछ नई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) 1994-95 के दौरान केरल में वृहद के मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित कुल प्रत्याशित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 78.44 हजार हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) सरकार को आठवी योजना के दौरान कोई नई परियोजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव नहीं है। सिंचाई क्षमता के अतिरिक्त सृजन के लिए लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) और वार्षिक योजना 1995-96 के लिए वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य क्रमशः 248 हजार हैक्टेयर और 80.35 हजार हैक्टेयर निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

एच.बी.जे. पाइल लाइन से गैस की आपूर्ति

2317. **डा. सत्यनारायण जटिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1995 के अनुसार एच.बी.जे. पाइप लाइन से आपूर्ति की जा रही गैस की मात्रा राज्यवार एवं परियोजनावार कितनी है;

(ख) एच.बी.जे. पाइल लाइन से आपूर्ति की जा रही गैस की मात्रा में अभी तक कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके भावी लक्ष्य क्या हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी मात्रा के गैस सम्पर्क की आवश्यकता है तथा इसकी कब तक पूरी कर दी जाएगी; और

(घ) इस बारे में क्या नीति बनाई गई है तथा मध्य प्रदेश के बारे में गैस की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 1994-95 में 14.44 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की तुलना में अप्रैल-जून, 1995 के दौरान एच.बी.जे. पाइप लाइन से औसतन आपूर्ति 18.06 एम.एम.एस.सी.एम.डी. थी।

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों के लिए 4.2 एम.एम.एस.सी. एम.डी. गैस की मांग सेल में पंजीकृत है।

(घ) एन.एफ.एल., विजयपुर के लिए 1.76 एम.एम.एस.सी.एम. डी., एन.एफ.एल. के विस्तारण के लिए 1.46 एम.एम.एस.सी.एम.डी. एवं विजयपुर में एल.पी.जी. के निकर्षण के लिए 0.98 एम.एम.एस. सी.एम.डी. गैस का आवंटन किया गया है। मध्य प्रदेश में परियोजनाओं के लिए गैस का और आवंटन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एच.बी.जे. पाइप लाइन के साथ उपलब्ध संपूर्ण गैस आवंटित कर दी गयी है।

विवरण

राज्य	1 जून, 1995 को आपूर्तियां (एम.एम.एस.सी.एम.डी.)
1	2
गुजरात	
एन.टी.पी.सी., कवास	1.4386
आई.ओ.सी.एल.	0.1318
आई.पी.सी.एल.	0.9548
जी.एस.एफ.सी.	0.5027
	3.0279
मध्य प्रदेश	
एन.एफ.एल., विजयपुर	1.7025
उत्तर प्रदेश	
टाटा, बबराला	1.4450
इफको, आंवला	1.7062
इंडो-गल्फ, जगदीशपुर	1.5169
बिंदल एग्रो, शाहजहांपुर	0.0077
एन.टी.पी.सी., औरैया	2.3236
एन.टी.पी.सी., दादरी	3.4293
अन्य	0.2121
	10.6408

1	2
राजस्थान	
चम्बल फर्टिलाईजर, गंदेपन	1.5636
एन.टी.पी.सी., अंटा	1.1745
समकोर	0.0340
	2.7721
दिल्ली	
डेसू	0.4392
हरियाणा	
मारुति उद्योग और अन्य औद्योगिक इकाइयां	0.3517
कुल	18.9342

बिहार में टेलीफोन

2318. **श्री भागेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मधुबनी, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संस्तुत अधिकांश टेलीफोन कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से हथियार लाने की अनुमति

2319. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को विदेश दौरे से वापस आते समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक अग्नेयास्त्र लाने की अनुमति देने के संबंध में विचार कर लिया है;

(ख) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों को पिछले आवेदन के आधार पर एक आग्नेयास्त्र लाने के लिए मंजूरी पत्र जारी करने का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिनांक 12.11.1986 तक वास्तविक पर्यटक, सामान नियम/उपहार योजना के तहत एक आग्नेयास्त्र का आयात कर सकते थे। तथापि, देश के कुछ भागों में प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आग्नेयास्त्रों के निजी प्रयोग हेतु आयात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल निम्नलिखित स्थिति में अब आयात करने की छूट है :

(1) रिहायश के स्थानांतरण नियमों के अधीन यदि कोई व्यक्ति कम से कम दो वर्ष तक विदेश में रहने के बाद भारत लौट रहा हो, बशर्ते कि उसने भारत लौटने से पूर्व विदेश में कम से कम एक वर्ष तक शस्त्र रखा हो; और

(2) खिलाड़ियों के लिए खेल के प्रयोजन हेतु, जिसके लिए युवा मामलों और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई हो।

उपर्युक्त छूट के अलावा, विशिष्ट व्यक्तियों सहित किसी भी व्यक्ति को पूर्व आवेदन के आधार पर आग्नेयास्त्र आयात करने की छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन

2320. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक महाराष्ट्र विशेषतः वर्धा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में, जिलावार कितने बेतार टेलीफोन लगाए गए;

(ख) क्या सभी टेलीफोन संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नदी जल का उपयोग

2321. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने असम में आई, मनाह और बेंकी नदियों से निर्मित नदी प्रणाली में जल की उपलब्धता के बारे में काई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नदियों के जल के उपयोग हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण करके आई-बेकी-मानस नदी प्रणाली में 3.76 मिलियन हैक्टेयर मीटर वार्षिक औसत जल की उपलब्धता का अनुमान लगाया है।

(ग) इस सर्वेक्षण में 1550 मेगावाट जलावेद्युत उत्पादित करने के लिए भारत भूटान सीमा से चार कि.मी. दूर भूटान में एक भण्डारण बांध के लिए इस उपलब्ध जल का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली

2322. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात सुविधाएं बढ़ाने तथा दिल्ली में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली प्रारम्भ करने का कोई निर्णय पिछले वर्षों के दौरान लिया गया था;

(ख) क्या यह योजना दिल्ली में प्रारम्भ हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में दिल्ली में क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली शुरू करने का निर्णय कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के बजट में "कम्प्यूटरीकृत क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण" शीर्षक के तहत 25 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

इन्स्टीचयूट फार फिजीकली हैंडीकैप्ड के छात्रों की मांग

2323. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीच्सूट फार फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिलली के छात्रों ने "प्रोस्थेटिक एण्ड ओरथोटिक इंजीनियरिंग" के डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का दर्जा बढ़ाकार इसे डिग्री-पाठ्यक्रम कर देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) विकलांग जन संस्थान के छात्र विद्यमान प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम (ढाई वर्ष अवधि) को डिग्री स्तर पाठ्क्रम (साढे तीन वर्ष अवधि) तक बढ़ाने की मांग करते रहे है। चूंकि विकलांग जन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, इसलिए विकलांग जन संस्थान और भारत सरकार ने इसे मामले को दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ उठाया है।

भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता में संशोधन

2324. **श्री तारा सिंह :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री जे. चोक्का राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में संशोधन कब तक कर दिये जाएंगे; और

(घ) इनके फलस्वरूप हिरासत में मौत की बढ़ती घटनाओं तथा अन्य अपराधों को किस हद तक रोका जा सकेगा?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) "दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994" नामक एक विधेयक, जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता/भा.द.सं. की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है, राज्य सभा में 9 मई, 1994 को प्रस्तुत किया गया है। इस समय यह विधेयक, गृह मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। सरकार का इरादा जल्दी ही एक अन्य विधेयक नामतः "दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995" को प्रस्तुत करने का है। इस विधेयक में भी भा.द.स./दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं का संशोधन करने का प्रस्ताव है और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में एक नई धारा 114 "ख" जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है।

(ख) "दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994" में, अन्य बातों के साथ साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में यह प्रावधान करने के लिए भी संशोधन का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति की मौत अथवा उसके गायब हो जाने के मामले में अथवा पुलिस की हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार के मामले में अनिवार्य न्यायकि जांच होनी चाहिए और मृत्यु के मामले में, ऐसी मौत होने के 24 घंटे के अन्दर ही शव की जांच कराई जाएगी।

फर्जी स्वतंत्रता सेनानी

2325. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री जी. देवराय नायक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश के विभिन्न भागों में कई लोग गैर कानूनी रूप से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) कतिपय व्यक्तियों द्वारा झूठी सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करके स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकार करवा लेने का आरोप लगाते हुए, समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और ऐसी शिकायतों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यदि छानबीन के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कपटता से पेंशन प्राप्त कर ली है तो उस मामले में पेंशन स्थगित/रद्द कर दी जाती है और राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को गलत ढंग से आहरित की गई पेंशन की वसूली करने के लिए कदम उठाने के अलावा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी जाती है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

2326. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का निजीकरण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अशांत क्षेत्र अधिनियम

2327. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में अशांत क्षेत्र अधिनियम के लागू किए जाने का क्या प्रभाव रहा है;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान बड़ी संख्या में सेनाकार्मिक मारे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन हत्याओं पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पूरे नागालैंड को, 4 अप्रैल, 1995 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिए जाने से , सुरक्षा बल, राज्य में राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर पाने में सफल हुए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। स्थिति पर, लगातार नजर रखी जा रही है और उपयुक्त स्तर पर इसकी कड़ी समीक्षा की जा रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही ग्रुपों की नकारात्मक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किए गए और किए जा रहे उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं--सेना एवं केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनाती, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता देना, प्रभावित क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना, प्रमुख विद्रोही गिरोहों को गैर कानूनी संगठन घोषित करना, आसूचना तंत्र में सुधार लाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और विभिन्न विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों को रोकने के लिए पड़ोसी देशों का सहयोग प्राप्त करना।

गरीबी रेखा

2328. **श्री मोहन रावले** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी व्यक्ति अथवा परिवार को गरीबी की रेखा से नीचे समझने के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(ख) यह मानदंड कब निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए किसी व्यक्ति अथवा परिवार को गरीबी रेखा से नीचे समझने हेतु उसकी आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 1979 में गठित न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग अनुमान संबंधी कार्यदल ने 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49.09 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा की सिफारिश की है। भारत में गरीबी की संख्या तथा अनुपात का अनुमान लगाने के लिए इसका मानदंड के रूप में प्रयोग किया गया है।

(ग) से (ङ) कीमतों में परिवर्तन के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन बनाया गया है। नवीनतम राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों से प्राप्त निजी खपत अपस्फीति कारक के उपयोग के माध्यम से परिकलित वर्ष 1991-92, अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष के लिए अद्यतन गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 193.9 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिए 223.8 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है।

[हिन्दी]

ट्रांसमीटर परियोजना

2329. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री छीतूभाई गामीत :
श्री रामपाल सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
डॉ पी. पेरूमान :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार कितने कम शक्ति के ट्रांसमीटर, कितने उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर, कितने अति कम शक्ति के ट्रांसमीटर और कितने ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ ट्रांसमीटर परियोजनाएं चालू होने के निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? और

(ङ) ये परियोजनाएं कब से चालू हो जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) यद्यपि आठवीं अवधि के दौरान अब तक अर्थात 1.4.1992 से 10.8.1995 तक भिन्न-भिन्न शक्तियों के 216 टी.वी. ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया गया है, तथापि, आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार देश में 533 टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं, बशर्ते इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो।

(ख) आठवीं योजना में दूरदर्शन के लिए अनुमोदित परिव्यय 2,300 करोड़ रुपये है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण सुविधाओं संबंधी प्रावधान शामिल हैं। तथापि, धनराशि का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) लुंगलेई, मोंकोकचुंग, चुराचांदपुर, रामेश्वरम, फाजिल्का, भुज, बाड़मेर और कालीकट में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं में देरी परियोजना स्थल की दूरी तथा कठिन भू-भाग स्थितियों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में विलम्ब, टावरों के निर्माण में देरी तथा सक्षम प्राधिकारी का नए सिरे से अनुमोदन लेने के लिए परियोजनाओं के लागत अनुमानों की संशोधन करने से होने वाली लागत में वृद्धि जैसे कारणों से हुई है। आठवीं योजना अवधि के अंत तक उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आशा है। तथापि, रामेश्वरम, भुज और कालीकट में अंतरिम सेटअप पहले से ही परिचालन में है।

विवरण

टी.वी. ट्रांसमीटर

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कार्यान्वयानाधीन ट्रांसमीटर	प्रस्तावित ट्रांसमीटर स्कीमें
1	2	3
आंध्र प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	कुरनूल	वारंगल
	नांदयाल	ओंगोले
	राजामुंदरी	
	हैदराबाद (डी.डी.-2)	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	कादिरी	राजमपेट
	वेलमपल्ली	बांसवाड़ा
	मरकापुर	तेक्कली
	कामारेड्डी	सिरपुर
	तम्बलापल्ली	मकेरेला
	एल.आर. पल्ली	भेंसा
	पसरा	नरसराओपेट
	नारायणपेट	अचमपेट
	पेदनानदियादु	देवरकोंडा
		बोबिली
		पेडापल्ली
		जदचेरला
		दरसी
		तुनी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	चिन्तापल्ली	सितमपेट्टा

1	2	3
	पावर्तीपुरम	
अरुणाचल प्रदेश	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	
	मियाओ	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	पीपू दीपू/नयापिन	लोगडिंग
	योमचा	रिवमयोंग
	(1) तनी/तूतिंग	नामपोंग
	मियोंग/यिंगकोंग	हवाई
	कलकतंग	करोनली
		हुन्डी/देसली
		गेकु
		बोलेंग
		मरियांग
		मेचुका
		केयिंग
		दरक
		लिरोमोबा
		तिरविन
		गेन्सी
		तलिहा
		बरिरिजो
		पलिन
		सगाली
		चयांगताजो
		सेईजोसा
		रूपा
		मुक्तो
		ट्रांसपोजर
		संखीव्यू

1	2	3
असम	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	सोनारी	तेजपुर
	लुमडिंग	जोरहाट
	होजाई	बोंगईगांव/कोकराझार
	तिनसुखिया	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	दिगबोई	मरघेरिटा
		बोकाकहाट
		हतिसिंहमारी
		ट्रांसपोजर
		गुवाहाटी
बिहार	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	सौपाल	मोतीहारी
	नोआमुन्डी	जमशेदपुर
	कोडरमा	देवगढ़
	फूलपारस	
	सरायेकेला	
	पटना (डीडी-2)	
	शेखपुरा	
	लखीसराय	
	सिकन्दरा	
		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
		रामनगर
		छात्र
		दाऊद नगर
		सिमरी बख्तियारपुर

1	2	3
		मुशावनी
		बरहवा
		कस्बा
		रोजेरा
गुजरात	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	भुज (स्थायी)	पालोतना
		सूरत
		बडोदरा
		राधानपुर
		जूनागढ़
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	ईदर	बोतद
	मोरवी	जामजोधपुर
	दीसा	राधानपुर,
	राजुला	राजपीपला
	खम्बालिया	व्यारा
	अमोद	धरमपुर
	मंगरोल (सूरत)	उमरगांव
	झगड़िया	मोदसा
	श्यामलाजी	लिम्बवी
		मोदसा
		धमधुका
		धारी
		ऊना
		बटवा

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	नेतरंग	सगवारा
हरियाणा		उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
		हिसार
		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
		महेन्द्रगढ़
		फिरोजपुर झिरका/ पिननगांव
		रोहतक
		चरखी दादरी
हिमाचल प्रदेश	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	सुजानपुर	धरमशाला
	सुन्दरनगर	
	रामपुर	
		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
		आशापुरी
		मंडी (डी.डी.-2)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	चौपाल	वीर
	केटखई	निचर
	शिवबदर	तिस्सा
	भारती	चौड़ी खास

1	2	3
	झेहलमा	पिरभयानू
	भरमौर	झटिंगरी
	दियार	काजा
	दसनी	दलाश
	रोहरू	उदयपुर
	होली	अवहदेवी
	परवानू	करसोग
	बंदला	बंजर
	कन्डाघाट	चुंगहई
	डलहौजी	नेहरी
जम्मू एवं कश्मीर	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	राजौरी	नौशेरा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	टिथवाल	पुंछ
	बारामुला	उधमपुर
	ट्रांसपोजर	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	नगरोटा	तंगस्ते
		रिंगडोम गोम्पा
		मुलबेख/सरगोल
		बफिलयाज
		खालसी
		चुसाल
		बटालिक
		तुर्टोक
		बेस कैम्प (सियाचिन)

1	2	3
कर्नाटक	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	गुलबर्गा	मंगरोल
	बंगलौर (डीडी-2)	मैसूर
		रायचूर
		हसन
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	गोकाक	मुधौल
	जामखण्डी	तुम्कुर
	कुम्टा	पुत्तुर
	भत्कल	डण्डेली
	हरपनहल्ली	तलीकोटा
	बसवाकल्याण	इन्दी
	सागर	हुवीन हिप्पारगी
	बुंगगोंड	हिरीयुर
	अरसीकेर	होसदुर्ग
	हट्टीहल	कुदलीगिरी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	मधुगिरी	सुल्या
		बादामी
केरल	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	कालीकट (स्थाई)	कन्नानोर
	अ.श. ट्रांसमीटर	**अ.श. ट्रांसमीटर**
	काननगढ़	पाला
	थोडुपुजा	अदूर
	चेन्गान्नुर	कालीकट (डीडी-2) अट्टाप्पाडी
	अ.अ.श. ट्रां.	**अ.अ.श. ट्रां.**
	मुन्नार	इरात्तुपेट्टा

1	2	3
	कंजीरापल्ली	मुंडाकायम
		देवीकोलम
मध्य प्रदेश	**अ.श.ट्रां.**	**उ.श.ट्रां.**
	गडेररवा	अम्बिकापुर
	कुकादेश्वर	गुना
	खुरई	शहडोल
	भण्डेर	सागर
	केलारस	
	सिमोंग	
	शक्ति	
	नारायणपुर	
	अ.अ.श.ट्रां.	**अ.श.ट्रां.**
	सिंगरौली	राघोगढ़
	कोण्डागांव	सारेनगढ़
	बुधनी	गरोट
	जशपुरनगर	भानपुरा
	पाखन्जोर	सितामऊ
		पिप्रिया
		बड़ा मलेरा
		खरोद
		अ.अ.श.ट्रां.
		कोयलीबेडा
		पेन्द्रा रोड
		डायमण्ड-माइनिंग
		प्रोजेक्ट
		मोदकपल
		बीजापुर
महाराष्ट्र	**उ.श.ट्रां**	**उ.श.ट्रां**
	बम्बई (डी.डी.-3)	चन्द्रपुर
		जलगांव
		महीपतगढ़

1	2	3
	अ.श.ट्रां.	**अ.श. ट्रां.**
	ब्रहमपुरी	अरनी
	शीरपुर	मानगांव
	देवरूख	खोपोली
	म्हास्ले	राजापुर
	ननवपुर	रावर
	रसोद	पन्धारकवड़ा
	कारंजा	मंगलवेधा
	अहेरी	माहद
	उमरखेड	सताना
		खानपुर
		अम्बेट
		अकालकोट
		सिरोंच
		चिमूर
		चन्दूर
		दर्यापुर
		धादगांव
		नागपुर (डीडी-2)
		साकोली
		अर्जुनी
		कुर्खडा
		सिदीवालू
		फल्टन
		चिकोली
	अ.अ.श.ट्रां.	**अ.अ.श.ट्रां**
	खेड़	मालवां
	राजपुर	मलकापुर
		भोकर

1	2	3
		वई
		कोरगांव
		ट्रांसपोजर
		बदलापुर
मणिपुर	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.
	चुराचांदपुर	इम्फाल (डीडी-2)
		अ.अ.श. ट्रां.
		जिरीबम
	अ.अ.श.ट्रां.	
	मोरेट	
	कांग्पोक्पी	
मेघालय	अ.अ.श.ट्रां.	अ.श. ट्रां.
	बागमारा	शिलांग (डीडी-2)
		ट्रांसपोजर
		शिलांग
मिजोरम	उ.श. ट्रां.	अ.श. ट्रां.
	लुंगलेई	सैहा
		ट्रांसपोजर
		एजवाल
	अ.अ.श.ट्रां.	
	चम्फई	
नागालैण्ड	उ.श. ट्रां.	अ.श. ट्रां.
	मोकाकचुंग	कोहिमा (डीडी-2)
	अ.अ.श. ट्रां.	ट्रांसपोजर
	फेक	बड़ा बस्ती
	सताखा	
उड़ीसा	उ.श.ट्रां.	उ.श.ट्रां.
	बालेश्वर	बेरहामपुर
	सम्बलपुर	

1	2	3
	अ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.
	नयागढ़	राजगंगपुर
	सोनपुर	बीरमित्रपुर
	मोहाना	सिमलगुडा
	कुचिंदा	जालपाड़ा
	तुशारा/सौंथाला	बाहाल्डा
	कबिसूर्यानगर	कुलाद
	दुर्गापुर	सम्बलपुर (डीडी-2)
	सोहेला	पटनागढ़
	उमरकोट	गोदिगा/कपिलास
	कोटपाड़	तिरथाल
		पाडुआ
		खरियार
		कारंजिया
	अ.अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.
	ओल	मछकुन्ड
	याउमलरामपुर	काशीपुर
	चित्रकोंडा	लांजिगढ़
	बाडाबारबिल	जयापटना
	बाड़पाल्ली	शिमलिपालगढ़
		उदयागिरी
		सुकिंडा
		कोकसारा
		कलमपुर
		नागचि
		पैकमाल
		ट्रांसपोजर्स
		धेनकनाल
		चांदीपाड़ा

1	2	3
पंजाब	उ.श.ट्रां	अ.श.ट्रां.
	फाजिल्का	पटियाला
राजस्थान	उ.श.ट्रां.	उ.श.ट्रां.
	बाड़मेर	अजमेर
	जैसलमेर	अनूपगढ़
	जोधपुर	बीकानेर
		नाथद्वारा
	अ.श. ट्रां.	अ.श.ट्रां.
	बारिसाद्रि	नवलगढ़
	डिन्डौन	संगवाड़ा
	मकराणा	कुरलागढ़
	करौली	पिरावा
	फालोडि	नागर
	राजगढ़ (चुरू)	किशनगढ़ (अलवर)
	माउंट आबू	नशीराबाद
	प्रतापगढ़	भिनमाल
	नोहर	सोजात
	शाहपुर	बालि
	निमज	संचोर
	बन्सी	धारियाबाद
	केसरियाजि	भरतपुर
		टिबि
		किशनगढ़ (अजमेर)
		विजयनगर
	अ.अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.
	भीम	कोटरा
	फतेहपुर	नीम का थाना
	गंगापुर (भीलवाड़ा)	
	लालसोट	
	लक्ष्मणगढ़	
	जवार माइन्स	
	मन्डलगढ़	
सिक्किम	अ.अ.श. ट्रांसमीटर	
	सिंगताम	
	रंगपो	
	जौरेथांग	
तमिलनाडु	उ.श. ट्रां.	उ.श.ट्रां.
	रामेश्वरम (पी.एम.टी.)	धर्मपुरी
	मद्रास (डी.डी.-3)	कुम्बाकोडम
		तिरुनेलवेली
	अ.श. ट्रां.	अ.श. ट्रां.
	अरनी	नट्टम
	गुडियातम	गिंग्गी
	पुट्टूकोट्टि	पलानि
	अट्टूर	अम्बासमुद्रम
	शकरणकोविल	धेनकनिकोट्टा
	कृष्णागिरी	वन्दावस्ती
	मरूथान्डम	चेययार
		केल्लाकुरूचि
		थिरूवैपारू
		एरोडे
	अ.अ.श.ट्रां.	
	मेट्टूपल्याम	
	वालपारई	
	वैल्लूर	
	वाजापाडि	
	उदमालपेर	
त्रिपुरा	अ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.
	केलाशहर	जौलाईबारि
	तौलियामुरा	अमरपुर

1	2	3
		अम्बासा
		अगरतला (डीडी-2)
	अ.अ.श. ट्रां.	
	धर्मनिग्र	
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रां.	उ.श. ट्रां.
	बांदा	लखीमपुर
		सीतापुर
		जालोन
	अ.श. ट्रा.	अ.श. ट्रां.
	अल्मोड़ा	बाराकोट
	औरेया	धुनाघाट
	गंज दुदवाड़ा	नारोरा
	हल्द्वानी	हथरेली
	महोबा	रथ
	मऊ रानीपुर	तल्वेहाट
	नौगढ़	महरोनी
	न्यू टिहरी	छिब्रामऊ
	रुदाली	अमरोहा
	कसंगज	कारवी
	कर्णप्रयाग	दुधीनगर
	नानपाड़ा	दुधीनगर
		कोसी
		खेतीखान
		कानपुर (डीडी-2)
		अथदामा
		नैनी डान्डा
	अ.अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रा.
	बागेश्वर	मानेश्वर/लोहाघाट
	चमोली	दौसा/रुदौली

1	2	3
	चोखटिया	मनीला
	डिडिहाट	नन्दप्रयाग
	जोशीमठ	मणिकपुर
	देवप्रयाग	केदारनाथ
	लेंसडाउन	बद्रीनाथ
	प्रतापनगर	गौरीकुंड
	बिन्सार	पोखरी
	बसोट/बिखियासेन	
	कल्जिखाल	
	गज्जा	
	फतेहपर्वत	
	खेतपर्वत	
	राजगढ़ी	
	सिरकोटा बेर्कुथम	
	सहिया	
	थालि	
	घंदयाल	
	रूद्रप्रयाग	
	नौगावखल	
पश्चिम बंगाल	उ.श. ट्रां.	उ.श. टांस
	कलकत्ता (डी.डी-3)	बलूरघाट
		खड़गपुर
		कृष्णानगर
	अ.श.ट्रां.	अ.शा. ट्रां.
	फरक्का	गढ़बेटा
	रायना	बलरामपुर
	कालना	कूच बिहार
	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)	बंसती
		विष्णुपुर

1	2	3
		अ.अ.शा. ट्रा.
		बाधर्मडी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अ.अ.श. ट्रां.	अ.श. ट्रां.
	ग्रेट निकोबार	पोर्टब्लेयर (डीडी-2)
	हॉवलोक	
	कच्छल	
	बारतंग	
दादर एवं नगर हवेली	अ.श. ट्रां.	
	सिलवासा	
दमन एवं दीव	अ.श.ट्रां.	
	दीव	
दिल्ली	अ.श. ट्रां.	
	दिल्ली (डी.डी.-3)	
पांडिचेरी	अ.श.ट्रां.	
	पांडिचेरी	
	अ.अ.शा. ट्रां.	
	पांडिचेरी (डीडी-2)	

[अनुवाद]

विदेशी नागरिक

2330. **श्री राम कापसे :**
श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री हरिन पाठक :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :
डा. परशुराम गंगवार :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जे. चोक्का राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का राज्यवार और देशवार ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन नागरिकों को स्वदेश वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत में रह रहे पड़ौसी देशों के अवैध विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या के बारे में सरकार को जानकारी है। ऐसे अवैध विदेशी नागरिकों की वास्तविक संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि वे चोरी-छिपे भारत में आते हैं और आसानी से स्थानीय जनता के साथ घुल-मिल जाते हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां प्रदत्त हैं। इस दिशा में विशेष अभियान चलाने के लिए उन्हें समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2331. **श्री सांताराम पोतदुखे :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज सेवा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय की गई, और

(ग) स्वैच्छिक संगठनो की संख्या और वर्ष 1994-95 के दौरान योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) स्वयंसेवी एजेंन्सियां सरकारी कार्रवाई को पूरा करती हैं और ये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें सरकार की विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि निचले स्तर के लोगों तक इसका अधिकतम लाभ पहुंच सके। इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दे रही है।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

विभिन्न कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की दिशा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय तथा 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में व्यय की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आठवीं योजना	व्यय राशि		
		परिव्यय	1992-93	1993-94	1994-95
1.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	20.00	4.57	7.50	11.70
2.	निम्न साक्षरता पॉकेटों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर	10.00	–	1.25	1.97
3.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	15.00	3.55	4.03	4.96
4.	सहायक यंत्र और उपकरण लगाने/ खरीदने के लिए विकलांगों को सहायतानुदान	55.00	7.10	10.00	15.48
5.	विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	33.00	6.00	10.40	15.70
6.	किशोर समाज कुसांजन के निवारण तथा नियंत्रण की योजना	35.00	5.39	1.11	3.00
7.	भिक्षावृत्ति निवारण योजना	6.00	0.20	0.23	0.55
8.	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण के लिए सहायतानुदान	70.25	8.06	9.86	13.50
9.	समाज कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता	0.75	0.09	0.26	0.27
10.	गृहों (शिशु गृहों) के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5.00	0.07	0.40	0.51
11.	वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	10.00	1-06	3.06	5.26
12.	बेसहारा बच्चों का कल्याण	8.00	–	1.11	3.02
13.	समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.00	0.50	0.22	0.25
14.	आर्थिक मानदण्ड पर आधारित पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना	10.00	2.00	3.00	3.00

विवरण-II

विभिन्न कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1994-95 के दौरान स्वीकृत अनुदानों की राशि सहित कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान किए गए स्वयंसेवी संगठनों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सहायता प्रदान किए गए संगठनों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	256	6.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	0.84
3.	असम	17	0.49
4.	बिहार	80	2.92
5.	चंडीगढ़	2	0.01
6.	दिल्ली	70	6.84
7.	गोवा	5	0.12
8.	गुजरात	30	1.64
9.	हरियाणा	44	1.40
10.	हिमाचल प्रदेश	2	0.27
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4	0.24
12.	कर्नाटक	100	4.71
13.	केरल	89	2.62
14.	मध्य प्रदेश	62	1.67
15.	महाराष्ट्र	117	3.61
16.	मणिपुर	43	1.86
17.	मेघालय	7	0.56
18.	मिजोरम	9	0.47
19.	नागालैंड	4	0.27
20.	उड़ीसा	126	4.27
21.	पांडिचेरी	3	0.06
22.	पंजाब	19	0.99
23.	राजस्थान	56	4.63
24.	सिक्किम	2	0.05
25.	तमिलनाडु	177	4.42
26.	त्रिपुरा	13	0.41
27.	उत्तर प्रदेश	287	14.44
28.	पश्चिम बंगाल	170	6.63

नोट : कुछ संगठन एक से अधिक कार्यकलाप के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

कांडला पत्तन पर एल.पी.जी. टर्मिनल

2332. **श्री हरिन पाठक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने एल.पी.जी आयात के लिए कांडला पत्तन पर एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने मंगलौर में एल.पी.जी. के आयात की सुविधाएं स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को 10.9.1993 को और कांडला में एल.पी.जी के आयात की सुविधाएं स्थापित करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को 30.4.1994 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रत्येक को प्रत्येक स्थान पर 600 टी.एम.टी.पी.ए. क्षमता के लिए मंजूरी दी गई है।

दोनों परियोजनाओं को निश्चित समय अर्थात् अक्टूबर, 1996 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

दिल्ली में हत्याएं

2333. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री अमल दत्त :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री तरित बरण तोपदार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में होने वाली हत्याओं के अनेक मामलों में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ख) क्या अधिकांश मामलों को सामान्य मृत्यु का मामला समझा जाता है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली पुलिस के ढांचे मे सुधार करने पर विचार कर रही है. और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी एम सईद) : (क) और (ख) जी, नहीं। श्रीमान्। वर्ष 1995 (31.7.95 तक) के दौरान सूचित किए गए हत्या के 291 मामलों म से जबकि 5 मामलों को रद्द कर दिया गया है, शेष 286 मामलों में से 202 मामलों को हल कर दिया गया है। 92 मामलों में न्यायालय मे आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

हत्या के इन मामलों में, 423 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है व 197 व्यक्तियों पर विभिन्न दंड न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय को दिल्ली के उप-राज्यपाल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्य दक्षता और सार्वजनिक छवि में सुधार करने के प्रस्ताव हैं। एक सुझाव पुलिस को शक्तियां प्रदत्त करने की वर्तमान योजना की समीक्षा करने से संबंधित है, जिसमें पुलिस की कुछ मजिस्ट्रेरियल शक्तियों को सिविल एक्स्क्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुनः आवंटित करने और कुछ गैर पुलिस से संबंधित विविध अधिनियमों के अधीन कुछ शक्तियों को सिविल जिला मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित करने का सुझाव भी सम्मिलित है. दूसरा प्रस्ताव पुलिस कार्रवाई/निष्क्रियता. शक्तियों के दुरुपयोग इत्यादि के बारे मे जनता की शिकायतों को निपटाने के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण/आयोग गठित करने के बारे में है।

दिल्ली के उप-राज्यपाल के प्रस्ताव पर ध्यान दिया जा रहा है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

2334. **श्री जी.एम.सी. बालयोगी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के.जी. बेसिन परियोजना से इस समय कुल कितने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का के.जी. बेसिन क्षेत्र के पूर्व गोदावरी जिले में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान के. जी. बेसिन (तटीय तथा अपतटीय दोनों) में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 27 एम.एम.टी. तथा 1.76 एम. एम.एस.सी.एम.डी. था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। एक एम एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के संबंध में औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग (एस आई ए.) द्वारा प्राप्त किया गया मैसर्स कैप्टन जे. रामाराव का प्रस्ताव, टिप्पणी के लिए इस मंत्रालय को भेजा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियां

2335 **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने पूर्वी कमान के सेनाध्यक्ष के इस वक्तव्य को गम्भीरता से लिया है कि स्थानीय प्रशासन के असहयोग के कारण सेना को पूर्वोत्तर में विद्रोहियों से प्रतिकूल परिस्थितियों में सघर्ष करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान, पूर्वोत्तर में घुसपैठ की स्थिति के बारे में पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के हाल के बयान की ओर दिलाया गया है। सरकार उपयुक्त स्तर पर, पूर्वोत्तर की स्थिति की सतत और गहन समीक्षा कर रही है। सेना ने सिविल प्राधिकारियों के साथ गहन समन्वय स्थापित करके अन्य अर्द्ध-सैनिक/केन्द्रीय पुलिस बलों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अपने अभियानों को तेज किया है। पूर्वोत्तर में विद्रोही ग्रुपों के प्रतिकूल कार्यों को रोकने के लिए बहुत से अन्य उपाय भी शुरू किए गए हैं, जैसे कि विकास योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता का विस्तार करना, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करना, विभिन्न उग्रवादी ग्रुपो को गैर कानूनी संगठन घोषित करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना तथा इस क्षेत्र मे विद्रोह विरोधी अभियानों में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न एजेंसियो के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना।

उम्मीद की जाती है कि उपर्युक्त उपायों के प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में विद्रोही ग्रुपों की प्रतिकूल गतिविधियों पर रोकथाम लगेगी।

रसोई गैस की एजेंसियां और पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

2336. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की तिथि तक गोवा मे कुल कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र थे और इन उत्पादों की उत्पाद-वार प्रति वर्ष कितनी मांग है, और

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में नई डीलरशिप प्रदान किए जाने के संबंध में विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के

अनुसार गोआ में 67 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 30 एल. पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी। वर्ष 1994-95 के दौरान गोआ में पैट्रोल डीजल और एल.पी.जी. की खपत निम्नवत् थी :

(आंकड़े मि. टन में)

पैट्रोल	27,635
डीजल	94,398
एल.पी.जी.	17,014

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 और एल. पी.जी. विपणन योजना 1994-96 में गोआ के लिए क्रमशः 7 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 14 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप सम्मिलित की गई है।

प्रसारण कार्यपालकों के वेतनमान

2337. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम संवर्ग प्रसारण कार्यपालकों के वेतनमान अभियांत्रिकी सहायकों के बराबर होते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में अभियांत्रिकी सहायकों के वेतनमान में संशोधन किया गया है और प्रसारण कार्यपालकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है;

(घ) क्या सरकार को आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम कर्मचारी एसोसिएशन से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो प्रसारण कार्यपालकों के वेतनमान अभियांत्रिकी अधिकारियों के समतुल्य संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसमिशन निष्पादकों एवं इंजीनियरी सहायकों के पदों के लिए 1400-2600 रु. का समान वेतनमान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी और दूरदर्शन में इसी वेतनमान वाले कई अन्य पद हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों, जिनकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, के अनुपालन में इंजीनियरी सहायकों के वेतनमान को 2000-3000 रुपये तक संशोधित किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस मामले को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

2338. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजनाएं तैयार की हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) विभाग ने गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनजाति उपयोजना बनाई है। वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन स्विचन क्षमता की लगभग 6500 लाइनें और जोड़े जाने की योजना है। जिन स्थानों पर विस्तार की योजना बनाई गई है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं बनाई गई हैं।

विवरण

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित उन स्थानों की सूची, जहां टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बनाई गई है

क्र.सं.	एस.एस.ए. का नाम	स्थानों का नाम
1	2	3
1.	भड़ौच	1. राजपीपला
		2. बिला
		3 राज-पारदी
		4. चंदेरिया
2.	गोधरा	1. संतरामपुर
		2. दोहाद
		3. संजेली
		गरबादा
		5. लिमखेड़ा
3.	हिम्मत नगर	1. मेघराज
		2. चिथोडा
		3. भिलोडा

1	2	3
		4. उनचिनधानल
4.	पालनपुर	1. दांता
5.	सूरत	1. कोसांगा
		2. करंचेलिया
		3. वारद
		4. बुहारी
		5. एफ. सोनगाध
		6. जंखवाव
		7. बाजीपुरा
		8. मांडवी
6.	बड़ोदरा	1. छोटा उदयपुर
		2. नासवाडी
7.	वलसाड	1. चिखली
		2. सारिगाम
		3. वांसदा
		4. आनावाल
		5. फानसा
		6. खारेल
		7. उनाई
		8. उदवाडा

तेल क्षेत्रों का विकास

2339. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड ने किन-किन राज्यों में तेल क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के विकास की स्वीकृति दे दी है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) कितने तेल एवं गैस शोधन प्लेटफार्मों ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) इनसे तेल एवं गैस का कितना वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओ.एन.जी.सी., पश्चिमी तथा पूर्वी अपतट एवं गुजरात, राजस्थान, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा राज्य में स्थित अनेक तेल/गैस क्षेत्रों से तेल और गैस का उत्पादन कर रही है।

(ख) आठवीं योजना की अवधि के 31.3.95 तक विकास वेधन सहित परियोजनाओं पर लगभग 11,943 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. के कुल 147 तेल/गैस प्रोसेस प्लेटफार्म फिलहाल कार्यरत हैं।

(घ) ओ.एन.जी.सी. द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान क्रमशः 33.32 मि.मी.टि. तथा 56.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. कच्चे तेल एवं गैस के उत्पादन की संभावना है।

[अनुवाद]

गुजरात को गैस की आपूर्ति

2340. **श्री कांशीराम राणा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बम्बई-हाई से गैस की आपूर्ति के लिए मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार ने कितनी मात्रा में गैस की मांग की है;

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) राज्य को, बम्बई-हाई से गैस कब तक दिये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने पिपवाव विद्युत संयंत्र के लिए मध्य और दक्षिण तापी से 2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के गैस के आबंटन सहित विद्युत परियोजनाओं को गैस के आबंटन का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) गुजरात में परियोजनों को पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से 10.31 एम.एम.एस.सी.एम.डी. का आबंटन किया गया है। 1994-95 में इन परियोजनाओं को 6.55 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की आपूर्ति की गई थी। पिपवाव विद्युत संयंत्र के लिए मध्य और दक्षिण तापी से गैस के आबंटन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि इस गैस को वर्तमान वचनबद्धताओं की पूर्ति के लिए हजीरा को ले जाने का निर्णय लिया गया था।

दामोदर नदी का कटाव

2341. **श्री हाराधन राय** :
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दामोदर नदी के कटाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नशीली औषधियों का सेवन करने वाले

2342. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार प्रमुख महानगरों में नशीली औषधियों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या विशेषतौर पर दिल्ली और मुम्बई में नशीली औषधियों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें पुनर्वास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों और चेतना, परामर्श तथा सहायता केन्द्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, 1994-95 के दौरान इन केन्द्रों में एंजीकृत व्यसनियों की संख्या इस प्रकार है :

नगर का नाम	पंजीकृत व्यसनियों की संख्या
मुंबई	2214
कलकत्ता	12613
दिल्ली	37207
मद्रास	1015

(ख) और (ग) चार महानगरों में व्यसनियों के लिए ये सुविधाएं हैं :

नगर	निर्व्यसन एवं पुनर्वास केन्द्र	चेतना, परामर्श तथा सहायता केन्द्र
मुंबई	2	4
कलकत्ता	4	5
दिल्ली	8	8
मद्रास	3	3

केन्द्रों को स्वीकृत करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है :

(1) गैर-सरकारी संगठन का प्रस्ताव और इस योजना के अनुसार इसकी पात्रता,

(2) राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सिफारिशें,

(3) औचित्य, और

(4) निधियों की उपलब्धता।

[हिन्दी]

रसोई गैस और मिट्टी के तेल की बिक्री

2343. **श्री रामपाल सिंह :**
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रसोई गैस और मिट्टी का तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों से "कैटेगरी सर्टिफिकेट" लेना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह आदेश कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भावी ग्राहकों और डिस्ट्रीब्यूटरों आदि को मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. के समानान्तर विपणनकर्ताओं की वास्तविकता और क्षमताओं के बारे में शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा के लिए मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. के समानान्तर विपणनकर्ताओं को मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक से रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है। पहले से ही इस व्यापार में लगे समानान्तर विपणनकर्ताओं को 19.6.1995 से तीन माह के भीतर रेटिंग प्रमाण पत्र लेना होगा। किसी भी नए समानान्तर विपणनकर्ता को मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. के लिए समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों की शुरुआत से पहले ही रेटिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो

2344. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विजयवाड़ा में एक टी.वी. कैमरा यूनिट स्थापित करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निर्माण हेतु दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन पर कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 9.69 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर विजयवाड़ा में 150 वर्ग मीटर के आकार के एक स्टूडियो एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के आवश्यक सहायक उपस्कर वाला एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। स्टूडियो भवन के लिए सिविल निर्माण कार्य सौंप दिए गए हैं। स्थायी कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के सेवा के लिए चालू किए जाने तक संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन महत्वपूर्ण घटनाओं को कवरेज के लिए अपेक्षित सफरी उपस्कर सहित एक कैमरा इकाई विजयवाड़ा में लगाए जाने की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

डा. अम्बेडकर का साहित्य

2345. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डा. भीमराव अम्बेडकर के साहित्य को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) आरम्भ में, बाबा साहब डा. बी.आर. अम्बेडकर की कृतियों और भाषणों के अनुवाद और प्रकाशन जिसमें 10 अंग्रेजी खंड शामिल थे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिन्दी और 8 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए थे, की परियोजना 31 दिसम्बर 1994 तक पूरी होनी थी। परन्तु खडों की संख्या 10 से 18 तक वृद्धि तथा तीन और भाषाओं अर्थात असमी, उर्दू तथा मराठी के जोड़ने से, तथा कार्य के अति संवेदनशील प्रकृति के होने के कारण, जिसमें विश्वसनीय अनुवादकों भाषा प्रबन्ध सम्पादकों और राज्य सरकारों के साथ पत्राचार करने वाली मुद्रण एजेंसियां शामिल हैं, इस परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है।

तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन की, शेष खंडों के अनुवाद और प्रकाशन को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों सहित सभी एजेंसियों के साथ निकट और नियमित मानीटरिंग की जाती है।

(ग) यह काम शुरू में मार्च 1992 में प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आंवटित कर दिया गया था। इस परियोजना को अब कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में सितम्बर, 1993 से डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान नामक एक संगठन को अंतरित कर दिया गया है।

इस संबंध में अब तक की गई प्रगति

प्रकाशन प्रभाग द्वारा कार्यान्वयन के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :

भाषा	प्रकाशित खंडों की सं.	कवर किए गए अंग्रेजी खंडों की सं.
हिन्दी	1	1/2
तमिल	1	1/2
गुजराती	1	1/2

इस प्रकार के डा अम्बेडकर प्रतिष्ठान को अंतरण के बाद 17 और खंड निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार विभिन्न भाषाओ में प्रकाशित किए गए हैं :

भाषा	प्रकाशित खंडों की सं	कवर किए गए अंग्रेजी खंडों की सं.
हिन्दी	7	3
तमिल	5	2
पंजाबी	4	1-2/3
गुजराती	1	1/2

इस प्रकार 3 अंग्रेजी खड हिन्दी में दो तमिल में और लगभग 2 पंजाबी तथा एक गुजराती मे प्रकाशित किए गए है।

विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन की प्रगति नीचे दी गई है

हिन्दी : अंग्रेजी खंड 4 (हिन्दी खंड 8) प्रेस को भेज दिए गए हैं। अंग्रेजी खंडों 5,6,8, और 10 का अनुवाद पूरा हो गया है। शेष खंडों अर्थात् 7,9,11,12 और 13 का अनुवाद प्रगति पर है। तेरह अंग्रेजी खंड प्रत्येक भारतीय भाषा के 30 खंडों में प्रकाशित किए जाएंगे।

तमिल : अंग्रेजी खंड 3 (तमिल 6 और 7) छपाई के लिए प्रेस में भेजा गया है। खंड-4 (तमिल खंड 8) पूरा हो गया है और छपाई के लिए प्रेस में भेजने के लिए तैयार है।

गुजराती : 10 अंग्रेजी खंडों को अनुवाद कार्य पूरा है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। गुजराती खंड 1 और 2 प्रकाशित किए जा चुके हैं।

बंगला : अंग्रेजी खंड 1 (बंगला खंड 1 और 2) को अनुवाद व विविक्षा पूरी करके छपाई हेतु प्रेस में भेजा गया है। बंगला खंड

3, 4 और 5 को अनुवाद/विविक्षा पूरी हो चुकी है तथा यह छपाई के लिए तैयार है। खंड 6, 7 और 8 का अनुवाद हो गया है और विविक्षा के लिए दे दिए गए हैं।

उड़िया : पहले अंग्रेजी खंड का आधा भाग (उड़िया खंड-1) का अनुवाद व विविक्षा हो चुकी है और छपाई के लिए तैयार है। अन्य 9 खंडों का अनुवाद प्रगति पर है।

मलयालम : स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ लेंगुवेजिस, केरल को यह काम सौंपा गया है। अंग्रेजी खंड-3 (मलयालम खंड 6 और 7) का अनुवाद पूरा हो गया है और छपाई के लिए प्रेस में भेजने के लिए तैयार हैं। अन्य खंडों का अनुवाद कार्य प्रगति पर है।

कन्नड़ : कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले ही तीन खंडों का अनुवाद और प्रकाशन किया है तथा चौथा खंड छपाई में है। शेष छह खंडों का अनुवाद कार्य भी पूरा है और उसकी विविक्षा की जा रही है।

उर्दू : उर्दू भाषा में अनुवाद और प्रकाशन का काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। अंग्रेजी खंड-1 और 2 का अनुवाद प्रगति में है।

मराठी : अंग्रेजी खंड 1 (मराठी खंड 1 और 2) का अनुवाद पूरा हो गया है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। खंड-2 का अनुवाद कार्य प्रगति में है।

असमी : असमिया भाषा में अनुवाद और प्रकाशन कार्य शुरू करने हेतु असम में कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान के लिए उच्चतर स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पंजाबी : खंड 2, 3 और 4 (पंजाबी खंड 3 से 8) का अंतिम भाग प्रेस में छपाई के लिए भेजे गए हैं। खंड 3 और 4 पहले ही मुद्रित किए जा चुके हैं। अंग्रेजी खंड 5, 9, 10, 11 और 12 का अनुवाद कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

तेलुगू : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही 8 खंड प्रकाशित कर दिए हैं और शेष खंडों का काम प्रगति में है।

[हिन्दी]

पॉलिटेकनिक कालेज खोला जाना

2346. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से गुना जिले के विजयपुर में एक पॉलिटेकनिक कालेज खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कालेज को खोलने पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महानगर टेलीफोन निगम का कार्यनिष्पादन

2347. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1995 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "इज लाइनमैन पेड़ बाई ट्रेडर्स टु कीप फोन एलाइव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभाग ने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या दिल्ली व अन्य महानगरीय क्षेत्रों में ऐसे टेलीफोनों की प्रतिशतता बहुत अधिक है जो खराब पड़े रहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दूरसंचार सेवा में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। तथापि ट्रेडरों द्वारा इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला हमारी जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, कोई टिप्पणी नहीं।

(ग) उपभोक्ताओं को इस आशय का आग्रह करने का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि वे लाइन स्टाफ को खुश करने के लिए उन्हें कोई पैसा न दें। टेलीफोन डायरेक्टरी में भी इस आशय का विशेष उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, जनता कभी भी उच्च अधिकारियों से मिल सकती है जो उनके शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध रहते हैं। दिल्ली तथा अन्य महानगरीय क्षेत्रों में पूर्ण विकसित सतर्कता सेल भी कार्य कर रहा है जहां औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर, सदैव कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, विभाग ने उड़न दस्तों का गठन किया है, जो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दूरसंचार केन्द्रों तथा उपभोक्ताओं के परिसरों का अचानक दौरा करते हैं।

(घ) दिल्ली में प्रति 100 स्थान प्रति माह औसतन लगभग 23 टेलीफोन दोषयुक्त पाए जाते हैं। इन दोषों को शीघ्राति-शीघ्र ठीक करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। लगभग 65 प्रतिशत दोषयुक्त टेलीफोन शिकायतों को अगले दिन ठीक कर दिया जाता है तथा लगभग 90 प्रतिशत दोष 3 दिन के भीतर निपटा दिए जाते हैं। केबिल में दोष उत्पन्न होने के कारण आए दोषों को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। इसी तरह, एम.टी.एन.एल. मुंबई तथा अन्य महानगरीय क्षेत्रों में बहुत कम संख्या में टेलीफोन कनेक्शन 3 दिन से अधिक खराब रहते हैं।

(ङ) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण, डक्टों में केबिल बिछाना, जेली-युक्त केबिलों को प्रयोग तथा पुराने एवं घिसे-पिटे एक्सचेंजों को बदलना, आदि ऐसे उपाय हैं जो सेवाओं में सुधार करने के लिए किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का अन्यत्र प्रयोग

2348. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का अन्यत्र प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं तथा उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी धनराशि दी गई थी;

(ग) इस संबंध में संबंधित सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार तथा क्रियान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वार प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों के आदिवासी उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना का एक योजक है। यह क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यों के प्रयासों को समर्थन देना है। समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं तथा विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए आवंटित निधियां सामान्य तौर पर उचित ढंग से उपयोग की जाती हैं।

तथापि केन्द्र सरकार के ध्यान में यह आया है कि निम्नलिखित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है :

I. बिहार राज्य सरकार ने निम्नलिखित अनुदानों को शीघ्रता से उन योजनाओं जिनके लिए ये प्रदान की गई थीं, उपयोग नहीं किया।

(1) 1991-92 से 1994-95 तक आदिवासी विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदानों के तहत आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 116.32 करोड़ रुपये।

(2) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 1990-91 से 1993-94 के दौरान निर्मुक्त 70.50 करोड़ रुपये का बिहार सरकार ने उपभोग नहीं किया है।

II. अक्टूबर, 1994 मास के दौरान केन्द्रीय सरकार को यह पता चला है कि राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निर्धारित 20 करोड़ रुपये को राजस्थान विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित किया है जो विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उपर्युक्त पड़ा हुआ था।

(1) असम सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से जून, 1992 में 1 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

(ख) संलग्न विवरण में दी गई।

(ग) और (घ) भाग (क) में संदर्भित मामलों से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा संबंधित राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :

1. इस मामले को संबंधित के ध्यान में लाया गया है। 1994-95 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता की द्वितीय किस्त तथा वर्ष 1995-96 के लिए प्रथम निर्मुक्ति बिहार सरकार को नहीं की गई है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्व स्वीकृत अनुदानों की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की निर्मुक्ति के लिए यह अनुदेश जारी किया है कि कार्यान्वयन एजेंसियां स्वीकृत के एक महीने के भीतर तथा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। नवम्बर, 1994 में बिहार सरकार ने सूचित किया था कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान के एक भाग को सिविल डिपोजिट में रख दिया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाया गया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपये के उपयोग का प्रस्ताव किया है तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत शेष अनुदान को राज्य में आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के लिए धीरे-धीरे निर्मुक्त किया जाएगा। इसी बीच उपरोक्त पैरा (क) में संदर्भित विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 116.32 करोड़ रुपये में से 4198.34 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

2. बिहार सरकार को विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का तत्काल उपयोग करने के लिए कहा गया था जो इसने सिविल जमा में रखा था और प्रयोग नहीं किया था राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया

था कि जब तक वे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की पूरी राशि का उपयोग नहीं करतीं, इन्हें और कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वे राज्य सरकार की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता चरणबद्ध रूप से निर्मुक्त करेगी।

3. राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को 20 करोड़ रुपये के विपधन की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद राज्य सरकार को 1994-95 के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की अगली निर्मुक्ति बंद कर दी गई थी और राज्य सरकार को निधियों के उपयोग की स्पष्ट तस्वीर देने को कहा गया था। राजस्थान सरकार ने यह पुष्टि की थी कि राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने अप्रैल, 1994 में 20 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को अग्रिम रूप में दिए थे और यह राशि बिजली बोर्ड द्वारा अक्तूबर, 1994 में इस निगम को वापस कर दिया गया है। राजस्थान सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा समस्त धनराशि को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उपयोग किया गया है।

4. असम राज्य सरकार को यह राशि तत्काल वापस करने के लिए कहा गया था जो कि इस मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद वापस कर दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना का कार्यक्रम	निर्मुक्त धनराशि		
			92-93	93-94	94-95
1.	बिहार	बिहार आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3175.25	3497.39	1748.70
2.	बिहार	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) का प्रथम परन्तुक	427.20	801.00	727026
3.	बिहार	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2096.54	2327.11	शून्य
4.	राजस्थान	-वही-	1162.90	1829.89	886.37
5.	असम	राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	22.09	22.10	24.02

ऑप्टीकल फाइबर

2349. **श्री पी.सी. थॉमस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तड़ित प्रवण विभिन्न टेलीफोन सेक्टरों में ऑप्टीकल फाइबर के प्रयोग संबंधी कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो केरल में ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। विभिन्न टेलीफोन सेक्टरों सहित तड़ित प्रवण क्षेत्रों के लिए ऑप्टीकल फाइबर केबिल प्रणालियों के लिए योजना बनाई गई है।

(ख) केरल के विभिन्न तड़ित प्रवण क्षेत्रों के लिए ऑप्टीकल फाइबर स्कीमों के लिए तैयार की गई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऑप्टीकल फाइबर की कुल 31 स्कीमों में से 15 स्कीमों को अब तक मंजूरी प्रदान की गई है जिस पर कुल अनुमानित लागत 54 करोड़ रुपये है, जिनके ब्यौरे उपर्युक्त भाग (ख) के विवरण में दिए गए हैं।

शेष स्कीमों की परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई हो रही है।

विवरण

केरल के विभिन्न ऑप्टीकल फाइबर स्कीमों के नाम :

1. पथनमबिट्टा-कैपत्तूर-अडूर-चेंगन्नूर-तिरूवेल्ला-34 एम.बी.एस.।
2. कन्नमकुलम-तिरूर-कोजीकोड 140 एम.बी.एस.।
3. त्रिचुर-वडक्कनचेरी-सोरनूर-पट्टाबी-पेटिन्याल मन्ना-मालापुरम-मंजोरी-140 एम.बी.एस.।

4. त्रिगुर-कुन्नमकुलम-तिरूर-कोजीकोड-क्सूलांडी-बउवडा-कारम-माहे-तेल्लीचेरी-कन्नूर-पैटयानूर-तालीपरमदा- नीलेश्वर-कनहमगाड-कैसरगोड-मेंगलोर-622 एम.बी.एस।

5. नेय्यासिकांरा-कोटाकोनम-वेल्लारडा-अंबूरी-34 एम.बी.एस.।

6. कोट्टरकारा- वालाकोम- उसूर- चुन्दा-कडाकल- माडाथरा-34 एम.बी.एस.।

7. अंचल-भारतीपुरम-कुलाथुउझा-थेम्माला-34 एम.बी.एस.।

8. कोझनचेरी-रानी-वडासराईक्कारा-34 एम.बी.एस.।

9. 'पाथ्नम-चिट्टा-कोन्नाई 34 एम.बी.एस.।

10. पाला-भाननगाम-दूरत्तूपेट-34 एम.बी.एस.।

11. पाला-पूवरानी-पिन्नाखंड-कजिरापल्ली-चेंगलम- 34 एम.बी. एस.।

12. चेंगनचेरी-कांगझा-34 एम.बी.एस.।

13. कोट्टापाम-कांजीकुझी-140 एम.बी.एस. स्पर रूट सहित।

(i) कोट्टायम-पामपाडी-वाशूर-34 एम.बी.एस.।

(ii) कोट्टायम-अय्याकुनम 8 एम.बी.एस.।

(iii) पामपाडय-पाल्लीकाथीड 8 एम.बी.एस.।

14. कंजिसपल्ली-कोबापल्ली-इरूमेली-भुक्तातूथीरा-ग्रामबल्ली 34 एम.बी.एस.।

15. पलाई-कोलापल्ली-कुरू-मानू-34 एम.बी.एस.।

16. कंजिरापल्ली-चेनापाडी-मनीमाना-34 एम.बी.एस.।

17. कंजिरापल्ली-मुडाकायम 34 एम.बी.एस.।

18. मुवातुपुझा-तझाकुलम-थोडुपुझा-34 एम.बी.एस.।

19. अलावाई-अंगामाली-कालोडी-पेरूववूर-कोठामंगलम 34 एम. बी.एस.।

20. अदीमाली-वत्तायूर-चिथिरापुरम्-34 एम.बी.एस.।

21. कुमली-अनाकारा-वंदनमेड-पुलियनामला-कोट्टापाना-34 एम.बी.एस.।

22. वडक्कनचेरी-चेलाकारा-पाझयनूर-तिरूविमाली 34 एम. बी.एस.।

23. चेखलचेरी-श्रीकृष्णपुरम-अन्नारघार-34 एम.बी.एस.।

24. पालाघाट-कोड़पय्यूर-चिचूड-कोझीजाम्परा-340 एम.बी.एस. स्पाट सहित (1) कोडुवय्यूर-कल्लानिगोडे-नीनमास।

25. तालीमारम्बा-चप्परपाडवू-अलवोडे-34 एम.बी.एस.।

26. कासरगोड-कुम्बाला-मंजेश्वर-वरकाडा-बाईवालिका कट्टा-थाडा-याथाडका-उरदूर-बेंडाकाडला-कुट्टीकोले-बेडाडका-चेंगाली-34 एम.बी.एस.।

27. पाला-उझावूर-कुरूविलांगनडे-34 एम.बी.एस. पाला-रामपूरम-स्पर सहित।

28. कोट्टायम-इत्तूमनूर-पालाई-34 एम.बी.एस. कोट्टायम-गोधी नगर और किदनगूर पाला स्पर फाइबर पर ।

29. पाला-कोभुवानल-34 एम.बी.एस.।

30. पाला-कुरविलनगाड-मोनीपरामी-34 एम.बी.एस.।

31. दूरत्तूपेट्टा के अधीन ग्रुप एक्सचेंज।

विशेष विकास योजनाएं

2350. **श्री शंकरसिंह वाघेला :**
श्री गाभाजी मंगीजी ठाकुर :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात के पिछड़े, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस प्रयोजनार्थ अभिज्ञात स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) चालू योजनावधि के दौरान उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में उपलब्धियां क्या-क्या रहीं?

योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) गुजरात में पिछड़े ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट विकासपरक स्कीमें नहीं बनाई गई हैं। तथापि भारत सरकार इन क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, इन्दिरा आवास योजना, मिलियन वैल्स स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के अतिरिक्त गुजरात सरकार भी जनजातीय उप-योजना कार्यनीति के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

2351. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन दिए बिना ही अनेकों पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान 152 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 182 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुकंपा आधार पर सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के तहत बिना विज्ञापन के स्वीकृत की गई हैं।

सिंचाई दरें

2352. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई दरों संबंधी वैद्यनाथ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या वैद्यनाथ समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए कोई अधिकारी दल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अधिकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) जी, हां समिति ने सितम्बर, 1992 में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें ये हैं :

जल दरों को प्रयोक्ता प्रभार मानना, जल प्रभार का लक्ष्य अन्ततोगत्वा लागत वसूल करना, जल दरों में संशोधन को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से जोड़ना, जल दरों को चरणबद्ध रूप में संशोधन तथा क्रियान्वयन, कृषक समूह प्रबन्धन प्रणाली का समेकन, जल प्रयोग तथा उत्पादकता में उच्च स्तरीय क्षमता प्रणाली का उन्नयन करना, अनुमापी जल दर ढांचे को उत्तरोत्तर रूप से अपनाना, नीति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त स्वायत्त बोडो का गठन करना, लागतों के रखरखाव के सम्बन्ध में मानदण्ड तय करना, वास्तविक व्यय का मूल्यांकन करना तथा जल दरों में संशोधन के लिए पैरामीटरों तथा मानदण्डों का निर्धारण करना, प्रत्येक पांचवें वर्ष में जल कीमत से सम्बन्धित सभी मामलों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करना आदि हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) मुख्य सिफारिशों में ये मदें शामिल हैं : जल दरों के निर्धारण का आधार, गैर-सिंचाई उपयोग के लिए जल दर, सिंचाई जल प्रभारों का आविधिक संशोधन, प्रयोक्ता किसानों के लिए सिंचाई प्रबन्धन अन्तरण प्रोत्साहित करना तथा जल प्रभारों आदि का अग्रिम भुगतान आदि। जल कीमत निर्धारण समिति की रिपोर्ट सहित अधिकारी दल की सिफारिशें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/भारत सरकार के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को परिचालित कर दी गई हैं। संविधान के अनुसार सिंचाई राज्य का विषय है और इसलिए उपर्युक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।

महाराष्ट्र में तेल और गैस के भंडार

2353. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाये गए हैं; और

(ख) ऐसे स्थानों को ब्यौरा क्या है जहां तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य प्रगति पर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) महाराष्ट्र में तेल और गैस का कोई भंडार नहीं मिला है।

(ख) फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में कोई अन्वेषण कार्य नहीं हो रहा है। तथापि, अन्वेषण बोली के चौथे, दौर में जी.एन.ओ.एन.-90/3 ब्लाक के लिए संविदा दी गयी है, जिस ब्लाक का एक हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिक

2354. **श्री के. प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत अधिक संख्या में विदेशी राष्ट्रिक दिल्ली में रह रहे हैं और उनके नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूचियों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने विदेशी राष्ट्रिकों का पता चला है;

(ङ) ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(च) विदेशी राष्ट्रिकों को कब तक वापस भेज दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को पिछली बार 1994 के आरंभ में संशोधित किया गया था, जिसके लिए 1.1.1994 अर्हता तिथि रखी गई थी। भारत के चुनाव आयोग के अनुदेशों के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों को उन स्थानों जिनकी पहचान अवैध विदेशियों के बड़ी संख्या में मौजूद होने वाले स्थान के रूप में की गई है, की मतदाता सूचियों के प्रारूप में प्रत्येक नाम का सत्यापन करने को कहा गया था। पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही शुरू की थी तथा मतदाता सूचियों से 36,631 नामों को हटा दिया था।

मतदाता सूचियों के प्रकाशित किए जाने से पूर्व कुछ प्रभावित व्यक्ति, जिनके नामों को निकाल दिया गया था ने रिट याचिकाओं के द्वारा उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने 6 फरवरी, 1995 के आदेश के द्वारा विलोपन को रद्द कर दिया तथा आदेश दिया कि जिन सबूतों के आधार पर ऐसा विलोपन किया गया है उस प्रत्येक व्यक्ति को प्रकट किया जाए जिनके नाम हटाए गए हैं तथा ऐसे सबूत का खंडन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मौका दिया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों ने सभी प्रभावित व्यक्तियों को नये सिरे से नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की है।

(ङ) और (च) सरकार के इस बारे मे स्थाई आदेश हैं कि किसी भी अवैध विदेशी प्रवासी/घुसपैठिए का पता लगने पर उसको स्वदेश लौटा दिया जाएगा। अवैध प्रवासियों का स्वदेश लौटाना एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी भी प्रवर्तन एजेंसियों को किसी अवैध प्रवासी/घुसपैठिए का पता चलता है तो उसे स्वदेश वापस भेजने के लिए कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

स्टार टी.वी में पाकिस्तान की भागीदारी

2355. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टार टी. वी. में पाकिस्तान की भी भागीदारी है;

(ख) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने इस संबंध में मुम्बई में अपना विरोध दर्ज कराया है और सरकार से स्टार टी.वी. की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस तथ्य के अलावा कि पाकिस्तानी टी.वी. द्वारा एशियासेट-1 उपग्रह ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस मामले में और कोई जानकारी नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा ऐसे विरोध पत्र प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले की आवश्यकता

2356. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान कोल इंडिया लि. के विभिन्न संयंत्रों/प्रतिष्ठानों में कुल कितनी मात्रा में कोयला पहुंचाया गया;

(ख) क्या यह मात्रा तत्संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त थी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) शायद इस संबंध में माननीय सदस्य महोदय कोल इंडिया द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न संयंत्रों/स्थापनाओं जैसा कि वाशरियों, दानकुनी कोयला परिसर, आदि द्वारा प्राप्त किए जा रहे कोयले को संदर्भगत कर रहे हैं। ऐसे संयंत्रों में पहुंचने वाले कोयले की पिछले छह महीनों के दौरान कुल मात्रा लगभग 87.96 लाख टन रही है जैसा कि कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि आपूर्ति अधिकांशतः संतोषजनक रही है। किंतु इन संयंत्रों तथा स्थापनाओं द्वारा अपेक्षित प्रकार के कोयले का उत्पादन किए जाने तथा संचलन में आने वाली कठिनाइयों में काफी सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस की खोज

2357. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस की खोज की गई;

(ख) क्या इसमें से किसी स्थान पर खोज कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन स्थानों में से किसी स्थान पर रसोई गैस के भंडार पाए गए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल.पी.जी. एक पेट्रोलियम उप-उत्पाद है। अन्वेषण हाइड्रोकार्बनों के लिए किया जाता है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में नालागढ़, बिलासपुर, सरकाघाट, परोर, लांबरगांव, जोगिन्दर नगर, मण्डी, सुन्दर नगर, जानौरी, पालमपुर और भंगरोटू में भूंकपीय सर्वेक्षण किए गए थे। 1991 में खोदे गए चांगर तलाई कूप-1 को 1992 में पूरा किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई हाइड्रोकार्बन भण्डार सिद्ध नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिसकर्मी

2358. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जबरदस्ती धन वसूल करने और अन्य आरोपों में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को गिरफ्तार कियां गया और निलंबित किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार संदिग्ध और अवांछित तत्वों से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली पुलिसकर्मियों के आचरण को सामयिक समीक्षा कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) दिल्ली पुलिस को और चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) अपेक्षित सूचना क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले पुलिस कार्मिकों की सावधिक समीक्षा की जाती है और यदि जरूरत पड़ती है तो मूल नियम 56 (ज) के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए कार्रवाई की जाती है।

(घ) दिल्ली पुलिस उन सभी मामलों में जिनमें पुलिस कार्मिक संलिप्त पाए जाते हैं, सख्त कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में मामले दर्ज करना, निलंबित करना, अनुशासनात्मक जांच शुरू करना और उपयुक्त मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के तहत बर्खास्तगी सम्मिलित है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों और कार्मिकों पर विभाग भी कड़ी निगरानी रखता है। सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और जनता से निपटने में संवेदनशील व्यवहार अपनाने की दृष्टि से प्राथमिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को संशोधित किया गया है। बलों के सदस्यों को संपर्क सभाओं और परस्पर बातचीत के जरिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनता के साथ सम्पर्क करने के कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। विभाग की सतर्कता शाखा और सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा द्वारा पुलिस कार्मिकों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

विवरण-I

वर्ष	पद-वार संलिप्तता					कुल	धन ऐंठने के लिए निलम्बित किए गए					कुल
	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल		निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	
1992	–	1	–	2	5	8	–	1	–	1	3	5
1993	–	–	1	3	9	13	–	–	–	2	6	8
1994	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	5	5

विवरण-II

वर्ष	पद-वार संलिप्तता					कुल	अन्य आपराधिक मामलों में निलम्बित किए गए					कुल
	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	उप कांस्टेबल	हैड कांस्टेबल		निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	उप कांस्टेबल	हैड कांस्टेबल	
1992	5	13	12	26	73	129	5	8	3	9	27	50
1993	5	18	13	29	88	151	3	9	4	10	33	59
1994	8	19	9	36	100	172	5	16	6	22	70	119

[अनुवाद]

कन्नड़ मूवी चैनल

2359. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा विशेष कन्नड़ मूवी चैनल शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस चैनल को कब से शुरू किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बरेली मंडलीय कार्यालय का स्थानान्तरण

2360. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का बरेली मंडलीय कार्यालय कितने वर्षों से कार्यरत है;

(ख) क्या इस कार्यालय के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारत पेट्रोलियम का. लि. का प्रभागीय कार्यालय 1984 से 1992 तक बरेली कार्य कर रहा था। बेहतर उपभोक्ता सेवा तथा प्रचलानात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय को 1.1.93 को आगरा में स्थानान्तरित कर दिया गया।

[अनुवाद]

डीजल का अभाव

2361. **श्री श्रीकांत जेना** :
श्री रामविलास पासवान -
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में डीजल का अभाव अभी तक है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) फिलहाल उत्तरी भारत में डीजल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और संपूर्ण मांग पूरी की जा रही है।

इछापुर के आसपास तेल की खोज

2362. **श्री अजय मुखोपाध्याय** :
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने प्रश्चिम बंगाल में इछापुर के आसपास तेल की खोज का कार्य समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में अनवेषी कार्य 3-डी भूकंपीय आंकड़ों को संसाधित करने के रूप में किया जा रहा है। इनको पहले ही तैयार किए गए भूतलीय एवं उप-भूतलीय भूवैज्ञानिक आंकड़ों के साथ समेकित करते हुए 3-डी

भूकंपीय आंकड़ों के निर्वचन के पश्चात इस कार्य के अगले कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

सुरक्षा बलों की तैनाती

2363. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कार्मिकों को आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने, विद्रोह, आतंकवाद से निपटने के लिए भी तैनात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी तैनाती से सुरक्षा सेनाओं को उनकी मुख्य भूमिका से हटना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो रक्षा कार्मिकों को आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैनाती को तुरंत रोकने और इस उद्देश्य के लिए नया अर्द्ध-सैनिक बल बनाने और विद्यमान अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलाई जा सकती है। यह तैनाती भारत सरकार के "सशस्त्र बलों द्वारा सिविल प्राधिकारियों की मदद के बारे में निर्देश" द्वारा शासित होती है जिसके अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा, सेना की तैनाती आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने, आपदाओं आदि के दौरान सहायता के लिए भी की जा सकती है। इसके अलावा सेना को, देश के कुछ हिस्सों में अलग-अलग विधानों के अधीन भी तैनात किया जाता है।

तथापि, सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए सेना का प्रयोग कम से कम किया जाए। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि सेना को अंतिम उपाय के रूप में तभी बुलाया जाए जब स्थानीय पुलिस/अर्द्ध-सैनिक बल एवं राज्य सरकार को अन्य एजेंसियां पूरी तरह तैनात कर ली गई हैं और निष्प्रभावी साबित हुई हों। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि ऐसी भूमिका में सेना की तैनाती से युद्ध की तैयारी और सैनिकों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आंतरिक सुरक्षा/विद्रोह विरोधी ड्यूटियों से मुक्त करके सेना को उनकी मुख्य भूमिका के लिए छोड़ देने और इसके संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग को कम करने के लिए, सेना के प्रचलानात्मक और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में "राष्ट्रीय राइफल्स" नामक एक अर्द्ध-सैनिक बल गठित किया गया है। राष्ट्रीय राइफलन के 2 सैक्टर मुख्या. आदि, 6 बटालियनें वर्ष 1990 में स्वीकृत की गई थीं। 1994 में 3 वर्ष की अवधि के लिए 30 अतिरिक्त बटालियनें, 10 सैक्टर मुख्या. आदि भी स्वीकृत किए गए थे।

इसके अलावा कुछ अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में भी निम्नलिखित रूप से वृद्धि की जा रही है :

सी.सु.ब.	9 बटा.
के.रि.पु.ब.	एक महिला बटा.
भा.ति.सी.पु.	एक बटा.

यह निर्णय भी किया गया है कि केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की जरूरतों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए 22 आई.आर. (भारत रिजर्व) बटा. गठित की जाए।

[हिन्दी]

नहर परियोजना में जल की उपलब्धता

2364. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत नहर परियोजना में पानी की उपलब्धता के संबंध में आशंका पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए इसके डिजाइन में संशोधन करने हेतु विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों सहित उसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यह रिपोर्ट किस सीमा तक सही है;

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता के तौर पर दी गई 150 मिलियन डालर की राशि जुलाई, 1992 में वापस ले ली गई थी, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित परियोजना पूर्ण रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि नदी प्रवाह पर्याप्त रूप से आंका गया है। तथापि, इसमें यह तर्क दिया गया है कि किसानों द्वारा सिंचाई जल के संभावित अकुशल उपयोग, बांध के पर्यावरण अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) की सुरक्षा के लिए जल की निर्मुक्तियां बनाए रखने की आवश्यकता और सरदार सरोवर बांध के प्रतिप्रवाह पर नर्मदा सागर बांध के समय पर पूरा होने के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए, योजना बनाए गये सारे कमान क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होगा। इसके आधार पर, परियोजना पूर्ण रिपोर्ट में कमान क्षेत्र में अधिक गहन सिंचाई अपनाने के अलावा, सिंचाई क्रमिक रूप से चरणवार, विस्तार की सिफारिश की गई है।

(ग) परियोजना पूर्ण रिपोर्ट में व्यक्त आशंकाएं अनुमानित हैं। सिंचाई क्षमता के साथ-साथ प्रयोजनों के लिए जल की

आवश्यकताओं का आकलन उपयुक्त रूप से विस्तृत विश्लेषणों के आधार पर किया गया है। तदनुसार, परियोजना से सिंचाई लाभ सहित लाभों की योजना बनाई गई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक समुदाय सहायता से भारत सरकार के अलग हो जाने के कारण, विश्व बैंक ने 29 मार्च, 1993 से 181.505 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर न लिए गए शेष क्रेडिट को रद्द कर दिया।

[अनुवाद]

मुस्लिम जनसंख्या

2365. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों में 1981-91 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और प्रत्येक पूर्वी राज्य में 1981-91 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह वृद्धि पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में बंगलादेश के लोगों की बड़ी संख्या में घुसपैठ के कारण हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) 1981 और 1991 की जनगणनाओं के दौरान भारत और पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल जनसंख्या और मुसलमानों की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पश्चिम बंगाल और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक है।

(घ) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों को निरंतर घुसपैठ के लिए धार्मिक और आर्थिक कारणों सहित अनेक कारण हैं। इस क्षेत्र में नए घुसपैठियों के आ जाने और स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भीतरी भागों में चले जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों की जनअध्ययनात्मक संरचना में परिवर्तन आ गया है। भारत-बंगलादेश सीमा के दोनों ओर ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक रूप से एक समान हैं।

विवरण

1981-91 की जनगणनाओं के दौरान भारत और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल जनसंख्या और मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	भारत/राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	1981–91 में प्रतिशत वृद्धि	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	1981–91 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत$@	1991	816,169,666	23.79	95,222,853	11.67	32.76
	राज्य	1981	659,300,400		71,728,063	10.88	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1991	66,508,008	24.20	5,923,954	8.91	30.66
		1981	53,549,673		4,533,700	8.47	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1991	864,558	36.83	11,922	1.38	135.01
		1981	631,839		5,073	0.80	
3.	असम*	1991	22,414,322	–	6,373,204	28.43	–
		1981	–		–	–	–
4.	बिहार	1991	86,374,465	23.54	12,787,985	14.81	29.50
		1981	69,914,734		9,874,993	14.13	
5.	गोवा	1991	1,169,793	16.08	61,455	5.25	48.74
		1981	1,007,749		41,317	4.10	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	1991	41,309,582	21.19	3,606,920	8.73	24.05
		1981	34,085,799		2,907,744	8.53	
7.	हरियाणा	1991	16,463,648	27.40	763,775	4.64	45.89
		1981	12,922,618		523,536	4.05	
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	5,170,877	20.79	89,134	1.72	28.04
		1981	4,280,818		69,613	1.63	
9.	जम्मू कश्मीर*	1991	–	–	–	–	–
		1981	5,987,389		3,843,451	64.19	
10.	कर्नाटक	1991	44,977,201	21.12	5,234,023	11.64	25.71
		1981	37,135,714		4,163,691	11.21	
11.	केरल	1991	29,098,518	14.32	6,788,364	23.33	25.49
		1981	25,453,680		5,409,687	21.25	
12.	मध्य प्रदेश	1991	66,181,170	26.84	3,282,800	4.96	31.21
		1981	52,178,844		2,501,919	4.80	
13.	महाराष्ट्र@	1991	78,937,187	25.73	7,628,755	9.67	31.40
		1981	62,784,171		5,805,705	9.25	
14.	मणिपुर	1991	1,837,149	29.29	133,535	7.27	34.44
		1981	1,420,953		99,327	6.99	
15.	मेघालय	1991	1,774,778	32.86	61,462	3.46	48.34
		1981	1,335,819		41,434	3.10	
16.	मिजोरम	1991	689,756	39.70	4,538	0.66	105.80
		1981	493.757		2,205	0.45	
17.	नागालैण्ड	1991	1,209,546	56.08	20,642	1.71	74.84
		1981	774,930		11,806	1.52	
18.	उड़ीसा	1991	31,659,736	20.06	577,775	1.83	36.83
		1981	26,370,271		422,266	1.60	
19.	पंजाब	1991	20,281,959	20.81	239,401	1.18	42.42
		1981	16,789,915		168,094	1.00	
20.	राजस्थान	1991	44,005,990	28.44	3,525,339	8.01	41.46
		1981	34,261,862		2,492,145	7.28	
21.	सिक्किम	1991	406,457	28.47	3,849	0.95	18.76
		1981	316,385		3,241	1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	1991	55,858,946	15.39	3,052,717	5.47	21.14
		1981	48,408,077		2,519,947	5.21	
23.	त्रिपुरा	1991	2,757,205	34.30	196,495	7.13	41.84
		1981	2,053,058		138,529	6.75	
24.	उत्तर प्रदेश	1991	139,112,287	25.48	24,109,684	17.33	36.54
		1981	110,862,013		17,657,735	15.93	
25.	पश्चिम बंगाल	1991	68,077,965	24.73	16,075,836	23.61	36.89
		1981	54,580,647		11,743,259	21.51	
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1991	280,661	48.70	21,354	7.61	31.91
		1981	188,741		16,188	8.58	
2.	चण्डीगढ़	1991	642,015	42.16	17,477	2.72	91.74
		1981	451,610		9,115	2.02	
3.	दादर और नगर हवेली	1991	138,477	33.57	3,341	2.41	72.93
		1981	103,676		1,932	1.86	
4.	दमन और दीव	1991	101,586	28.62	9,048	8.91	26.65
		1981	78,981		7,144	9.05	
5.	दिल्ली	1991	9,420,644	51.45	889,641	9.44	84.65
		1981	6,220,406		481,802	7.75	
6.	लक्षद्वीप	1991	51,707	28.47	48,765	94.31	27.75
		1981	40,249		38,173	94.84	
7.	पाण्डिचेरी	1991	807,785	33.64	52,867	6.54	44.20
		1981	604,471		36,863	6.06	

$ जम्मू और कश्मीर तथा असम को छोड़कर।

@ महाराष्ट्र के धुले जिले को अकरानी और अकलकुंवा तहसीलों के 33 ग्रामों में 1991 की जनगणना नहीं की जा सकी। इन ग्रामों की जनसंख्या (अर्थात् 16,053 व्यक्ति) गौण साधनों से ली गई है और इसे महाराष्ट्र और भारत की जनसंख्या में शामिल किया गया है। तथापि, उनके और ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

* 1981 और 1991 में क्रमशः असम तथा जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

नदियों को परस्पर जोड़ना

2366. **श्री दत्ता मेघे :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों अथवा विश्व बैंक की सहायता से बाढ़ नियंत्रण जान और माल की क्षति को रोकने के लिए विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने की कोई योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक यह काम कर लिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, सरकार द्वारा तैयार किये गये जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के अष्टतम उपयोग के लिए जल प्रचुरता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों के बीच एवं हिमालयों नदियों में अलग-अलग सम्पर्क स्थापित करने की परिकल्पना है। सरकार ने इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अन्तरण सम्पर्कों (17 प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत एवं 19 हिमालयी घटक के अंतर्गत) का पता लगाया गया है। अभिकरण ने अब तक प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत सभी 17 सम्पर्कों और हिमालयों घटक अंतर्गत 19 सम्पर्कों में से 5 के प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन किये हैं। इनके अलावा, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 3 सम्पर्कों को व्यवहार्यता रिपोर्टें भी तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बल

2367. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों और विभिन्न गैर कानूनी गुटों और सेनाओं को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा विंग के कार्मिकों की संख्या में भारी वृद्धि करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कोई भर्ती कार्यक्रम नहीं है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के रैंक में 6408 अनुमानित रिक्तियां हैं, किन्तु इनके राज्यवार आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। असम राईफल्स, सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कांस्टेबल के रैंक की राज्यवार रिक्तियों के आवंटन संबंधी सूचना निम्न प्रकार है :

राज्य का नाम	असम राइफल्स	सीमा सुरक्षा बल	भारत तिब्बत सीमा पुलिस
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	-	242	-
असम	100	52	100
अरुणाचल प्रदेश	100	46	-
बिहार	-	295	-
दिल्ली	-	56	-
गोवा	-	45	-
गुजरात	-	216	-
हरियाणा	100	84	-
हिमाचल प्रदेश	200	30	-
जम्मू और कश्मीर	100	879	306
कर्नाटक	-	101	-
केरल	-	57	-
मध्य प्रदेश	-	208	-
महाराष्ट्र	-	400	-
मणिपुर	100	20	-
मेघालय	100	25	-
मिजोरम	100	41	-
नागालैंड	550	9	-
उड़ीसा	-	169	-
पंजाब	100	141	-
राजस्थान	-	171	-
सिक्किम	-	20	-
तमिलनाडु	100	197	-
त्रिपुरा	100	18	-
उत्तर प्रदेश	200	173	-
पश्चिम बंगाल	100	334	-
योग	2050	3929	406

[हिन्दी]

दिल्ली में वाहन चोरी

2368. **श्री पंकज चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वाहन चोरी करने वाले किसी अन्तरराज्यीय गिरोह का हाल ही में भण्डाफोड़ किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में वाहन-चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पिछले दो वर्षों में मोटर-वाहनों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 और वर्ष 1994 के दौरान "मोटर वाहनों की चोरी" शीर्ष के अधीन सूचित हुए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

1993	3606
1994	4151

(ख) दिल्ली में वाहनों की संख्या में भारी वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में मोटर वाहनों के चोरी के मुख्य कारण हैं। पार्किंग स्थान का अभाव जहां वाहनों को सरलतापूर्वक सुरक्षित रखा जा सके, वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की सुरक्षा युक्तियों का न अपनाया जाना तथा पड़ोसी राज्यों के आपराधिक तत्वों द्वारा इस गतिविधि में शामिल होना, इत्यादि।

(ग) और (घ) वर्ष 1995 (31.7.95 तक) वाहन चोरों के सात अन्तरराज्यीय गिरोहों का भण्डाफोड़ किया है, तथा 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक मामले में 5 अभियुक्तों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जबकि छह मामलों में गिरफ्तार किए गए 19 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

(ङ) वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) संबंधित स्टाफ को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन चोरी की बहुलता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है तथा मोटर-वाहनों की चोरी की रोकथाम के लिए क्षेत्र सुरक्षा योजनाएं अपनाई जाती हैं।

(2) निवारक उपायों के बारे में इश्तेहारों और दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

(3) सुरक्षा उपायों, जैसे कि कार अलार्म का लगवाना, अतिरिक्त ताले, इत्यादि के इस्तेमाल के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ बैठकें की जाती हैं। वाहन मालिकों का दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई कार एचिंग स्कीम अनुसार अपने वाहनों पर नम्बर खुदवाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(4) अन्तरराज्यीय गिरोह, विशेषकर वाहन चोरी करने वालों के बारे में आपराधिक आसूचना एकत्र की जाती है तथा उनको पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं।

(5) सीमा चैक पोस्टों पर बनी पुलिस पिंकेटों द्वारा बाहर जाने वाले वाहनों की चैंकिग भी की जाती है।

[हिन्दी]

कोयला खनन

2369. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की गहरी पतली परतों से कोयले का खनन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में कोयले के ऐसे खनन की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयले की गहरी पतली परतों से कोयले का खनन किफायती होगा; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. के कोयले के उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत भूमिगत खानों से प्राप्त होता है तथा सिंगरेनी को लियरीन कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) के मामले में लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन भूमिगत खानों से प्राप्त होता है।

(ग) शैलों भंडार के समापन से उत्खनन की गहराई भूमिगत तथा ओपेनकास्ट दोनों ही खानों के मामले में धीरे-धीरे बढ़ जाएगी। गहरी सीमों की उत्खनन की योजना ऊपरी सीमों का पूर्ण खनन किए जाने के साथ संयोजित है। भू-गर्भीय एवं तकनीकी आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोल.इ.लि. तथा सिं.को.कं. लि. दोनों ही में गहरे भंडारों का उत्खनन किए जाने के लिए अधिक भू-गत खानों को विनिर्दिष्ट किया गया था।

(घ) और (ङ) गहरी सीमों में कोयला खनन की लागत शैलों भंडारों की तुलना में ऊंची होनी अपेक्षित है। खनन की वास्तविक लागत, अन्य बातों के साथ-साथ सीम की मोटाई तथा गहराई, छत की प्रवृत्ति तथा सतही पठार, भू-खनन परिस्थितियां, जिसमें गैस एवं जल की विद्यमानता सहित यंत्रीकरण की सीमा तथा खनन की प्रणाली शामिल है, पर निर्भर करती है।

कोयले का उत्पादन

2370. **श्री सूरज मंडल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1995 तक और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, भारत कोकिंग कोल लि. तथा

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की इकाइयों में कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में छोटे कोयला व्यापारियों एवं अन्य उपभोक्ताओं ने ग्रेड-वार कितने-कितने कोयले का उपभोग किया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने कितना कोयला निर्यात किया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) तथा सेंट्रल कोल्फील्ड्स लि. (मे.को.लि.) में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1992-93 से 1994-95 और जुलाई 1995 तक हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन)

कंपनी	92-93	93-94	94-95	95-96
भाकोकोलि	28.06	29.04	28.76	8.26
सेकोलि	32.38	33.51	31.29	8.05

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान को.इ.लि. द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की ग्रेडवार मात्रा में की गई आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

प्रेषित किए गए ग्रेड का कोयला	1993-94	1994-95
अ-कोककर		
ए	3.65	3.78
बी	21.80	20.35
सी	40.47	38.14
डी	22.49	27.87
ई	30.36	32.31
एफ	54.40	59.50
कोककर		
इस्पात/वाशरी	25.77	23.62
मध्यमकोकर	0.61	0.67
अर्ध/अन्य कोकर	3.33	3.36
एन.एल.डब्ल्यू.कोयला	10.47	9.70

अगस्त, 1993 में शुरू की गई उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत छोटे कोयला व्यापारियों को कोयले की बिक्री किए जाने के लिए योजना शुरू की गई थी। कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) द्वारा उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत प्रेषित किए गए 1.86 मि.टन और 3.72 मि.टन कोयले में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान छोटे/कोयले व्यापारियों को क्रमशः 0.29 मि.टन तथा 0.57 मि.टन कोयले की बिक्री की गई थी।

(ग) को.इ.लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इ.लि. द्वारा निर्यात किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

1992-93	0.13
1993-94	0.10
1994-95	0.11

आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2371. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस राज्य में इन आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस राज्य में इन समुदायों के कल्याण तथा उनको ऊपर उठाने के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उड़ीसा में विभिन्न अनुसूचित जनजातियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II के अनुसार।

(घ) योजना अवधि के लिए निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि निर्मुक्तियां निर्मुक्त की गई निधियों के उपयोग, समय पर उपयोग के ब्यौरे की प्रस्तुति तथा समय पर प्रस्तावों की प्राप्ति आदि पर निर्भर रहती है।

विवरण-I

क्र.सं.	
1	2
1.	बगता
2.	बैगा
3.	बंजारा, बंजारी

1	2
4.	बथुडी
5.	भोट्टराडा, बंजारी
6.	भुइया, भुयान
7.	भूमिया
8.	भूमिज
9.	भुजिया
10.	विनिझाल
11.	विंजिया, विंजोआ
12.	बिरहोर
13.	बोंडो पोराजा
14.	पेंचु
15.	डल
16.	डेसुआ भुमिज
17.	धारूआ
18.	दिदायी
19.	गंदावा
20.	गंडिया
21.	घारा
22.	गोंड, गंडो
23.	हो
24.	होल्वा
25.	जटपू
26.	जुआंग
27.	कंध गौंडा
28.	कवर
29.	खारिया, खारियन
30.	खरवार
31.	कोंड, कंध, कंघ, नागुंली, कंधा, सिधा कान्धा
32.	किसान
33.	कोल
34.	कोलाह, लोहरस, कोल लोहारस
35.	कोल्हा
36.	कोली, मल्हार
37.	कोंडाडोरा
38.	कोरा
39.	कोरूआ
40.	कोरिआ
41.	कोया
42.	कुलिस
43.	लोधा
44.	मडिया
45.	महाली
46.	मंकिदी
47.	मकीर्दिया
48.	मत्य
49.	मिर्धास
50.	मुंडा, मुंडा लोहरा, मुंडा महालिस
51.	मुंडारी
52.	ओमोल्या
53.	आरांव
54.	परेंगा
55.	परोजा
56.	पेंटिया
57.	राजुअर
58.	संताल
59.	सरोरा, सवर, सौरा, सहारा
60.	शाबर, लोधा
61.	साउन्ती
62.	थारूआ

विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान, जनजातीय छात्रों के लिए लड़कियों और लड़कों के होस्टलों के निर्माण के लिए अनुदान, कम साक्षरता वाले पाकेटों में जनजातीय लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों के निर्माण के लिए अनुदान, आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए अनुदान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए

अनुदान, लघु वन उत्पाद कार्यों को आरंभ करने के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए अनुदान, स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान।

योजना अवधि के दौरान जुलाई के अंत तक निर्मुक्त धनराशि

(रुपये लाख में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (जुलाई 95 के अंत तक)
विशेष केन्द्रीय सहायता	3378.03	3603.23	3956.55	2106.39
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत	434.78	815.25	771.00	385.5
लड़कियों के लिए होस्टल	35.58 (10 होस्टल)	77.24 (21 होस्टल)	44.00 (12 होस्टल)	
लड़कों के लिए होस्टल	30.00 (12 होस्टल)	29.40 (8 होस्टल)	36.00 (9 होस्टल)	
आश्र. स्कूल	42.00 (4 स्कूल)	16.20 (4 स्कूल)	60.00 (4 स्कूल)	
निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर	-	31.75 (6 कैम्प)	64.99 (14 कैम्प)	5.96 (1 कैम्प)
आदिवासी एरिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण	-	70.23 (6 केन्द्र)	38.68 (6 केन्द्र)	(6 केन्द्र)
राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए अनुदान	29.10 (10 संगठन)	43.37 (10 संगठन)	52.87 (15 संगठन)	
अनुसंधान और प्रशिक्षण	3.22	3.73	8.59	3.25

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

2372. **डा. असीम बाला :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कृत्यों में कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, साम्प्रदायिक तनावों को कम करने और अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक विकास को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तैयार किए गए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रही है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौलाना आजाद प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। कमजोर वर्गों (अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों में पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर) परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना, शहरी वक्फ समितियों के सुधार के लिए सहायता अनुदान को योजना, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना तथा अन्य योजनाएं चल रही हैं।

दिल्ली पुलिस भर्ती

2373. **डा. साक्षी जी :** क्या **गृह मंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली पुलिस में कुल कितने उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और सिपाही भर्ती किए गए हैं; और

(ख) इनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से भर्ती किए गए हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस में भर्ती किए गए उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों की संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	कांस्टेबल
1992	106	24	360
1993	8	13	2311
1994	250	26	1872

(ख) दिल्ली पुलिस में पिछले तीन वर्षों में भर्ती किए गए उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	उप निरीक्षक			सहायक उप निरीक्षक			कांस्टेबल		
	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन.पि. वर्ग
1992	20	9	–	3	3	–	35	11	–
1993	2	–	–	3	2	–	480	186	–
1994	36	17	–	7	–	–	332	255	

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास

2374. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :**

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के लिए राज्यवार परिव्यय कितना है;

(ख) उक्त क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन सी राज्य सरकारों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी हैं और कितनी-कितनी; और

(ग) इस संबंध में योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1995-96 के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रक हेतु अनुमोदित परिव्यय को राज्यवार दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत केवल नागालैंड सरकार ने और अधिक निधियों की मांग की है। नागालैंड सरकार ने राज्य में कृषि सम्बन्धी विपणन के लिए 2218 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। योजना आयोग ने 645 लाख रुपये की सिफारिश की है, जो नागालैंड सरकार द्वारा 1995-96 और 1996-97 के दौरान अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जानी है।

विवरण

कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए परिव्यय (1995-96)

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	72.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.70
3.	असम	166.00
4.	बिहार	155.43
5.	गोवा	11.19
6.	गुजरात	
7.	हरियाण	89.64
8.	हिमाचल प्रदेश	107.69
9.	जम्मू व कश्मीर	110.11
10.	कर्नाटक	237.35
11.	केरल	207.25
12.	मध्य प्रदेश	213.83
13	महाराष्ट्र	
14.	मणिपुर	26.63
15.	मेघालय	38.12
16.	मिजोरम	21.90
17.	नागालैंड	21.18
18.	उड़ीसा	170.83
19.	पंजाब	107.89
20.	राजस्थान	317.40
21.	सिक्किम	19.42
22.	तमिलनाडु	265.65
23.	त्रिपुरा	47.58

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	396.07
25.	पश्चिम बंगाल	102.78
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकाबार द्वीपसमूह	15.73
2.	चंडीगढ़	2.60
3.	दादर व नगर हवेली	5.22
4.	दमन व दीव	1.60
5.	दिल्ली	13.60
6.	लक्षद्वीप	6.83
7.	पांडिचेरी	22.40

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की सुरक्षा

2375. **श्री गुमान मल लोढा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** 4 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने अन्य बडी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं के सुरक्षा पहलुओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कई गैर-सरकारी तथा विदेशी संगठनों ने यह बताया है कि बड़े बांधों से तबाही हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और राज्यों को भेजी गई बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसार, बांध के सुरक्षा पहलुओं का मूल्यांकन करना संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभाग का उत्तरदायित्व है। बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि सभी बड़े बांधों का आवधिक निरीक्षण राज्यों द्वारा किया जाना है और उन्हें बांध और बांध सुरक्षा कार्यकलापों की स्थिति पर वार्षिक समेकित योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास भेजनी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घुसपैठ के मामले

2376. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सीमा सुरक्षा बल द्वारा तस्करी, लूट डकैती तथा घुसपैठ के क्षेत्र-वार कितने मामलों का पता लगाया गया/पकड़ा गया; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

तस्करी के मामलों की संख्या

राज्य	1993	1994	1995 (31 जुलाई तक)
1	2	3	4
जम्मू	9	18	24
पंजाब	7	13	6
राजस्थान	39	46	18
गुजरात	4	10	6
पश्चिम बंगाल	6935	10114	10247
असम	2402	2302	1245
मेघालय	1994	2408	1223
मणिपुर	326	323	76
मिजोरम	6	8	3
त्रिपुरा	6923	7344	3677

लूटपाट के मामलों की संख्या

पश्चिम बंगाल	2	4	3
असम	1	-	-
मेघालय	3	10	-
त्रिपुरा	3	2	-

डकैती के मामलों की संख्या

पश्चिम बंगाल	25	32	18

1	2	3	4
मेघालय	3	3	-
मिजोरम	-	-	1
त्रिपुरा	3	2	4
	घुसपैठ के मामलों की संख्या		
जम्मू	77	264	154
पंजाब	68	54	36
राजस्थान	208	196	107
गुजरात	9	12	6
पश्चिम बंगाल	1713	1954	863
असम	113	77	53
मेघालय	213	192	37
मिजोरम	2	2	3
त्रिपुरा	370	299	76

(ख) किए गए उपायों में, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनों की स्वीकृति, भूमि तथा नदी तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त गहन करना, सीमा पर सड़कें बनाने और बाड़ लगाने के कार्य को तेज करना, संवेदनशील क्षेत्रों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना, चौकसी करने में काम आने वाले उपकरणों तथा नाईट विजन डिवाईस इत्यादि का प्रावधान करना आदि शामिल हैं।

भारत के महापंजीयक की योजनागत परियोजनाएं

2377. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के महापंजीयक को सौंपी गई योजनागत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजनागत परियोजना के लिये प्रदत्त धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित धनराशियों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन स्वीकृत योजनागत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत धनराशियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्लान परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक स्कीम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्लान स्कीमों के लिए आवश्यक पदों की मंजूरी मिलने और उपस्कर उपलब्ध कराने में हुए क्रियां विधि सम्बन्धी विलम्ब के कारण आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए आवंटित राशि का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौंपी गई प्लान परियोजनाओं के ब्यौरे

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय आठवीं पंचवर्षीय योजना-1992-97 के दौरान निम्नलिखित प्लान स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है :

1. विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर आधारभूत सुविधाओं के विवरण और नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन।
2. जनगणना आंकड़ों के आधार पर भारतीय भाषाओं पर अनुसंधान का तीव्रीकरण।
3. भारत का भाषाई सर्वेक्षण।
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जनगणना आंकड़ों पर आधारित अध्ययन।
5. जनगणना आंकड़ों के आधार पर मातृभाषाओं का सर्वेक्षण।
6. जनगणना आंकड़ों का मूल्यांकन और विश्लेषण तथा जनगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण।
7. कोडिंग में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और जनगणना करने से सम्बन्धित पद्धति विषयक अध्ययन।
8. 1991 की जनगणना के आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत सारणी करणों और प्रसाद के लिए प्रचलानात्मक और विकासात्मक कार्यकलाप।
9. कम्प्यूटर की सहायता से मानचित्रकारों और आंकड़ा प्रसार।
10. जन्म-मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली में सुधार।

विवरण-II

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाले विवरण

(हजार रुपयों में)

योजना का नाम	आठवीं योजना में अनुमोदित कुल परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय			
		1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
1. आंतरिक सुविधाओं आदि के वितरण संबंधी अध्ययन	50.00	8.00	9.00	10.00	12.00
2. जनगणना आंकड़ों के आधार पर भारतीय भाषाओं पर अनुसंधान का तीव्रीकरण	30.00	5.00	5.00	7.00	7.00
3. भारत का भाषाई सर्वेक्षण	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जनगणना आंकड़ों पर आधारित अध्ययन	2,50.00	25.00	50.00	55.00	60.00
5. जनगणना आंकड़ों के आधार पर मातृभाषाओं का सर्वेक्षण	30.00	5.00	10.00	4.00	7.00
6. जनगणना आंकड़ों का मूल्यांकन और विश्लेषण तथा जनगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण	35.00	5.00	8.00	4.00	4.00
7. कोड़िंग में साख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और जनगणना करने से संबंधित पद्धति विषयक अध्ययन	30.00	5.00	8.00	4.00	4.00
8. 1991 की जनगणना के आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत सारणीकरणों और प्रसार के लिए प्रचलानात्मक और विकासात्मक कार्यकलाप	20,75.00	7,22.00	6,00.00	3,09.00	1,75.00
9. कम्प्यूटर की सहायता से मानचित्रकारी और आंकड़ा प्रसार	1,75.00	20.00	35.00	50.00	70.00
10. जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	10,00.00	2,00.00	3,50.00	4,00.00	4,56.00
योग	3700.00	1000.00	1080.00	848.00	800.00

राजस्थान नहर

2378. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसके कार्य की धीमी गति होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त नहर को जल्दी और समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सन् 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) 649 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर पूर्णतः पूरी हो गई है मार्च, 1995 के अन्त तक 5352 कि.मी. तक वितरण प्रणाली भी पूरी हो गई है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पूरा होने पर कुल वार्षिक सिंचित क्षेत्र 15.79 लाख हैक्टेयर होने की संभावना है।

(ग) कार्य की धीमी गति के विभिन्न कारण ये हैं : लागत का बढ़ जाना, परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन, आवास की धीमी गति तथा उपनिवेशन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये परिव्ययों के अलावा नहर और क्षेत्र विकास कार्यों के लिए परियोजना को उदार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

तेल की खोज संबंधी कार्य पर रोक

2379. **श्री एस.एस. आर. राजेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने बाम्बे हाई और उसके आसपास निजी उद्यमों द्वारा खोज संबंधी कार्य पर रोक लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र और कावेरी बेसिन में निजी उद्यमों द्वारा खोज संबंधी कार्य पर रोक लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्य-निषेध अभियान

2380. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों में मद्य-निषेध के लिए उपयुक्त प्रचार अभियान तैयार करने हेतु डी.ए.वी.पी. के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या डी.ए.वी.पी. ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा दृश्य और प्रचार निदेशालय को क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए भेजा जाता है।

(ग) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान दृश्य और प्रचार निदेशालय को भेजे गए प्रस्तावों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1994-95 के दौरान दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से मद्य निषेध पर प्रचार क्रियान्वनयन

फिल्म/इलैक्ट्रानिक माध्यम

हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 10 मीटर का मद्य निषेध पर दो नाटक आधारित कार्यक्रम का निर्देशन और प्रदर्शन किया गया तथा आकाशवाणी के 30 वाणिज्यिक चैनलों पर " आओ हाथ बढ़ाएं" साप्ताहिक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्गत प्रसारित किया गया।

प्रेस माध्यम

महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर 2.10.94 को समस्त भारत के राष्ट्रीय दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों में अंग्रेजी, तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मद्य निषेध पर महात्मा गांधी के संदेशों के साथ आधे पृष्ठ का विज्ञापन दिया गया।

मुद्रण माध्यम

हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में मद्यनिषेध पर एक पुरस्कार विजेता इश्तहार प्रकाशित किया गया और गैर सरकारी सगठनों राज्य कल्याण सचिवों, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों तथा क्षेत्रीय प्रदर्शनी आधिकारियों को वितरित किया गया।

बाह्य प्रचार माध्यम

दिल्ली तथा फरीदाबाद में निम्नलिखित बाह्य प्रचार मद्य निषेध के संदेशों के साथ लगातार प्रदर्शित किए गए।

(1) 250 खोखों पर।

(2) दिल्ली में 20 बस पड़ाव पर।

(3) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु मे 76 होर्डिंग्स।

(4) कटरा जम्मू में एनिमेशन प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित मद्य निषेध पर संदेश।

विवरण-II

1995-96 के दौरान निष्पादन के लिए दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से मद्य निषेध पर प्रचार :

(क) उचित एक से चार तथा 6 से 9 के आधार पर आठ प्रेस विज्ञापन।

(ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी में (2.10.95) समस्त भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक सम्पूर्ण पृष्ठ का समाचार परिशिष्ट तथा 31.8.95 तक मातृभाषा प्रेस ट्रस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ग) 1-7 अक्टूबर, 1995 से आकाशवाणी के 30 सी.वी.एस. चैनलों पर प्रसारण के लिए हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में मद्य निषेध पर एक रेडियो स्पाट का निर्देशन।

(घ) अंग्रेजी तथा हिन्दी में संदेश सं. 1, 4, 6, 7, तथा 9 के आधार पर प्रत्येक 5 पोस्टरों (छोटे आकार) की 5000 प्रतियां।

(ङ) वाक्य संख्या 1, 7, तथा 9 के आधार पर प्रत्येक 2000 पेन स्टैंड।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्य निषेध पर महात्मा गांधी की उक्तियां

(1) नशाखोरी बुराई से अधिक एक बीमारी है।

(2) यदि हमें अहिंसा प्रयासों के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो लाखों पुरुष तथा महिलाओं को जो नशाखोरी तथा स्वापक के सेवन कर्ता हैं को भावी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

(3) इस सुधार को आगे बढ़ाने में महिलाएं तथा विद्यार्थियों को एक विशेष अवसर है। सेवाओं के अनेक कृत्यों द्वारा वे व्यसनियों पर प्रभाव डाल सकते हैं जो इस बुरी आदत को छोड़ने की अपील पर उन्हें शोर करने को बाध्य करेगा।

(4) "शराब खोरी की आदत" के शिकार को राष्ट्र के उजड़े जीनों के अलावा कुछ नहीं बचेगा।

(5) राज्य मद्य निषेध इस धैर्यपूर्वक सुधार का अंत नहीं है। बल्कि यह एक आवश्यक आरम्भ है।

(6) नशीली दवा तथा शराबखोरी उस दैत्य की दो भुजाएं हैं जो असहाय दातों को नशाखोरी तथा मादकता पर आधारित करता है।

(7) नशाखोरी तन्तुओं को उत्तेजित करता है तथा स्वापक अच्छे बुरे की संवेदना को मार देता है।

(8) कोई भी देश वास्तव में कितना भी धनी तथा उन्नत हो, नशाखोरी का सहारा नहीं ले सकता। नशाखोरी देश को बर्दादी के कगार पर खड़ा कर देता है और कभी-कभी नशाखोरी के कारण उनका पतन हो जाता है, भारत नशाखोरी को प्रत्यंक्त नहीं कर सकता।

शराबखोरी तथा नशीली दवा उन्हें पतन की ओर ले जाती हैं जो इसके आदि हैं, और वे जो इसका व्यापार करते हैं, शराबी पत्नी, माता, तथा बहन के बीच सम्बधों को भूला देता है और ऐसे अपराधों में लिप्त होता है, जो अपने सामान्य क्षणों में वह शर्मिन्दगी महसूस करेगा।

(9) शराब और नशीली दवाएं शरीर और आत्मा दोनों को खोखला कर देती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्येतावृत्तियां

2381. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने को सरकार की नीति क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अध्येतावृत्तियां देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने निराश्रितों और अति निर्धन परिवारों के छात्रों को अध्येतावृत्तियां देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इस योजना का क्रियान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वचनबद्ध व्यय के अतिरिक्त उनके द्वारा अनुरक्षण भत्ते, वापस न किए जाने वाले सभी अनिवार्य शुल्कों, अध्ययन दौरों अनुरक्षण भत्ते, वापस न किए जाने वाले सभी अनिवार्य शुल्कों, अध्ययन दौरों के व्यय, शोधपत्र के मुद्रण जिल्दसाजी तथ दृष्टिहीन छात्रों को पाठक प्रभार के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के सैकण्डरी स्तर के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत मानव

संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजना के अधीन/खण्ड प्रति सामुदायिक विकास में दो छात्रवृत्तियां तथा 20 प्रतिशत या इससे अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रति सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक अतिरिक्त छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 3 छात्रवृत्तियां प्रति छात्रवृत्तियां आदिवासी विकास खण्ड प्रदान किए जाते हैं। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए 145.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। चूंकि इस योजना के अंतर्गत सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार केन्द्रीय सहायता निर्युक्त की जाती है, इसलिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं किए जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए सैकण्डरी स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना एक सामान्य योजना है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निधियों का कोई अलग से आवंटन नहीं किया जाता है।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सघन जांच के साथ उसी माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चों तक विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकार्य है।

आयु सीमा

अनुरक्षण भत्ते तथा फीस के लिए सहायता के साथ-साथ आय सीमा इस प्रकार है :

(क)	उन छात्रों जिनके माता-पिता /अभिभावकों की सभी साधनों से आय 1500 रु. प्रति माह से अधिक न हो।	पूर्ण अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस
(ख)	निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के माता-पिता तथा अभिभावक जिनकी आय प्रति मास 1500 रु. से अधिक किन्तु 2000 रु. से अधिक न हो और,	
(1)	समूह "क" (डिग्री स्तर पाठ्यक्रमों में चिकित्सा इंजीनियरिंग/बी.वी.एस. सी./बी.वी.एस.सी. आदि)	पूर्ण अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस
(2)	वर्ग "घ" तथा "ङ" (मैट्रीकोत्तर स्तर के सभी अन्य व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम	आधा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस

ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चो के लिए सैकण्डरी स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा ली जाती है। अंतिम चयन एक यूनिट के रूप में सामुदायिक विकास खण्ड के साथ किया जाता है और शीर्ष छात्रों को प्रत्येक खण्डों में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ङ) से (छ) निराश्रित तथा उन परिवारों के बच्चों के लिए जो अत्यंत निर्धन हैं, अनन्य रूप से कोई छात्रवृत्ति की योजना नहीं है। तथापि, बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के अंतर्गत साक्षरता, गिनती तथा जीवन संबंधी शिक्षा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था बेसहारा बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने के प्रयास आरम्भ करने के लिए की जा रही हैं।

बाण सागर परियोजना

2382. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के त्रिपक्षीय अन्तर्राज्यीय बाण सागर परियोजना समझौते के अनुसार बाण सागर जलाशय में भण्डारण क्षमता 4 एम.ए.एफ. निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या इसकी लागत और लाभ का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच 2 : 1 : 1 के अनुपात में बंटवारा किया जाना था;

(ग) क्या उक्त समझौते में उत्तर प्रदेश द्वारा सिंचाई के लिए एक एम.ए.एफ. पानी का उपयोग किए जाने का स्पष्टतः प्रावधान किया गया था;

(घ) क्या इस संबंध में उपरोक्त समझौता किए जाने के बाद भी इस परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी हां,।

(घ) और (ङ) बाण सागर बांध परियोजना को 91.30 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत परयोजना आयोग द्वारा अगस्त, 1978 में निवेश स्वीकृति दी गई थी। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनों परियोजना सम्बन्धी सलाहकार समिति ने बाणसागर नहर परियोजना , मध्य प्रदेश और बाण सागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) जनवरी, 1994 में क्रमश : 344.66 करोड़ रुपए और 190.27 करोड़ रुपए के लिए इस शर्त पर स्वीकार्य पाई कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृतियां तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाये।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि

2383. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक नलकूप तथा सिंचाई योजना के

कार्यान्वयन हेतु आंवटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सिंचाई, राज्यों का विषय है, अतः जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों की निधियों का आवंटन नहीं करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मंगलौर रिफाइनरी

2384. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का अपनी तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित क्षमता वृद्धि को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जून, 1995 के मूल्यों पर 3114 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 एम.एम.टी.पी.ए. से 9 एम.एम.टी.पी.ए. के लिए शोधन क्षमता विस्तार के संबंध में प्रस्ताव निवेश अनुमोदन के लिए संसाधित है।

सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन की तारीख से 33 महा के अंतर्गत विस्तार परियोजना के पूरा होने का कार्यक्रम है।

कोयले का उत्पादन

2385. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1994-95 के दौरान कोयले का उत्पादन कितना रहा;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में कोयले के उत्पादन की स्थिति क्या रही; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कोयले के उत्पादन में विद्यमान असंतुलन को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

कोयला मंत्रायल के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कोयले का उत्पादन 75.25 मि.ट. (अनन्तिम) रहा। पिछले तीन वर्षों के संबंध में अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में किए गये कोयला उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये है :

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95 अनंतिम
बिहार	71.21	73.28	75.34
मध्य प्रदेश	70.49	72.83	75.26
महाराष्ट्र	19.68	20.45	21.28
उड़ीसा	23.14	24.90	25.46
पश्चिम बंगाल	17.81	16.61	17.46
आन्ध्र प्रदेश	22.51	25.21	25.65

(ग) कोयले का उत्पादन कोयले के भू-गर्भीय भण्डारों पर निर्भर करता है जो कि स्थल विशिष्ट हैं खनन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा उसके फलस्वरूप कोयला उत्पादन विभिन्न घटकों जैसे कोयले के उत्पादन, भू-खनन परिस्थितियों, वन भूमि सहित भूमि की उपलब्धता, मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं आदि पर निर्भर करता है, जो कि प्रत्येक राज्यों में भिन्न है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

2386. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु मैदानों और पहाड़ों में अलग-अलग अधिकतम सीमा निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिन्हें मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र माना जायेगा;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों की भी उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में उनके लिए भी वही अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों/लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, होस्टलों की लागत, जिसके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी जाती है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची के आधार पर तैयार की जाती

है। तथापि, जहां राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दोनों की दर अनुसूची का पालन कर रहे हैं, इसकी लागत इन दोनों दरों जो कम हो उसके आधार पर तैयार की जाती है। जहां केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों का अनुसरण किया जा रहा है, वहां यही दरें लागू होंगी।

[अनुवाद]

मद्य निषेध

2387. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध आयोग गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि का दुर्विनियोग

2388. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग और भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्त अखिल भारतीय मूक एवं बधिर संस्था में धन के दुर्विनियोग और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

हीराकुण्ड बांध

2389. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से विशेषज्ञों के एक दल ने उड़ीसा में हीराकुण्ड बांध में आई दरार के कारण नुकसान की संभावनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने हीराकुण्ड बांध में अल्काली सिलिका रिएक्टिविटी (ए.एस.आर.) की जांच करने के लिए मैसर्स कंस्ट्रक्शन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका को परामर्शदाता के रूप में रखा था। जनवरी, 1993 के दौरान मैसर्स कंस्ट्रक्शन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रधान अनुसंधान वैज्ञानिक, श्री डेविड स्टार्क ने हीराकुण्ड बांध स्थल का दौरा किया और अन्वेषण किए तथा अप्रैल, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की परामर्शदाता ने राय दी कि आज तक ए.एस.आर. से विस्तार हुआ है और यह पाई गई दरारों का एक लघु स्रोत रहा है। इससे मैस कांक्रीट में नाममात्र की ही क्षति हुई है अथवा बिल्कुल ही नहीं हुई है। उन्होंने यह भी राय दी कि ए.एस.आर. से न तो बांध की सुरक्षा को कोई खतरा होगा और न नही यह बांध के कार्यात्मक प्रचालन को सीमित करेगा।

(ग) उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्रदान बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार दरारों की मरम्मत शुरू की है। दायां स्पिलवे के 35-40 ब्लाकों में दरारों की जल के अंतर्गत मरम्मत पूरी हो गई हैं बाएं स्पिलवे के 41-46 ब्लाकों तथा 3-22 ब्लाकों में दरारों का उपचार क्रमशः मई, 1997 तथा मार्च, 1998 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम है।

काल बैंक सेवाएं

2390. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अनधिकृत कम्पनियां/व्यक्ति विभिन्न देशों को रियायती दर पर काल बैंक सेवाएं प्रदान करने का दावा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) कुछ व्यक्ति/कंपनियां विभिन्न देशों को काल बैंक सेवा प्रदान करने का दावा कर रही हैं, जिनके द्वारा इस सेवा का उपभोक्ता यदि अंतरराष्ट्रीय काल करना चाहता है तो उसे देश में लगे कम्प्यूटर द्वारा काल बैक की जाती है और काल के लिए उसे देश की डायल टोन प्रदान दी जाती है। इस तरह कॉल दूसरे देश की दर में प्रभारित हो जाएगी।

(ग) दूरसंचार विभाग ने एक प्रेस नोटिस जारी किया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या फर्म को, ऐसी सेवाओं को जनता के लिए तथा किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए प्राधिकृत नहीं किया है और किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा इन सेवाओं का प्रयोग करने पर वे भारतीय तार अधिनियम उपबंधों के तहत दंड के भागीदार होंगे। तथापि, कुछ फर्मों को परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर "सीधी स्वदेश सेवा" प्रदान के लिए प्राधिकृत किया गया है।

विदेशी निवेश

2391. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो निवेश करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार ने, 1.8.91 से 30.4.95 की अवधि में दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के 217, 427.00 लाख रुपये के 89 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं। तथापि, इस क्षेत्र में भविष्य में किये जाने वाले संभावित निवेश का आकलन करना कठिन है।

(ख) सरकार ने, दूरसंचार उपकरण उत्पादन, पेजिंग-सेवाओं, सेल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवाओं तथा अन्य मूल्य-वर्धित सेवाओं के क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के 89 प्रस्ताव 1.8.91 से 31.4.95 की अवधि में अनुमोदित किए हैं।

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के 98 प्रस्ताव 1.8.91 से 30.4.95 के दौरान प्राप्त हुए थे, जिसमें से 30.4.95 तक 89 प्रस्ताव निपटाए जा चुके हैं।

रसोई गैस की आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षण

2392. **श्री बलराज पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही रसोई गैस की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोगों की रसोई गैस की आवश्यकता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) तेल कंपनियां उत्तर प्रदेश में 8 पर्वतीय जिलों के अन्तर्गत एल.पी.जी. की जरूरत का मूल्यांकन लगातार करती रही हैं उपरिकथित अनुमान के आधार पर इन जिलों के अन्तर्गत सभी प्रमुख स्थानों पर एल.पी.जी. विपणन सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं बशर्ते कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के विनाश को रोकने वाली नीति के अनुरूप हो। तथा कंपनियों को 4500 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की समस्त सूची (01 अप्रैल, 95 की स्थिति के अनुसार) को 1995-96 के दौरान, 2000 से 4500 फीट के बीच की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची (01 अप्रैल, 95 की स्थिति के अनुसार) के 50 प्रतिशत को 1995-96 के दौरान तथा शेष 50 प्रतिशत को 1995-96 के दौरान पूरा करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

मैट्रो चैनल सुविधा

2393. **श्री के. मुरलीधरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कालीकट में मैट्रो चैनल को सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) मैट्रो चैनल (डी.डी.-2) कार्यक्रमों को रिले करने के लिए कालीकट में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व हिन्दू परिषद के बैंक खातों को पुनः चालू करना

2394. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हिन्दू परिषद से प्रतिबंध हटाने की घोषणा के पश्चात् इसके बैंक खाते को पुनः चालू कर दिया गया है और इसके परिसरों को भी खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विश्व हिन्दू परिषद और इसकी प्रबंध संस्थाओं द्वारा संचालित वनवासी कल्याण आश्रम को अनिवासी भारतीयों से मिलने वाली सहायता पर रोक लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) विश्व हिन्दू परिषद (वी.एम.पी.) को गैर कानूनी संगठन करार देने वाली केन्द्र सरकार को दिनांक 14.1.95 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" के दिनांक 20.6.95 के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने तुरन्त ही राज्य सरकारों को सलाह दी कि विश्व हिन्दू परिषद, कानूनी संगठन बन गई है।

चूंकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 7 और 8 के अधीन राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, अत; वी.एच.पी. के बैंक खातों को पुनः चालू करने और उनके परिसरों को खोल देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई

करने की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने वनवासी कल्याण आश्रम, बम्बई (मुख्यालय अब नासिक में ले जाया गया है) द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

[अनुवाद]

बम्बई में फोनों की टैपिंग

2395. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" बम्बई में "एयरलाइन स्टाफ एलेजेज फोन टैपिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह की फोन टैपिंग की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भ्रष्टाचार और कदाचार

2396. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और कदाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1.1.1994 के बाद से केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के 13 अधिकारियों के विरुद्ध 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 7 अधिकारियों के विरुद्ध 4 शिकायतों की जांच के बाद समाप्त कर दिया गया क्योंकि कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। इनके अलावा, एक शिकायत प्राप्त हुई है जो सामान्य स्वरूप की है न कि किसी विशिष्ट अधिकारी के विरुद्ध।

राष्ट्रीय परिधान

2397. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई संस्थाओं, क्लबों, मैसों आदि में राष्ट्रीय परिधान अथवा कुर्ता/पायजामा/धोती, चप्पल आदि पहनकर जाने वाले व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसे परिधान जिसे संसद अथवा राष्ट्रपति भवन में पहना जा सकता है वे इन क्लबों के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्यों कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) इस विकृति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) सिविलियन अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) द्वारा, कार्यालय में, औपचारिक तथा रस्मी अवसरों, कम औपचारिक अवसरों तथा सांध्यकालीन पार्टियों के दौरान पहनी जाने वाली पोशाक को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा सिफारिशों के रूप में अनुदेश जारी किए गए हैं। प्राईवेट संस्थानों, क्लबों, मैसों इत्यादि में अकसर जाने वाले व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से इन स्थानों के नियमों को मानना पड़ेगा। ऐसे स्थानों पर पहनी जाने वाली पोशाक को विनियमित करना सरकार के लिए संभव नहीं है। तथापि, किसी सार्वजनिक स्थान पर पहनी गई पोशाक यदि अश्लील है और उससे दूसरों को परेशानी होती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

बैलाडिला लौह अयस्क खानों का निजीकरण

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी है। कई महीनों से इस मामले की ओर जनता का ध्यान जा रहा है जो बैलाडिला लौह अयस्क खानों के बारे में और जो उसी राज्य में स्थिति है जिससे मैं मूल रूप से सम्बन्धित हूं।

महोदय, मैं सभी बातों की विस्तृत चर्चा करके अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि उनकी जानकारी अब सब को है। परन्तु, चलते चलते, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अब यह निर्विवाद तथ्य है कि भारत सरकार ने एक संयुक्त उपक्रम करार के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्होंने करार पर हस्ताक्षर कर दिया है।

श्री अर्जुन सिंह : उन्होंने करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने ठेका देने के लिए संयुक्त क्षेत्र कम्पनी से कुछ रकम भी ली है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किस रूप में?

श्री अर्जुन सिंह : मेरी जानकारी के अनुसार, 16 करोड़ रुपये में से उन्होंने 7 करोड़ रुपये लिये हैं। जो निर्णय किया गया था, उसमें यह शर्त थी।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : यह धनराशि किस ने प्राप्त की है?

श्री अर्जुन सिंह : भारत सरकार ने, मेरा तात्पर्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या यह उचित लेनदेन है?

श्री अर्जुन सिंह : मैं वही बताने जा रहा हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : यह ठेके से सम्बन्धित है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अर्जुन सिंह जी, क्या कोई गुप्त लेनदेन भी है?

श्री अर्जुन सिंह : यह बात आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। महोदय, इस समूचे मामले पर दो स्तरों पर कार्यवाही की गयी है। और मै आपका ध्यान व आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक तो भारत सरकार–अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) के स्तर पर, जहां संयुक्त क्षेत्र उपक्रम बनाने का निर्णय किया गया। यह निर्णय जून 1995 में किया गया था। इस सम्बन्ध में इस्पात मंत्रालय का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 24-5-1994 को लिखे गये पत्र का हवाला दिया जा सकता है। जो कि रिकार्ड में है उसमें लिखा है कि इस आशय का करार किया जाना है। यह बात सुझाव के रूप में नहीं बल्कि निर्देश के रूप में कही गयी है, मैं इस पत्र को पढ़ कर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि यह पत्र रिकार्ड में है। और मेरे विचार में मंत्री महोदय इसका खंडन नहीं करेंगे परन्तु इससे पता चलता है कि सरकार ने या कम से कम इस्पात मंत्री ने इस मामले के साथ एक विशिष्ट तरीके से निपटने का इरादा बहुत पहले बना लिया था। उस समय उस पत्र में किसी विशिष्ट ग्रुप या कम्पनी के नाम का उल्लेख नहीं था जिसके साथ इस आशय का समझौता किया जाना था तत्पश्चात् हमें पता चला है कि 28 फरवरी 1995 को इस्पात मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री को इस मामले में मार्गदर्शन करने के लिये अनुरोध किया, क्योंकि वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। इसलिये उच्चतम प्राधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करना स्वाभाविक ही था। रिकार्ड में इस बात का कोई उल्लेख नही है कि इस्पात मंत्रालय को प्राप्त मार्गदर्शन का सही-सही ब्यौरा क्या है मैं भी नहीं जानता और न ही मैं अनुमान लगा सकता हूं। परन्तु अन्तिम परिणाम से पता चलता है कि प्रधानमंत्री से प्राप्त मार्गदर्शन कम से कम प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं था। यदि उसके विरुद्ध होता तो इस सारे मामले को इस प्रकार अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता था, जैसे कि दिया गया है। चाहे वह मार्गदर्शन अस्पष्ट रूप से हामी भर कर किया गया हो, अभेद्य मुस्कान द्वारा या रहस्यपूर्ण मौन द्वारा परन्तु निश्चय ही इस प्रकार की स्थिति को रिकार्ड में नहीं दिखाया जा सकता परन्तु सच है कि इस सभा और दूसरी सभा के अनेक सदस्य माननीय प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त भी उनमें से एक हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं भी उनमें से एक था।

श्री अर्जुन सिंह : आप भी उनमे थे। वे लिखकर देते रहे और यही हम सुनते रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उनको उत्तर भी प्राप्त हुए हैं कि उनके पत्र उनको मिले हैं परन्तु किसी भी अवस्था में उन्हें यह नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है। सम्भव है कि जैसे हमने पहले देखा है प्रधान मंत्री कार्यालय ने माननीय प्रधानमंत्री को बिल्कुल अनभिज्ञ रखा हो। परन्तु यदि ऐसी स्थिति है तो मेरे विचार में यह और भी अधिक गम्भीर बात है।

सब से पहले हमें इस बात की जानकारी इस्पात मंत्रालय के एन.एम.डी.सी. को लिखे गये दिनांक 12 जून 1995 के पत्र से प्राप्त हुई कि सरकार ने मित्तल ग्रुप और निप्पन इस्पात के साथ संयुक्त समझौता करने का निर्णय किया है जिसमें उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया जिन पर यह समझौता किया जाना है। तदनुसार एन. एम.डी.सी. की इक्विटी कम होकर 11 प्रतिशत रह जायेगी और सब से अधिक मित्तल ग्रुप की होगी। एन.एम.डी.सी. को लिखे गये 12 जून 1995 के पत्र में यह बताया गया है कि भारत सरकार के एन. एम.डी.सी. के सुझाव पर यह सयुंक्त उपक्रम मित्तल ग्रुप को देने पर सहमत हो गयी है। सम्भवतः किसी को धोखे में न रखने के विचार से तीन दिन बाद वापिस एक पत्र लिखा, जिसमें पूरी तरह स्पष्ट किया कि उन्होंने तीन कम्पनियों से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया था, प्रथम दृष्ट्रयथि उनमें से प्रत्येक विचार करने योग्य थी, और सरकार तथा इस्पात मंत्रालय ने ही, वास्तव में, मित्तल ग्रुप को संयुक्त उपक्रम देने का निर्णय किया था मैं उस अत्यधिक आवश्यकता या तर्क को समझ नहीं पाया उस के कारण सरकार इस प्रकार के विषम भागीदारी के लिये सहमत हुई जिसमें सरकार को अर्थात एन.एम.डी.सी. की इक्विटी इतनी कम हो गयी और प्राइवेट कम्पनी को इन खातों के दोहन का अधिकार प्राप्त हो गया।

महोदय, मैं किसी पर कोई आरोप या आक्षेप नहीं लगाना चाहता। परन्तु मेरे विचार में यह सभा और आपके माध्यम से यह देश मंत्री महोदय से जानना चाहेगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर सहमत होने की क्या मजबूरियां और मूल कारण थे। यह नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया और बात वहीं समाप्त हो गयी और अब कोई अन्य व्यक्ति पूछने वाला नहीं है। इस बात का यदि यही उत्तर या दृष्टिकोण है तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री हमें समझाते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश के प्रति कोई भय या घृणा नहीं होनी चाहिए अन्यथा देश को हानि होगी और इस

सम्बन्ध में पारदर्शिता होनी चाहिए अन्तर्राष्ट्रीय बोली होनी चाहिए वित्त मंत्री जी ने हमें दोस्ती गांठ कर काम निकालने वाले पूंजीपतियों से उत्पन्न होने वाली खतरे की चेतावनी दी है। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं परन्तु, आपके माध्यम से मैं उन से कहना चाहूंगा कि विदेशी पूंजी निवेश जिसका वह संकेत देते हैं, के प्रति भय इस लिये नहीं है कि किसी व्यक्ति का मन संकीर्ण है या पक्षपात पूर्ण है। हम भी उदारीकरण के पक्ष में हैं। हम विदेशी पूंजी निवेश चाहते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि उसकी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हों, पारदर्शी हों और जिन्हें हमारे देश की जनता सुगमता से समझ सके। किसी आड़ में पर्दे के पीछे कारणों से, जिनकी देश को जानकारी न हो, निर्णय नहीं किये जाने चाहिए। यदि कोई समझौता किया जाना है तो यह स्पष्ट होनी चाहिए कि उसकी युक्ति क्या है, अन्तर्राष्ट्रीय बोली की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी और वाणिज्यिक दरों को लागू क्यों नहीं किया गया, परन्तु इस बात पर वे रहस्यमय मौन साधे हुए हैं। कुछ समय पूर्व इस विषय पर वाद-विवाद हुआ था और कल दूसरे सदन में भी चर्चा हुई थी जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु हम सब ने पढ़ा है और हम जानते है कि उस वाद-विवाद का अंतिम परिणाम क्या निकला।

महोदय, इस मामले पर दूसरे स्तर पर जो कार्यवाही की गयी वह केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर हुई।

जैसा कि मैंने कहा, ये खानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सही-सही कहा जाये तो यह बस्तर जिले में हैं, जो अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और देश का बहुत ही कम विकसित क्षेत्र है और वहां रहने वाले 90 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। छत्तीस गढ़ को समूचे क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व श्री विद्याचरण शुक्ल करते हैं, संकर अवस्था में है ...(व्यवधान) मेरे विचार में जो माननीय सदस्य सही दिशा अपनाना चाहेंगे, वे मित्र समझे जाने चाहिए जो ऐसा नहीं करना चाहते, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु स्थिति यही है।

महोदय, लगभग दो दशक पूर्व यह पट्टा खनिज अधिनियम के अधीन एन.एम.डी.सी. को दिया गया था और वे उसका विकास और दोहन कर रहे थे। ये अत्यन्त उत्पादक खानें है। बैलाडिला 11-बी और जिनकी विशेषज्ञ 'क्राऊन-ज्यूल' (सर्वोच्च) कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग खनन कोष में होता है। अब मैं आप की अनुमति से पट्टा हस्तांतरण के उपबन्धों को पढ़ना चाहूंगा यह नियम 37 है, जिसमें लिखा है।

"राज्य सरकार की लिखित में पूर्व सहमति के बिना पट्टा धारी

(क) खनन पट्टे पर या इनमें उल्लिखित किसी अधिकार नाम अथवा दिन को किसी को हस्तांतरण, उपपट्टे गिरवी या किसी भी अन्य तरीके से हस्तातंरण नहीं करेगा, या

(ख) कोई ऐसी व्यवस्था, ठेका या करार नहीं करेगा जिससे पट्टाधारी प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से काफी बड़ी राशि प्राप्त कर ले या जिसके अधीन पट्टाधारी को छोड़कर किसी व्यक्ति, निकाय, या अन्य लोगों का पट्टाधारी के प्रवर्तन अथवा व्यवसाय पर बहुत अधिक नियंत्रण हो सकता हो या हो जायेगा जैसा कि मैंने पहले कहा है मित्तल ग्रुप या किसी अन्य को 89 प्रतिशत इक्विटी देने और एन. एम.डी.सी. के पास केवल 11 प्रतिशत रखने जोकि पट्टाधारी हैं, से स्पष्ट हो जाता है कि पट्टे के हस्तातंरण के विशिष्ट उपबंधों के विरुद्ध खानों का अधिक नियंत्रण किसी अन्य के हाथों में दे दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह गैर-कानूनी है।

श्री अर्जुन सिंह : यह गैर-कानूनी है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक लिखित में सहमति देने का सम्बन्ध है, मैं किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकार पर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश कि मुख्य मंत्री के प्राधिकार पर कर सकता हूं कि 8 अगस्त 1995 तक इस पट्टे के किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण का कोई विशिष्ट अनुरोध राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। मुझे अपने स्रोत से पता है कि कल तक इस आशय का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया था। परन्तु मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी न हो। मध्य प्रदेश की विधान सभा के एक सदस्य ने मार्च 1995 में एक प्रश्न पूछा था। अन्त में उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गयी थी। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यह मामला राज्य विधान सभा से सम्बन्धित है।

पहली बार एन.एम.डी.सी. ने बस्तर के कलक्टर को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार को बताया था कि हां, किसी निजी फर्म को आमंत्रित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह जगदलपुर के कलक्टर को लिखे गये 31.3.95 के पत्र में लिखा है, यह विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 2601 के संदर्भ में है जिसमें लिखा है कि बैलाडिला निक्षेप 11-बी के लिये खनन पट्टा अभी एन.एम.डी. सी. के पास है। स्पंज लोहा उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एन.एम.डी.सी. और सह-कम्पनी निजी क्षेत्र को एक सह-कम्पनी के एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से इस निक्षेप के विकास का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। फिर भी इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। जोकि एक तथ्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उत्तर किस ने दिया है?

श्री अर्जुन सिंह : यह पत्र राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सचिव श्री कुमार राघवन ने भेजा है। इस जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को दिनांक 29.4.95 के पत्र में लिखा है।...(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि कुछ अन्य मामले भी है और हमें भी कुछ समय मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : यह एक गम्भीर सवाल है कि जिसको टाला नहीं जा सकता। इस सवाल पर वे अपनी राय दे रहे हैं। हम सब लोग भी इसको गम्भीर मानते हैं और हम भी अपनी राय देंगे।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : राज्य सरकार ने दिनांक 29.4.95 के अपने पत्र के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि बिना किसी लिखित अनुमति के इस प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इस प्रत्र का उत्तर नहीं दिया गया। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में मैं इस सभा का ध्यान एक गम्भीर अनौचित्य की ओर दिलाना चाहता हूं :

जहां सरकारी कोष के साथ धोखाधड़ी की जा रही है; जहां किसी निजी कम्पनी की मदद करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, गुणदोष की दृष्टि से जिसका कोई आधार नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम इसके कारणों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि अन्य लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे परन्तु मैं इतना निःसंकोच कह सकता हूं कि इस संसद को इस मामले की तह तक जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए और यह आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार कोई ऐसा कार्य न करे जो नयायोचित न हो और प्रथम दृष्ट्या बिल्कुल अनुचित अवैध और देश के हितों के एकदम विपरीत हो।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अर्जुन सिंह जी ने जो बात...**(व्यवधान)** आपके नेता ...**(व्यवधान)** ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं...**(व्यवधान)** आप बोलते हैं, तो हम कभी बोले हैं...**(व्यवधान)**

श्री कालकादास (करोलबाग) : हम तो कह रहे हैं, आपको बोलने के लिए ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपके खिलाफ बात नहीं है। आपके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री कालका दास : हम तो उन्हें मना कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपके खिलाफ बात नहीं है। आपके खिलाफ कोई नहीं कह रहा है। समस्या यह है कि इतने दिनों से लोग इन्तजार कर रहे हैं, उसके बारे में आक्रोश है, आपके बारे में बात नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) महोदय, यदि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक ही मामला उठाने की अनुमति दी जाती है तो हम अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों को नहीं उठा सकेंगे। ...**(व्यवधान)** यदि वे बहुत अधिक उत्सुक हैं। तो उन्हें नियम 193 के अधीन चर्चा के लिये नोटिस देना चाहिए ...**(व्यवधान)** एक मामले पर पूरा एक घण्टा लग जायेगा...**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**...

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, हमारे पास इससे अधिक महत्वपूर्ण जनता के मामले हैं इस लिये यदि वे अत्यधिक गम्भीर हैं तो वे नियम 193 के अधीन चर्चा के लिये नोटिस दें। इस ठेके के मामले के लिये एक घण्टे का समय क्यों दिया जाये?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो सवाल माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह जी ने उठाया है, उसके विस्तार में और उसकी डिटेल जो उन्होंने बताई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यह मामला बहुत गम्भीर है और जिस तरह से इस मामले को मित्तल ग्रुप को देने और राष्ट्र की सम्पत्ति ...**(व्यवधान)** वह आगे देखा जायेगा। सवाल यह है कि 11बी देश की सबसे रिचैस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटि दोनों में ही, डिपॉजिट है और इसकी मिसाल देश भर में कहीं नहीं है यह सबसे बैस्ट आयरन-ओर है एन.एम.सी.डी. इस देश की सबसे ऐसी प्राफिट करने वाली पी.एम.यू. हैं, जिसका टर्न-ओवर 400 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ रुपए बचाती है। एन.एम.डी.सी. ने यह कहा कि यह 11बी वाली आयरन-ओर को हमको एक्सपलायट करने के लिए, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इजाजत दी जाए। 11 नवम्बर, 1993 को यह पत्र लिखा गया भारत सरकार को। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सच्चे और ईमानदार लोग हैं एन.एम.डी.सी. के लोगों की तरफ से कौन आदमी है, मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता हूं लेकिन यह महसूस होता है कि वे सच्चे आदमी जरूर हैं, उन्होंने लिखा-आपकी वर्तमान जो भोलेपन की नीति है, उसके चलते आपने तय कर लिया है कि इनको देना है।

यदि इसको आप हमको देते तो इसको हम लोग पूरी तरह से करते। हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी तरह का बोझ नहीं डालेंगे, हम आयरन ओर को एक्सप्लॉयट करने का काम करेंगे, यह बात उन्होंने कही कि हम खुद चला सकते हैं। यदि आपकी उदारवादी नीति के चलते उसको नहीं चलाने का मामला हो, अगर इसको ज्वाइंट वेंचर में चलाना भी है तो जो 51 परसैंट इक्विटी है वह एन.एम.डी.सी. के पास होनी चाहिए। अभी अर्जुन सिंह जी ने बताया कि सिर्फ 11 परसैंट है। यह लोकतंत्र है, यह कोई पार्लियामेंट नहीं है। जिसमें थोड़े बहुत बहुमत के बाद सरकार खतरे में रहे। जब ज्वाइंट वेंचर में जरा सा भी परसैंटेज किसी कम्पनी का ज्यादा होता है तो वह उसकी डिकटेटर हो जाती है, वह उसकी

मालिक हो जाती है। इसमें हमने एन.एम.डी.सी. को सिर्फ 11 परसैंट की सहायता दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें 67 परसैंट फी है और यह जो डील हुआ है इसमें एक बात सामने आई कि सूबे की सरकार को आज तक पता नहीं है, सूबे का मतलब है उस इलाके की जनता, जहां हजारों वर्षों से पुश्तैनी यानी कि उनके बाप-दादा, परदादा सब लोग उस पर बसते हैं वह पूंजी उनकी है जो बेची जा रही है, जिसकी किसी को खबर नहीं है वह राष्ट्र की पूंजी नहीं है वह हमारे ग्रेंडफादर की नहीं है, आपकी और आपके ग्रेंडफादर की नहीं है। आप यहां रहेंगे और हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद चले जाएं और हम भी चले जाएं यह देश की, राष्ट्र की सम्पत्ति है यह आपने कैसे किया? इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया। यह प्रोफिट में चलती है, रिलायंस और टिस्को कम्पनी से भी ज्यादा मुनाफे में चलने वाली कम्पनी है। आप कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर गड़बड़ चीज है, बेकार चीज है, लेकिन यह तो बढ़िया चीज थी इसको आपने रिजेक्ट किया?

आपका जो जवाब मैंने कल सुना है आप इस तरह के जवाब दे करके पार्लियामेंट के भीतर से बच कर नहीं जा सकते हैं मैंने आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कौन सा दबाव है जिसके चलते आप इसको फिर केबिनेट में ले गए। संतोष मोहन देव जी, यह सवाल अकेले आपका नहीं है, यह सवाल देश का है। अगर यह आयरन ओर उनके कंट्रोल में चला गया तो इसको और दूसरी जगह स्टील बनाने के लिए जो मेटिरियल चाहिए उस पर इस कम्पनी की मोनोपली हो जाएगी और यह मोनोपली राष्ट्र की नहीं प्राइवेट कम्पनी की हो जाएगी। इसमें 240 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्रोफिट दिखाया गया। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह सजेस्ट किया कि इसमें हमको आधा शेयर चाहिए, यह भी आपने नहीं माना। आप कहते हो कि पहले हमने टाटा को दिया था, उनको देते समय बात कोई और थी। आपके पास इनफ्रासट्रक्चर नहीं था, टैक्नोलॉजी ओर साइंस नहीं थी। सरकार के पास पूरे हथियार नहीं थें आज तो आपके पास हथियार हैं, इस तरह से आप इन सारी चीजों के रहते इसको कैसे बेच सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? मित्तल ग्रुप को आपने इस कम्पनी को देने का काम कैसे किया और क्यो किया?

आपके डिपार्टमेंट में आपकी सरकार इसको चलाने के लिए तैयार है आपसे एक पैसा नहीं मांगती है। वह प्रोफिट कमाने वाली कम्पनी है, जो मुनाफा कमाती है। आपने उसको क्यों नहीं दिया, आपने प्राइवेट कम्पनी को क्यों दिया?

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, बहुत लोग बोलने वाले हैं और एक प्रश्न 4-4 दफा पूछने की क्या जरूरत है।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें इधर-उधर दांए-बाएं करके आपने भारत सरकार की केबिनेट में इसको पास किया है। इसके लिए पूरी सरकार जवाब देह हैं। मैं आपसे चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आप इसमें इधर-उधर भाग कर नहीं निकल सकते है। आप इस मामले को जिस तरह से डील कर रहे हैं और जिस तरह से आपने किया है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अर्जुन सिंह जी जो कह रहे थे। उनकी जबान अभी पूरी ताकत के साथ नहीं खुली है। यह इतना बड़ा मामला है इसमें आपने कैसे किया हैं। हम स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में एक बेहतर मुल्क है।

इसको आपने किस तरह से दिया है, यदि आपको इसका ठीक तरह से जवाब नहीं दिया क्योंकि कल के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए ठीक जवाब दीजिए। इस विषय पर सदन में बहस भी होनी चाहिए। यदि ठीक जवाब नहीं आएगा तो निश्चिततौर पर पार्लियामेंट में चुपचाप बैठ कर इन बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र अर्जुन सिंह जी ने, मैं उन्हें मित्र मानता हूं, भले ही मेरे बारे में उनकी कुछ भी राय हो।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय इनके बारे में नहीं, इनके दल के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अब अर्जुन सिंह जी दलदल में फंस रहे हैं, उसमें से निकलना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, कल तक अर्जुन सिंह जी मंत्रीमंडल में थे, नंबर दो के स्थान पर विराजमान थे। यदि वे कोई मामला उठाते है। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का ध्यान जाता है और यह भी आवश्यक है कि सरकार उसका संतोषजनक जवाब दे।...**(व्यवधान)** मैं संतोषजनक कह रहा हूं, संतोष मोहन देव नहीं कह रहा। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। निजीकरण किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? किन शर्तों पर निजीकरण होगा? अगर एन.एम.डी.सी. चलाने के लिए तैयार है और सरकार से धन भी नहीं मांगती, तो फिर उसे अवसर क्यों नही दिया गया? मध्यप्रदेश सरकार को सूचित क्यों नहीं किया गया? यह मामला मीडिया में, दूसरे सदन में, सार्वजनकि जीवन में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का यह दायित्व है कि सारे तथ्य सदन के सामने रखे, सदन को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले। पारदर्शी प्रामाणिकता की चर्चा होती है, मगर इस मामले में ऐसा लगता है कि कुछ पर्दा डाला जा रहा है, कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ गोलमाल है, इसलिए गोलमटोल जवाब दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शरद जी से कहूंगा क वे मुझे न बोलने दें और मैं उन्हें न बोलने दूं ओर फिर खाली ये ही बोलें, यह तो ठीक नहीं है।

श्री शरद यादव : मुझे समझ नहीं आया, पीछे से आवाज आई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमेशा पीछे की तरफ ध्यान मत दिया करो, आगे देखो आगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। सारे तथ्य प्रकाश में आ जाएं, सारा विवाद साफ हो जाए अगर सरकार ने गलती की है, गलती कर रही है, उस गलती को सुधारने का मौका मिल रहा है और सरकार इस गलती को सुधारे। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। हमारे सामने सारे तथ्य नहीं है, लेकिन जो तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं, वे सरकार को मुसीबत में डाल रहे हैं और यह सरकार का काम है कि वह तय करे कि वह मुसीबत में फंसना चाहती है या उसमें से निकलना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरे सहयोगियों ने जो कुछ कहा है, मैं बहुत संक्षेप में उसी के आगे कुछ कहना चाहूंगा इस सम्बन्ध में मैं भी यही चाहता हूं कि इस पूरे मामले की विशेष जांच होनी चाहिए इस मामले के सम्बन्ध में जो बातें सामने आयी हैं, उनको देखकर सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के बारे में जनता को चिन्ता होने लगी है। श्री अर्जुन सिंह ने इस मामले के कानूनी पहल पर प्रकाश डाला है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, हमने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य को पढ़ा है जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी राय में भी में जो कुछ हुआ है वह बिल्कुल गैर-कानूनी है। किसी पट्टे का इस प्रकार हस्तातंरण नहीं किया जा सकता, जैसे इस मामले में किया गया है। मुझे यह भी पता चला है कि इस करार को मंत्रिमंडल के पास भी भेजा गया था और मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है।

अतः प्रधानमंत्री की सहमति स्पष्ट है मैं जानता हूं कि मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त किसी मामले को पलटना इतना सरल नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य है, परन्तु यह सभा भी सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल इस सभा को जवाबदेह है, और यदि यह सभा समझती है कि कोई ऐसी बात हो गयी है जो नहीं होनी चाहिए थी और जो इस सदन में सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों के बिल्कुल विपरीत है, तो मंत्रिमंडल अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं मेरी जानकारी के अनुसार यह पहला मामला है, जिसमें एक सक्षम और लाभप्रद सरकारी उपक्रम इस प्रकार किसी और के हवाले किया जा रहा है, इसकी सक्षमता के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है कि यह उपक्रम अच्छा लाभ कमा रहा है और इस बात पर भी किसी को आपत्ति नहीं कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सामने प्रत्येक वर्ष रखे उत्पादन लक्ष्य काफी हद तक पूरा किया गया है और कुछ मामलों में लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन हुआ है।

हमारे मन में अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि इस प्रकार के उपक्रम को जैसा कि श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि जो प्रसंगवश इस देश में उपलब्ध सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क का खनन करता है, एक निजी फर्म को रक्षित खान के रूप में सौंपने का प्रयास क्यों किया जा रहा हैं? कोयला उद्योग में रक्षित खानों की स्थिति के बारे में हमें जानकारी है, मैं श्री मित्तल के विरुद्ध नहीं हूं मैं उनको जानता भी नहीं हूं। वह अपने प्रस्तावित स्पंज लौह संयंत्र के लिये इस सर्वोच्च किस्म की लौह अयस्क को प्राप्त करना चाहते है। उन्होंने यही कहा है। एन.एम.डी.सी. उनको आवश्यकतानुसार अच्छी किस्म की लौह अयस्क बेचने को तैयार था, बातचीत करके मूल्य तय करने और बैलाडिला को 11बी की खान से लौह अयस्क देने पर सहमत था। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे निजी उपक्रम को लौह अयस्क देने के लिये तैयार नहीं हैं, यह एक सामान्य वाणिज्यिक बात है वह उनसे खरीद सकता था। उसमें कोई बाधा नहीं थी, और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी फिर इस सरकार ने हस्तक्षेप क्यों किया और एन.एम.डी.सी. को ठेका करने के लिए समझौता करने पर विवश होना पड़ा, जिससे लौह अयस्क की यह खान लगभग कौड़ियों के भाव इस निजी कम्पनी को देनी पड़ेगी। इस समझौते में उल्लिखित है कि इस संयुक्त उपक्रम या कम्पनी में एन. एम.डी.सी. का शेयर केवल 11 प्रतिशत रह जायेगा और शेष सब श्री मित्तल और उसकी कम्पनी का होगा इसके पीछे क्या कहानी है?

हमें सदा यही बताया गया है कि यदि सरकारी क्षेत्र की कोई कम्पनी रुग्ण है, यदि वह घाटे पर चल रही है, यदि उसका काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा तो वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक है, और हमको उस कम्पनी में सरकारी पूंजी लगाने से गुरेज करना चाहिए या उससे छुटकारा पाना चाहिए अथवा उसे बन्द कर देना चाहिए या उसको कोई खरीदने वाला मिल जाये तो उसे बेच देना चाहिए आदि आदि। यह सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी नीति है, जो इस सदन में और बाहर भी अनेक बार दोहराई गयी है।

अब पहली बार ऐसी कार्यवाही की जा रही है जो इस नीति के बिल्कुल विपरीत है। मेरे विचार में यदि सरकार को इस बारे में कोई नयी नीति बनाने का निर्णय करना है तो उनको पहले इस आशय का प्रस्ताव सभा में रखना चाहिए और यहां पर घोषणा करनी चाहिए कि वे पुरानी नीति को बदल कर नयी नीति अपनाना चाहते है और सभा की अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने संसद की उपेक्षा करके बाहर जा कर समझौता किया और अब उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश में बस्तर जिले में स्थित सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क निक्षेप एक निजी कम्पनी के हाथ में चले जायेंगे और खान के कार्यकरण पर उनका नियंत्रण हो जायेगा। ऐसा करने के कारण क्या हैं? यही हम जानना चाहते है। मैं कोई अन्य संदेह व्यक्त नहीं कर रहा जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होते हैं या इसके पीछे कोई अन्य बात है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता और इसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु आम समझ भी कोई चीज है, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता आम समझ भी बहुमूल्य है और कुछ निष्कर्ष निकालने के लिये उसका उपयोग भी कर लेना चाहिए। इसलिये मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं उन्होंने जानबूझ कर एक सक्षम व अत्यन्त लाभप्रद

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को एक निजी कम्पनी के हाथों देने-बेच देने का निर्णय किया है, ताकि उनको हर प्रकार का लाभ पहुंच सके।

पहले जापान ने अपने इस्पात उद्योग के लिये लौह अयस्क के ये निक्षेप लेने चाहे । जापान ने एक रेलवे लाइन बनाने पर पूंजी लगायी जो किरबडूल से पहाड़ियो के पार कोठावालसा तक जाती हैं और रास्ते में पहाड़ों में से जाने वाली कितनी सुरंगें बनायी, यह इंजीनियरी की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसके लिये जापान ने धन लगाकर किरबडूल से पहाड़ियों के पार आंध्र प्रदेश में कोठावालसा तक रेलवे लाइन बनायी इस लौह अयस्क को निकाला जाता था और विशाखापत्तम जापान के इस्पात कारखानों मे इस्तेमाल के जहाजों में भेजा जाता रहा है। अब पता नहीं, कुछ मंदी आ गयी है या क्या हुआ है, मैं नहीं जानता वे इस देश से उतनी मात्रा में लौह अयस्क नहीं चाहते। अब यह बैलाडिया में पड़ी है सर्वोत्तम प्रकार की लौह अयस्क अब इसे वाणिज्यिक शर्तों पर किसी भी निजी कम्पनी को जिस अपेक्षित हेतु बेचा जा सकता है। इस में कोई आपत्ति नहीं है। वे बेच सकते हैं। श्री मित्तल अपने स्पंज लोहा संयंत्र के लिये खरीद सकते हैं।

सरकार ने यह विशेष प्रकार का समझौता क्यों किया? हम तो इतना ही जानना चाहते हैं जब तक सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं करती, हम इस मामले को उठाते रहेंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि संसद को उसके अधिकारी से वंचित न किया जाये और सरकार इस मामले के सभी तथ्य सामने लाने के लिये विवश हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमारी चिन्ता।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, प्रश्न पूछा गया है कि इसे क्यों दिया गया इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई जानकारी है तो हमें बतायें।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी चिन्ता इस बारे में है कि सरकार ने निप्पन देनरो इस्पात लिमिटेड की 11-बी खान देने का निर्णय कैसे किया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के अत्यन्त लाभप्रद उपक्रम को जो प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रहा है, जिसके पास रिजर्व धनराशि 200 करोड़ रुपये है, जिसके शेयर काफी ऊंची कीमत पर बिकते हैं। जिसकी साख बहुत अच्छी है, इस्पात मंत्रालय ने 11-बी निक्षेप को जो निश्चय ही दुर्लभ निक्षेप है। विकास करने के अधिकार से वंचित क्यों किया।

एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। यदि इस खान को विकास के लिये निजी कम्पनी को देने का प्रस्ताव था तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने में 20 करोड़ रुपये क्यों खर्च किये इस काम के लिये दो कम्पनियां लगायी गयीं। एक कनाड़ा की थी यू.एस. स्टील कम्पनी की सहायक कम्पनी और दूसरी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी थी एम.ई.सी.ओ.एन. इन दो कम्पनियों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था उनके प्रतिवेदन में लिखा है कि यह कम्पनी 20 वर्ष की अवधि में 1,475 करोड़ रुपये तक का लाभ अर्जित करेगी, अर्थात 95 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार किया गया और सरकार को पेश किया गया तो इस्पात मंत्रालय में उस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर निर्णय लेने हेतु तेरह महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं की और अब अचानक ही एक निजी कम्पनी को, मामूली रकम ले कर उसको सौंप देने का निर्णय कर लिया।

महोदय, एन.एम.डी.सी. ने इस बहुमूल्य खान का, जिसमें लौह तत्व 67 प्रतिशत है, विकास करने से कभी इन्कार नहीं किया। विश्व में किसी भी अन्य खान से यह बेहतर है विश्व में सर्वोत्तम से भी बेहतर है और बैलाडिला 5 से भी बेहतर है, इसके निक्षेप इस शताब्दी के अन्त में ही समाप्त होंगे। महोदय, जापान के लौह अयस्क निर्यात करने हेतु जापान के साथ 1990 में किये गये करार को देखें तो पता चलेगा कि हमने उसका विरोध इसलिये किया था, क्योंकि उस समय भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन था और हम इसके लिये लौह अयस्क की कहीं कमी न पड़ जाये और रौरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के बाद उनके लिये अधिक लौह अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर 45 मिनट लिये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु महोदय यह लौह अयस्क का निर्यात करने का मामला नहीं है। एन.एम.डी.सी. के सहमत हो जाने पर वित्त मंत्री ने भी राय व्यक्त की थी कि यदि संयुक्त उपक्रम बनाना है तो वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए। इस्पात मंत्री श्री संतोष मोहन देव को इस सभा को बताना चाहिए कि वाणिज्यिक बोली की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गयी। समझौते में क्या लिखा है? उसके तथ्य सामने क्यों नहीं लाये जाते जब इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तब इस सभा को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हमें इस बात की आशंका थी सरकार कोई ऐसा निर्णय करने वाली है और उसे मंत्रिमंडल के सामने रखा जायेगा। अतः हम मंत्रिमंडल की बैठक से 15 दिन पूर्व प्रधान मंत्री से मिले थे और उनसे अनुरोध किया कि वे निप्पन देनरो इस्पात लिमिटेड से ऐसा कोई समझौता न करें। उस कम्पनी का शेयर 89 प्रतिशत होगा और एन.एम.डी.सी. का शेयर 11 प्रतिशत होगा। इस्पात मंत्री ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि एन.एम.डी.सी. का शेयर केवल 11 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। क्या इस 11 प्रतिशत के बारे में कोई पवित्रता की बात है? हम मांग करते हैं कि इस समझौते से सम्बन्धित सभी कागजात सभा-पटल पर रखे जायें। इस मामले की विस्तृत जांच की जायेगी। महोदय मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सौदे के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये सभा की एक समिति बनायी जाये। पूरा देश इस समझौते के विरुद्ध है, महोदय यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को पूरी तरह बेच देने के बराबर है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस त्यागने के बाद, श्री अर्जुन सिंह जी ने, आज जीरो-ऑवर शुरू होते ही, एक महत्वपूर्ण सवाल को सदन में उठाया और आपने भी विस्तार से इस विषय को सदन के सामने रखने की इजाजत देकर बहुत अच्छा किया। सदन के बाहर इस मामले पर करीब दो महीने से जोरों से चर्चा हो रही है। मैं यहां एक अखबार का नाम लेकर धन्यवाद दूंगा कि स्टेट्समैन अखबार बाकायदा इस सवाल पर एक किताब छाप चुका है। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि इस सदन में हर दल के सांसद बैठते हैं और जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम लोग संविधान का सहारा लेकर, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से अब तक पब्लिक सैक्टर के बारे में अच्छे-अच्छे विचार सामने रखते आये हैं। अनेक बार ऐसा सवाल हमारे सामने आता है जिसे अभी अर्जुन सिंह जी ने प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन, जो हमारे हिन्दुस्तान की एक थाती है और जो मध्यप्रदेश में सबसे बढ़िया मिनरल्स पैदा करती है, उसके बावजूद आपने उस माइन्स को निजी क्षेत्र को दे दिया। लिबिरलाइजेशन के बाद, जब यह नीति बन गई है कि हम निजीकरण करेंगे, तो निजीकरण के भी कुछ नियम बने थे और उनमें पब्लिक सैक्टर का हिस्सा 51 प्रतिशत रखने का भी निर्णय सरकार ने लिया था, तो इस कम्पनी को 89 प्रतिशत शेयर आपने कैसे दे दिया, यह सबसे मुख्य सवाल है?

अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी संसद इस कार्य को एक निरी-दृष्टा बनकर देखती रहेगी? जो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जो हमारी सोशल प्रापर्टी है, जिसको स्टेट्समैन अखबार ने सही शीर्षक देकर लिखा है "रेप आफ बैलाडिया" हम कब तक देखते रहेंगे और सरकार बिना कोई कारण बताए, नफा करते हुए पब्लिक सैक्टर का निजीकरण कर देगी और एक प्राइवेट कांट्रैक्टर को दे देगी?

अध्यक्ष जी, यह सवाल, एक बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कुछ तथ्य अर्जुन सिंह जी ने हमारे सामने रखे हैं। सरकार का रैसपोंस हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले सरकार खुद अपनी नीतियों के खिलाफ जाकर के, राष्ट्र की नीतियों के खिलाफ जाकर के, एक जो पब्लिक सैक्टर, जो राष्ट्र की थाती है, उसके बारे में किए गए इस समझौते को रद्द करे और संसदीय समिति के जरिये इसकी पूरी छानबीन की जाए, ताकि कौन दोषी है, यह बात सदन और देश के सामने आए यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना है।

सर्वप्रथम मैं सम्मान योग्य इस सभा के सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्री जसवंत सिंह जी ने कहा है कि यह काम बहुत जल्दी में किया गया और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला और कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात को दोहराया भी है।

इस मामले का प्रारम्भ 12.1.90 को हुआ था जब हम सत्ता में नहीं थे और यह मामला कुछ समय तक चलता रहा जुलाई 1991, 6 अगस्त 1991, 11 सितम्बर 1991, अक्टूबर 1991 और इसी तरह इस मामले पर 1.8.1995 तक 42 बार विचार किया गया ...(व्यवधान) मैं उस बात पर आ रहा हूं मैंने किसी भी सदस्य के बोलते समय बाधा नहीं डाली और मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मुझे अपने विचार अथवा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। तत्पश्चात यदि अध्यक्ष महोदय आपकी आगे स्पष्टीकरण मांगने या चर्चा करने की अनुमति दें तो हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। मुझे संक्षेप में उत्तर देना है और मैं मानता हूं कि शून्य काल में चर्चा का लाना उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

सब से पहली बात यह है कि क्या यह जो कुछ भी किया गया हैं, यह वैध है या नहीं दूसरी बात यह है कि क्या राज्य सरकार को विश्वास में लिया गया है या नहीं, तीसरी बात यह है कि शेयर केवल 11 प्रतिशत ही क्यों दिया गया है चौथी बात यह है कि यह बहुत लाभप्रद कम्पनी है और हमने बहुमूल्य लौह अयस्क कम्पनी को न देकर निजी क्षेत्र को क्यों दे दी।

मेरे विश्लेषण के अनुसार ये मुख्य मुद्दे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वाणिज्यिक बोली भी।

श्री संतोष मोहन देव : और वाणिज्यिक बोली क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं एक-एक कर के इन इन मुद्दों को लेता हूं।

इस सम्मान योग्य सभा के माननीय सदस्यों ने उद्योग के संबंध में एक स्थायी समिति बनायी थी, उस समिति के सभापति श्री अशोक मिश्र हैं, जो राज्य सभा के सी.पी.आई. (एम) के सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं कुछ पहले की बात कर रहा हूं, पीछे की तरफ नहीं जा रहा। हाल ही में उन्होंने कहा है कि कि लौह अयस्क का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों में खनन हेतु पूंजी बढ़ाने की भी सिफारिश की है। यह पहली बात है। दूसरी सिफारिश यह है कि विकल्प के रूप में, खनिज का निर्यात जो इस समय 30 मिलियन टन हो रहा है उसमें भारी कटौती की जाये तीसरी सिफारिश यह है कि लौह अयस्क खननक्षेत्र में भारी मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश किया जाये। समिति का यह नवीनतम प्रतिवेदन है और मैं समझता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य मेरे विचार में आपको उनकी बात सुननी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने सिफारिश की है?

श्री संतोष मोहन देव : हम मामले पर स्थायी समिति के भी चर्चा की गयी थी, समिति ने इस्पात मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को आमंत्रित किया था और उनसे पूछा था कि इस कम्पनी को बजट समर्थन क्यों नहीं दिया गया और इस खान का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, जैसाकि श्री यादव ने कहा है यह देश में सरकारी क्षेत्र का अत्यन्त लाभप्रद उपक्रम है दुर्भाग्य से मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं कि जिनको मैंने गत वर्ष कहना ठीक नहीं समझा था।

वर्ष 1991-92 में कम्पनी का व्यापार 304.74 करोड़ रुपये का हुआ था शुद्ध लाभ 120.21 करोड़ रुपये का था व्यापार अनुपात कम हो कर 28.2 प्रतिशत रह गया और 1992-94 में यह 23.7 प्रतिशत रह गया...(**व्यवधान**)

मेरा निवेदन यह है कि श्री बसुदेव आचार्य ने अभी कहा है कि एन.एम.डी.सी. को भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील तथ अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चार वर्ष पूर्व जिस दर पर लौह अयस्क बेची जा रही थी, आज उस मूल्य पर नहीं बेची जा सकती। ब्राजील और आस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आ गये हैं।

अब प्रश्न यह है कि इसको निजी क्षेत्र को क्यों दिया गया? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.एम.डी.सी. कुल वचनबद्धता 1,389 करोड़ रुपये की है। एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही बताया था कि एन.एम.डी.सी. के पास 259 करोड़ रुपये के संसाधन हैं। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु यदि हमको लौह अयस्क की एक खान पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े और दूसरी पर भी 250 करोड़ रुपये तो उस वित्तीय वचनबद्धता का क्या होगा जो अन्य परियाजनाओं के सम्बन्ध में हमारी है...(**व्यवधान**)

कृपया मुझे बोलने दीजिए, व्यवधान मत डालिये, मेरी बात पूरी हो जाने के बाद यदि आपका कोई प्रश्न रह गया और यदि अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति देंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं? चूंकि मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं मैं परियोजनाएं दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख देना चाहता हूं...(**व्यवधान**)

महोदय, खान 10-ए और खान 11-ए में निक्षेपों के लिये एन. एम.डी.सी. को वित्तीय वचनबद्धता है परियोजना 10-ए /11-ए, अलटरा पुरे फेरिक आक्साइड, ब्लयू डस्ट माइनिंग आरकी लाइम स्टोन, पन्ना– हमारी एक पन्ना खान भी है और अन्य योजनाओं की कुल लागत लगभग 1300 करोड़ रुपये है।

अब मैं, बिना किसी दल की आलोचना किए कहना चाहूंगा कि हमारे देश में पहले क्या होता रहा है विगत दिनों में जब कभी किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को किसी परियोजना पर काम करने को कहा जाता था तो उसे बजट समर्थन उपलब्ध कराया जाता था। उनको बाजार से कुछ नहीं मिलता था। अब बजट समर्थन उपलब्ध नहीं है। यदि मैं बाजार में जाता हूं और धनराशि उधार लेता हूं जैसाकि श्री यादव ने ठीक ही कहा है, धनराशि तो मिल जायेगी पर क्या मैं उसका भुगतान कर पाऊंगा? यदि मैं 2000 रुपये अर्जित करता हूं और मैं श्री वाजपेयी के पास जा कर 5000 रुपये का ऋण चाहूं तो धनराशि तो शायद मिल जायेगी परन्तु मुझे उसको वापिस भी करना है। अतः आय इतनी होनी चाहिए कि मैं उस धनराशि का भुगतान भी कर सकूं।

अब आप दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की मामले को लीजिए ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, एन.एम.डी.सी. ने इस प्रोजेक्ट को मांगा और यह भी कहा कि हम कम फाइनेंस का इंतजाम करेंगे। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने...

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यह बात मेरे दिमाग में है। मैं उन मुद्दों का भी उत्तर दूंगा। ये मूल बातें हैं जिनकी ओर मैं स्वयं ध्यान दिला रहा हूं। अब चूंकि यह स्थिति है तो इस्पात मंत्रालय में हम लोग एन.एम.डी.सी. जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को एक खान को विकास करने के लिये अनुमति नहीं देंगे। जहां कोई निजी फर्म पूंजी निवेश करने को तैयार हैं, हमारा निर्णय सरकार की नीति और निर्णयों के अनुरूप किया जाता है। जिसके अनुसार केवल उन क्षेत्रों में जहां निजी पूंजीनिवेश उपलब्ध न हो, सरकारी क्षेत्र को निवेश करना चाहिए...(**व्यवधान**)

अब आप मेरे साथ सहमत हों या न हों, तथ्य यह है कि यह हमारी नीति है, जब हम ने यह निर्णय किया था तब किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या हमें ऐसा करने का प्राधिकार है। श्री अर्जुन सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने एक पत्र को भी उद्धृत किया था जो हमारे मंत्रालय ने एन.एम.डी.सी. को लिखा था।

1.00 म.प.

एन.एम.डी.सी. के आर्टिकलस आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 119 राष्ट्रपति को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निवेश देने की शक्ति प्रदान करता है।

आप ने अवैधता का प्रश्न उठाया है आप अंशतः ठीक है और अशंतः गलत आपने एक प्रश्न यह उठाया कि शब्दावली ठीक नहीं है। जब कोई पट्टा हस्तांतरण किया जाता है, उसके लिये केन्द्रीय सरकार का अुनमोदन भी आवश्यक है और राज्य सरकार की सहमति भी अपेक्षित है। जब तक हम किसी कम्पनी का पता न लगा लें रजिस्टर न कर लें, हम राज्य सरकार के पास प्रस्ताव को क्यों भेजें?

मेरे पास एक दस्तावेज है, जिसको मैं प्रमाणित कर सकता हूं और सभा-पटल पर रख सकता हूं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राज्य सरकार को 9.8.1995 को एक आवेदन पत्र भेजा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आप को 8.8.1995 तक की स्थिति की जानकारी दी है इस पत्र में लिखा है कि उन्होंने कम्पनी को पंजीकृत ही नहीं किया ...(**व्यवधान**) मुझे समाप्त कर लेने दीजिए यह बात ठीक नहीं है।

रायपुर जिले में एक कम्पनी पंजीकृत की गयी है। क्योंकि यह एक नई कम्पनी है, सम्बन्धित उपायुक्त और आयकर अधिकारी ने कम्पनी को पंजीकृत करने की आवश्यकताओं की जांच की है। अतः राज्य सरकार की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं किया गया है। मुख्य मंत्री का कहना ठीक है। श्री अर्जुन सिंह भी ठीक है। और मैं ठीक हूं। सम्प्रेषण की कमी है।

श्री अर्जुन सिंह : जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है, मैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। अब उन्होंने बताया है कि एक आवेदन पत्र का उल्लेख नहीं किया था जो मेरे पास है मैं उसको आपकी अनुमति से सभा-पटल पर रखना चाहूंगा इस आशय की अनुमति प्राप्त करने के लिये लिखा गया आवेदन पत्र मेरे पास है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 9.8.1995 को दिया गया था, परन्तु यह 1.9.1995 का है। जब से यह दिया गया था, परन्तु यह 1.8.1995 का है जब से यह मामला उठाया गया है, वे इस प्रकार उसको कलक्टर के स्तर पर या राज्य स्तर मध्य प्रदेश सरकार की फाइल में लगाने को प्रयत्न करते रहे हैं, ताकि वे आकर कह सकें कि उन्होंने पूर्व अनुमति मांगी थी। मै यह पत्र मंत्री महोदय को दे देता हूं जिससे वह इसकी जांच कर सकें। यह सच है कि किसी ने भी यह पत्र स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह 'फेक्स' के बाद भेजा गया था जो आप नहीं कर सकते।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने मंत्री के रूप में उससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वह हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री थे, मैं प्रमाणित कर सकता हूं और वह अच्छी प्रकार जानते हैं कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूं। मैं आप को सच्चाई बता रहा हूं।

यदि मैं नियम 37 को पढ़ूं तो वह बहुत लम्बा है माननीय सदस्य उसको पहले पढ़ चुके हैं और उसमें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन का स्पष्ट उल्लेख है, मैं उसको टालने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यहां पुनः हल्ला हो जायेगा। मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवगौड़ा का पत्र मिला है...(**व्यवधान**) मुझे समाप्त कर लेने दीजिए, मैं अपने कथन को सिद्ध कर रहा हूं।

इस पत्र में केन्द्रीय सरकार को एक खान जिन्दल, एक निजी कम्पनी को देने के लिये लिखा गया है। हमने जो प्रक्रिया अपनायी है वह नयी नहीं है। केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। और राज्य सरकार की अनुमति मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की सहमति पहले प्राप्त कर लीजिये और फिर केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी जाये। इस मामले में मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है। कम्पनी पंजीकृत किये बिना पट्टे के हस्तांतरण के लिये केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता । जब हमने मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेजा तब हमने दो लाभार्थियों को उपयुक्त पाया निप्पन देनरी इस्पात लिमिटेड और इस्सार, गुजरात, मंत्रिमंडल ने निप्पन देनरी इस्पात लिमिटेड के पक्ष में निर्णय दिया न कि गुजरात इस्सार के पक्ष में जब तक मंत्रिमंडल निर्णय न कर ले, तब तक, कम्पनी आवेदन पत्र कैसे भेज सकती है यह स्थिति है।

एक अन्य मुद्दा उठाया गया है कि 20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है यह धनराशि 20 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

एक अन्य प्रश्न खोज के बारे में उठाया गया था निक्षेपों की पूरी तरह खोज नहीं हुई है। हमने परियोजना प्रतिवेदन और प्रारम्भिक व्यावहार्यता प्रतिवेदन भी तैयार किया है जिसपर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि खान की पूरी तरह खोज करने हेतु बहुत बड़ी धनराशि अपेक्षित होती है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने ऐसा कुछ नहीं किया है।

एक अन्य प्रश्न पूछा गया था कि जब एन.एम.डी.सी. ने उसे मांगा था तो हमने उनको क्यों नहीं दिया। एन.एम.डी.सी. प्रारम्भ से ही इसकी संयुक्त उपक्रम को सौंपने के लिये कह रही थी। उन्होंने अपने लिये उसको नहीं मांगा, वे संयुक्त क्षेत्र के लिये कहते रहे है। मूल प्रस्ताव में एन.एम.डी.सी. द्वारा 26 प्रतिशत इक्विटी रखे जाने का उल्लेख था, उस समय तीन भागीदारों में से प्रत्येक को 26 प्रतिशत और शेष शेयर जनता की ओर से थे। जैसा मैंने बताया, तीन भागीदारों और एन.एम.डी.सी. के बीच अनेक बार चर्चा हुई दुर्भाग्यवश सभी नियंत्रण चाहते थे, प्रत्येक भागीदार 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर लेना चाहता था। अनेक प्रस्ताव भी आते रहे हैं। अन्त में हमने एक समिति बनाने का निर्णय किया। एन.एम.डी.सी. ने सभी तीनों कम्पनियों के साथ बातचीत की उन्होंने निर्णय किया कि निप्पन देनरों इस्पात लिमिटेड या इस्सार को भागीदार बनाया जा सकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने दस्तावेज को सभापटल पर रखने की मांग की है। यदि आवश्यक हो तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं, क्योंकि इस से माननीय सदस्यों के मन में पैदा होने वाली अनेक शंकाओं का समाधान हो जायेगा। एन.एम.डी.सी. से छिपा कर कुछ नहीं किया गया।

एक अन्य मुद्दा उठाया गया है कि जब वित्त मंत्रालय ने इसपर आपत्ति की थी, तब मैंने उसकी उपेक्षा क्यों की महोदय, आप भी मंत्री रह चुके हैं। यहां बैठे हुए अनेक माननीय सदस्य कभी न कभी मंत्री रह चुके हैं। हम सब जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल का कोई वोट विभिन्न मंत्रालयों में परिचालित किया जाता है, तो प्रत्येक मंत्रालय उस पर अपनी राय व्यक्त करता है अन्त में जब वह मंत्रिमंडल के पास पहुंचता है जब वे उस पर सामूहिक निर्णय लेते

हैं। मंत्रिमंडल का यह सामूहिक निर्णय है हमारे विचार में यह रक्षित खान रहनी चाहिए। अनेक सदस्यों ने मुझसे और मेरे मंत्रालय से पूछा है वाणिज्यिक बोली की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी, इसमें एक का एक, एक का तीन या एक का चार की बोली की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी। वह 'सेलिब्रेटिड लटप और' गैस आधारित लौह अयस्क उत्पादन के लिये ही अपेक्षित होती है, जिसके लिये केवल तीन फर्में हैं और आरम्भ में तीनों को आमंत्रित किया गया था।

सदस्यों ने पूछा है कि निविदाएं क्यों नहीं आमंत्रित की गयीं। पता नहीं, माननीय सदस्य इस बारे में क्या सोचते हैं, परन्तु यदि मैं विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित करता तो मैं उनको ऊंची दर दिलवाता अयस्क जापान, ब्राजील और देशों को चली जायेगी आज भी जापान हमको लिखता है। मैं जापान गया था और जापान के मंत्रियों ने कहा था कि वे लौह अयस्क की इन खानों को लेना चाहते हैं। जैसाकि किसी ने कहा था कि जापान के साथ किये गये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह एक ऐसा मामला था जिस पर राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में बहुत कुछ लिखा गया था। मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में निर्णय किया कि भविष्य में मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति के बिना लौह-अयस्क का निर्यात नहीं किया जाएगा। यह करार 1995-96 में व्याप्त हो जायेगा। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि सर्वप्रथम सभी घरेलू उद्योगों को लौह-अयस्क सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और यदि उससे बच जाये तो उसका निर्यात किया जायेगा। हम इस संबंध में एक पेपर तैयार कर रहे हैं, अभी उसको अन्तिम रूप नहीं दे पाये।

अब एक अन्य प्रश्न उठा कि हमने एन.एम.डी.सी. के लिये 11 प्रतिशत इक्विटी का प्रस्ताव क्यों रखा। महोदय 11 प्रतिशत और 89 प्रतिशत इक्विटी का सूत्र कोई नयी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में इसको अपनाया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पश्चिम बंगाल का हवाला क्यों दे रहे हैं आप अपने आप को बैलाडिला तक ही सीमित क्यों नहीं रखते।

श्री संतोष मोहन देव : अच्छा ठीक है, पश्चिम बंगाल को भूल जाइए। जब 'कोपरो' और स्वराज पाल उड़ीसा आये तब वहां पर श्री बीजू पटनायक थे, उन्होंने प्रस्ताव किया कि समझौते में 11 प्रतिशत और 89 प्रतिशत का अनुपात रहेगा, वास्तव में बात यह है कि निजी फर्में अपना नियंत्रण चाहती हैं। आप चाहें या न चाहें, वे अपना नियंत्रण चाहते हैं। अतः जब एन.एम.डी.सी. का शेयर केवल 11 प्रतिशत रहता है तो उनको एन.एम.डी.सी. के हितों की रक्षा करनी होगी मेरे पास मंत्रिमंडल का निर्णय है कुछ निर्णय एन.एम.डी.सी. के सुझाव पर नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल ने स्वयं लिये हैं। हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है कि इस कम्पनी का प्रधान कार्यालय मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि इस से उनको आय-कर व उत्पादन शुल्क का लाभ मिलेगा जिसका एक हिस्सा यथानुसार राज्य सरकार को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त सहित अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री को और मुझे पत्र लिखे हैं कि इसका रोजगार के अवसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमने अपने करार में शर्त रखी कि सभी लोगों को रोजगार, रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिया जाये, जो कि 2500 रुपये या उसके लगभग निश्चित राशि के आधार पर न हो और जो राज्य के अन्य भागों में प्रचलित हैं परन्तु कार्यकारी पदों सहित सभी प्रकार के पद रोजगार कार्यलय के माध्यम से दिये जाने चाहिए हम ने यह भी कहा है कि यदि वे लोगों को बाहर से लाना चाहते हैं तो उन के पास रोजगार कार्यालय से प्राप्त प्रामाणपत्र होना चाहिए। अन्यथा वे उनके नाम नहीं भेज सकते। करार में यह भी लिखा है कि यदि वे नियमावली में उल्लिखित किसी मूल प्रावधान में परिवर्तन करना चाहें तो उनको एन.एम.डी.सी. की सहमति प्राप्त करनी होगी। उसके बिना वे ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। चाहे उनकी इक्विटी 26 प्रतिशत हो उनके लाभ इतने ही होंगे।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, उनके समाप्त कर देने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे अपने पूर्व सहयोगी के प्रति यह अनुचित होगा क्योंकि उन्होंने सभा में कहा है कि मैंने उनके साथ इकट्ठे काम किया है।

श्री संतोष मोहन देव : बल्कि मैंने आप के साथ काम किया है, आपने मेरे साथ नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : क्योंकि उन्होंने इस भूमिका के साथ मेरा और सभा का ध्यान आकर्षित किया है, मैंने उस नियम के बाद के भाग को नहीं पढ़ा था, जिसको मैंने उद्धृत किया था और जिसका उल्लेख उन्होंने भी किया है। मैं नियम 37 (2) को पढ़ना चाहूंगा इस में लिखा है "केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना खान खोजने संबंधी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जायेगा।

महोदय, खनन खोजने का लाइसेंस और न ही कोई नया खनन पट्टा दिया गया है, यह तो हस्तांतरण किया जा रहा है। अतः नियम विशिष्ट और बिल्कुल स्पष्ट है। अतः उसको गलत न पढ़िये और न ही सभा को गलत बात बताइए कि आप नियमानुसार कार्य कर रहे हैं, जो इस मामले में लागू नहीं होता।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी से सहमत नहीं हूं।

श्री अर्जुन सिंह : आप असहमत हो सकते हैं, परन्तु गलत उद्धृत न कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : हमने पट्टा हस्तांतरण के किसी दस्तावेज पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं, कम्पनी गठित कर दी गयी है। हमने राज्य सरकार की सहमति के लिये लिखा है। केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। राज्य सरकार की सहमति भी अपेक्षित है। हमने उनकी सहमति के लिये लिखा है।

श्री अर्जुन सिंह : ठेका हो गया है यदि ठेका नहीं हुआ है तो वह कहें।

संतोष मोहन देव : ठेका सम्बन्धी कार्य पूरा नहीं हुआ है। एक अन्य कम्पनी आ गयी है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।

दो मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे हैं। उन्होंने एक ठेका किया है कम्पनी का कार्य आरम्भ हो गया है। काम भी चालू हो गया है अब उन्होंने हमारा अनुमोदन मांगा है। वर्ष 1993 की खनिज नीति इस सभा के पटल पर रखी गयी थी और इस सभा में उस पर वादविवाद भी हुआ था। उस नीति के अनुसार लौह अयस्क क्षेत्र–सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र–दोनों के लिये खुला है। मुख्य मुद्दा यह है कि एन.एम.डी.सी. जैसे लाभ अर्जित करने वाले संगठन ने लाभ अर्जित करने वाली लौह अयस्क खान को निजी क्षेत्र को क्यों दिया। इसी बात का सब के मन में विक्षोभ है। मैंने बार-बार कहा है कि हम ने ऐसा इस लिये किया है, क्योंकि हमारी कुछ अन्य प्राथमिकताएं हैं यदि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को मत लाइए। आप प्रधानमंत्री का नाम इस मामले में कैसे ला सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : क्योंकि आपने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है...(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : इसको मैंने मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था, पूरे मंत्रिमंडल ने इस बारे में निर्णय लिया था। मंत्रिमंडल में इस मामले पर 45 मिनट तक वाद-विवाद हुआ। सामान्यतः ऐसे मामले सी.सी.ई.ए. के पास जाते हैं। यह मामला सी.सी.ई.ए. के पास नहीं गया। देश के हित में हम ने काफी सुरक्षा उपाय किये हैं आप कह रहे हो कि ऐसा न किया जाये क्यों? आप कहते हो लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी को निजी क्षेत्र को दे कर हमने देश को बर्बाद कर दिया ...(**व्यवधान**)

शून्य काल में श्री सोमनाथ चटर्जी के हस्तक्षेप पर जब आप ने इस सभा को अनुमति दी थी, तो मैंने एक वक्तव्य में बताया था कि हम देश में 2001-02 तक 37 मिलियन टन इस्पात पैदा करने लगेंगे। हमारे विश्लेषण के अनुसार विद्यमान इस्पात संयंत्रों तथा अन्य एककों से 24 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन होने लगेगा और शेष 13 मिलियन टन निजी क्षेत्र से आयेगा भविष्य में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को न केवल खान अपितु अन्य खान भी दी जायेगी। हमें इस मामले को भी इसी दृष्टि से देखना होगा। वाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया था और जो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि मैं एक मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात करता हूं तो हमें लगभग 50 करोड़ रुपये मिलेंगे। यदि मैं एक मिलियन टन तैयार माल भेजता हूं तो हमें 950 करोड़ रुपये से 1100 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। हमारा उद्देश्य निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करना है। इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। हम यह नहीं कहते कि निजी क्षेत्र को इसमें नहीं आना चाहिए हम भविष्य में भी निजी क्षेत्र का स्वागत करेंगे और यह देश के हित में भी है। महोदय मैंने दिये गये समय के भीतर जो कुछ कहना था कह दिया...(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं आप की अनुमति से कहना चाहूंगा कि मेरे भूतपूर्व सहयोगी ने कुछ शर्तों का उल्लेख किया था जो मंत्रिमंडल ने अपनी ओर से जोड़ी है। जिनमें कई बातें कही गयी हैं। इनमें एक बात रोजगार के बारे कहीं गयी है। मेरे विचार में वे जानते हैं कि एन.एम.डी.सी. वे अपने पत्र दिनांक 15.6.1995 में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है एन.एम.डी.सी. केवल 11 प्रतिशत शेयर रखकर संयुक्त क्षेत्र को कम्पनी से उल्लिखित शर्तें लागू नहीं करवा सकेगा, क्योंकि क्रियान्वयन प्रबन्ध एन.डी.आई.एल. के पास होगा। अब हमें यह बताने का क्या लाभ है कि हर बात का ध्यान रखा गया है, वास्तव में हर बात की उपेक्षा की गयी है यदि प्रधानमंत्री यहां उपस्थिति होते तो मैं सभा के नेता से अपील करता परन्तु वह यहां पर नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक विरोधी पक्ष के नेता से अपील करता हूं कि वह लोक लेखा समिति के सभापति हैं या जो भी लोक लेखा समिति का सभापति है वह आप की अनुमति से इस मामले पर विचार करे और संसद के इसी सत्र में सभा को इस मामले के वास्तविक तथ्य बताये या किसी अन्य रूप में जैसे आप उचित समझें यह नहीं समझना चाहिए कि हम उनकी हर बात सदा मानते रहेंगे। संसद को गुमराह नहीं किया जा सकता और न ही उसकी उपेक्षा की जा सकती है। यदि वे वही कुछ करना चाहती है तो इस देश में संसदीय प्रक्रियाओं के लिये बहुत दुःखद दिन होगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, एक सजेशन दिया गया है कि पब्लिक एकाउन्टस कमेटी सारे मामले को देख लें। आप भी इस तरह संकेत दे सकते हैं पहले ऐसा कई बार हो चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मेरे विचार में आप ठीक कहते हैं। परन्तु अर्जुन सिंह का कहना भी ठीक है। लोक लेखा समिति के सभापति स्वयं इस मामले पर विचार कर सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, परन्तु मेरे लिये इस अवस्था में उनको निर्देश देना उचित नहीं होगा । वे निर्णय कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारे सदन की भावना को देखकर वे फैसला कर सकते हैं...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार वक्तव्य न दे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं यही कह रहा हूं सारे सदन की जो भावना है...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ने सुन लिया है आप उस पर कोई वक्तव्य नहीं दे सकते ।

[हिन्दी]

श्रीराम नाईक : इसमे हम बाद में डिसीजन करेंगे, मैंने सदन की भावना समझी है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अर्जुन सिंह जी ने ठीक ही कहा है और यह नियमानुसार व विधि संगत है यह इसी प्रकार किया जाना चाहिए। अब कृपया समझ लीजिए कि यह मामला सदन के समक्ष किस रूप में है और इसमें और विलम्ब न करें।

श्री रंतोष मोहन देव : महोदय, उनकी अन्तिम बात इस पत्र के बारे में थी। उस पत्र के प्राप्त होने के बाद हमने इस मामले को कानूनी मशविरे के लिये भेजा था। कानूनी मशविरा एक सुप्रसिद्ध विधि संबंधी फर्म दादाचनजी रवीन्द्र नारायण माथुर एण्ड कम्पनी ने दिया है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और यह कार्यवाही वृत्तान्त का भाग बने। कम्पनी सचिव श्री कुमार राघवन और विधि अधिकारी राघवाचस्लू ने एन.एम.डी.सी. और एन.डी.आई.एल. के बीच हुए संयुक्त उपक्रम करार, जिसका अनुमोदन एन.एम.डी.सी. के निदेशक मंडल ने 7.7.95 को दिल्ली में हुई बोर्ड की 296 वीं बैठक में किया गया था, की सूचना हम को दी है। हमने उसमें उल्लिखित शर्तों को पढ़ा है। माननीय सदस्य का कहना है कि इसकी शर्तें वैध नहीं होंगी। उन्होंने एन.एम.डी.सी. व एन.डी.आई.एल. के बीच हुए संयुक्त उपक्रम करार की शर्तों को पढ़ा है। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में यह करार किया गया है और यह विधि अनुसार क्रियान्वयन योग्य है और बिल्कुल ठीक है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं श्री दादाचनजी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनके कानूनी मशविरे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ...(व्यवधान) वे तदनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। वह जो चाहे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो लागू हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका अंतिम निर्णय न्यायालय करता है।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : थंजावूर बेसिन में 10 लाख हेक्टेयर में लगाई गयी धान की फसल पानी की अनुपलब्धता के कारण सूखती जा रही है। यदि कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी में पानी न छोड़ा गया तो पूरी कुरूवई फसल खराब हो जायेगी।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने वर्ष 1992 में अपना अंतरिम पंचाट दिया था जिसमें लिखा था कि कर्नाटक सरकार को 205 टी.एम.सी. पानी छोड़ना चाहिए। अंतरिम पंचाट के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी है और यह बात न्यायालय के अवमान के बराबर है। भारत सरकार ने भी इसको गम्भीरता से नहीं लिया और पंचाट को लागू करने के लिये कर्नाटक सरकार को निदेश नहीं दिया। वास्तव में भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन कर्नाटक सरकार को अंतरिम पंचाट लागू करने हेतु निदेश दे सकती है। केन्द्रीय सरकार भी सुस्ती दिखा रही है।

यदि पंचाट को लागू नहीं किया जाता तो न्यायिक संस्थाओं पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिये खतरनाक होगा ...*

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

श्री आर. अन्बारासु : यदि केन्द्रीय सरकार पंचाट को लागू कराने की इच्छुक नहीं है तो बेहतर है कि इस न्यायाधिकरण को बन्द कर दिया जाये क्योंकि अन्तिम पंचाट आने में तो अभी कम से कम 10 वर्ष लग जायेंगे। यदि न्यायिक संस्थाओं के निर्णयों को लागू नहीं किया जाता तो यह न्यायपालिका का मजाक होगा। केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के पंचाट को क्रियान्वित करना आदेशात्मक है।

इसलिये मैं मांग करता हूं, और माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन कर्नाटक सरकार को पंचाट तत्काल लागू करने का निदेश दे। अन्यथा थंजावूर में किसानों को भारी हानि उठानी पड़ेगी और तमिलनाडु की जनता को खाद्यान्न के संकट का सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेम धूमल।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने प्रायोजक बैंकों के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी देने के निर्देश 30 अप्रैल, 90 को भारत सरकार को दिए थे। भारत सरकार ने 22 फरवरी, 91 को इस अवार्ड को क्रियान्वित के निर्देश भी दिए थे तदनुसार बैंकिंग उद्योग स्तर पर 5वें वेतन समझौते तक की सुविधाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू कर दी गईं।

[अनुवाद]

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : वर्ष 1993 में दिये गये वायदे को भी पूरा नहीं किया गया।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : महोदय, 14 फरवरी, 95 को बैंकिंग उद्योग में छठा वेतन समझौता सम्पन्न हो चुका है, जिसकी बैंकिंग उद्योग में क्रियान्विति भी हो चुकी है लेकिन भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अभी तक निर्देश जारी नहीं किया है। इसके विरोध में देशभर से आए कर्मी संसद मार्ग पर धरना दे रहे हैं। 22 अगस्त को वे देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : जल संसाधन मंत्री द्वारा तमिलनाडु सरकार को दिये गये वायदे का क्या हुआ?

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : महोदय, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष भी भारत सरकार ने घाटे का बहाना बनाया था लेकिन इस तर्क को निरस्त कर दिया गया था। अवार्ड के क्रियान्वयन के समय भी यह बैंक घाटे में चल रहा था। अब कुतर्क पुनः दोहराना उचित नहीं है। वर्तमान में 27 में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी घाटे में चल रहे हैं वहां पर भी छठा समझौता लागू किया गया है। अतः यह कुतर्क ग्रामीण बैंकों के लिए उचित नहीं है। वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस एग्रीमेंट को लागू करने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दें।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : हम जल संसाधन मंत्री से उत्तर चाहते हैं। ...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रो. धूमल का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होगा।

...**(व्यवधान)***...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

...**(व्यवधान)***...

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जाइए। यदि आप की इतनी रुचि है तो आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ लेते? आप इन सब बातों के लिये प्रतीक्षा करते रहे हैं। अब मैं सभा में शोर मचाने को सहन नहीं कर सकता। यदि आप उचित तरीके से काम करना चाहते हैं तो मैं आप की सहायता कर सकता हूं।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट पर जाइए।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप इस संसद का मजाक बना रहे हैं।

...**(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप को सभा में इस प्रकार व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है।

...**(व्यवधान)**...

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, किसानों को हानि उठानी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते? मैं उनसे उत्तर मंगवाता। आपको प्रश्न पूछने में क्या परेशानी है?

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप को समझना चाहिए कि यदि आप ठीक प्रकार से बर्ताव करें और नियमों के अनुसार चलें तो आपको अनुमति दी जायेगी। परन्तु यह कोई तरीका नहीं है, हर समय शोर मचाना और काम कराना, यह उचित नहीं है।

...**(व्यवधान)**...

श्री ए. अशोकराज (पैरम्बलूर) : यह हमारे लिये जीवन भर की समस्या है। इसलिये हम उत्तेजित हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा?

...**(व्यवधान)**...

डा. एन. मुरुगेसन (करुर) : माननीय मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए कि क्या वे न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट में उल्लिखित निगरानी व्यवस्था को उचित ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अचानक मामला उठा कर, अन्तिम समय में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता।

...**(व्यवधान)**...

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम राज्य सरकार से निरन्त सम्पर्क बनाए हुए हैं और न्यायाधिकरण के विचाराधीन इस विवाद का समाधान करने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी संबंधित पक्षों को आश्वस्त करते रहे हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्णय दिये जाने से पूर्व उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखा जायेगा।

जहां तक अंतरिम पंचाट का संबंध है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिये गये आश्वासन के अनुसार हमने एक समिति नियुक्त की है और वह समिति कार्य कर

रही है। यह सच है कि कावेरी बेसिन में वर्षा कम हुई है जिसके कारण समस्याएं पैदा हुई हैं। परन्तु, कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के पूरे सहयोग के साथ उन समस्याओं को हल किया जा रहा है। परन्तु जहां वर्षा कम हुई है वहां कृत्रिम रूप से तो पानी पैदा नहीं किया जा सकता। अतः वहां जितना पानी उपलब्ध है उसको न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार बांटा जाता है। हम इसपर नजर रखे हुए हैं और राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं ...(व्यवधान)

प्रो. प्रेम धूमल : महोदय, मैं केवल एक मिनट के लिये बोलना चाहता हूं ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू के वक्तव्य के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी के कारण गांवों में गरीब लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है और दुकानदार, कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं।

जनवरी 1995 से तेल कंपनियां मिट्टी के तेल के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं रख रही है। इसकी सप्लाई बहुत अनियमित चल रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बाजार में कृत्रिम कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी के कारण अनेक महिलाएं उचित दर की दुकानों के आगे पंक्तियों में खड़ी रहती हैं। मिट्टी के तेल की दर 3 रुपये 10 पैसे है और काले बाजार में इसकी दर 8.00 रुपये है। गरीब लोग इतना अधिक नहीं दे सकते, इसलिये चुपचाप कष्ट उठा रहे हैं।

हमारे राज्य नागरिक पूर्ति मंत्री ने भी रेल वैगन उपलब्ध करा के, जो समस्या का मुख्य कारण है, तेल सप्लाई करने की व्यवस्था करते हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। तेल कंपनियों के तेल डिपुओं पर, विशाखापत्तनम डिपो को छोड़कर पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण थोक व्यापारी उचित दर की दुकानों को नियमित रूप से मिट्टी का तेल सप्लाई करने में असमर्थ हैं।

तेल कंपनियां प्रत्येक मास के पहले पखवाड़े में मिट्टी के तेल की बहुत कम मात्रा भेजती हैं। जब उन दिनों मांग अधिक होती है, वे महीने के बिल्कुल अंत में स्टाक भेजती हैं जिसके परिणामस्वरूप थोक व्यापारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।

तेल कंपनियों को स्टाक की स्थिति के बारे में कोई चिंता नहीं होती। वे पैट्रोल और डीजल डिपुओं में अधिक रुचि लेते हैं। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का भी मिट्टी के तेल के वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कंपनियों से तेल उपलब्ध न होने और उसकी अनियमित सप्लाई के कारण भविष्य में राज्य के लिये मिट्टी के तेल का आवंटन व्ययगत हो जाता है अथवा कोटा कम हो जाता है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्षा काल आरंभ हो जाने के कारण जुलाई मास के बाद मिट्टी के तेल की मांग आम तौर पर बढ़ जाती है।

मैं मांग करता हूं कि पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु तेल कंपनियों को अनुदेश जारी करें। मैं उनसे आंध्र प्रदेश राज्य को मिट्टी का तेल पहुंचाने के लिये वैगनों की व्यवस्था करने की भी मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर बिहार में 13-14 अगस्त को भारी वर्षा होने के कारण और साथ ही पड़ोसी नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण सारा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है। खासतौर से शिवहर, सीमामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा के इलाके में बाढ़ के पानी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण हर दूसरे-तीसरे साल उत्तरी बिहार को काफी क्षति पहुंचती है। यातायात ठप्प है। सिवान का जिले की राजधानी से सम्पर्क टूट गया है। इसी तरह से सीतामढ़ी का सम्पर्क राजधानी से टूट गया है। मधुबनी का सम्पर्क राजधानी से टूट गया है। दरभंगा में लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के कारण और खासतौर से जब भी वर्षा नेपाल में होती है तो दूसरे-तीसरे साल वर्षा से काफी नुकसान होता है। राज्य सरकार की क्षमता के ऊपर यह बात है जो इस मुसीबत का मुकाबला कर सके। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार को एक बड़ी राशि कम से कम 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाए जिससे बिहार सरकार इस साल बाढ़ की भारी क्षति का मुकाबला कर सके और लोगों को राहत दिला सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

1.31 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मिड एंड साउथ तापी फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के बारे में भारत सरकार और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एनरान आयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड के बीच हुए उत्पादन सहभागिता संविदा

आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मिड एंड साउथ तापती फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के बारे में भारत सरकार और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एनरॉन आयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड के बीच हुए उत्पादन सहभागिता संविदा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.8004/95]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम मूल्य का नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995, जो 19 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) रसोई गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 1995, जो 19 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.8005/95]

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के आधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1995, जो 30 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसके शुद्धि-पत्र, जो क्रमशः 9 मई, 1995 और 13 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.8006/95]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं श्री पी. एम. सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (4) के अंतर्गत आदेश, जो 30 मई, 1995 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89. दिल्ली में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 के पूर्ववर्ती आदेश में कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण की अवधि को 1 जून, 1995 से और 4 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.8007/95]

(2) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 479 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दिल्ली नगर निगम (पार्षदों द्वारा आस्तियों की घोषणा) नियम, 1994, जो 16 जनवरी, 1995 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 11/12/92.यू.डी./473 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.8008/95]

(दो) अधिसूचना संख्या एफ. 11(45)/92/यू.डी./474, जो 16 जनवरी, 1995 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.8009/95]

1.31½ म.प.

[अनुवाद]

राज्यसभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1995 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 1 अगस्त 1995 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(दो) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1995 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 1 अगस्त 1995

की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

1.32 म.प.

[अनुवाद]

वित्तीय समितियां (1994-95) - एक समीक्षा

महासचिव : मैं वित्तीय समितियां (1994-95) एक समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

1.32-1/2 म.प.

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं "लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही" के संबंध में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का एक सौ पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

1.33 म.प.

सभा का कार्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 21 अगस्त 1995 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) आज की कार्य-सूची से बचे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधार और पास किया जाना :

(क) रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1995।

(ख) उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक 1995।

(ग) संविधान (इकासीवां संशोधन) विधेयक, 1994-राज्यसभा द्वारा यथा पारित।

(घ) संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक 1988-राज्य सभा द्वारा यथा पारित।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक 1995-राज्यसभा द्वारा यथा पारित।

(च) वक्फ विधेयक, 1995-राज्यसभा द्वारा यथा पारित।

(3) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते संबंधी अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बनाये गये मंत्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम के अनुमोदनार्थ संकल्प पर चर्चा।

(4) निम्नलिखित पर विचार और उनको पास करना।

(क) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995।

(ख) अनुसंधान एवं विकास उप-कर (संशोधन) विधेयक 1995।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सम्मिशन पेश करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जावे :

(1) राष्ट्रीय मार्ग नं. B जो दिल्ली-जयपुर का प्रमुख मार्ग है, वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत अतिरिक्त अनुदान देकर करायी जाये।

(2) राजस्थान में अलवर-भरतपुर में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए बेघरबार व्यक्तियों के मकानों, मरे हुए जानवरों और खेती के नुकसान की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार राज्य को क्षतिपूर्ति हेतु और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता करे।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्रनाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो मदों को जोड़ा जाये:

(1) बाढ़ नियंत्रण उपायों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता देश के अनेक भागों में स्थिति गंभीर है।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलगाड़ियों का अनियमित चलना और अचानक रद्द किया जाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बंगाल में रेल लाइनों का विस्तार करने के लिये कार्यवाही।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान्य जनता को वितरित होने वाली वस्तुयें विशेष कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ से लालकुआं वाया सीतापुर की मीटरगेज रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की आवश्यकता है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पौड़ी और चमोली में पेय जल

का भारी संकट व्याप्त है। उत्तरांचल पेय जल संकट के बारे में केंद्र सरकार ठोस कार्यवाही करे व इस पर विस्तार से चर्चा हो।

अभी हाल ही में पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गैस सिलैंडर और रैगुलेटर की सिक्योरिटी अचानक दुगने करने से क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष व्याप्त है। खास करके पर्वतीय क्षेत्र की गरीब जनता इस सिक्योरिटी को जमा करने में असमर्थ है। सरकार इस पर दोबारा से विचार करे और इस सिक्योरिटी प्रक्रिया को पहले जैसे ही रखे।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 की आई.आई.टी. द्वारा संचालित इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में अन्य, पिछड़े वर्ग के लिये नीति के अनुरूप 27 परसैंट आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

मुर्जी समाज को उसकी अलग पहचान बनाये रखने हेतु अनुसूचित जातियों में सम्मिलित कराने की घोषणा की जाये।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र में खडगपुर, नारायनपुर सहित 200 से भी अधिक गांवों का घाघरा नदी के कटान के कारण नदी में विलीन हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिला प्रशासन बचाव कार्य कर रहा है किन्तु स्थायी हल के लिये तत्काल धन की आवश्यकता है।

नांगो, तिवारीपुर, जोखा, बिशुनपुर, वढ़या, डुमरियायापू, बेलौली सहित दर्जनों गांव राप्ती नदी की कटान से नदी में विलीन होने की स्थिति में पहुंच गये हैं। इन गांवों की सुरक्षा हेतु स्थायी हल के लिये धन की आवश्यकता है।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, देश में आंतरिक सुरक्षा को पड़ने वाला खतरा निरंतर गंभीर होता जा रहा है। विदेशी षडयंत्र और साजिश के चलते विदेशी शस्त्रों का मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों में अवैधानिक तौर पर असामाजिक तत्वों को सप्लाई किया जा रहा है।

शिक्षा स्तर में अन्तर होने से विषम स्थिति निर्मित हो रही है। शिक्षा में एकरूपता हेतु सब को शिक्षा और सब को समान शिक्षा की नीति बनाने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी आप दूसरी मद का उल्लेख कर सकते हैं, हमने पहली मद पर अभी चर्चा की है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, उस पर शून्य काल में चर्चा की गयी थी। हमने उस पर नियमित रूप से चर्चा नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चर्चा को जारी रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाये :

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला खानों को एक निजी फर्म को बेच देने और सौंप देने संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में।

(2) केंद्रीय जल आयोग के ब्रहमणी-सुवर्ण रेखा प्रभाग को भुवनेश्वर से अन्यत्र ले जाने के बारे में सरकार का निर्णय।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करें :

कानपुर स्थित टैनरी ऐंड फुटवेयर कार्पोरेशन को बंद न कर, उसमें पूंजी निवेश कर चलाये जाने के संबंध में।

कानपुर महानगर के विस्तार होने के कारण इसके दक्षिणी भाग में बहुत बड़ी जनसंख्या की कठिनाइयां दूर करने हेतु सी.ओ.डी. के पास जी.टी. रोड पर तथा हेलट अस्पताल के पास रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल बनाये जाने की अति आवश्यकता के संबंध में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा का कार्य निपटाने के मामले में हम बहुत पीछे चल रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। हम बहुत पीछे चल रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे मदों के लिये निर्धारित समय के अंदर कार्य को पूरा करें।

आप जानते हैं कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक को पास करने के लिये 1 घंटे का समय निर्धारित है, जब संशोधन प्रस्तुत किये जायें तो आप केवल संशोधनों पर ही अपने विचार रखें, न कि पूरे विधेयक पर। सीधे से संशोधन पर चर्चा के समय यदि आप विश्वभर के मामलों पर बोलना शुरू कर दें तो अन्य महत्वपूर्ण मामलों को लेना बहुत कठिन हो जायेगा। आप सब समझ लें कि बहुत से महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं, जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यदि हम महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा न करें और छोटे-छोटे मामलों पर ध्यान देते रहें तो यह संसद के लिये अच्छा नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में आवंटित समय के भीतर इस विधेयक को पारित करें। आप अपने आपको संशोधन तक सीमित रखें, पूरी विधि पर चर्चा न करें। संसदीय कार्य मंत्री सभा में बैठे रहें और सदस्यों को स्मरण कराते रहें कि उनको संशोधनों पर ही बोलना है। मंत्री भी सदस्यों

को बताते रहें कि वे अपने वक्तव्य संशोधनों तक सीमित रखें और पीठासीन अधिकारी भी निश्चय ही इस संबंध में उचित कार्यवाही करते रहेंगे।

अब सभा 2.45 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.41 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.45 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.56 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.56 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक–जारी

श्री जी. देवराय नायक (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि सभा में अब तक गणपूर्ति नहीं थी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति है, धन्यवाद। इस विषय अर्थात भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1959 के लिये एक घंटे का समय निर्धारित है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं, ताकि निर्धारित समय में इस पर चर्चा पूरी कर ली जाये। इस विधेयक पर संशोधन अधिक नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना और अन्य बातों में इसका उल्लेख है। फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो वे आप दे सकते हैं। अब मैं श्री जगत बीर सिंह को बोलने के लिये बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान संशोधन 1995 लाए हैं। 1959 की धारा चार में एक संशोधन है, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। इससे लोगों को सुविधायें उपलब्ध होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस नीयत से इनको इस संशोधन का लाना चाहिए था, उसका प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है। इस बिल को अगर हम पढ़ें तो इसमें उसका उल्लेख है कि इसकी सीमायें, इसका क्षेत्र बढ़ाये जाने के बाद भी वर्तमान में जो स्टैटिसटिक्स है, कम्प्यूटर साईंसेस में, क्वांटिटी इक्नोमिक में, मेथेमेटिक्स में और उससे संबंधित विषयों के ऊपर यह विस्तार करने के बाद भी कोई अतिरिक्त भार पैसे के स्वरूप में नहीं आया है। वर्तमान में इस संस्थान का जो एलोकेशन है, वह स्टैटिसटिक्स क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका उदाहरण आपके सामने है, आपको ज्ञान भी होगा। मैं केवल सुझाव के रूप में बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह अच्छा बिल है। इसको पारित होना चाहिए लेकिन आप जिस नीयत से इसको लाये हैं, उसका प्रावधान भी इसमें करें, अतिरिक्त पैसे का इसमें प्रावधान करें।

वर्तमान में आपने जो कंडीशन्स रखे हैं, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे मैं सहमत नहीं हूं। इसके कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल पैसे का जो एलोकेशन है, उसमें से 75 प्रतिशत यहां के अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन और उनके ओवरटाइम में निकलता है। अगर पैसा पर्याप्त होता, अगर मैं गलत हूं तो वे अपने जवाब में मुझे संशोधित करेंगे। पुस्तकें और ग्रंथ, जो लाइब्रेरी के लिए खरीदे जाने चाहिए, वर्तमान में उनके ऊपर बहुत भारी कटौती है जैसे इंस्टीट्यूशन में पत्रिकायें हैं, जिनसे ज्ञान बढ़ता है उनके सब्सेक्शन पर रोक लगी हुई है। अगर यह सही है तो आपका यह कहना कि इससे कोई अतिरिक्त भार इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं आएगा, उससे मैं सहमत नहीं हूं इसलिए मेरा पहला आग्रह है क्योंकि समय बहुत सीमित है और संक्षेप में बोलना है इसलिए मेरा आग्रह है इसमें अतिरिक्त धन का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा आप कार्य क्षेत्र बढ़ा देंगे लेकिन वहां जाने वाले लोगों की समुचित व्यवस्था शिक्षा की नहीं हो पायेगी और उसके बाद उसका स्तर गिरेगा, जैसा कि वर्तमान में भी हो रहा है।

3.00 म.प.

अभी देखने में आया है कि प्रारंभिक शैक्षिक स्तर में गिरावट आई है। हम जो सबजैक्ट सलैक्ट करते हैं, उसकी फील्ड संकुचित हो गई है और महत्व के प्रश्नों को विषय न बनाकर बहुत ही स्थानीय प्रश्नों को इसका आधार बना लिया जाता है।

मुझे मालूम है कि मेरे बाद निर्मल दा बोलेंगे। इसलिए मैं वैस्ट बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। वैस्ट बंगाल सरकार ने जो साक्षरता अभियान प्रारंभ किया था, उसके लिए जिस इंस्टीटयूट से सर्वे करवाया गया था, मैं समझता हूं कि उसका उपयोग बहुत सीमित क्षेत्र में किया गया था। जो खबरें मिली हैं, उसमें वहां के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है जिसमें उनके वेतन, उनके कार्य करने के तरीके प्रमुख रहे हैं। परिसर के भीतर चोरियां होना सामान्य हो गया है। इस पर भी अंकुश होना चाहिए।

मंत्री जी बैठे हैं, वे इस बात से सहमत हैं, पूरा सदन जानता है, पूरा देश जानता है कि जब हम विशेषज्ञ शिक्षा के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो चयन प्रक्रिया में, सलैक्शन ऑफ कैनडीडेट्स में जो राजनैतिक हस्तक्षेप है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए अन्यथा उससे प्रतिभाशाली बच्चे, जिनके पास सिफारिश करवाने के साधन नहीं हैं, इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। हाईएस्ट लैवल पर जो अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, उसमें योग्यता को मापदंड न मानकर सिफारिश को मानते हैं। इसको समाप्त किया जाना

चाहिए। अब तक की रिपोर्ट यह है कि उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप होता है। कर्मचारियों की भर्ती में बाहर से सिफारिश के आधार पर लोगों के आने से हम जिस उद्देश्य को प्राप्त कना चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि यह समाप्त होना चाहिए।

हम जो डाटा कलैक्शन करते हैं, उसमें टाइम लैग बहुत होता है। इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि जब तक हम डाटा कलैक्ट करने के बाद कमपाइल करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं तब तक उसकी उपयोगिता नष्ट होती जाती है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखें जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल हों। हमें याद है कि जब से इंस्टीट्यूट प्रारंभ हुआ है तब से उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त की है, लेकिन पिछले दिनों से इसका स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, इसकी ख्याति कम होती जा रही है। जैसा कि पहले 1959 वाले बिल में प्रावधान है कि हम अपने उन कार्यों को इवैलूएट करें, ऐनलाज करें कि हमने इस बीच में क्या किया है और उसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करें। हम प्रतिभाशाली ढंग से ऐसी समितियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

संक्षेप में इन बातों को कहने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, सूत्र मात्र में दिए हैं क्योंकि समय का अभाव है। बिना अतिरिक्त धन की व्यवस्था किए हुए यदि नियुक्तियों में और विद्यार्थियों के चयन में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं रोका गया, यदि पाठ्यक्रम को हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाया गया, डाटा कलैक्शन की देरी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रभावी ढंग से कार्य नहीं हो सकता है। आज वर्तमान युग में स्टैटिसटिक्स के स्थान को हम नकार नहीं सकते।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल को साढ़े तीन बजे से पहले कम्प्लीट करना है।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : मुझे सिर्फ दो वाक्य और बोलने का मौका दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : जब तक हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इस कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का लाभ अपने देशवासियों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे दिए हुए सुझावों पर उत्तर देते समय कुछ न कुछ आश्वासन सदन के समक्ष आना चाहिए अन्य अन्यथा आप जिस भाव से इस बिल को लाए हैं, लोगों को आपकी नीयत पर शक करने का अवसर मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह शक करने का मौका आप न दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इस विधेयक पर बोलते हुए कुछ संकोच हो रहा है। इसका कारण यह है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग संस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिये इस थोड़े से आत्मचरित सम्बन्धी विषयांतरण के लिये क्षमाप्रार्थी हूं। वास्तव में मुझ पर दो बातों का अधिक प्रभाव है। पहली बार जब मैं 16 वर्ष का था तब मैं साम्यवादी आन्दोलन में भाग लिया था, और फिर स्नाकोत्तर डिग्री प्राप्त करने से पूर्व मैंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रवेश पाया था परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और परिणाम निकलने से पूर्व ही प्रो. महलनोबेस ने हमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान से बुला लिया था। निःसन्देह जवानी का जोश था, मैं प्रो. महलनोबेस के साथ लड़ पड़ा और वहां से तत्काल निकाल दिया गया। एक बार नहीं, बल्कि ऐसा दो बार हुआ। फिर उस संस्थान में मेरा प्रवेश पांच वर्ष के लिये निषिद्ध हो गया था। यद्यपि मैं बड़ा आसपास घूमता रहा फिर भी वर्ष 1995 से ले कर मेरी सेवानिवृत्ति तक मैं भारतीय सांख्किीय संस्थान का ही आदमी माना जाता था। इस प्रकार मेरे जीवन पर इसका बहुत प्रभाव है।

इस विधेयक पर बोलने से पूर्व, मेरे विचार में मंत्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे, हम उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दिये बिना आगे नहीं चल सकते, जिसने इस संस्थान की स्थापना की थी अर्थात प्रो. महलनोबेस हमें स्मरण करना होगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं भारतीय सांख्किीय संस्थान सम्बन्धी विधेयक की पैरवी की थी और उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के हाथों उस विधेयक को नहीं सौंपा, यह संस्थान प्रो. महलनोबेस की ही देन है और यह मानना होगा कि उस व्यक्ति के कारण ही विज्ञान के कम से कम एक क्षेत्र में हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के माने जाते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के छात्रों को पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वे अमरीका में सब प्रकार के विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सिद्धान्त के रूप में सांख्यिकी का और नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे इतने बड़े देश में व्यावहारिक सांख्यिकी के दो अद्वितीय योगदान है। यह सब प्रो. महलनोबेस के कारण है।

कुछ ही दिन पूर्व मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री की सहमति से दिल्ली में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का नाम उनके नाम पर रखा था। मुझे प्रसन्नता है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उस समारोह में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिये बुलाया गया था।

इस संशोधन विधेयक में जो भ्रमित करने वाली बात है। उस पर मैं बाद में आऊंगा। परन्तु उससे पूर्व मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान का एक ही अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र क्यों है। जहां एशिया और अफ्रीका के सभी देशों के छात्र सांख्यिकी पढ़ने आते हैं। प्रो. महलनोबेस कहा करते थे कि विदेशों में जाने के बजाय, हमारी संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि विदशों से लोग यहां पर आने में गौरव महसूस करें, अध्ययन करें और इस संस्था में अनुसंधान करें। उनकी कल्पना थी कि यह संस्था ऐसी बने। योजना तैयार करने की अवधि में और दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान अनेक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति यहां आते रहे हैं। पूरे विश्व के अर्थ शास्त्री जिन्हें

बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिले, वह भारतीय संस्थान और प्रो. महलनोबेस की मसौदा योजना का मसौदा तैयार करने में मदद करने के लिये यहां आये थे। उसमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रो. महलनोबेस का दृष्टिकोण यह रहा था कि वहां पर वही पाठ्यक्रम और विषय पढ़ाए जाएं जिनमें सांख्यिकी का योगदान संभव हों। इसका तात्पर्य यह था कि जब कि कोई व्यक्ति एक विषय में पारंगत न हो उसको इस बात की जानकारी नहीं हो सकती कि सिद्धान्त तथा व्यवहार में सांख्यिकी का उपयोग कहां करना है।

इसलिये आरम्भ से ही देश में भी इस बात पर विरोध था कि क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में ये सभी विषय पढ़ाये जायेंगे जो विश्वविद्यालय समझा जाता है, यह पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय नहीं है। वहां पर भौतिकी विभाग था। गणित विषय तो सांख्यिकी का मूल है और इसलिये वहां गणित विषय का सुदृढ़ विभाग है। मंत्री महोदय को भी इस बात की जानकारी होगी। मैंने उस समय भी इसका उल्लेख किया था वह इन मामलों में बहुत विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। एक पहला सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पत्रिका थी 'बायोमेट्रिका' जिसका अर्थ है प्राणिविज्ञान में सांख्यिकी को लागू करना, और वहां पर प्राणिविज्ञान विभाग भी है, भौतिकी और रसायन विभागों के अतिरिक्त वहां पर समाज विज्ञान विभाग भी है, अर्थशास्त्र विभाग भी है और कम्प्यूटर विज्ञान विभाग भी है। निःसंदेह सब को मिलाने वाला विषय है। इसमें दी जाने वाली डिग्री एम. स्टेट जो एम.एस.सी. या बी.एस.सी. की तरह नहीं।

महोदय, आप मुझे ये बातें कहने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि आप चाहे तो मैं यही बन्द कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप नाराज मत हो। यही मेरा अनुरोध है। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं जानता हूं कि समय की बाध्यता की कठिनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि 3.30. म.प. से पूर्व हमें इस कार्य को पूरा करना है। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं। मेरा विनम्र निवेदन है हम सब संक्षेप में बोलें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह ठीक बात है। परन्तु आप मुझे ये बातें कहने की अनुमति दें। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये एक घण्टे का समय दिया गया है और आप इसे आधे घण्टे में ही पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम विचार गोष्ठी करें तो हमें बोलने के लिए अधिक समय मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है, महोदय मैं अध्यक्ष पीठ के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा।

मैं सभा का ध्यान एक जानकारी की ओर दिलाना चाहूंगा कि वहीं पर भूगर्भ शास्त्र विभाग भी है और वह भूगर्भ शास्त्र विभाग देश में डाइनासौर के कंकाल का पता लगाने वाला पहला विभाग है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक बड़े कमरे में यह है। भारत में पहली बाडाइनोसौर के भाग एकत्र किये गये हैं और यह खुदाई कार्य कर आन्ध्र प्रदेश से मिले हैं इस संस्थान में अनेक काम पहले हुए हैं।

इस बात का उल्लेख करने का मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान बहुविधि और बहुपक्षीय दृष्टिकोण है। प्रो. जे. बी.एस. हालडन उड़ीसा जाने से पूर्व एक समय, वहां पढ़ाते थे वे स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाते थे। उनका स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाने का अद्वितीय तरीका था। वह प्रथम वर्ष विशेष के ही छात्रों को सुबह से शाम तक पढ़ाते थे। वह समेकित विज्ञान पढ़ाते थो वह भौतिकी, रसायन या गणित को अलग-अलग नहीं पढ़ाते थे वह किसी वर्ष विशेष के छात्रों को सुबह से शाम तक पूरा विज्ञान पढ़ाते थे, दूसरे दिन किसी दूसरे वर्ष के छात्रों को पढ़ाते थे वह इस प्रकार पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहते थे। इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता परन्तु यह एक अद्वितीय तरीका था, जो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में अपनाया जाता था।

प्रसंगवश जो बात मुझे भ्रमित करती है वह यह है कि हम पढ़ाते थे, वहां मात्रात्मक अर्थशास्त्र, भौतिक गणित के पाठ्यक्रम पहले से थे। इस संशोधन में केवल इतना लिखा है कि सांख्यिकी शब्द के स्थान पर 'मात्रात्मक अर्थशास्त्र और कम्प्यूटर विज्ञान' आदि शब्दों जोड़ दिये जाये।

ये सब पाठ्यक्रम वहां पहले से है, इन विषयों पर शोध कार्य भी चल रहा है। मैं मंत्री महोदय को बता रहा था कि भारतीय आर्थिक सेवा में भारतीय साख्यिकी संस्थान के छात्र अधिक आते हैं। जिन्होंने एम. स्टेट डिग्री प्राप्त की होती है और मात्रात्मक अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त की होती है । अतः इस संशोधन का आशय क्या है। ये सारे विषय वहां पर मौजूद हैं। मैंने वहां के लोगों से सम्पर्क किया था। उन्होंने कहा इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसमें स्पष्टता नहीं है। क्या इस से भविष्य में डिग्री का नाम बदल दिया जायेगा फिर इस विस्तार से क्या अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यद्यपि मैं अधिक समय तक बोलना चाहता हूं, परन्तु मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान से सम्बन्धित दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं एक बात यह है कि विकास के दौरान कर्मचारियों को भुगतान की स्थिति कुछ विचित्र हो गयी है, आरम्भ में प्रो. महलनोबेस इस वेतन मानों से सहमत नहीं थे। बाद में जब वेतन मान लागू किये गये तब वेतनमानों का ढांचा कुछ विचित्र था और केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के ढांचे से भिन्न था। वहां संघर्ष चल रहा है वहां पर कौंसिल में सरकारी प्रतिनिधि इस बात पर जोर देते हैं कि केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के अनुरूप

वेतन लें, परन्तु वहां के कर्मचारी इसका विरोध करते हैं और वे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अपने वेतनमानों की अलग पहचान बनाये रखना चाहते हैं।

3.17 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरी अनन्यता का उल्लेख करना चाहता हूं, जो कर्मचारियों की देन है। कर्मचारियों का केवल एक ही संगठन है जिसमें निदेशक को छोड़कर शेष कर्मचारी हैं। सर्वोच्च वैज्ञानिक से लेकर न्यूनतम वेतन पाने वाला कर्मचारी तक संगठन के सदस्य हैं उनकी परिलब्धियों व सेवा शर्तों के मामले में हस्तक्षेप करने हेतु इन सभी लोगों का यह प्रवक्ता है। इस लिये में मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नये वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वहां के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जिससे उनकी अनन्यता बनी रहे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हाल ही में वहां गया था, जो प्रसन्नतावश मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां 10 प्रतिशत कटौती है मैं वित्त मंत्री से भी मिला था। वित्त मंत्री का कहना है कि शोध संस्थाओं में 10 प्रतिशत की कटौती का सूत्र लागू नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि योजना मंत्री इस बात को स्मरण रखें, क्योंकि यदि हम को प्रगति करनी है तो अन्य क्षेत्रों में विकास और अनुसंधान तथा ऐसे क्षेत्रों में अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान का ग्रंथालय पूरे विश्व में सर्वोत्तम है। इसमें सांख्यिकी सामग्री ही एकत्र नहीं की गयी, अपितु इससे सम्बन्धित संसदीय वाद-विवाद और संस्थान से सम्बन्धित अन्य सामग्री भी उपलब्ध है। इस ग्रंथालय में बहुत पुस्तकें हैं और सप्ताह में 6 दिन खुला रहता है। उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं आती हैं, परन्तु अब वे दुविधा में हैं। क्योंकि धनराशि में कटौती की जा रही है। इन संशोधनों को स्वीकार करते हुए मैं चाहूंगा कि योजना मंत्री आश्वासन दें कि संस्थान ग्रंथालय के लिये पत्र पत्रिकाओं की खरीद में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

महोदय, अन्त में मैं वहां के कर्मचारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि और यह मेरा कर्त्तव्य भी है। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी दिशाओं में उपलब्धियों का पहले वाला स्तर है या उसी स्तर के प्रयास जारी हैं। सांख्यिकी संस्थान केवल कलकत्ता में ही नहीं है जहां उसका मुख्यालय है। परन्तु, दिल्ली में भी इसका एक सुदृढ़ विभाग है, जो वित्त मंत्रालय से निरन्तर बातचीत करता रहता है। इसी प्रकार बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद और केरल में भी उसकी इकाइयां हैं। सभी इकाइयों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। हमें ससंद से भी इन सभी इकाइयों से अपील करनी चाहिए कि जो कम से कम उतना करे जितना वे अतीत में करते रहे हैं सांख्यिकीय संस्थान को यहां से कम अपील की जानी चाहिए, जिससे देश और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में से संस्थान उन्नति के शिखर पर पहुंच सके।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मानीय सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक,1995 का स्वागत करना चाहूंगा, चूंकि जिस रफ्तार से देश और दुनिया में कंप्यूटर विज्ञान की महत्ता बढ़ रही है, उसमें हमारे विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि कलकत्ता में जो आई.एस.आई. का इंस्टीट्यूट है। इसकी बड़ी ही महत्ता है और पूरे देश के पैमाने पर यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिसमें सांख्यिकी की पढाई होती रही है। यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, जिसमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 4 में "सांख्यिकी" शब्द के स्थान पर "सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषय" शब्द रखे जाएंगे। इनको रखने की यहां बहुत दिनों से मांग की जाती रही है। इसकी मांग को देखते हुए यह संशोधन बिल लाया गया है। इसमें इन चीजों को जोड़ने से देश के और विदेश से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाया जा सकेगा।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि निश्चित तौर पर आप इस संस्था को व्यापक बनाना चाहते हैं, इस व्यापक संस्था में हर देश के हर वर्ग की भागीदारी हों, इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर इस देश में गरीब तबके के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं जिनको निश्चित रूप से विशेष अवसर मिलने चाहिए। अभी इस संस्थान में उन गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को एडमिशन में नामांकन कराने के लिए विशेष अवसर प्रदान नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन होगा कि कि इस विधेयक में यह भी संशोधन करने का काम करें कि जो गरीब तबके के और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका नामांकन हो सके और उनको विशेष अवसर मिले। यही नहीं जो वहां पिछड़े वर्ग के लोग मेरिट पर आते हैं, उनके लिए स्टाइपेंड भी होना चाहिए। उनको आर्थिक मदद देने की जरूरत है।

फ्रीशिप की जरूरत है, जिससे गरीब और पिछड़े तबके के विद्यार्थी आसानी से इसमें पढ़ सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमें यह भी जानकारी है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में व्यापक पैमाने पर दाखिलों में धांधली होती है, जिसको रोकना आवश्यक है। फेअर एग्जामिनेशस हो, मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों को नामांकन की सुविधा मिले, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे ओ.बी.सी के लोगों को आरक्षण मिले, स्टाइपेंड और फ्रीशिप की व्यवस्था हो, ताकि पिछड़े तबके के विद्यार्थी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें, कंप्यूटर के क्षेत्र में इनका भी एनवाल्वमेंट हो सके, ये देश के निर्माण में सहयोग दे सकें, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक ऐसा है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, बल्कि मैं यह कहूंगा कि इसको लाने में विलम्ब किया गया है। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का प्रतिष्ठा जनक संस्थान है। मुझे खेद से कहना पड़ा रहा है कि इस संस्थान का बदलते समय के साथ अधिक गति से विकास नहीं हुआ और इसीलिये मैंने कहा है कि इसको लाने में विलम्ब किया गया है।

इस विधेयक में कुछ नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है, परन्तु इसमें एक भ्रम है, जिसके बारे में मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं गणित शास्त्र, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है। यह कहा जा रहा है कि जब कभी संस्थान इन नये पाठ्क्रमों को आरंभ करना चाहेगा, जिसका अब निर्णय हो चुका है, यह संस्थान के अपने सीमित संसाधनों से होगा। नये पाठ्यक्रम चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह बात असंगत प्रतीत होती है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि यदि आवश्यक हो तो इस संस्थान को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अब मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। जैसाकि देखा गया है वहां प्रबन्ध का स्तर गिरा है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

इस अवसर पर हमको महलनोबेस को श्रद्धाजंलि देनी चाहिए। उनकी जन्मशताब्दी अभी पूरी हुई है। यह उचित ही होगा कि प्रो. महलनोबेस के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाय। प्रो. महलनोबेस इस बात के विरुद्ध थे कि संस्थान का नाम उनके नाम रखा जाये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की बात बिल्कुल अलग है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और योजना प्रक्रिया में इसका अपना उपयोग है। यह संस्थान मुख्यतः बंगलौर में है और एक या दो अन्य केन्द्र हैं। इस संस्थान की एक शाखा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

3.30 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

सभापति महोदय : अब इस गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेंगे–गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन को स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव।

श्री संतराम सिंगला (पटियाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 9 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है बशर्ते कि संकल्पों के लिये समय के आवेदन के बारे में उसके पैरा 6 और पैरा 7 के भाग (तीन) का लोप कर दिया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 अगस्त 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है बशर्ते कि संकल्पों के लिये समय के आवंटन के बारे में उसके पैरा 6 और पैरा 7 के भाग (3) का लोप कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित

सभापति महोदय : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री के. राममूर्ति – उपस्थित नहीं।

श्री मंगल राम प्रेमी – उपस्थित नहीं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति – उपस्थित नहीं।

श्री सुल्तान सलाउददीन ओवेसी – उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह –

3.31. म.प.

शासकीय गुप्त बात (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 16 का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17 अगस्त, 1995 में प्रकाशित

"कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

3.31½ म.प.

संविधान संशोधन विधेयक*

(अनुच्छेद 44 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पी.जे. कुरियन – उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह –

3.32 म.प.

रेल (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 137 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थपित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17 अगस्त, 1995 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32½ म.प.

अनिवार्य शिक्षा विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि समूचे देश के सभी बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समूचे देश के सभी बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने और तत्ससंबंधी मामलों के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ●

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म.प.

राष्ट्रीय महिला आयोग (संशोधन) विधेयक

(धारा 10 का संशोधन)

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं " कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33½ म.प.

भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छात्रों को उच्चतर अध्ययन करने के लिये ऋण देने की व्यवस्था हेतु एक बैंक स्थापित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17 अगस्त, 1995 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छात्रों को उच्चतर अध्ययन करने के लिये ऋण देने की व्यवस्था हेतु एक बैंक स्थापित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म.प.

संविधान संशोधन विधेयक*

(अनुच्छेद 164 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34½ म.प.

सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17 अगस्त, 1995 में प्रकाशित

3.35 म.प.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1 आदि में संशोधन)

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मंगलराम प्रेमी : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

3.36 म.प.

संविधान संशोधन विधेयक*

(नये अनुच्छेद 330 क और 330 ख, आदि का अंतःस्थापन)

सभापति महोदय : अब 19 मई, 1995 को श्री के.पी. रेड्डय्या द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव — उपस्थित नहीं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव में लोक सभा और विधान सभा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण किये जाने की व्यवस्था है। मैं आज पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आरक्षण की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि सत्ताधारी पार्टी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें आज ऐसा प्रस्ताव लाना पड़ा।

यह जानते हुए ये खुद इस बात को सोचें।

1952 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और चुनाव प्रणाली उस वक्त से शुरू हुई थी। विधान सभा, लोकसभा में लोग आए थे, उस वक्त सही ढंग से ये लोग आरक्षण पर काम करते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। यह ठीक नहीं कि बार-बार जात-पात की

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17 अगस्त, 1995 में प्रकाशित

बात की जाए, लेकिन उच्च वर्ग के लोग उस वक्त कितनी तादाद में थे। जब इन लोगों की तादाद में कमी आई तो आरक्षण की जरूरत हुई। अगर उस वक्त हम क्वांटिटी की राजनीति नहीं करते और क्वालिटी की राजनीति करते तो आज हमें इस आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्वांटिटी की राजनीति की गई कि हमारी जाति के लोग कितने हैं। अगर क्वालिटी की बात होती, विधान सभा, लोक सभा में होता तो हम नहीं समझते कि आरक्षण की आवश्यकता पड़ती। लेकिन आज आरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आप आरक्षण दें या नहीं दें, उन लोगों की समझदारी है कि वे ले ही रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से वे अपना हक प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर आरक्षण लोग चाहते हैं।...(व्यवधान) आज यह उनकी सोच बनी है कि आरक्षण लेना है। हम तो सारा दोष सत्ताधारी दल को ही देंगे कि जितनी भी बीमारियां पैदा की हैं आपने की है। आप सत्ता में रहते हुए यही काम करते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे।

यह जो बिल लाए हैं इसका हम समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि अभी इस तरह की बात लाने के लिए जरूरत है। इसमें क्या है? बैकवर्ड-फारवर्ड की बात चलती है। आरक्षण के द्वारा हम लोग लोक सभा या विधान सभा में आते हैं, तो हम उन गरीबों की बात उठाएंगे, उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिनकी तरफ से हम आते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? यह बात नहीं है कि मजदूर के बेटे यहां नहीं आए हैं, वे भी आए हैं ऐसे लोग सत्ता मे भी हैं, लेकिन जब मजदूर विरोधी बात सरकार की तरफ से उठती थी तो उनकी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कोई भी सरकार एक नीति पर चलती है और वे सरकार की नीति का समर्थन करते थे।

यह सरकार कहती है कि वह गरीबों की मसीहा है और इसने गरीबों की काफी मदद की है। सभापति महोदय, आपको याद होगा, 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि गरीबों की झोपड़ी में इंदिरा गांधी का फोटो लगा हुआ रहता था। लोगों ने काफी उत्साह से उनको वोट दिया और जिसका परिणाम अच्छा निकला कि 1971 में उन्होनें कुछ काम शुरू किया। वैसे तो 1969 से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, उनके काम की प्रशंसा करने से हम नहीं चूकेंगे। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया, प्रिवीपर्स को खत्म किया। बैंकों का राष्ट्रीकरण होने के बाद बैंक गांवों में गए और जिसके पास जमीन नहीं थी, उनको भी बैंकों ने ऋण दिए। लेकिन उनके साथ जो शक्ति काम कर रही थी। उसने दबाव डाला और वे मुकर गईं। जब वे पावर में आईं तो यह कहने लगीं कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको घुमा देंगे और गरीबी मिट जाएगी। कांग्रेस की जो नीति थी उसी नीति के आधार पर इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूं कि आरक्षण की जरूरत है और पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलेगा तभी उनको अपना हक मिलेगा। हम समझते हैं कि इस बात को सरकार को मान लेना चाहिए और सरकार को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार अपने जवाब में क्या कहेगी यह तो सरकार जाने, लेकिन सरकार को इसके मानने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हर चीज में आरक्षण हो गया तो फिर इसमें होने में क्या दिक्कत है? यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त चुलतानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं श्री के.पी. रेड्डय्या यादव का आभारी हूं, जिन्होंने सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। जहां तक देश का ताल्लुक है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आगे लाने के लिये सरकारी सेवाओं में क्रमशः 15 परसेंट और साढ़े सात परसेंट का कोटा रिजर्व कर दिया है। यह कोटा लैजिस्लेटिव असैम्बलियों में और पार्लियामेंट में भी है लेकिन राज्य सभा में इस तरह का कोटा रिजर्व नहीं किया गया है, यदि राज्य सभा में इन जातियों के लोगों की तादाद देखी जाये तो शून्य के बराबर होती जा रही है।

जब बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन देने की बात सामने आयी तो हमारी सरकार ने उनके लिये नौकरियों में आरक्षण देने के लिये एक बिल सदन में लाया जिसे एकमत से यहां सबने पास किया। उसके जरिये अब बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिये भी 50 परसेंट तक रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि कालांतर में लैजिस्लेटिव असैम्बलीज में भी बैकवर्ड क्लासेज के लिये स्थान रिजर्व होने चाहिये, क्योंकि आज गांवों में उनकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। पहले वे अपने बच्चों को एजूकेशन भी नहीं दे पाते थे लेकिन सरकार ने सोचा कि ये गरीब आदमी पीछे न रहें इसलिये उनके लिये स्थान रिजर्व किये गये, जिसमें सभी पार्टियों का सहयोग हमें मिला। कुछ लोग इसे राजनैतिक पहलू से देखते है। लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें आगे लाया जाये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने बैकवर्ड जातियों की जो लिस्ट बनाई हैं, उसमे कुछ गलतियां है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की भी एक लिस्ट बनाई है, चूंकि मैं गांव से आता हूं, ग्रामीण आबादी से चुनकर आता हूं, यहां हम लोग अनेक डिस्कशन्स में भाग लेते हैं लेकिन जब हम कोई बात यहां करते हैं तो उसे मामूली तौर पर नोट कर लिया जाता है। परन्तु उस पर अमल जीरो के बराबर होता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश का इलाका है जो मेरे संसदीय क्षेत्र से लगता है, एक तरफ देहरादून का क्षेत्र है और ऊपर की तरफ टिहरी गढ़वाल का इलाका है, वहां के लोगों की रिश्तेदारी हमारे क्षेत्र में काफी है। उत्तर प्रदेश में वे लोग ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश में उनकी जाति ट्राइब नहीं मानी गयी है। हमारे यहां डोडरा क्वार, रोहड़ू, पांवटा साहब, ट्रांसगिरि और सिरमौर जिले में शिलाई तथा राजगढ़ जैसे कई इलाके हैं, जहां

रहने वाली अनेक जातियां अभी तक ट्राइब नहीं मानी जातीं, जबकि उत्तर प्रदेश में वे जातियां अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हैं और उनके अनेक रिश्तेदार हमारे क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों ने एक हाटी सभा बनाई है, जो आजकल एजीटेशन कर रही है कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाये।

जब भी इस काम के लिये सर्वेक्षण होता है, तो सर्वेक्षणकर्ताओं ने ऐसा तरीका बना रखा है कि जब वे देखते हैं कि कोई इलाका ऊंची पहाड़ी पर स्थित पर है, तो वे उस इलाके में नहीं जाते और नीचे कहीं से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ऊपर पहाड़ी पर कितनी पॉपूलेशन है, कितनी आबादी रहती है और जितनी संख्या उन्हें बताई जाती है वे नोट कर लेते हैं। चूंकि पहाड़ी इलाकों में बड़ी प्रौब्लम हैं, वहां बर्फ पड़ती है, इसलिये ठीक स्टैटिटिक्स न लेकर, जिस जाति के बारे में वे जानकारी प्राप्त करने जाते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाती।

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि केसरी जी ने और तंगकाबालू जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन का काम किया है। इस प्रकार से एक काम खत्म हो गया है। अब दूसरा काम शुरू होना चाहिए। जिस तरह से फीगर्स बताई जाती है। सारे देश के अंदर, बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मायनारिटी के इस देश में 80 प्रतिशत लोग हैं। ईसाइयों के लिए भी इस देश में आरक्षण हैं हमारे यहां लोक सभा में दो सदस्य नामिनेट होकर आते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या उधर वालों की सरकार हो। इसलिए हम यह कहते हैं कि बैकवर्ड लोगों के साथ जो आज तक हुआ है उसको हमें विचाराधीन रखना चाहिए और चाहे वह विधान सभा हो, या संसद हो या पंचायत हो या जिला परिषद हो, सभी जगह इनके लिए आरक्षण होना चाहिए।

जिस प्रकार पंचायतों में महिलाओं का तीस प्रतिशत आरक्षण है उसी प्रकार से जो बैकवर्ड हैं, जिनकी सूची भारत सरकार ने छपी है, उसमें बहुत सी बिरादरियां हैं जिनको इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है और बहुत सारे लोग अभी ऐसे रह गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नही है कि हमारी सरकार ने इस काम को करने में कोई कमी की है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस काम को कर रही है। और हमारी सरकार ने इस काम को करने के लिए जो पग उठाए हैं, वे किसी दूसरी सरकार ने नहीं उठाए।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने ठीक ही कहा कि काम को इंदिरा जी ने शुरू किया और हमने भी इस काम को छोड़ा नहीं है। हमने इस काम को जारी रखा है। हम इस काम को कर रहे हैं। बैंकों का नैशनलाइजेशन किया गया और जो सुविधाएं प्राप्त होनी थीं वे प्राप्त हुई हैं और जो टारगेट बैंकों को दिए गए थे, वे अपने टारगेट अचीव कर रही हैं परन्तु आज जिस तरह से ये लोग देश को ले जाने का काम करना चाहते हैं, उस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है यहां तो कई तरह के ड्राइवर हैं। वे अलग-अलग दिशा में एक ही गाड़ी को ले जाना चाहते हैं और परिणाम जीरो हो जाता है।

सभापति महोदय, हम यहां रोजाना आकर प्रातः देखते हैं लोग शोर मचाते हैं और जब बैकवर्ड की बात आती है तो चुप हो जाते हैं । इस तरह से मैं समझता हूं कि जो आप कहते हैं कि ये कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग आपस में नहीं लड़ते और हम देश के गरीबों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं और इस प्रकार से देश को चलाते हैं। हमारे लीडर ने पूरे पांच साल देश को चलाया। आप तो एक तिहाई संख्या में रहे फिर भी सरकार को पूरी तरह से नहीं चला सके। इसका कारण यह है कि इस देश के लोग समझते हैं कि इस देश में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए वह सारे गांवों तक नहीं पहुंच सकती है, सिर्फ कांग्रेस ही पहुंच सकती है।

सभापति महोदय, कम्युनिस्टों का अलग रास्ता है, उनका समाजवादी रास्ता है और भारतीय जनता पार्टी वालों का मंदिर बनाने का रास्ता है और कई दूसरी पार्टियों के कई अलग-अलग रास्ते हैं तो जो कई रास्तों के मुसाफिर हैं, ये पता नहीं इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इस देश को आजादी दिलाई और आजादी और आजादी के बाद भी इस देश की पूरी सेवा की । लेकिन जो अच्छा काम होता है, उसमें भी ये लोग कांग्रेस को ही दोषी ठहराते हैं। चाहे किसी भी राज्य में कोई घटना हो जाए, भले ही वहां भारतीय जनता पार्टी का राज हो या शिव सेना का, लेकिन दोषी कांग्रेस को ही ठहराया जाता है। इस बात को आप भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश कांग्रेस की रहनुमाई में और हमारे नेता नरसिंहराव की रहनुमाई में ही आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, हमारे पास जो धन की कमी थी, देश गुरबत की तरफ जा रहा था। आज वहां फॉरन करेंसी के बड़े भण्डार हैं अगर यह कहा जाये तो दूसरे इससे तड़फेंगे कि आप यह क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस वालों की तरफ से कुछ कहा जाये तो वह उनके मन में घुस जायेगा और अगर उनकी तरफ से हमारे खिलाफ कुछ कहा जाता है तो उसे हम बहुत शांतिपूर्वक और प्यार से सुनते हैं हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए आये हैं हमें यह देखना है। कि बैकवर्ड की समस्या क्या है। शैडयूल्ड कास्टस के लोग भी आज अमीर हो गये हैं। मैं भी शैडयूल्ड कास्टस से संबंधित हूं। आज वे बहुत अमीर हो गये हैं लेकिन जो गरीब आदमी है, उनकी सेवा हम करते हैं या नहीं कर पाये हैं? क्या कोई ऐसा इशारा है कि हमारा जो रिजर्व कोटा है, वह उसी को कन्टीन्यू करता जाये। उसी हलके को रिजर्व किया जाये। पहले जो हलका था, वह ज्वाइंट ही कहा जाता था। उसमें कास्ट का सवाल नहीं था। कांग्रेस ने कास्टटिज्म का कोई नारा नहीं दिया। उसके विधान और संविधान में साफ कहा गया हैं कि उसमें मोहम्मडन भी प्रेजीडैंट होंगे, हरिजन भी प्रेजीडैंट होंगे व दूसरी बिरादरी के लोग भी प्रेजीडैंट होंगे। अंग्रेज लोग भी कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे हैं। आज इतने साल हो गया

है। अगर इस तरह का माहौल होता तो कांग्रेस की छत्रछाया में ये देश आगे न बढ़ पाता। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी व इंदिरा जी जैसे नेताओं ने इस देश के लिए कुरबानियां दी हैं। यदि देखा जाये तो यह सारी कुरबानियां आज हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं।

आज जो रिजर्व करने और समाजवाद लाने की बात है, वे सब कदम कांग्रेस ने उठाये हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी बैकवर्ड ये सब सुविधायें लेने में महरूम रह गये हैं, उनका यह अधिकार बनता है। मैं श्री रेड्डय्या यादव जी को धन्यावाद करता हूं जोकि यह प्रस्ताव लाये हैं। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में, असेम्बली में जो रिजर्व कोटा है, वह पूरा होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि पंचायत और जिला परिषद में भी होना चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि वह विचार करेगी और उनको आश्वस्त करती है तो इनको अपना प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए। हमारा मतलब यह है कि हमारी आवाज, इस सदन की आवाज सारे देश में जाये। हमारी नौकरियों में जहां कमी है, लेजीस्लेटिव असेम्बली में कमी है, हमारी पार्लियामेंट में कमी है, हमारे जजों में हमारे सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहां बैकवर्ड या अनुसूचित जाति-जनजाति की कमी है, जो रिजर्व कोटा है, वह पूरा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए समयबद्ध प्रोग्राम होना चाहिए।

सभापति जी, यदि समयबद्ध प्रोग्राम होगा तो इस देश का कल्याण हो सकेगा। अगर हम लोग तमाशाई बन गये। जैसा आजकल हो रहा है कि मायावती जी यह कह देंगी, वह कर देंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़े नारे दिये थे। उन्होंने कहा था कि तकड़ी और तराजू, उनको मारो जूते चार। जब उनसे किसी प्रेस वाले ने इंटरव्यू लेते समय पूछा तो उन्होंने यह कह दिया कि मैंने तो यह नहीं कहा और यहां तक कि इस राष्ट्र के अंदर महात्मा जी के ऊपर कहा गया कि जब मैं महात्मा गांधी के ऊपर कहती थी तो मुझे एक लाख रुपये मिलते हैं, जबकि पहले पांच हजार मिलते थे। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर अगर कोई दरार पैदा करना चाहता है, बदहाली पैदा करना चाहता है तो ऐसी सरकार में जो लोग हैं, जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है इस देश के लोगों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाने के लिए, बैकवर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, हरिजन को, आदिवासियों को व सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और उस का नतीजा यह हुआ कि उनको ही बुरा-भला कहा जाये तो मैं नहीं समझता कि वे लोग कैसे इस देश का शासन चलायेंगे। इस देश के लोगों में लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश करें, यह गलत है। मुझे खुशी है कि आप यह प्रस्ताव लाये हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इसको अगर सही मूल रूप में देना है, पहाड़ों में जो क्षेत्र हैं, जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आना चाहते हैं जैसे आराकोट है, देहरादून से ऊपर जो इलाके हैं, जहां से हमारे खण्डूरी जी आते हैं, उसके ऊपर जितने भी इलाके हैं, वे सब अनुसूचित जाति-जनजाति के क्षेत्र हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया है, उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये उसके साथ-साथ जो बैकवर्ड हैं, उनकी पूरी रक्षा की जानी चाहिए।

4.00 म.प.

बैंकों में जो बैकलॉग हैं, रेलवे में जो बैकलॉग हैं, उसे पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह से ही हम इस देश के पिछड़े लोगों को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस वाले गरीबों के लिए हमेशा सोचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजयलाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, श्री रड्डैया यादव जो यह बिल लाए हैं, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। यह बात बहुत दिनों से चल रही है और इसे सब लोग मानते भी हैं जब देश के गावों की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। मैं समझता हूं कि पार्लियामैंट में पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व सही रूप में नहीं रहा, इसलिए गांवों का विकास नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा लोहार टाटा हो गया है खेती में भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों का दखल हो गया है। असैम्बली और पार्लियामैंट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन हो, यह सही है। मेरा तो विचार है कि उनके लिए राज्य सभा और विधान परिषद में भी आरक्षण होना चाहिए। यदि पार्लियामैंट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया जायेगा तो अधिक से अधिक पिछड़े लोग जीतकर आ सकते हैं।

1950 में जो संविधान बना था, उसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो रिजर्वेशन था, लेकिन पिछड़े लोगों के लिए नहीं था, बाद में पिछड़े लोगों के लिए भी रिजर्वेशन किया गया। देर आयद दुरुस्त आयद। पहले पंचायत में भी उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था लेकिन अब जो एक्ट बना है, उसमें पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण किया गया है।

यह जो गैर सरकारी विधेयक आया है, असैम्बली और पार्लियामैंट में रिजर्वेशन हो, यह मान लेना चाहिए तभी सही मायने में सच्चा स्वराज होगा। आदमी दो तरह से अमीर और गरीब होता है। एक धन से गरीब होता है। एक मन से गरीब होता है। पिछड़े वर्ग के लोग धन और मन दोनों से गरीब हैं।

उनको मन से अमीर बनाने के लिए उनका असेम्बली और पार्लियामैंट में आना जरूरी है। जो दूसरे लोग हैं, उन पर भी ...(**व्यवधान**) जब वह मन से अमीर हो जायेगा, तब तो धन खुद खोज लेगा। भूख लग जाती है तो रोटी लोग कहीं से भी खोजकर खा लेते हैं, तो जब मन से अमीर हो जायेगा तो धन से अमीर हो जायेगा और उससे देश की खुशहाली होगी। जैसा महात्मा गांधी कहते थे कि हिन्दुस्तान की खुशहाली गांवों से होगी, खेतों और खलिहानों से होगी, कल-कारखानों से होगी उस पर उनका कब्जा

हो जायेगा, जब असेम्बली और पार्लियामेंट में उनका कब्जा हो जायेगा तो फिर उनका देश के धन दौलत और मान सम्मान पर कब्जा हो जायेगा। हम लोग आजादी की लड़ाई के समय में गरीबों के लिए गाते थे और कहते थे कि :

"इलाही दिन भी आयेगा, जब अपना राज देखेंगे,

वह अपनी ही जमीं होगी, वह अपना आसमां होगा।"

जब असेम्बली और पार्लियामेंट पर उनका दखल हो जायेगा तो उस तरह का राज बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति जी, बड़ी लड़ाई के बाद हमारे देश में पिछड़ी जाति के लोगों को अभी नौकरी में रिजर्वेशन मिलने की व्यवस्था हुई है। जो व्यवस्था हुई है, वह भी ठीक नहीं हुई है। किसी कारण से 50 परसेंट आरक्षण क्यों रखा गया, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। यह सुप्रीम कोर्ट कौन है?

संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अधिकतम 50 परसेंट आरक्षण रहेगा। इससे क्या समझा जाता है कि यह सत्ता और यह व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में है। यह जो चाहते है, वैसा कर लेते हैं और अपने फायदे के लिए कर लेते हैं।

आज रिजर्वेशन की मांग क्यों है? जब हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले संविधान बनाया था तो उसमें आदिवासी और हरिजन, आजकल हरिजन शब्द कहने से लोग थोड़ा इंकार करते हैं, अब उनको अनार्य लोग भी कहिये तो अनार्य लोगों के लिए भी हो गया है, इंग्लिश में उन्होंने इनके लिए कुछ शैड्यूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब शब्द लिखा है, लेकिन सचमुच तो हम लोग अनार्य हैं। आर्य लोगों के आने के बाद तो हम लोग अनार्य थे, आदिवासी और ग्राण्ड लोग थे, द्राविड़ लोग थे, वह रियल इण्डियन थे, लेकिन कई हजार साल से इस देश के अन्दर कुछ ऐसा चल रहा है कि तरह-तरह की व्यवस्था इस देश के अन्दर आई। बाद में गणतंत्र भी हमारे देश में आ गया। इसलिए कुछ सुविधा देने के लिए उसी वक्त कोशिश की गई तो उस वक्त कुछ प्रावधान रखा गया कि यह जो आदिवासी और हरिजन हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाय। फिर भी संविधान में यह लिखा गया था कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए भी यह रखना चाहिए, लेकिन यह नहीं हुआ था। इसके लिए बड़ी लड़ाई हुई। एक पवित्र आदमी श्री वी.पी. सिंह ने जिस लड़ाई की शुरुआत की है, इससे कम से कम शुरुआत तो हुई, लेकिन वह उसको नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये, क्योंकि यह थोड़ी जल्दबाजी में हो गया। उसके साथ कुछ काम का जो तरीका है, वह उनको नहीं करने दिया गया और कुछ लोगों ने स्टेट के अन्दर उनको समर्थन नहीं दिया कि किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।

फिर आखिर में वही कांग्रेस के हाथों हैं। यह अच्छा हुआ, आज यह व्यवस्था में लग गई हैं और जो भी कुछ कमी खामी रही हैं, उस वक्त जो कानून आया था कि आखिर तक सर्विस में रिजर्वेशन रहना चाहिए तो वह शब्द अभी वहां नहीं लिखा गया, उसको फिर कभी जरूरत पड़ेगी, ऐसा दावा आयेगा तो फिर कभी आयेगा, किन्तु ऐसी जरूरत होती है।

हमारे देश में जाति-पांति है। कोई कहता है कि हम जाति-पांति तोड़ेंगे, तो जो जाति-पांति तोड़ने की बात कहते हैं, यही जाति-पांति की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसकी सृष्टि की है और उनको यह लोग बचाकर रखना चाहते हैं। अगर यह होता तो मेरे ख्याल से हमारा देश इतना पीछे नहीं रहता । जिस देश में जाति-पाति नहीं है, वह देश बहुत आगे है और उनसे सब कुछ हम लोग मांगते हैं, उनसे हम सब चीजें बोरो कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, तकनीकी हो, टैक्नोलोजी हो।

कुछ भी हो, जितनी चीजें हम लोग इधर ला रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाये। लेकिन जहां-जहां जात-पांत नहीं हैं वहां यह सब हो गया है। जात-पांत को तोड़ने की बात जो लोग करते हैं, वे भी इसको तोड़ते हैं। सर्विस में थोड़ा रिजर्वेशन हो गया है। लेकिन वहां भी पूरी तरह नहीं हुआ है। जो लोग कानून बनाते हैं, वे कौन हैं और कौन वहां आता है? हम लोग विचार करें तो देखेंगे कि ये लोग खोज के लिए ज्यादा काम कर लेते हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, खेल खेलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल खिलाते हैं, यही लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं यही लोग चाहते हैं कि कैसे हमारा आदमी वहां रहे। इसलिए मतलब की बात यह है कि वे ऐसी जगहों पर आदमी बिठा देते हैं जहां कानून और संविधान बनता है।

समय के साथ-साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे 1971 में एक बड़ी बात हुई। हमने संविधान के प्रेम्बल में सोशलिज्म शब्द लिख दिया। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में हम दास हैं। अभी भी वैसे ही हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं। हमारे देश में आजादी के पहले जो शोषण होता था जैसे जमीन के बारे में होता था, अब नौकरी में हो रहा है। जो पहले बात थी :

वाणिज्य वस्तो लक्ष्मी तदनम् कृषिकर्माणी

तदनम् राजकर्माणी विद्या नवेचः नवेचः ।

अब राजकर्माणी एक नम्बर पर हो गया है। कृषि, स्वीपर, वणिकता पीछे रह गई है। यही लोग हर जगह अपने लोग भेजते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे संसद में हो, इनका ही बहुमत है। और यही लोग हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। हमने आई.आर.डी.पी. में 86 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। यह पैसा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया गया। मैं जब अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति का चेयरमैन

था, तब मैंने देखा था, अब भी मैं देखता हूं, गांव-गांव हम घूमते थे तो लोगों ने कहा कि आप क्यों इसके पीछे पड़े हैं। हमने कहा कि हमारा जन्म गरीब के घर में हुआ है। मैं कैसे यहां आ गया, यह मुझे भी पता नहीं है। लेकिन यहां मैं पांच बार आ चुका हूं और पच्चीस साल मुझे यहां हो गये हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे गरीब भाई गरीब ही रहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनमें से एक भी आदमी क्या आप दिखा सकते हैं।

[अनुवाद]

यह सहायता पा कर गरीबी की रेखा किसने पार की है? क्या कोई व्यक्ति मुझे इसका परिणाम दिखा सकता है? मैंने देखा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 12 लाख लोग रहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक गांव हैं। मेरे ही गांव में, जो बहुत छोटा है, मैंने देखा है कि यद्यपि केन्द्र सरकार और राज्यों ने दोनों ने लगभग 68000 करोड रुपये खर्च किये हैं, फिर भी किसी व्यक्ति ने गरीबी की रेखा को पार नहीं किया।

[हिन्दी]

ये आंकडे अभी भी मेरे पास हैं। लोग क्यों नहीं ऊपर उठे, क्योंकि शोषण की प्रक्रिया ज्यादा है। यही लोग शहरों में रहते हैं, यही लोग पार्लियामेंट चलाते हैं, कानून बनाते हैं, घर पर घर बनाते जाते हैं और बड़े आदमी कहलाते हैं, सारी चीजें यही एक्वायर कर लेते हैं। हम लोग गांव में खेती का काम करते हैं। सुबह चार बजे हम उठते हैं और उठकर सबसे पहले गाय को देखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। उसके बाद मर्द काम पर जाते हैं तो उनके लिए खाना तैयार होता है। उसके बाद लकड़ी का संग्रह करना होता है, फिर शाक-सब्जी का संग्रह करना होता है, फिर दूध निकालना होता हैं, उसको गर्म करना होता है, फिर धान का इंतजाम करना होता हैं, फिर शाम होते ही गोशाला जाकर देखते हैं।

गाय और बछड़ा हमारा ठीक है या नहीं, सारा दिन काम करके फिर सोते हैं और सुबह उठ कर फिर सारा परिवार काम करने लग जाते हैं। धूप के वक्त में भी हम देखते हैं, वे लोग काम करते रहते हैं। लगता है कि जैसे लाइफ की कोई आवश्यकता नहीं है और वे काम करते रहते हैं। इतना काम करते हैं, तो फिर वे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते है। वे सब को खाना खिलाते हैं, लेकिन गांव में गरीब हैं।

सभापति जी, आपको मालूम है, 95 प्रतिशत लोग लैंडलैस हैं और ये अब से नहीं तब से हैं, जब से इस देश में आर्य लोग आए। आज भी यह स्थिति है कि 90 प्रतिशत शड्यूल्ड कास्ट लैंडलैस हैं धीरे-धीरे वे आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनमें अवेयनैस आ गई है और कुछ पढ़-लिख गए हैं इस वजह से उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है। अभी भी चार-पांच स्टेट जैसे नागालैंड, मिजोरम, इनकी बन गई है और इस वजह से उनकी हालत अच्छी हो गई है एक बात यह भी है कि उनके हाथ में उनका शासन है, उनकी अर्थ नीति है, उनका कानून है। उस राज्य में जाने के लिए अभी भी एक प्रकार से पासपोर्ट की आवश्यकता है। कोई अगर नागालैंड जाएगा तो पासपोर्ट के माफिक परिमट चाहिए। जितने दिन वहां रहेगा और अगर नौकरी करेगा, तो एक परमिट लेकर जाना पड़ेगा यह स्थिति नार्थ-ईस्ट की है। ये लोग लड़ाई करके ले लिए हैं। आदिवासी लोग अभी भी यह समझने लगे हैं कि हम लोग सारा जमीन तैयार किए हैं और हम लोग पहाड़ों पर भी जाते हैं, तो शोषक लोग वहां भी आ जाते हैं और हमें इसी हालत में रखते हैं। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यह एक व्यवस्था की बात है। यह कोई एक आदमी की बात नहीं है, लेकिन यह चीज चल रही है और आज भी चल रही हैं जहां पर कानून बनता है, वह है एसेम्बली और पार्लियामेंट। पंचायती राज में जो डिवेल्युशन आफ पावर की बात है, डायरैक्टिव प्रिसिपर स्टेट पालिसी में अब धीरे-धीरे देने लगे हैं, लेकिन जितना देने के लिए लिखा हुआ है, वह अभी तक नहीं दिया है। पावर देने के लिए कानून बन गया है, लेकिन कुछ राज्य मानता नहीं है ठीक ढंग से करने के लिए और कुछ जो माने हैं, वे कर रहे हैं। कानून में तो बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है। लेकिन आज तक वे नहीं हो पाई है। आज अगर उनके लिए पैंशन की व्यवस्था हो जाती है, आज अगर पढ़े-लिखों के लिए व्यवस्था हो जाती है डिसक्रिमिनेशन नहीं होता है, तो कुछ हो सकता है। लेकिन स्थिति दूसरी है, लोग मानने को तैयार नहीं है। दावा यह हो रहा है कि हमारा यह हक है। जिस प्रकार पैत्रिक सम्पत्ति में कुछ हिस्सा है, शेयर होता है, ऐसे ही सब जगह हमारे लोगों का शेयर होना चाहिए। लेकिन यह जो हमारा हिस्सा है, उसको देने से डिनाई कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह आपके हक में नहीं है। यह सब उपलब्ध कराना है और उपलब्ध कराना संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में इसी ढंग से लिखा गया है, डायरैक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पालिसी में सब को अच्छी तरह से मालूम है वास्तविकता यह है कि जो ज्यादा मेहनत करता है, आज उसको कुछ नहीं मिलता है।

ये लोग आज भी गरीब हैं। आज भी ये लोग भूखे रहते हैं। ये भूखे रह कर मरते हैं लेकिन कोई भी सरकार जब वह बाहर रहती है तब वह बोलती है कि ये लोग भूखे रहते हैं लेकिन जब वे शासन में आ जाते हैं तब कोई भी नहीं मानता है कि ये लोग भूखे रहते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से इनको भूखे मरते देखा है। अभी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन होता है, उसमें दूसरे लोग हिस्सा ले जाते हैं। हमारा यह कहना है कि इनका हिस्सा इनको मिलना चाहिए। अब इनको पता चल गया है कि इनके लिए आगे जाने का रास्ता है। इनके लिए सर्विस बहुत कम है। हमने गांवो में देखा है कि अभी ये लोग बहुत पीछे हैं। इनके लिए अभी 38 लाभ लिखे हुए हैं कि क्या-क्या ये लाभ लेंगे। इनको 35 लाभ उपलब्ध हैं और वे इनको मिले हुए हैं। वे और भी ज्यादा लाभ ले सकते है। इसलिये हमारा कहना यह है कि इनको पूरे लाभ मिलने चाहिए, ताकि ये लोग भी देश में ऊपर उठें।

4.22 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

महोदय, हमारा कहना यह है कि जैसे गवर्नमेंट सर्विसेस में यह प्रोविजन है कि पति के मरने के बाद उसकी पैंशन पत्नी को मिलती है। इनको भी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे देश में जो किसान हैं तथा जो लोग और धंधों में लगे हुए हैं, जैसे दूध निकालने वाला है, ऐसे ही और भी हैं। इन लोगों का देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेकिन इनको ठीक से सहूलियतें नहीं दी जाती हैं आज इनकी मांग आ रही है और इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई है। आज जैसे झारखंड वाले कर रहे हैं हरेक स्टेट के अंदर देखा जाता है कुछ ऐरियाज में अच्छा काम हो रहा है लेकिन कुछ में कम काम हो रहा है। अगर यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होता तो यह बात नहीं होती। आज जो आता है वह अपनी कम्युनिटी के लिए सोचता है। आप यह जो बिल लाए हैं यह एक चर्चा का विषय है। इसलिए हमारा बार-बार यही कहना है कि इनके लिए भी आपको सोचना चाहिए। हम 40 प्रतिशत हैं और वे इससे भी ज्यादा है। यहां जो लोग शासन कर रहे हैं। वे जो कानून बनाते हैं उसको सब को मानना पड़ता है, क्योंकि यहां पार्टी सिस्टम है। यह लोग सब कुछ ले जाते हैं। एक वक्त आयेगा लेकिन पता नहीं वह कब आयेगा, जब नौजवान निकलेंगे, जिन पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती अगर ये लोग देखेंगे कि हम इस देश के एक नागरिक हैं और हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है तो जरूर लड़ाई होगी। फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा यह तो वक्त ही बताएगा। एक वक्त था जब हमारे पिछड़े लोग लड़े, उन्होंने अपना हक लेने की कोशिश की तो उनको थोड़ा मिल गया है। हमारा कहना है कि उनके लिए सब जगह रिजर्वेशन होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में हो, चाहे स्टेट के अंदर हो। अभी पंचायत में तो हो गया है। ओ.बी.सी. के लिए वहां पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए हो गई है। मेरा कहना है कि जहां पर शासन की बात आती है, जहां इलेक्शन या वोट की बात आती है, वहां पर सब जगह पापुलेशन के हिसाब से पिछड़े वर्गों को हिस्सा मिलना चाहिए। अभी जहां पर आरक्षण हैं, कहा गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होगा। जो 85 परसेंट हैं, उनके लिए 50 परसेंट और 15 परसेंट हैं, उनके लिए भी 50 परसेंट । अन्य वर्ग जो 15 परसेंट हैं, उनकों 50 परसेंट हिस्सा मिलने से उनके यहां सब सदस्यों को नौकरी मिलने के बाद भी पर्याप्त जगहें बाकी रह जायेंगी। मेरे यहां एक कायस्थ लड़का हैं, वह कहता है कि हमारे यहां नौकरी की कोई समस्या नहीं है, सब को नौकरी मिलने के बाद भी जगहें बची रहेंगी। इसलिए प्रपोशनेटरी होना चाहिए। 50 परसेंट से अधिक आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? जब इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां पर भी उच्च वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, इस वास्ते उन्होंने ऐसा लिख दिया और उसको मानना पड़ता है। क्या पार्लियामेंट में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यह होना चाहिए। उनको अनेलिसिस करने का, तर्जुमा करने का हक है, लेकिन यह हक नहीं है कि किसी का हक छीनकर किसी को दे दो। कम लोगों को ज्यादा हिस्सा दे दो और ज्यादा लोगों को कम हिस्सा दे दो, यह कैसा न्याय है। यह न्याय इसलिए है क्योंकि हम ऐसे देश में हैं, जहां पर अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, शोषण व्यवस्था चल रही है, तरह-तरह का शोषण चलता है।

इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। असेंबलीज, पार्लियामेंट, म्युनिसपेलिटीज या अन्य संस्थाओं में, जहां-जहां भी इलेक्शन होता है, सब जगह आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम यह जरूर महसूस करते हैं कि यह विधेयक बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए यदि यह विधेयक ठीक नहीं है तो सरकार दोबारा इस पर विचार-विमर्श करें, सब लोग मिल कर अच्छी ड्राफ्टिंग करें और लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करें। आज लोग महसूस कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है, आप ज्यादा दिन तक इसको रोक नहीं पाएंगे। अब यह बात नहीं है कि पढ़े-लिखे लोगों की कमी है या अवेयरनेस नहीं है, सबके अंदर अवेयरनेस आ गई है और सब अपना हक मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। कोल्ड-वार शुरू हो गई है...(**व्यवधान**) अभी यह लड़ाई रास्ते के बाजू में है, आगे जाकर यह लड़ाई बढ़ती जाएगी और क्या रूप लेगी, कह नहीं सकते। आज की कोल्ड-वार हॉट-वार में बदल जाएगी, यह कभी भी हो सकता है कितने दिन तक लोग चुप रहेंगे। अब वह वक्त नहीं है कि गरीब यह सोच कर चुप बैठ जाए कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, भगवान ने मुझे ऐसे परिवार में पैदा किया है और दूसरे को अच्छे परिवार में पैदा किया है, इसलिए उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है, मेरे लिए कुछ नहीं है यह सोचकर अब कोई भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे बैठने वाला नहीं है। कोल्ड-वार हॉट-वार में बदलेगी, संघर्ष होगा।. ..(**व्यवधान**) अभी पश्चिम बंगाल में लैंड रेफार्म्स करके गरीब लोगों को संभालने का कुछ काम किया गया है। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं मैंने लिखा है।

[अनुवाद]

जब मैं सभापति था मैंने उनकी उस कार्य के लिए प्रशंसा की है जो वे वास्तव में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैंने कॉमंडेशन दिया है, चाहे कोई कुछ बोले।

[अनुवाद]

मैंने उस प्रतिवेदन में लिखा है, आप उसको संसद के ग्रंथालय में जाकर देख सकते हैं।

[हिन्दी]

मैंने उनको रिक्मेंडेशन दिया, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के थे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे थे जिन्होंने यह करने नहीं दिया। इन कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। लैंड-रिफोर्म की वजंह से गरीब लोग थोड़े-थोड़े आगे उठे है। आज सरकार ने जमीन का बंदोबस्त कर दिया है, पानी का बंदोबस्त कर दिया है, बीज का बंदोबस्त कर दिया है। यह लोग उसमें लगे रहते है और उत्पादन करते हैं तथा अपने हक की लडाई भी जारी रखते हैं ऐसा नहीं है कि यह लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। गरीब और अमीर के बीच में जो लड़ाई है वह गांव में और सब जगह में है, लेकिन अगर गणतंत्र में यह गरीब और अमीर की लड़ाई होगी तो गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ है कि उनके जो हक हैं वे उनको मिलने चाहिए। गरीब को खाना मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, उनको घर चाहिए। उनके बच्चे को पढ़ने के लिए पास में सुविधा चाहिए और उनको बाद में पेंशन भी चाहिए। कोई लकड़ी का काम करता है तो क्या वह लकड़ी खाकर रहता है, कोई कागज का काम करता है तो क्या कागज खाकर रहता है। जो पागल है यह भी खाना खाकर रहता हैं। लेकिन उत्पादन गरीब लोग ही करते हैं। चाहे जमीन किसी की हो लेकिन काम करने वाले तो आदिवासी, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग ही हैं पर घर किसने बनाए? आपके पास पैसा हो, इंजीनियर्स हों और चाहे कोई बताने वाला हो, लेकिन यह काम किसने किया? क्या उनको आपने पैंशन दिया? उनको घर दिए ? यह रास्ते किसने बनाए, यह कारखाने किसने बनाए? सब यही लोग बनाते हैं लेकिन उन लोगों को हक नहीं है उन चीजों पर उनके हक लेने के लिए उनके आदमी यहां आ जाते हैं जहां कानून बनते हैं, पास होते हैं, तैयार होते हैं। ये लोग कहते हैं जरूर हम अपने भाई को यहां देखेंगे।

ये शोषण करने वाले बड़े-बड़े पूंजीपति कौन हैं? पहले हमारे गांव में क्या होता था कि अगर कोई मेहमान आ जाता था तो नारियल पिलाते थे, नीबू पानी पिलाते थे लेकिन आजकल कोका-कोला, फैंटा पिलाते हैं। तो किस तरह से शोषण हो रहा है । आज किस तरह से टी.वी. में यह एड दिखाते हैं एक आलू का दस रूपया लेते है। उसको इतना सुंदर कर देते है कि बच्चे रो-रोकर पिताजी को तंग कर देते है कि हमें तो यही चाहिए। यानि 50 पैसे के आलू में हवा ज्यादा है। तो क्या यह शोषण नहीं? क्या इस प्रकार का शोषण हम कर पाएंगे?

तो यह जो व्यवस्था चल रही है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलोजी आ गई है। तो क्या यह साइंस एंड टेक्नोलोजी गांव तक नहीं पहुच जाएगी? जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग है, उसकी सहायता से ज्यादा उत्पादन करके 100-150 रुपए ज्यादा नहीं कमा सकते हैं? यहां लोग किताब लिखते हैं और जहां लाभ ज्यादा है उस काम को पहले मांगते हैं। दूसरे काम के लिये कहेंगे नहीं नहीं हमारा इसमें शेयर नहीं है। शेयर देने वाले भी कौन हैं? सब दफ्तर वाले और कलैक्टर हैं। उनको कहा जाता है कि अच्छा काम करो। मैंने सुझाव दिया था कि जिन के पास थोड़ी जमीन है, उनको आप अधिक सुविधायें प्रदान करो जिससे वे अच्छा उत्पादन कर सकें और अपने बाल-बच्चों को पढ़ा सकें, कपड़ा दे सकें, दवाई दे सकें और अच्छी जिन्दगी व्यतीत कर सकें।

आज विज्ञान और तकनीक ने बहुत सी चीजें निकाली हैं लेकिन वे सब किताबों में हैं। कहा तो जाता है कि इससे गरीबों को फायदा पहुंचाया जाये, लेकिन इस काम को करने वाले इसको करने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा तो इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ऐसे में हम क्यों करें। आपने आरक्षण की व्यवस्था तो की है लेकिन गरीब लोगों के लिये ठीक से कोई व्यवस्था नहीं की है। ट्राइबल एरिया में जंगल हैं, मिनरल हैं और बाकी सब कुछ वहां है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : वहां बैलाडीला भी है।

श्री अनादि चरण दास : आज सब प्राइवेट है, जमीन प्राइवेट है, घर प्राइवेट है और गाड़ी भी प्राइवेट है। थोड़ी बहुत चीजें प्राइवेट हो गईं तो क्या हो गया - चाहे वह बैलाडीला हो या दूसरी कोई चीज हो। ऐस्टिमैट कमेटी में मैंने देखा है कि आज कितना लॉस हो रहा है?

[अनुवाद]

वह हजारों करोड़ रुपया किसने लिया है?

[हिन्दी]

आज बैंकों में लॉस हो रहा है। इनमें किन का पैसा है? जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स में लॉस हो रहा है, उनमें किन का पैसा है? वहां भी गरीबों का पैसा है। आपने वहां से गरीबों को निकाल दिया लेकिन बड़े-बड़े आदमियों ने उससे अपने घर बना लिये। सरकार इसको क्यों नहीं रोक पाती है? बम्बई, कलकत्ता से सरकार को प्रापर्टी टैक्स से 50 लाख रुपये की आय होती थी। 1971 में जब मैं लोक सभा में चुन कर आया तो उस समय सरकार को वहां से 3 लाख की आय होती थी। आज वह बढ़ते-बढ़ते 50 करोड़ तक हो गई है।

हम से यहां लोग जबर्दस्ती टेढ़ा-मेढ़ा लिखवा लेते हैं और हम पर प्रैशर डालते हैं। ह्वाइट पेपर को ब्लैक करने के लिये तैयार हो जाते हैं। अगर उनको पढ़ने के लिये टाइम नहीं होता है तो उन पर दस्तखत भी हो जाते हैं। गांवों में दूसरे ढंग से हम पर प्रैशर पड़ता है। हम जन प्रतिनिधि हैं। गांवों में हम से लोग शिकायत करते हैं कि हमने उनके लिये कुछ नहीं किया। इस प्रस्ताव में पिछड़े वर्ग के लोगों के भागीदारी की बात है। जितने भी पिछड़े लोग हैं चाहे वे गरीब आदिवासी हों या हरिजन हों या दूसरे वर्ग के पिछड़े लोग हों, उनकी भागीदारी होनी चाहिये। मुझे याद है एक बार इन्दिरा जी ने कहा था कि

[अनुवाद]

इस देश में अवसर उपलब्ध हैं, वे उचित तरीके से बांटे जाने चाहिये।

[हिन्दी]

इस वजह से 1971 में संविधान में सोशलिस्ट शब्द लिखा गया।

जिस के हाथ जितने लम्बे होते हैं, उनको उतना ही मौका मिल जाता है। जिनकी समाज में भागीदारी होनी चाहिये, उनको मौका नहीं मिलता है। वे पढ़े-लिखे लोग आ गये हैं। उनको आप कैसे रोक सकते हैं। समय आ गया है, हम को सब देख कर जन मानस को ठीक करना चाहिये। कांग्रेस ही उनको भागीदारी दे सकती है। दूसरी कोई पार्टी नहीं दे सकती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। वह दो-ढाई साल ही शासन कर पायी। बाद में वह डेढ़ साल ही शासन कर पायी।

हम राम का नाम लेते हैं। राम शब्द से नमस्कार होता है।

आप खुद सुनकर हैरान होंगे कि राम क्या है। एक सैंटीमेंट देकर 115-116 आ गए। क्या इस देश को ये संभाल सकते हैं? क्या इस देश का मैनेजमेंट ये कर सकते हैं? ...(व्यवधान) जो बिल लाए हैं उसका मैं समर्थन करूंगा। मुझे मौका मिला है, सुविधा मिली है तो जरूर बोलूंगा। कांग्रेस को यह देखना चाहिए। उनको हिस्सा देना है या नहीं देना है, और देना है तो क्या करना चाहिए। विधान सभा व संसद में ये लोग आकर कानून बनाएं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो कानून नहीं बना सकते।

हमने एक बार प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि हमारी पार्टी के अंदर, चाहे यूथ कांग्रेस हो या और कोई संगठन हो, सबमें एस. सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें यदि कानून का प्रावधान हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं होगा कि यह बनिया है, यह यादव है। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं अकेला क्या करूं, मुझे कोई साथ नहीं देता। मुझे भी पार्टी की बात करनी पड़ती है।

सभापति महोदय : आप अच्छे विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो समय निर्धारित है वह समाप्त होने जा रहा है, बहुत अधिक वक्ता हैं।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : आपने घण्टी नहीं बजायी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे समय दिया गया है।

सभापति महोदय : बहुत बोलने वाले हैं, आप सारांश में समाप्त कीजिए।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। यह अच्छा विधेयक है। अगर यह विधेयक पर्याप्त नहीं है, यहां तंग्काबालू जी बैठे हैं, वे अच्छा बिल ड्राफ्ट कराकर अच्छी तरह से लाएं। लेकिन यह कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस सचमुच इस वर्ग की रक्षा करती है, गरीबों की रक्षा करती है, उसका दावा है कि वह गरीबों के पीछे खड़ी रहती है, यह उनका सेवियर है तो यह बिल लाना पड़ेगा। कुछ नए लोग ऐसे आते हैं वे गड़बड़ कराते हैं, जात-पात के नाम पर राजनीति कराते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पुराना नाम है।

[अनुवाद]

कांग्रेस गरीब, दलित, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की हिमायती है।

[हिन्दी]

इसको दोहराने के लिए यह आज यह बिल लाए उसको सरकार मान ले। यदि इसको पर्याप्त नहीं समझे तो ठीक ढंग से ड्राफ्ट करांए। आपके पास बहुत आदमी हैं। आप हम सब से सलाह लेकर अच्छा ड्राफ्ट करके बिल लाएं। अगर यह हो जाए तो देश का बड़ा कल्याण होगा। इस नाते मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार से कहता हूं कि इसको अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके इस सदन में लाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया और साथ ही श्री के.पी. रेड्डय्या यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। इस बिल के माध्यम से जो चिन्ता रेड्डय्या साहब ने जताई है, देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कुल आबादी का 85 प्रतिशत है, उन्हें देश में कानून बनाने की जगह प्रौपर हिस्सेदारी मिलनी चाहिये, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं। हमारे देश में आज गरीब तबकों, पिछड़ी जाति के लोगों और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जैसी स्थिति और परिस्थिति है, इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, वे उससे परिचित हैं और चिन्तित भी हैं। हमें आजादी मिले 48 साल हो चुके हैं लेकिन आजाद होने के इतने सालों बाद भी हमारे देश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों, पिछड़े और अकलियत के लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो राहत मितनी चाहिये थी, जो प्रौपर हिस्सेदारी मिलनी चाहिये थी, वह अभी तक नहीं मिली है। इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है।

इस देश को आजाद करने में हमारे योद्धाओं ने और नेताओं ने जिस तरह कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, उन्होंने इस देश के बारे में एक स्वप्न देखा था कि जब देश को आजादी मिलेगी तो आजाद देश में गरीब तबके के लोगों को हर मामले में समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनका विकास होगा, उनकी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी लेकिन आज हम और आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वे लोग देश भर को कमाकर खिलाने वाले, खेत और खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी कमाई से हम सब खाते हैं। देश के निर्माण में इन लोगों ने अपने आपको झोंकने का काम किया है।

ऐसे लोगों के प्रति हमारे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के मन में क्या थोड़ी सी भी चिन्ता है कि उनका विकास होना चाहिये, उनमें जो कमी है, वह दूर होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिये जिस तरह अपनी कुरबानी दी, उनके दिलों में देश के गरीब लोगों के प्रति जो भावना थी, उन्होंने इस देश के गरीब, अकलियत और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बारे में जो कुछ सोचा था, उनका स्वप्न पूरा नहीं हुआ और उनकी कुर्बानी बेकार गई।

इस देश के विकास के बारे में चिन्ता करने वाले लोग, जिनके हाथों में राज-सत्ता सौंपी गई है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़े अरमान से सौंपा था कि देश में प्रजातंत्र आयेगा, हमारा संविधान बनेगा जिसके तहत हमारे गरीब लोगों को अनेक अधिकार मिलेंगे, विकास के अवसर मिलेंगे, देश के पिछड़े शोषित और कमजोर लोग विकास करेंगे, आज हमें अहसास होता है कि उन्हें किसी भी स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, चाहे आप नौकरियों में देख लीजिये, एजूकेशन में देख लीजिये या कहीं भी देख लीजिये। सत्ता में उन्हें जितनी भागीदारी मिलनी चाहिये, वह भी नहीं मिली कानून बनाने वाले लोगों की मंशा यदि सही न हो तथा देश के 85 फीसदी लोगों की उपेक्षा यदि इस देश में की जाती रही तो निश्चित तौर से देश का विकास नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, आज देश में अशांति का जो बड़े पैमाने पर माहौल पैदा किया जा रहा है, उसमें भी काम नहीं किया जा सकता। इसलिए आज आवश्यकता है अपने दिलों को उदार करने की और जिनके हिस्से और पूंजी छीन ली गई है, उनको उसे देने की जरूरत है। इस देश के निर्माण में गरीब तबके के लोग आगे आए हैं। आज जो हम पार्लियामेंट में बैठने का काम कर रहे हैं, आज जो हम आलीशान भवन बनाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हमें जो खेत-खलिहान में काम करने वाले लोग हैं उनके बाल-बच्चों की तरफ देखने का भी ध्यान रखना चाहिए। आज उनकी हालत यह है कि उनको दो जून की रोटी नहीं मिलती है। उनको सोने के लिए छत नहीं मिलती है। वे खुले आसमान के नीचे सोते हैं। वे फुटपाथ और झोंपड़ियों में पैदा होते हैं और अपना जीवन जैसे-तैसे बसर कर के वहीं मर जाते हैं।

सभापति महोदय, जिनके हाथ में राजसत्ता रही है, जिनके हाथ में पूरी की पूरी जनता ने राजसत्ता को सौंपने का काम किया है उनके मन में बेईमानी रही है। इसलिए कमेरे वर्ग के लिए और इस देश की 85 प्रतिशत जनता के लिए जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसलिए सभापति महोदय, आज हमें उदार दिल बनाने की जरूरत है। निश्चितरूप से जिस तबके के लोगों के लिए सोचने की जरूरत थी, उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया और वे आज दीन-हीन हालत में हो गए हैं।

सभापति महोदय, आज लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में आरक्षण की बात होनी चाहिए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षा में भी आरक्षण होना चाहिए। आज अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि इस देश में जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जिनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है उनको उनके आरक्षण के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण को बढ़ाने के साथ-साथ, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के अनुसार लोगों को अवसर प्रदान कीजिए। डाक्टरी में, इंजीनियरी में और अन्य तकनीकी संस्थाओं में जब तक इनका आरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो खेत में काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति आज यह है कि जो काम बाप-दादा करते थे वही काम आज उनके बच्चे कर रहे हैं। जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक उनके धंधे में परिवर्तन के लिए उन्हें समुचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कुम्हार हैं, जो लुहार हैं, जो बढ़ई हैं, आज उनके बच्चे वही परम्परागत ढंग से काम कर रहे हैं जिस ढंग से उनके बाप-दादा काम करते थे। इसलिए सरकार को इनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए और जब ये पढ़ेंगे नहीं तब तक राजसत्ता पर अधिकार नहीं हो सकता है और जब तक राजसत्ता पर अधिकार नहीं होगा, तक तक कानून नहीं बन सकता है। जब तक इनके हित का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है इन वर्गों के लोगों के बच्चों को शिक्षित करने की।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया, लेकिन क्या उन्हें यह आरक्षण का लाभ मिल पाया? नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं और जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनकी मंशा साफ नहीं थी। इसलिए उनके साथ बेइंसाफी की गई है। इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी सच्चे माने में राजसत्ता में भागीदारी हो सकती है। सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को मंशा साफ रखनी चाहिए और घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया अगर ऐसी बात होती, और उनकी अगर मंशा साफ होती, तो अब तक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद वह आरक्षण उन्हें क्यों नहीं दिया गया। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों आरक्षण का लाभ नहीं उठा सके, क्यों इतने पीछे रह गए? ऐसा नहीं है कि उनमें मेधा की कमी नहीं है, लेकिन उनको जानबूझकर, साजिश करके सत्ता से दूर रखा गया।

सोचा गया कि यदि ये पढ़-लिख गए, तो हमारा खेत कौन जोतेगा, हमारा हल कौन चलाएगा, हमारे लिए रिक्शा कौन खींचेगा, हमारे लिए बर्तन साफ करने का काम कौन करेगा?

हमारा जूठा उठाने का काम कौन करेगा, हमारा मैला साफ करने का काम कौन करेगा। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इन गरीबों को सत्ता से दूर रखने का काम किया गया है। उनको पढ़ाने-लिखाने का काम नहीं किया गया है, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया। अगर आज के माहौल में मेधा रखने वाला पिछड़े वर्ग का कोई आदमी पढ़ लिखकर कम्पीटेटिव इग्जाम में पास हो जाता है तो उसे जान बूझकर हटा दिया जाता है क्योंकि वह गांव में रहता है व पता नहीं कौन जाति का है और साजिशों के तहत उसे हटा दिया जाता है। आपको उनको यू.पी.एस.सी. के सलेक्शन बोर्ड में रखने का काम करना होगा तभी उसको सही न्याय मिल सकता है। आपकी जो मंशा है, वह साफ नहीं है, उसको साफ करने का काम करना होगा। इस देश का गरीब अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस देश के जो 85 प्रतिशत लोग हैं, वे सब इस बात को मानने वाले नहीं हैं। अगर सत्ता में उसकी सही मायने में हिस्सेदारी नहीं हुई तो इस देश में उथल-पुथल होगी। अभी उथल-पुथल होने वाली है इसलिए मौका देखते हुए और समय रहते सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपने इस 85 प्रतिशत लोगों की उपेक्षा करने का काम जो आज तक किया है, उसकी उपेक्षा भंग करने का काम कीजिए और उनके हक और अधिकार देने का काम कीजिये।

आज जिसको इस देश का मालिक होना चाहिए था, उसको नौकर बनाकर रखने का काम किया गया है जिसको नौकर होना चाहिए था, वह मालिक बना है। प्रजातंत्र में जिसकी संख्या अधिक होती है, वही राज पाट चलाने का काम करता है मगर धोखे से और भुलावे में रखकर उनके हक को छीनने का काम किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आज भी होशियार होईये और आपकी जो मंशा साफ नहीं है, उसको साफ करने का काम कीजिये। उनको अधिकार नहीं दिया है, टेक्नीक इंस्टीट्यूशन्स में आरक्षण नहीं दिया है, उनको आप आरक्षण देने का काम कीजिये। अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं और आपने उनके लिए कुछ सोचा है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो कमाई हुई सम्पत्ति है, उसमें बराबर की हिस्सेदारी देने का काम कीजिये। मैं यह नहीं कहता कि बहुत लम्बे समय तक...

सभापति महोदय : इस पर चर्चा का समय 4 बजकर 58 मिनट था। वह समय समाप्त हो रहा है। अगर सदन की राय हो तो समय बढ़ा दिया जाये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति जी, इस पर और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप इसका समय बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदय : एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री नवल किशोर राय : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : ठीक है, इसके ऊपर दो घंटे का समय बढ़ाया गया है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, मैं बता रहा था कि सही मायने में अगर हम सब लोग यह बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज तक जिनकी हिस्सेदारी नहीं हुई है, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सत्ता में इस पक्ष में बैठे हुए लोग या उस पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, अगर सबकी इस पर सहमति है तो निश्चित तौर पर सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसमें जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी तक पीछे रखने का काम किया गया है उनका हर तरह से विकास हो सके और हर तरह से उनकी हिस्सेदारी हो सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्री यादव जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं, उसकी मंशा बहुत साफ है मगर इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी संख्या अधिक है। आज पिछड़ों में जागृति आयी है। आज वह जानने लगे हैं, अपना हक समझने लगे हैं, अपने अधिकार समझने लगे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यदि आपकी 85 फीसदी संख्या है तो आपके लोग निश्चित रूप से चुनकर आयेंगे। मगर जहां पर व्यवस्था पर चोट करना है, वहां उस व्यवस्था पर चोट करने की जरूरत है। आज तक जिस मंशा से जिस नीयत से सत्तारूढ़ में बैठे हुए हमारे साथी उन गरीबों का विकास चाहते हैं, उनको सही मायने में हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो आगे आकर उन सारी चीजों में आरक्षण देने की जरूरत है।

5.00 म.प.

मंडल कमीशन में जो अनुशंसा की गई है, आप कहते हैं कि हमने आरक्षण लागू कर दिया। जब वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे, यदि उस समय यह बात नहीं आती तो आज आप इसे नहीं करते। जब यह पूरे देश के पैमाने पर लागू हुआ तो ऐसा लगा कि सब तरफ अशान्ति हो गई है, लेकिन अब भारतवर्ष की जनता इस बात को समझने लगी है कि कौन हमारा हितैषी था और कौन हमारा दुश्मन था। अब उनकी आंख पर पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, अब पूरे देश के गरीब लोग जाग गए हैं। अब आप गरीब की शक्ति को दबा नहीं सकते, यदि गरीब की शक्ति को दबाने की कोशिश की जाएगी तो इस देश में भूकम्प आ जाएगा, जिससे कोई नहीं बच सकता। मैं चाहूंगा कि समय रहते मान जाइए और उनकी हिस्सेदारी देने का काम कीजिए। सिर्फ नीति मत बनाइए नीयत भी साफ करने का काम कीजिए तभी गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिल सकेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कमाने वाला खाने का काम नहीं करेगा। आज तक ऐसा ही होता रहा था। अब कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। जो गरीबों, दलितों की भावना को जानने वाले लोग हैं, वो उनको हक की हिस्सेदारी दें, उनको ऊपर उठने का

मौका दें और सही मायने में राजसत्ता में हिस्सेदारी देने का काम करें।

दोनों मंत्री पिछड़े तबके के हैं। मेरा विशेष निवेदन है कि आप दिल खोलकर विधेयक लाइए और आज तक गरीबों के लिए आरक्षण में जो कमी रही है, उसे पूरी तरह से लागू करके इस देश के गरीबों को उनका हक देने का काम कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, हम आपको और श्री रेड्डैया यादव को धन्यवाद देते हैं।

श्री रामदेव राम (पलामू) : सभापति महोदय, आज पिछड़े वर्ग के प्रति आरक्षण क्यों? आजादी को लगभग 50 साल हो रहे हैं और आरक्षण की मांग की जा रही है। यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। यदि सभी लोगों के साथ समानता बरती जाती तो आज यह मांग सामने नहीं आती। जैसा शास्त्रों में भी कहा गया है:

आकाशात पतितम तोयम

यथागच्छति सागरम्

सर्वदेव पूजानाम प्रतिगच्छति।

यदि सभी लोग समान रूप से विचार करते तो आज यह बिल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सत्तारूढ़ दल सत्ता के मद में गरीबों को रौंदता गया। आज सारे देश में जो उग्रवाद पनप रहा है, उसका कारण उनके प्रति असमानता ही है। यदि समानता नहीं बरती गई तो हम सभी उग्रवाद की आग में साथ जलेंगे, केवल गरीब ही नहीं जलेंगे अमीर भी जलेंगे। आज जो बड़े-बड़े लोग चुन-चुनकर मारे जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण बड़े और छोटे में भिन्नता पैदा करना है। आज बिहार में संध्या को सात बजे की किवाड़ बंद हो जाते हैं। ...**(व्यवधान)** बड़े और छोटे लोगों की असमानता के कारण ही उग्रवाद बढ़ रहा है अन्यथा उग्रवाद बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।

सभी के दिलों में अगर समानता की भावना होती तो यह उग्रवादी पैदा नहीं होते और हम उनकी आग में धू-धू नहीं जलते। उसी कारण से आज उग्रवाद पैदा हुआ है। ये बताना चाहता हूं कि एक दिन में दादा ग्राम में उग्रवादियों ने प्रातःकाल पांच बजे घरों में जाकर पांच मिनट में 22 रायफलें छीन लीं, घरों से मांग ली, लेकिन कोई चूं तक नहीं कर सका तो इसका क्या कारण है? आज पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हम आरक्षण की मांग करते हैं कि उनको आरक्षण दिया जाय। अगर इस आरक्षण पर उसी समय विचार किया जाता तो आज वह कारण हमारे सामने उपस्थित नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार इस पर ध्यान दे।

जिस व्यक्ति ने, रेड्डैया साहब ने इस बिल को प्रस्तुत किया है, हम शत-प्रतिशत उनके बिल का समर्थन करते हैं। समानता का आरक्षण दिये जाने की हम जो बात करते हैं, अगर यह हमने नहीं किया तो वह कल हमें फिर से नुकसान उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा।

इस बिल में जो बातें कही गई हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति शत-प्रतिशत अपनी बातों से विचार करते हुए इसका समर्थन करें और इस बिल को पास करें।

यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जो संविधान संशोधन विधेयक श्री के.पी. रेड्डैया लाये हैं, इसके लिए रेड्डैया साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

काफी समय से इसपर चर्चा हो रही है, फिर सदन की राय से आपने समय बढ़ाने का काम किया *। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसपर तफसील से चर्चा होनी चाहिए। संविधान में ही विशेष अवसर का सिद्धांत रखा गया, उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण सरकारी सेवाओं में दिया गया, विधान सभा और लोक सभा में दिया गया, परन्तु यह जो अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जिनकी आबादी 52 फीसदी है, उनके आरक्षण को दबाकर रखा गया।

अभी माननीय श्री ए.सी. दास जी बोल रहे थे तो सत्तारूढ़ दल की चर्चा बार-बार कर रहे थे। मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो संविधान सभा बैठी तो संविधान सभा में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, संविधान में विशेष अवसर का सिद्धांत लाया गया। उसके अनुरूप होना तो यह चाहिए था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार से सभी स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन साजिश हुई। साजिश इसलिए हुई कि एक वर्ग के लोगों के हाथ में लम्बे समय तक स्वतंत्र भारत का राज रहे, इसके लिए अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के अन्य भाग, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया और बांटकर उनको आरक्षण दे दिया गया। उनको बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग लोग, जो सभी पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उसमें अलग हैं। यह भेदभाव करके, फूट डालकर लम्बे समय तक शासन किया गया और शासन करने के क्रम में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, उसमें भी बेईमानी हुई।

47 वर्ष स्वतंत्रता को हुए, 47 वर्षों में गणतंत्र भारत में हमने अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया,

हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आज तक उनका बैकलॉग पूरा हुआ? क्या उनके जो उत्पीड़न के सवाल हैं, वह अपने देश में हल हुए हैं? जब 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तभी से पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के सवाल एजेण्डा पर आये हैं।

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसी समय केन्द्रीय कक्ष में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई और उसी समय से जागरण पैदा हुआ। पूरे देश में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनमें जागरण पैदा हुआ है। उसी के क्रम में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कराया गया। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम मंत्रीजी से जानना चाहते हैं आज जिस तरह से बार-बार यहां पर आरक्षण की चर्चा आज कराते हैं, सभी पक्ष के सदस्य चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वामपंथी हों, चाहे राष्ट्रीय मोर्चे के हों या कांग्रेस पार्टी के हों, सभी के द्वारा विशेष अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया जाता है, सभी के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की वकालत की जाती है और समर्थन किया जाता है, लेकिन हम बार-बार इस सदन में आरक्षण-आरक्षण की चर्चा करते हैं, लेकिन 47 साल की आजादी के बाद भी दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलाग को समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसका मतलब साफ है कि जो सत्ता पक्ष में 47 वर्ष सबसे ज्यादा रहे हैं उनकी नीयत में खोट है। वे नीति बनाते हैं, नीति दर्शाते हैं और उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति को साढ़े 22 फीसदी नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इन 47 वर्ष में 8 से 10 फीसदी भी आरक्षण पूरा नहीं होता है। यही साफ उदाहरण है कि इनकी नीयत ठीक नहीं रहती है। मजबूरी में, जनता के दबाव में, देश के 85 फीसदी लोगों के दबाव में ये आरक्षण लाते हैं, मन से नहीं लाते हैं, तन से लाते हैं। इसलिए इसको पूरा नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्रीजी से साफ तौर पर जानना चाहते हैं कि जो बैकलाग अनुसूचित जाति और जनजाति का है उसको कब तक पूरा करने वाले हैं? अनेक बार माननीय केसरीजी और राज्य मंत्री ने यहां आश्वासन दिया है, लेकिन बैकलाग पूरा नहीं हुआ। वहीं पर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य सभा में, लोकसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने माननीय सदस्य के.पी. रड्डैयाजी को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन यह जिक्र किये बिना हम नहीं रह सकते कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पहले निर्णय लिये गये हैं, उसमें आपकी नीयत में अंतर है। नीति तो राष्ट्रीय मोर्चा ने बनाई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चली गई। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और उसके समय में जो नीति प्रतिपादित हुई थी उसको लागू करने का जब मौका आया है तो सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार 27 फीसदी आरक्षण को सही माना गया, जो माननीय वी.पी. सिंह ने लागू किया था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक हाथ से आरक्षण देने की बात है तो दूसरे हाथ से लेने की बात की जाती है। हम उदाहरण देना चाहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें बड़े परिश्रम के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आने वाले को चेयरमैन बना दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी सदस्य दलित वर्ग से या ओबीसी से नहीं लिया जाता है। उनमें जो अंतर्वीक्षा ली जाती हैं उसके लिए जो समिति बनाई जाती है, जो कोर कमेटी बनती है, जो अलग-अलग छंटनी कमेटी बनती है, जो संघ लोक सेवा आयोग का सचिवालय है उसमें सब के सब लोग उस वर्ग से आते हैं जो सामाजिक न्याय और विशेष अवसर की सीमा में नहीं आते हैं। जिस कारण से वहां बेईमानी होती है। भाई राम कृपालजी ने ठीक कहा है कि वहां पर जाति पूछने के बाद परिणाम खराब कर दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय आज यह घोषणा करेंगे, यह तय करेंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है, सरकारी सेवाओं में, उसी अनुपात में संघ लोक सेवा आयोग से लेकर सभी कम्पीटीटिव एक्जाम जो होते हैं, जो अंतर्वीक्षा ली जाती है।

सरकारी सेवाओं में उसकी कमेटी में भी दलित वर्ग के लोगों के लिए उनके कोटे के हिसाब से और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके कोटे के हिसाब से सदस्य होने चाहिए और उसके चेयरमैन बनाए जाने चाहिए। मेरे विचार से तब ही उनको न्याय मिल सकता है।

5.16 म.प.

[श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित आदिवासी लोगों के लिए और अन्य पिछड़े लोगों के लिए, जिनको आरक्षण देने की बात है, सब को समान बनाने की बात है, तो हम आपके जरिए से मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर गौर करें और गौर करके उनको आज ही लागू करने की बात सोचनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में, तकनीकी एवं गैर तकनीकी संस्थाओं में, मेडिकल कालेजों में और इंजीनियरिंग कालेजों में और व्यावसायिक संस्थानों में जो नामांकन में 27 फीसदी आरक्षण करने का प्रावधान है, उसको पूरा करेंगे। हम आपके जरिए माननीय मंत्री से कहना चाहते हैं कि 27 फीसदी जो नामांकन में आरक्षण दिया है, उसको आज ही लागू करने का एलान करें, तब हम समझेंगे कि भारत सरकार में जो बैठी हुई पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी नीयत में खोट नहीं है और वह विशेष अवसर का सिद्धांत लगाना चाहती है और सब को समान बनाना चाहती है।

हम आरक्षण की चर्चा बहुत करते हैं और सभी पक्ष आरक्षण की वकालत करते हैं सभी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। 22.5 फीसदी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। हम आपके जरिए से एक सवाल करना चाहते हैं, एक तरफ सरकार दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम करती है और दूसरी तरफ भूमंडलीकरण करके नौकरियों को भी समाप्त कर रही है और आरक्षण से वंचित करने की साजिश की जा रही है। आई.एम.एफ. के दबाव पर, विश्व बैंक के दबाव पर जो उदारीकरण की नीति लाई गई है, जो नई आर्थिक नीति लाई गई है, जो नई औद्योगिक नीति लाई है, जिसमें दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में उतारी जा रही हैं, उनमें कहीं पर भी आरक्षण नहीं है। जो हमारे यहां उद्योग लगते थे, फैक्ट्रियां लगती थीं, जो हमारे यहां सरकारी उपक्रम लगते थे, उनमें भारत की जनता, भारत के अन्य पिछड़े लोग, भारत के दलित समुदाय के लोग आरक्षण पाते थे। नियमानुकूल नीयत नहीं रहने के बावजूद भी, 47 बरसों की आजादी के बाद भी, जो 22.5 फीसदी दलितों के लिए आरक्षण हो रहा है और जो 8-10 प्रतिशत ही आरक्षण हुआ है, इसका श्रेय भी इसी आरक्षण को ही है। आज तो सभी रेलवे स्टेशनों को निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाया जा रहा है। जब सारा काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए ही होगा, तो वहां पर कोई आरक्षण नहीं है। इस क्षेत्र में हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक तरफ आप यह दम भरते हैं कि हम विशेष अवसर के सिद्धांत को मानते हैं, हम सामाजिक न्याय को मानते हैं, हमने आरक्षण दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों को हक नहीं मिलता है। इस लिए मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं, यदि भारत सरकार की नीति की तरह नीयत भी साफ है तो आज ही कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे ऐलान करें कि हम संविधान संशोधन करेंगे और संवैधानिक प्रावधान करायेंगे। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में और निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां होंगी, उनमें भी भारत के संविधान के अनुकूल आरक्षण की सीमा को बांधा जाएगा और आरक्षण को लागू कराया जाएगा। यह आज ही आप तय करने का काम करें, तब समझेंगे कि भारत सरकार की नीयत गरीबों के प्रति उचित है, सहानुभूति है और लागू कराना चाहती है। हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि निजी क्षेत्रों में आगे नौकरियों के सवाल पर आरक्षण की सीमा में लाया जाना चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं उनके लिए जो आई.आर.डी.पी. स्कीम चलाई गई है, उसमें 86 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई देश के 85 फीसदी जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग हैं तथा जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है। ये लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। यह जो फीगर बता रहे हैं उसके हिसाब से 86 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जब कभी उपयोगिता की चैकिंग होती है, जब कभी गरीबों के प्रति हमदर्दी रखने वाले माननीय मंत्री जी इसका सर्वे कराने का काम करेंगे तो पता चलेगा कि कागज में तो इनको गरीबी रेखा के ऊपर ला दिया गया है लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई है इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, आज जो देश में स्थिति है वह यह है कि हमारी आबादी 85 करोड़ से ऊपर है। उसमें 85 फीसदी गरीब लोगों की संख्या है। संविधान में विशेष अवसर का सिद्धांत लगा हुआ है। सामाजिक न्याय की बात है उसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण को पूरा करने की व्यवस्था जी जानी है। उसको काग्नीजेबल ऑफेंस बना करके, दंड के कानून बना करके आरक्षण के बेकलॉग को पूरा कराने की बात है, जिसको आज सरकार को करना चाहिए। उसके साथ ही जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लगा दी गई है, सीलिंग लगा दी गई है उस पर मैं आपके जरिए मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी आबादी है, हमारी 85 फीसदी आबादी है। मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 52 फीसदी अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी है परंतु उसे सीलिंग के कारण 50 फीसदी के अंदर आरक्षण रखा जाता है। आप संविधान में संशोधन लाइए। 50 फीसदी सीलिंग को समाप्त करिए। नौवीं अनुसूची में आरक्षण को डाल करके सीलिंग को समाप्त कीजिए। अन्य पिछड़े वर्ग की 52 फीसदी आबादी है। दलितों की जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी है उसके आप साढ़े 22 फीसदी आरक्षण दे रहे हैं। पिछले 1991 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी 25 फीसदी हो गई है। उनके आरक्षण को भी बढ़ा कर 25 फीसदी की आज ही घोषणा करनी चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। सीलिंग को समाप्त करके, जो 50 फीसदी की सीलिंग है उसके बढ़ा करके अन्य जो पिछड़े वर्ग बाकी है, जितनी हमारी आबादी है उतना आपको आरक्षण देना चाहिए, यह हम आपके जरिए कहना चाहते हैं।

महोदय, इस देश में जिस प्रकार से आरक्षण में सामाजिक न्याय के लोगों को लाया जाता है और नीयत ठीक नहीं होती है इसलिए बेकलॉग पूरा नही किया जाता है। इस पर हम चिंता व्यक्त करते हुए आपके जरिए यह भी कहना चाहते हैं कि इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, माइनोरिटी के लोग हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे मुसलमान भाई हैं, ईसाई हैं या अन्य समुदाय के अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भी आर्थिक हालत काफी खराब है उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए भी सीलिंग को समाप्त करके आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और उच्च वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, माननीय वी.पी. सिंह जी ने तय किया था, नीति बनाई थी कि उच्च वर्ग के

जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि सीलिंग को समाप्त करा कर उसको भी शामिल करने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही हमारे भाई के.पी. रेड्डय्या जी जो विधेयक लाए हैं वह अच्छा है। उनके विधेयक लाने से हमें चर्चा करने का काफी मौका मिला है। इसलिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में जो म्युनिसिपेलिटी एक्ट बना है, जो पंचायती राज का एक्ट बना है उसमें अन्य पिछड़े वर्ग, दलित आदिवासी सब को आरक्षण दिया गया है उसी प्रकार से पूरे देश के सभी राज्यों में आरक्षण दिया जाना चाहिए, यह हम मांग करना चाहते हैं। जहां तक लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद का विधेयक है इसका भी हम समर्थन करते हैं। अब जागृति आई है, जनता जाग चुकी है, गरीब आगे बढ़ा है। इसलिए लोकसभा और विधानसभा में तो अन्य पिछड़े वर्गों के लोग आ ही जाते हैं, राज्यसभा और विधान-परिषदें, जहां पर केटेगरीकली मेंबरशिप दी जाती है, नामीनेट किया जाता है, इनमें भी अन्य पिछड़े वर्गों को मौका मिलना चाहिए। इसका समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि यू.पी.एस.सी. से लेकर सारी कमेटियों में आरक्षण का सवाल जो हमने उठाया है, उस पर अमल करने का आश्वासन देने का काम करें तथा तकनीकी, गैर तकनीकी संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण के लिए मंडल कमीशन ने जो 27 परसेंट आरक्षण की सिफारिश की है, इसके बारे में जो आज ही ऐलान करने की कृपा करें। निजी कंपनियों और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन लाने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, महोदय, मैं श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा जो संविधान संशोधन लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मेहनत करके, सोच-समझकर यह संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से सदन के हर पक्ष की तरफ से इस विधेयक को समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए जरूर आवश्यक कदम उठाएगी।

सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक में मूल रूप से व्यवस्था की गई है कि लोक सभा, विधान सभाओं और राज्य सभा और विधान परिषदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाए। जहां तक लोक सभा और विधान सभाओं का प्रश्न है, वर्तमान में इनमें अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इस विधेयक में कहा गया है कि लोक सभा और विधान सभाओं में आबादी के अनुपात से अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिले और राज्य सभा तथा विधान परिषदों में, जो हमारे उच्च सदन हैं, जहां अभी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण का प्रावधान नहीं है, उनमें अनुसूचित जाति तथा जन जाति के साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह इस विधेयक का उद्देश्य है, इसलिए यह विधेयक समय की मांग के अनुरूप है। कुछ वर्ष पहले जब सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की अनुशंसा मंडल कमीशन ने की थी और जब उसके लागू करने की बात आई तो इस देश में जबर्दस्त विवाद छिड़ गया था, काफी हंगामा भी हुआ था, पक्ष और विपक्ष में आंदोलन चलाये गये थे, हिंसक घटनायें हुई थीं। लेकिन जब नवम्बर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि वी.पी. सिंह सरकार ने जो कुछ किया था वह उचित था उसके बाद से विरोध की आवाज बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, लेकिन बहुत लोग जो निरर्थक विरोध करते थे, जिनकी नीयत खराब थी और जो पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा नहीं होने देना चाहते थे, वैसे लोगों की बोलती जरूर बंद हुई है। अभी भी साजिश होती रहती है कि किसी न किसी प्रकार से इसको टालो, किसी न किसी प्रकार से झटका दो और यही कारण है कि जब भी कोई सवाल होता है तो तत्काल सरकार की तरफ से उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस सदन में बार-बार इस सवाल को उठाया था। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण किया गया है। उनको उम्र सीमा में छूट दी जाये, उनको अवसर की सीमा में छूट दी जाये, उसमें वृद्धि की जाये, यह सवाल हम उठाते थे और लगातार एक-डेढ़ साल इसके लिये लड़ते रहे। इसके समर्थन में बाहर भी आंदोलन होता रहा है। बहुत दिनों के बाद सरकार उसको मानने के लिये मजबूर हुई है। अभी भी साजिश चलती रहती है। पिछले दिनों इसके संबंध में कई प्रकार की चर्चायें हुई। अभी भी दो प्रकार की चर्चा आरक्षण के क्षेत्र में जबर्दस्त रूप से इस देश में चल रही है। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50 परसैंट रखी गई, इसको ले करके कई राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं और कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। वहां यह मांग हो रही है कि आरक्षण की सीमा जो कि 50 परसैंट है, उसको समाप्त किया जाये और जरूरत पड़े तो इसके लिये संविधान में संशोधन भी किया जाये। इतने दिन बीत गये, बार-बार आश्वासन के बाद भी अभी तक इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं लाया जा सका है। इसके खिलाफ जो ताकतें हैं, वे सोई नहीं हैं। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिये किसी जांच को जितनी दूरी तक हो सके टालते जाओ और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके बस से बाहर बात हो जाती है तो यह कहा जाता है कि हम एक-एक करके कदम-दर-कदम इस बात को देख रहे हैं।

राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से इनकी निष्ठा इस बात को पूरा करने की है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति इनका कमिटमैंट है। हम इनसे आग्रह करेंगे कि जब इस प्रकार की बात सामने आती है तो यह नहीं सोचना चाहिये कि यह निजी तौर

पर प्रस्ताव लाया गया है। संयोग से जो माननीय सदस्य यह प्रस्ताव लाये हैं, वे इन दिनों कांग्रेस में हैं, भले ही दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आये हों लेकिन अब वह कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। वह समय-समय पर कांग्रेस की वकालत करते रहते हैं। विपक्ष पर उनके तेवर हमलावर जैसे रहते हैं। हर पार्टी ने इसका समर्थन किया है। इसलिये आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको स्वीकार कीजिये। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।

पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो संविधान का 72 वां और 73 वां संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसमें प्रावधान रखा गया कि राज्य विधान मंडल अगर चाहें तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में यानी कि शहरी निकायों में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और महिलाओं के आरक्षण के लिये प्रावधान किये गये। अन्य पिछड़े वर्ग के मामले को राज्य विधान मंडलों पर छोड़ दिया गया। कई राज्य धीरे-धीरे इसको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। वे अपने राज्य के कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। कई राज्यों ने इसको शामिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जब राज्य विधान मंडलों पर आरक्षण का जिम्मा छोड़ा गया है, अगर वे चाहे तो उसे लागू करें और नहीं चाहें तो तो नहीं लागू करें, उस स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहिये और संविधान में संशोधन करना चाहिये। पंचायती राज संस्थाओं में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान करना चाहिये। इसके साथ ही विधान मंडलों में, लोक सभा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये। इसे विधेयक में इसकी चर्चा नहीं है। महिलाओं के लिये भी आरक्षण होना चाहिये। महिलाओं की संख्या राज विधान मंडलों में, लोक सभा में और राज्य सभा में बहुत सीमित है, जबकि उनकी आबादी लगभग बराबर है। पुरुष और स्त्री की आबादी इस देश में लगभग बराबर है, थोड़े बहुत का अन्तर है।

तो उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिये। यह आदर्श स्थिति होगी कि महिलाओं के लिए समाज के हर क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सर्वोच्च सदन का क्षेत्र हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका हो या शिक्षण संस्थान अथवा व्यावसायिक संस्थान हो, हर जगह उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में समय लगेगा। जो संभव है उसको करना चाहिए। जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई जगह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उसी तरह एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में आरक्षित होने चाहिए। यह आरक्षण वर्टिकल आरक्षण न होकर होरिजेंटल आरक्षण होना चाहिए। सबमें होरिजेंटल आरक्षण महिलाओं के लिए कर देना चाहिए। मान लीजिए ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण मण्डल आयोग के तहत निर्धारित है, तो उसका एक तिहाई आरक्षण हो। बाकी 50 प्रतिशत का एक तिहाई, अनुसूचित जाति-जनजाति का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। उनके लिए एक वर्टिकल आरक्षण की जरूरत नहीं है। उनको होरिजेंटल आरक्षण देने से हर क्षेत्र में महिलाएं आ जाएंगी।

आज चर्चा होती है कि लोक सभा, राज्य सभा व विधान मण्डलों में महिलाओं की संख्या हो, लेकिन जहां-जहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं वहां बड़ी संख्या में महिलाएं सामाजिक जीवन में आई हैं, राजनीति में आई हैं और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर विधान सभा या लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त मौका भी मिलेगा। इसलिए आरक्षण व्यवस्था हो। पंचायती राज की तरह यहां भी प्रावधान होना चाहिए ताकि हर दृष्टि से समाज की मांग को देखते हुए हर प्रकार से इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिए तथा इससे भी आगे बढ़कर जो महिलाओं को आरक्षण का जिक्र किया है, उसकी इसमें व्यवस्था करनी चाहिए।

रेड्डय्या साहब जो विधेयक लाए हैं उनका एक सीमिति उद्देश्य है कि संविधान में कुछ धाराओं को, उप धाराओं को जोड़ना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें विधेयक पर चर्चा का अवसर ही नहीं मिल रहा है बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर, आरक्षण के सिद्धांत पर, उसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने का भी एक अच्छा मौका उन्होंने प्रदान किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

कतिपय माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया, मैं भी कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। शिक्षण संस्थाओं में जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनको नौकरी के लायक नहीं बनाया जा सकेगा, इसलिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई विलम्ब से शुरू की है, इसकी परम्परा नहीं थी, आजादी के बाद एक दौर चला है और आरक्षण मिल रहा है, पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला चालू हुआ है। वे प्रतियोगिता के युग में पीछे न रह जाएं, इसलिए उनके लिए कोचिंग भी चालू होनी चाहिए। उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कोचिंग कॉलेज चलाने चाहिए।

अभी मैं आपके सामने कार्यान्वयन की बात कर रहा था। इसमें कई बाधाएं खड़ी होती हैं। कुछ दिन पहले, इस सत्र के शुरू होने से पहले मैं पटना में था। मुझसे पिछड़े वर्ग के कुछ नौजवान मिले। उन्होंने पटना के बैंकिंग भर्ती बोर्ड में रिजर्वेशन के बारे में बताया। मण्डल आयोग की सिफारिश सरकारी उपक्रमों में भी लागू है व सार्वजनिक उपक्रमों में भी लागू है। यहां मूर्ति जी बैठे हैं, वे देखेंगे कि पटना में जो बैंकिंग भर्ती बोर्ड है उसने आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन क्यों नहीं किया। जितना आरक्षण होना चाहिए था वह नहीं दिया गया। यह शिकायत हमारे सामने आई है। आप मुनासिब समझेंगे तो मैं पूरे विवरण के साथ कल्याण मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को लिखकर भेज दूंगा। लेकिन जो अन्याय हुआ उसकी चर्चा करना चाहता हूं। कदम-कदम पर अन्याय होता है। एक सर्कुलर निकाल दिया और निकालने के बाद उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। सर्टिफिकेट देने में दिक्कत होती है।

आप कहीं भी चले जाईए, जिन जातियों के नाम सूची में हैं, उन्हें भी कह दिया जाता है कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जायेगा। हमारे पास लोग शिकायत लेकर आते हैं कि हमें ब्लॉक से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मैं ने उनसे कहा कि तुम्हारा अधिकार है, इसमें किसी की कृपा का सवाल नहीं है, सर्टिफिकेट कैसे नहीं मिलेगा, तुम संबंधित अधिकारी को लीगल नोटिस दो। मंडल कमीशन की सिफारिशें स्पष्ट हैं। जब पहली बार हमें शिकायत मिली तो हमने कल्याण मंत्री को लिखा और इन्होंने बजाब्ता एक सर्कुलर निकाला कि ये जातियां हकदार हैं और उन्हें सर्टिफिकेट मिलने चाहिये। आज पिछड़ी जाति के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलते, दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे के स्तर पर सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले अधिकारी एक कुचक्र रचते हैं या कोई बहाना बनाकर कह देते हैं कि हमारे पास सर्कुलर नहीं है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा देने के लिये जिन जातियों का जिक्र है, जिसे आप सर्टिफिकेट देने के लिये ब्लॉक में सक्षम अधिकारी मानते हैं, जिला अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, वह अपने नीचे ले अनुशंसा मांगता है और कहता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से लिखाकर लाईये, उनकी रिकमैंडेशन चाहिये, उस स्थिति में प्रखंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी आदि को आपकी तरफ से आरक्षण के संबंध में सभी जातियों की सूची रिपीट करके भेजनी चाहिये। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से लोगों को जूझना पड़ता है। अभी मैंने बैंकिंग भर्ती बोर्ड की चर्चा की, वहां भी इन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। आपने 27 परसेंट आरक्षण इन जाति के लोगों को दिया है, लेकिन नहीं मिल रहा है। जब कोई गुहार लेकर हमारे पास आता है तो हम आपके नोटिस में लाते हैं और कोशिश भी करेंगे।

इसके साथ-साथ जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गयी हैं तो पिछड़ी जातियों में भी वर्गीकरण किया गया है। कहीं दो प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया गया है, कहीं तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पिछड़ी जातियों में भी जो अत्यन्त पिछड़े लोग हैं, अब वक्त आ गया है कि उन्हें भी क्लासीफाई किया जाये। पिछड़ी जातियों में ऐसे लोगों को तरजीह मिलनी चाहिये। ऐसा न हो कि जो ज्यादा पिछड़े हैं, वे और पिछड़ते चले जायें। उनका यदि कोई उम्मीदवार न मिले तो दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को ले लिया जाये लेकिन केन्द्रीय स्तर पर कुछ शुरुआत होनी चाहिये। अत्यन्त पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिये।

एक मामला बहुत दिनों से आपके यहां पैंडिंग चला आ रहा है। जहां भी आप जाईये पिछड़ी जाति के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जाति या जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये, जिसके लिये आपने एक कमीशन बहाल किया है। कई जाति के लोगों की मांग है कि पेशे के हिसाब से, दूसरे क्राईटेरिया से वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने लायक हैं। एक जमाने से ऐसी मांग की जा रही है। पिछले साल कितना हंगामा देश में हुआ जब कुछ लोग अपने आपको शैडयूल्ड ट्राइब्स में शामिल कराने के लिये एक जुलूस के रूप में आये, जिस पर बर्बर गोलीकांड हुआ और जिसकी गूंज सारे देश में हुई। इस प्रकार का मामला 1968 से चला आ रहा है। उसके बाद 1887-88 में भी ऐसी बात सामने आयी और चारों तरफ से अनुशंसाएं आयी कि अमुक-अमुक जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाये। इस संबंध में एक विधेयक लाया जायेगा, यह आपका आश्वासन अभी भी पैंडिंग है। बिहार में ताती जाति के लोग एक जमाने से लड़ रहे हैं। उनके बारे में अनुशंसा भी हो चुकी है कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये। ताती, बुनकर, ततवे ये सब एक ही प्रकार की जातियां हैं। पाम जाति के लोगों को तो शामिल कर लिया गया है लेकिन ताती जाति के लोगों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। वे सब एक ही प्रकार की लोग हैं, सबके अंदरुनी संबंध एक ही प्रकार के हैं। इसलिये सबको सुविधायें मिलनी चाहिये और उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना चाहिए। एक जमाने से वे लड़ते आ रहे हैं। बिहार में बुनकर समाज के अध्यक्ष का नाम कुशेश्वर दास है, जब मैं यहां आ रहा था तो वे मुझसे मिलने आये और बाजाब्ता मुझे एक पिटीशन दिया। ऐसे पिटीशन वे मुझे कई बार दे चुके हैं उन्होंने कहा कि उनकी जाति को भी शामिल किया जाये नहीं तो आत्मदाह करने के सिवा उनके सामने दूसरा चारा नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं कि यह मामला बहुत दिनों से लम्बित पड़ा हुआ है, जिन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है, उन्हें शामिल करने में देर क्यों की जा रही है। आपके पास राज्य सरकारों की सिफारिशें आ चुकी हैं, क्योंकि आप पहले राज्यों से सिफारिशें मांगते हैं, फिर शामिल करने में क्या दिक्कत है। यदि इस काम के लिये आपको कोई विधेयक लाना हो तो उसे लाईये जब आप नई जातियों को अनुसचित जाति और जनजाति की सूची में शामिल करेंगे तो उनकी संख्या में इजाफा होगा। आज आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया गया है।

सभापति महोदय, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अनुसूतिच जाति, जनजाति में जिन जातियों को शामिल करना है, उसके बारे में आप अंतिम निर्णय इसी वर्ष करें और तत्काल करें और उसको ध्यान में रख कर उनकी संख्या में जो वृद्धि होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आप संदिधान में संशोधन करें और जब आप यह सब करेंगे, तो मैं उसी बात के ऊपर पुनः जोर देना चाहूंगा कि फिर आपके सामने 50 प्रतिशत आरक्षण से ज्यादा आरक्षण न करने की जो सीमा लगी है, उसको हटाने की बात आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस 50 प्रतिशत की सीमता को समाप्त करिए और समाज के उत्थान के लिए आप समेकित, सम्यक और काम्प्रीहेंसिव बिल लाएं।

सभापति महोदय, आज यहां श्री के.पी. रेड्डय्या साहब के इस बिल को प्रस्तुत करने के कारण मुझे अपने विचार प्रकट करने को जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको तथा यादव साहब को धन्यवाद देते हुए आपसे अपील करना चाहूंगा कि मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपसे पुनः पुरजोर शब्दों में अनुरोध करता हूं कि आप इस बिल को स्वीकार करने की कृपा करें। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं श्री के.पी. रेड्डय्या साहब का आभारी हूं कि जिन्होंने एक ऐसे मुद्दे को जिसके बारे में बहुत दिनों से मांग होती रही है, यहां प्रस्तुत करने का काम किया है।

सभापति महोदय : सूर्यनारायण जी, क्या आप कृपया केवल एक मिनट के लिये बैठ जायेंगे? गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। आप उसके बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। मैं माननीय मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

5.47 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वैल्लूर विशेष शिविर, तमिलनाडु से लिट्टे उग्रवादियों का भाग जाना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : 14-15 अगस्त, 1995 को वैल्लूर में टीपू महल स्थित विशेष शिविर से लिट्टे के 43 कैदियों के भाग जाने के बारे में सदस्यों को जानकारी है। राज्य सरकार ने इस घटना की पुष्टि की है और घटना के बाद उनके द्वारा किए गए विभिन्न अनुवर्ती उपायों के बारे में भी हमें सूचित किया है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस घटना की जांच कराने के आदेश दिए हैं। पूरे तमिलनाडु में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में व्यापक धर-पकड़ के लिए विशेष पुलिस पार्टियां बनायी गयी हैं। सड़कों पद निगरानी/वाहनों की जांच का कार्य शुरू किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप जेल से भागे हुए 11 व्यक्ति राज्य पुलिस द्वारा पकड़ लिए गये, तथापि, उनमें से दो ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। राज्य पुलिस ने जिन 9 व्यक्तियों को जिन्दा पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार ने, शेष भगोड़ों को गिरफ्तार करने में मदद देने वाली जानकारी सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 रु. का इनाम देने की घोषणा की है। उत्तरी आरकोट अम्बेडकर जिले के पुलिस अधीक्षक और कैम्प कमान्डेट तथा विशेष शिविर की सुरक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। तथ्यों का पता लगाने के लिए एक दल, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, को वैल्लूर भेजा गया है जो घटना स्थल पर जाकर उन परिस्थितियों की जांच करेगा, जिनके कारण लिट्टे के उग्रवादी बच कर भागने में सफल हुए।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा घटना के बाद यह कदम उठाए गए हैं फिर भी केन्द्र सरकार लिट्टे उग्रवादियों के बचकर भाग निकलने की घटनाओं और उनकी उग्रवादी गतिविधियों की ओर से वास्तव में चिंतित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से लिट्टे के उग्रवादियों के बचकर भाग निकलने की आठ घटनाएं सूचित हुई हैं। इन घटनाओं में जेल तोड़ने की दो घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं में 42 व्यक्ति बच कर भाग निकले जिनमें से 21 खोज निकाले गए तथा एक व्यक्ति पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर एक बम विस्फोट में मारा गया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है अतः इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की सरकारों के साथ राज्य पुलिस के कार्यकरण के आसूचना पहलू को मजबूत बनाये रखने, आसूचना का बेहतर और प्रभावकारी ढंग से आदान-प्रदान करने के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के साथ ही साथ पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए समुचित वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध करवा रही है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, केन्द्र सरकार लिट्टे की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों इत्यादि को आधुनिक बनाने के लिए पहले से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर राज्य सरकार की मदद कर रही है। तथापि, वैल्लूर जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मूल संरचना की संपूर्ण पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है तथा संवेदनशील स्थानों पर ऐसे अधिकारी तैनात करने की आवश्यकता है जो सुरक्षा पहलुओं से निपटने के लिए सक्षम और सुग्राही हों। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे मामले की गंभीरता से अवगत हैं तथा यथोचित कार्रवाई कर रहे हैं।

कल चर्चा के दौरान, किसी माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि - तमिलनाडु राज्य सरकार ने विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3 (2) (छ) के तहत राज्य सरकार को शक्तियां प्रत्योजित करने का प्रस्ताव भेजा था। गह सच है कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1993 में मिला था। इस प्रस्ताव पर, गृह मंत्रालय ने विधि विशेषज्ञों से परामर्श करके विचार किया था। यह मत व्यक्त किया गया था कि - विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3(2) (छ) के अधीन केवल केन्द्रीय सरकार को ही शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जो अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए समयोचित समझे जाने वाले विशेष आदेशों को जारी करने के संबंध में मत बना लेने के बाद ही इसका प्रयोग कर सकती हैं। तदनुसार ही राज्य सरकार को इस स्थिति के बारे

में मार्च 1994 में सूचित कर दिया गया था। राज्य सरकार को पुनः यह सूचित किया गया था कि तमिलनाडु में श्रीलंका के राष्ट्रिकों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए, विदेशी-नागरिक अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें पहले ही पर्याप्त शक्तियां प्रदत्त हैं। जुलाई 1995 में, राज्य सरकार ने, उसे शक्तियां प्रदत्त करने के उसके अनुरोध को दोहराया था। तमिलनाडु में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था के कारण केन्द्र सरकार, कानूनी कार्य विभाग से परामर्श करके प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है।

हालांकि, उपर्युक्त कानूनी ढांचे का पुनः परीक्षण किया जा सकता है फिर भी जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वैल्लूर में जैसी घटना घटी है, उसके परिप्रेक्ष्य में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा मौजूदा प्रावधानों जोकि उपलब्ध हैं और राज्य सरकार द्वारा अनुपालनीय हैं, के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गंभीर समीक्षा, किए जाने की जरूरत है। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अपनी ओर से, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के काम में राज्य सरकार की मदद करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी तथा राज्य सरकार को सभी सहायता उपलब्ध कराएगी।

5.53 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 330 क और 330 ख का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदय, श्री यादव जी जो प्राइवेट मेम्बर बिल लाये हैं, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जब-जब मण्डल कमीशन के तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई तब-तब एक छटपटाहट शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे देश में सारी बातें शुरू हो गयीं। अब यह समाप्त हो गया है कि OBC हो या एनेक्श्चर वन या टू हो, उन सबको आरक्षण न मिले। अब ऐसी कोई बात इस देश में नहीं रही। लाचारी से हो, मजबूरन हो या देश की परिस्थितियों की जो डिमांड्स हों, उसको लोकसभा ने भी स्वीकारा है। कार्यपालिका ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इसमें कतई कोई सन्देह नहीं है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग इसको नहीं चाहते। मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस में नहीं था तब मण्डल कमीशन को लागू किया गया था। यह सदन और यहां की प्रोसीडिंग इस बात की गवाह है कि इसमें कैसी घटनाएं घटी थी। उस वक्त भी मैं कांग्रेस को दोषी नहीं मानता था। दोषी कोई और दल था जो अभी भी इसको दोषी मानकर चलते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ यह कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी विपक्ष में बैठे हुए थे और हम लोग सत्तारुढ़ में थे। उन्होंने कहा था कि आरक्षण का विरोध मैं नहीं करता। मैं आरक्षण देना चाहता हूं। इसमें विलम्ब भी हुआ है, इसके लिए मैं भी गलती मानने को तैयार हूं लेकिन वी.पी. सिंह जी आप एनेक्श्चर वन और टू में कर्पूरी ठाकुर के फार्मुले को लागू करने की बात करो।

यह उन्होंने कहा था। हमने इस बात को नहीं माना। मंडल कमीशन ने 27 फीसदी आरक्षण दिया। वी.पी. सिंह का कहना था कि उसमें जो प्रावधान किया है, उसे लागू किया जाए। जब कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी तब स्थिरता आई। फिर यह कहना कि कांग्रेस इसे नहीं मानती, यह बात मैं नहीं मानता। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पिछड़े वर्ग को 89 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की और उसे विधान सभा में पारित करके लोक सभा में भेजा। आप सबने मिलकर उस पर मोहर लगाने का काम किया। मैं यह बात प्रमाणित करना चाहता हूं कि कांग्रेस भी आरक्षण की उतनी ही पक्षधर है जितने आप हैं। अब सवाल यह है कि उसे इम्प्लीमैंट कैसे किया जाये। हमारे राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी हाउस में थे। हमने इस पर बहुत चर्चा की। मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब-जब मंडल कमीशन की बात आई, उन्होंने उस पर विशेष रुचि लेकर चर्चा कराने का काम किया। इसलिए सीधे यह कह देना कि वे नहीं चाहते, इसे दरार को अब भरने का काम करें।

अब सवाल यह है कि उसका कार्यान्वयन कैसे करें यह व्यवधान देश में है, इसे मैं भी मानता हूं। यदि कोई राज्य सरकार उसे लागू नहीं करना चाहती, जैसे उड़ीसा में जनता दल की सरकार थी तो बीजू दा ने नहीं माना। इसमें जनता दल का क्या कसूर है। क्या मैं यह मान लूं कि जनता दल नहीं मानता? मैं यह बात नहीं मानता। नीतिश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साधारण बातों पर ओब्जैक्शन लगा दिया जाता है। यदि आवेदन भरने की आखिरी तारीख 25 है और ब्लॉक से पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया तो यह आवेदन पत्र नहीं भर पाता। इसकी विशेष व्यवस्था हमको सोचकर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन पर अंकुश लगाने के लिए इसे लोक सभा को अपने पास ले लेना चाहिए। यदि पिछड़ों को कुछ प्राप्त नहीं होता तो आप कानून बनाकर क्या करेंगे। इसलिए सारे दलों की एक कमेटी बनाएं जो यह देखेगी कि इसे इम्प्लीमेंट करने में कहां गड़बड़ी की जाती है। फिर उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें आप राहत देना चाहते हैं।

अब सवाल यह है कि देश का गरीब ऊपर कैसे उठे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे कहते हैं कि गांव ऊपर उठें–मंडल कमीशन के माध्यम से हो या अन्य स्रोतों से हो। अभी गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात हुई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मानसिकता में कोई कमी नहीं है लेकिन यदि आप उसे पिछड़े लोगों की भावना को समझकर इम्प्लीमैंट करने का काम करेंगे तो उनको राहत मिल सकेगी।

6.00 म.प.

आप कहते हैं कि स्कूल में भोजन हम देंगे, क्या यह क्रान्तिकारी फैसला नहीं है? आप कहते हैं कि 75 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम गरीबों को देंगे, क्या यह क्रान्तिकारी फैसला नहीं है? यह सब सामाजिक न्याय के तहत आते हैं और यही सामाजिक न्याय की बात मंडल कमीशन में है। आप इसी को इम्प्लीमैंट कर दें तो मैं समझता हूं कि जो आप और हम सब चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जायेगी, इसलिए मानसिकता पर कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है। जब एज में छूट देने का मामला आया था, मैं प्रधानमंत्री जी के यहां गया था और मैंने कहा था कि पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया, लेकिन इसमें आपकी हमारी लड़ाई के कारण अगर इनको एज में छूट नहीं मिलेगी तो यह पीछे चले जा रहे हैं, इनको परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है, इनको अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इम्मीडिएटली उन्होंने इसको इम्प्लीमैंट किया, उनको छूट दिलाई। मंत्री जी को बुलाया, यह सारे मंत्री जी आये, वहां बातचीत हुई और उन्होंने इसमें रिलैक्सेशन दिया। नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है।

अब सवाल है कि देश बहुत बड़ा है, इसमें सारी बातों को देखना है, इसमें आप और हम मिलकर इस समस्या को अगर वहां पर पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस काम में बढ़ोतरी होती जायेगी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सूर्य नारायण जी, आपको कितना टाइम चाहिए?

श्री सूर्य नारायण यादव : हमको 15 मिनट और चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो कुछ समय और बढ़ा दिया जाये, क्योंकि कुछ माननीय सदस्य भी इस चर्चा में आज भाग लेना चाहते हैं। सभा की क्या राय है?

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, समय तो पहले बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : बहुत महत्वपूर्ण सजेशंस हैं, इसको आगे कर दीजिए, बढ़ा लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री यादव, आप अपना भाषण अगले शुक्रवार को जारी रख सकते हैं।

सभा 21 अगस्त, 1995 को 11 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 21 अगस्त, 1995/30 श्रावण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।